Wednesday, 05 September, 1962

लोव -सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ८, १९६२/१८८४ (शक)

[३ से ७ सितम्बर १९६२/१२ से १६ भाद्र, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated. 18/X/73

सत्यमेव जयते

3rd Lok Sabha

Preservation Unit 14-5-97
Fumigated 8-12-83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय खण्ड माला, खण्ड ८—अंक २१ से २५—३स ७ सितम्बर, १९६२ १२ से १६ भाद्र १८८८४ (शक)]

	पृष्ठ
अंक २१—सोमवार, ३ सितम्बर, १९६२।१२ भाद्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४६ से ७६० और ७६२	२५८५—१६११
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १०	२६११-१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४५, ७६१, ७६३, ७६४ से ७६६	२६१२—१४
अतारांकित प्रश्न संख्या २१४४ से २१५४, २१५६ से २१६० और २१६२ से २२०६	२६१४—४३
अल्प सूचना प्रश्न सख्या ९	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	२६४३—४६
(१) पश्चिम बंगाल में वियासवाड़ी सीमा चौकी के निकट सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा दो भारतीयों के मारे जाने का कथित समाचार	
(२) श्री जी० डी० सोंधी द्वारा जकार्ता में दिये गये कथित वक्तव्यों और उन पर इण्डोनेशिया सरकार की प्रतिक्रिया।	
लद्दाख में चीनी सैनिक के चौकियों के बारे में वक्तव्य	२६४६-४७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४७-४८
राज्य सभा से सन्देश	२६४८
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक	२६४८
(२) भाण्डागार निगम विधेयक	"
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—	२६४९
विचार करने का प्रस्ताव	२६४९—५१
खंड १ से ७	२६५१
पारित करने का प्रस्ताव	२६५१
बैंकिंग समवाय (सशोधन) विधेयक	२६५२
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ८ तथा १	२६६०
पारित करने का प्रस्ताव	२६६०-६१

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक— १६६१—८६

विचार करने का प्रस्ताव . . . .

कार्यमंत्रणा समिति — २६८६

छठा प्रतिवेदन . . . .

दैनिक संक्षेपिका . . २६८७—९२

अंक २२—मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२/१३ भाद्र, १८८४ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ७७०, से ७७३ ७७६, ७७७, ७७९ से ७८१, ७८४ और ८८५ . . . २६९३—२७१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ . . . २७२०—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तरांकित प्रश्न संख्या ७६९, ७७४, ७७५, ७७८, ७८२ और ७८६ से ७९० . . . . २७२२—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२१० से २२५१, २२५३ से २२५४ और २२५६ से २२६१ . . . २७२६—५७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २७५७—६२

(१) नागा लैंड में पैंटिंग फोम को गोली से मार दिया जाना।

(२) मोजाम्बिक से भारतीयों का निकाला जाना . .

(३) जकार्ता के भारतीय दूतावास पर आक्रमण . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २७६२—६३

राज्य सभा से संदेश २७६३

अनुपस्थिति की अनुमति . . २७६३

धर्मपरिवर्तन करने वालों का विवाह विच्छेद विधेयक—पुरस्थापित . . २७६४—६५

कार्य मंत्रणा समिति— २७६५

छटा प्रतिवेदन . . . . .

गन्ना नयंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक . . . २७६५—६६

विचार किरने का प्रस्ताव .

खंड २ तथा १ . .

पारित करने का प्रस्ताव . .

ईरान के भूकम्प के बारे में २७६

विषय	पृष्ठ
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में	२७६७–६८
संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	२७६८—८८
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ७ और १	२७८८—९५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७९५—२८०१
खाद्य उत्पादन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	
दैनिक संक्षेपिका	२८०२—०८

अंक २३—बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२/१४ भाद्र, १८८४ (शक)—

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, से ७९३, ७९३–क, ७९४ और ७९७ से ८०४	२८१९—४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९५, ७९६, ८०४–क, और ८०५ से ८१९	२८४१—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६२ से २३६६, २३६८ से २३७१ और २३७१–क से २३७१–ञ	२८४८—२९११
राज्य सभा से सन्देश	२९११
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	२९१२
सदस्य का निलम्बन	२९१२—१४
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	२९१५—१९
खंड २ से ५ तथा १	२९१९–२०
पारित करने का प्रस्ताव	
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	२९२०—३५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ तथा १	२९३५
पारित करने का प्रस्ताव	२९३५–३६
परिसीमन विधेयक—	
सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव	२९३६—३८
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	२९३८—७१
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२९७१

विषय	पृष्ठ
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका	२९७९—८६

अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७	२९७७—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७	२९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३—क	३००५—४६
दिनांक ३–९–६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि .	३०४६
निधन संबंधी उल्लेख . . .	३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३०४७-४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंन्धी समिति .	३०५१
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	३०५१
कार्यवाही का सारांश	
याचिका संबंधी समिति	३०५१
कार्यवाही सारांश	
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . .	३०५२—९२
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवदन के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका	३११७—२४

अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ .	३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . .	३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१९, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३९ से २५४८ .	३१५७–९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३१९५–९७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध . तथा उसके फलस्वरूप बेकारी . .	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	३१९७
कार्यवाही से निकालने के बारे में . . .	३१९७–९९
सभापटल पर रखे गये पत्र .	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में . . .	३२००–०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति .	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति .	
राज्य सभा से संदेश	३२०४–०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति—	३२०५–०६
पहिला और दूसरा प्रतिवेदन . . .	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि .	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य . .	३२०६–०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य .	३२०७–०९
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२०९–१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . .	३२१३–१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	३२१४–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	
आठवां प्रतिवेदन . . .	३२३१
अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प	३२३२–३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'लिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा . २९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका . . . . २९७९—८६

अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . .
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७ २९७७—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७ २९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३—क ३००५—४६
दिनांक ३—९—६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि . ३०४६
निधन संबंधी उल्लेख ३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३०४७—४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ३०५१
कार्यवाही सारांश . . . . .
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . . ३०५१
कार्यवाही का सारांश . . . . .
याचिका संबंधी समिति ३०५१
कार्यवाही सारांश . . . . .
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . . ३०५२—९२
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . ३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३११७—२४

अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ . ३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . . ३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१६, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३६ से २५४८	३१५७—६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३१६५—६७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध तथा उसके फलस्वरूप बेकारी . . .	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	३१६७
कार्यवाही से निकालने के बारे में . . .	३१६७—६६
सभापटल पर रखे गये पत्र .	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में . . .	३२००—०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति .	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति .	
राज्य सभा से संदेश	३२०४—०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन .	
प्राक्कलन समिति—	३२०५—०६
पहिला और दूसरा प्रतिवेदन . . .	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि .	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य . .	३२०६—०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य .	३२०७—०६
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२०६—१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . .	३२१३—१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२१४—३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . आठवां प्रतिवेदन . . .	३२३१
अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प . . .	३२३२—३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'लिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२

१४ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य संविधान के अधीन यहां शपथ अथवा अभिज्ञान ग्रहण करने आये हैं, सचिव उसका नाम पुकारें ।

†**सचिव** : श्री लाल शामशाह ।

अध्यक्ष महोदय : संसद् कार्य मंत्री सभा से सदस्य का परिचय करायें ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मुझे आपसे और आपके जरिये सभा से श्री लाल शामशाह का जो पिछले सामान्य निर्वाचन में महाराष्ट्र के चांदा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, परिचय कराने में बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री लाल शामशाह (चन्दा)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेपा मिल्स

\+

†*७९१. **श्री ह० प० चटर्जी :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नेपा मिल्स को सप्लाई करने के लिये कच्चे माल, जैसे सलाई की सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित संघीय वन (फेडरल फोरेस्ट्स) बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1810 (Ai) LSD—1.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने नेपा मिल्स को सप्लाई करने के लिये सलाई के बाग लगाने और जल्द बढ़ने वाली दूसरी चीजों के लिये ६१,४२६ एकड़ वन भूमि अलग रखी है। हमें आवश्यक जानकारी देने के लिये हमने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है।

(ख) १२ मई, १९५२ के राष्ट्रीय वन नीति संकल्प में संघीय वन बनाने की नहीं बल्कि सिर्फ राष्ट्रीय वन बनाने की योजना है। संविधान में "वन" राज्य विषय है।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : नेपा मिल के लिये कागज के कितने गूदे की आवश्यकता होती है, कितना तैयार किया जा रहा है और कितना विदेशों से मंगाया जा रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह 'उद्योग' के अन्तर्गत आता है। मुझे सूचना चाहिये।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों ने, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे, यह बताया है कि आज हमें १ लाख टन की जरूरत है और १९७५ में ३ लाख टन की जरूरत होगी ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वहां हम कुछ जल्द बढ़ने वाली किस्में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपा मिल के आस पास के क्षेत्र या जंगल सलाई पैदा करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि वहां सलाई के पेड़ बढ़ने में कुछ समय लगता है। इसलिये हम यूकलिप्टस और कुछ दूसरी जल्द बढ़ने वाली किस्मों को उगाने के प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कछवाय : गत तीन साल में इस मिल का उत्पादन कितना बढ़ा है और आगे कितना बढ़ेगा क्या मैं जान सकता हूं ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैंने कहा कि यह सवाल उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है और अगर आप कहें तो बाद में यह जानकारी इकट्ठी करके मैं आपको दे दूंगा।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : माननीय मन्त्री ने बताया कि 'वन' राज्य विषय है। जिन मामलों में वनों की सीमाएं एक से अधिक राज्य के अन्तर्गत आती हैं, वहां सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठा रही हैं कि वहां जंगलों का विकास उचित ढंग से किया जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग सवाल है ?

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मैं राष्ट्रीय वनों के बारे में कह रहा हूं।

श्री बड़े : मध्य प्रदेश में नेपा के पास पिछले पांच साल से सलाई के वृक्षों में कमी हो जाने के कारण, उसके पास जो महाराष्ट्र का एरिया लगता है वहां से भी सलाई लेने का क्या शासन का विचार है ?

डा० राम सुभग सिंह : ऐसा हो रहा है। सलाई वहां पड़ौस के जितने इलाके में उत्पन्न की जा सकती हो, उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। उस मिल की जरूरत की पूर्ति सारे क्षेत्रों से इकट्ठा करके की जाएगी।

श्री बड़े : मैंने यह पूछा था कि महाराष्ट्र से भी सलाई लकड़ी आती है क्या ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि लेने की कोशिश की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्यामलाल सर्राफ: इस प्रयोजन के लिये वनों के दीर्घकालीन पट्टे के सम्बन्ध में सरकार क्या नीति अपनाने जा रही है ?

†डा० राम सुभग सिंह : यदि लम्बी अवधि के लिये बांस, यूकलिप्टस, सलाई आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी कागज मिल से कोई प्रार्थना आये तो हम उस प्रार्थना पर विचार करने के बाद उस प्रयोजन के लिये भी लाइसेंस जारी करते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या इसका अन्दाजा लगाया गया है कि कितनी सवाई, कितने बांस और कितनी सलाई की लकड़ी देने से नेपा का काम चल जाएगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा बताया गया है कि तीन लाख औसत उसका हो गया है । अभी करीब एक लाख टन की जरूरत है । लेकिन निश्चित फिगर बाद में मैं आपको दूंगा ।

†श्री ह० प० चटर्जी : राष्ट्रीय वन नीति में यह कहा गया है कि प्रतिरक्षा, संचार और उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने तथा लोक महत्व के अन्य प्रयोजनों के लिये वनों की आवश्यकता है । मन्त्री महोदय भी इसे मानते हैं । यदि ऐसा है तो वनों को समवर्ती विषय बनाये बगैर वह इस नीति को कैसे अमल में ला सकते हैं ?

†डा० राम सुभग सिंह : अभी तक वह राज्य विषय है । लेकिन भारत सरकार का सम्बन्ध केवल संघीय राज्य क्षेत्रों के मामले में आता है । केन्द्रीय वन बोर्ड का सम्मेलन होने जा रहा है और यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं यह प्रश्न वहां रख सकता हूं ।

टीका

+

†*७६२. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैजा-निरोधक, बी० सी० जी० और चेचक निरोधक टीके बड़े पैमाने पर लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार के प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से कोई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चल सके कि इस दिशा में कुल कितना प्रयत्न किया गया ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) काफी सफलता मिली है ।

(ख) जी हां ।

†श्री भागवत झा आजाद : माननीय उपमन्त्री द्वारा उल्लिखित सफलता का मापदण्ड क्या है ?

†डा० द० स० राजू : देश में अग्रिम परियोजना योजना अभी हाल में पूरी हुई है । प्रत्येक राज्य का एक एक जिला लिया गया था और लगभग १२३ लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है । इस प्रकार प्राप्त अनुभव से, सम्पूर्ण देश में निवारण कार्यक्रम आरम्भ होने जा रहा है । प्रत्येक राज्य ने यह राष्ट्रीय निवारण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये चार से पांच जिलों को लिया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि पिछले वर्षों की तुलना में हाल के वर्षों में हैजा विरोधी, बी०सी०जी० और चेचक विरोधी टीकों से रोग का प्रभाव कम हो गया है या उसके बढ़ने की कोई प्रवृत्ति है ?

†डा० द० स० राजू : अब तक जो आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं उसके आधार पर मैं समझता हूं कि इन रोगों का प्रभाव कम हो गया है ।

श्री भक्त दर्शन : टीके लगाने की जो क्रिया है, इसको अनिवार्य बनाने के बारे में क्या कोई कानून बनाने का विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो वह किस स्टेज पर है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जहां तक चेचक के टीके का सवाल है, शिक्षा मंत्रालय के साथ विचार विनिमय हो रहा है कि कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ स्कूलों में दाखिले के वक्त एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बच्चों के लिए पेश करना लाज़िमी कर दिया जाए ताकि सब बच्चे स्कूल में आने के वक्त वैक्सीनेट हो सकें और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा समाप्त करने से पहले एक मर्तबा उनको दुबारा टीका लगा दिया जाए । उससे हमारे बच्चे चेचक से बहुत हद तक सुरक्षित हो जायेंगे ।

†श्री वैन्कटासुब्बैया: क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश के करनूल जिले में जहरीला हैजा फैला हुआ है और उससे ६० से ७० आदमी मर गय हैं ? क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो यह रोग दूर करने के लिए क्या राज्य सरकार को कोई सहायता दी गयी है ?

†डा० सुशीला नायर : हमें कोई जानकारी नहीं है और न ही हमारे पास राज्य सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है । अनुमान यह है कि स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही की है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि कुछ राज्यों में इन रोगों पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है । तो वे राज्य कौन कौन से हैं ?

†डा० द० स० राजू : मैंने "पूरी तौर से" नहीं कहा है । मैंने कहा कि उसका प्रभाव कम किया गया है ।

†श्री कृ० चं० पंत : क्या इस देश में पोलियो वैक्सीन को लोक प्रिय बनान का भी सरकार का विचार है ?

डा० सुशीला नायर : जिन तीन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, बी० सी० जी० वैक्सीनेशन का, कालरा जिन जिन एरियाज़ में विशेष तौर पर कालरा एंडेमिक माना जाता है, और स्माल पाक्स का जिसका इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है । यह तीनों टीके काफी ज़ोरों से चले हैं ।

अब उस के उपरान्त पोलियो है, डिप्थीरिया है या इस किस्म के और रोग हैं, उन के लिये भी जगह जगह पर टीके लगाने का इन्तजाम किया जा रहा है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय रोग निवारण कार्यक्रम संबंधी मंत्रणा समिति ने टीका लगवाना अनिवार्य बनाने वाले किसी केन्द्रीय विधान का सुझाव दिया है और यदि हां, तो उस संबंध में सरकार की क्या राय है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० सुशीला नायर :** मैं पहले ही यह बता चुकी हूं कि फिलहाल स्कूलों में बच्चों की भरती के समय टीका-प्रमाण-पत्र पेश करने की पद्धति यदि हम चालू करते हैं और दूसरा टीका प्राथमिक स्कूल छोड़ने से पहले लगाया जाय तो निवारण कार्यक्रम के साथ साथ इतनी व्यवस्था पर्याप्त होगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या में जान सकता हूं कि विश्ववन्द्य महात्मा गांधी ने जिन्दगी भर इनाकुलेशन के खिलाफ प्रचार नहीं किया है, और क्या उन के आदर्श बिल्कुल सो गये हैं या किताबों में बन्द रह गये हैं ?

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या इस योजना के संबंध में मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या यह माता पिता के लिए अनिवार्य है कि स्कूलों में भरती से पहले बच्चों को टीका लगवाया जाये और स्कूल छोड़ते समय फिर उन्हें टीका लगवाया जाये ? यदि माता पिता उन्हें बगैर टीका लगवाये भेजें तो क्या उन्हें स्कूलों में भरती नहीं किया जायेगा ?

†**डा० सुशीला नायर:** कल्पना यह है कि बच्चे की भरती से पहले, उसे टीका-प्रमाणपत्र पेश करना होगा । इससे यह प्रायः अनिवार्य ही हो जाता है ।

रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी जांचों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना

†*७६३. **श्री प्र० ना० विद्यालंकार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में रेल कर्मचारियों की इस मांग की ओर सरकार का ध्यान भी दिलाया गया है कि रेलवे दुर्घटनाओं की सभी जांच पड़तालों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय ; और

(ख) इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां । सरकार ने इस आशय के कुछ समाचार देखे हैं ।

(ख) जिस किसी के पास दुर्घटना के संबंध में कोई संगत जानकारी हो वह दुर्घटना की जांच करने वाले अधिकारियों के पास उसे भेज सकता है और इसलिये किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री प्र० ना० विद्यालंकार :** मेरा प्रश्न इन जांच समितियों में रेलवे के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशित करने के संबंध में था । क्या मैं जान सकता हूं कि उन प्रतिनिधियों को जांच समितियों में शामिल करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है या उन्हें उपयुक्त नहीं समझा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** किसी भी श्रमिक संघ से ऐसी कोई राजकीय मांग नहीं आयी है । यह जांच पड़ताल तकनीकी ढंग की है और अफसरों तथा कर्मचारियों के बीच कोई भदभाव करने से हमारी समझ में कोई फायदा नहीं होगा ।

†**श्री प्र० ना० विद्यालंकार:** क्या सरकार यह समझती है कि रेलों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे इन जांच समितियों को कोई तकनीकी राय या तकनीकी जानकारी नहीं दे सकते ?

†**श्री शाहनवाज खां:** हम समझते हैं कि तकनीकी योग्यता प्राप्त अधिकारी, उनके अधीन काम करने वाले लोगों की अपेक्षा, अधिक अच्छी तरह तकनीकी मामलों में राय दे सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार को मालूम है कि ब्रिटेन और दूसरे देशों में, दुर्घटना की जांच पड़ताल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रथा है और क्या सरकार इस देश में भी इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, क्योंकि अनेक मामलों में दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलतियों के कारण ही होती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री कछवाय : क्या मैं जान सकता हूं कि डुमरांव जांच आयोग का क्या भविष्य है और अभी तक कुछ तय हुआ या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां: अभी तक मामला जेरे गौर सा है । रेलवे मिनिस्ट्री का इरादा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ खत व किताबत की जाये ।

श्री तुलसीदास जाधव : रेलवे में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उन को विश्वास में लेने से क्या ज्यादा अच्छा काम नहीं होगा ?

श्री शाहनवाज खां : उन को विश्वास में लेने में कोई ऐतराज नहीं है । जब भी कोई एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर की जाती है उस के सामने जा कर वे अपने ब्यान हर वक्त दे सकते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय उप मंत्री ने अभी बताया कि तकनीकी योग्यता प्राप्त अधिकारी तकनीकी मामलों में अधिक अच्छी राय दे सकते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि केवल पदाधिकारी ही कुशलतापूर्वक रेलें चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग सवाल है कि कौन जिम्मेदार है ।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो रेलवे यूनियन्स हैं उनके प्रेजिडेंटों को एक्सिडेंट्स की एन्क्वायरी के समय क्यों नहीं बुलाया जाता ? इस में क्या आपत्ति है ?

†**श्री दाजी** : माननीय मंत्री ने बताया कि जिस किसी के पास कोई जानकारी हो वह साक्ष्य दे सकता है लेकिन यह भी सच है कि उसे दूसरे गवाहों से जिरह करने का हक नहीं होता । क्या वे जानते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है । केवल यह राय जाहिर की जा रही है कि उन्हें जिरह करने का अधिकार नहीं होगा ।

†**श्री नम्बियार** इस बात को देखते हुए कि सुरक्षा निरीक्षकों की रिपोर्टों से यह बात मालूम होती है कि कई मामलों में रेलव दुर्घटनाएं आदमियों के कारण ही हुई है, क्या यह जरूरी समझा जाता है कि इन जांच पड़तालों में उन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय ताकि इस प्रश्न की पूरी छानबीन की जा सके और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह फिर वही बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि जिन रेल कर्मचारियों को जांच समिति के सामने साक्ष्य देने के लिए कहा जाता है वे इस बात से डरते हैं कि यदि वे सच्ची बातें बतायेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और यदि हां तो उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और वे स्वतंत्र रूप से अपना साक्ष्य दे सकते हैं क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†श्री शाहनवाज खां : मैं इस कथन से पूरी तरह असहमत हूं । डर की कोई बात नहीं है ।

†श्री जोकीम आल्वा : कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें रेलवे लाइन के बारे में पूरी पूरी जानकारी होती है और वे दुर्घटनाओं के बारे में अधिक प्रकाश डाल सकेंगे । उन्हें न तो असेसर्स के तौर पर और न गवाहों के तौर पर बुलाया जाता है और वे सरकार के सामने पेश होने में डरते है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह फिर बहस कर रहे है । मैंने इस आधार पर कई प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दी है । माननीय सदस्य फिर उसी को दोहरा रहे है । अगला प्रश्न ।

उत्तर रेलवे पर माल लादने के लिए प्लाटों का प्रमाप आकार

†*७९३-क. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड अथवा उत्तर रेलवे के महा प्रबन्धक ने माल के लदान के लिए, चाहे लादा जाने वाला माल किसी भी प्रकार का क्यों न हो, सभी प्लाटों का प्रमाण आकार १००० वर्ग फुट निश्चित कर दिया है ; और

(ख) क्या प्रमाप आकार समस्त देश में लागू किया जा रहा है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । अलग अलग रेलवे ने भूमि की उपलब्धि तथा वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार, आकार (साइज) निर्धारित किए हैं ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या देश के विभिन्न साइडिंग्ज में माल लादने के स्थानों के लिए नये प्रमाप आकार की अप्रयाप्तिता के सम्बन्ध में व्यापारियों से और सौदागरों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो क्या सरकार पत्थर के व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उसके प्रत्युत्तर में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह प्रमाप आकार नहीं है । तथ्य यह है कि भारतीय रेलवे के वेज एण्ड वर्क्स मैनुअल ने रेलवे को यह हिदायत की है कि वह उपलब्ध जमीन का अन्दाज १०० वर्ग फीट के एककों में लगाये । वह केवल नियतन की सुविधा के लिए है । किसी दूसरी रेलवे ने इस प्रकार नहीं किया है । हमने इस तथ्य की ओर उत्तर रेलवे का ध्यान दिलाया है ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने देश में साइडिंग्ज और माल लादने के जगह की कुल कमी की कोई छानबीन की है और यदि हां, तो कितनी कमी है और उसके बारे में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । जब कभी आवश्यकता होती है, हम जगह देते हैं और जरूरत पूरी करते है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा

†*७९४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय किया गया है कि नये जहाजों की खरीद के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा उनसे ही अर्जित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा को वर्तमान कठिनाइयों को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह प्राप्त किये जाने वाले जहाजों की कुछ थोड़ी कीमत भी स्वतंत्र संसाधनों से विदेशी मुद्रा में दे सके । इसलिए यह निश्चय किया गया है कि प्राप्त किये जाने वाले जहाजों की सारी कीमत भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित, जहाजों द्वारा अर्जित वास्तविक विदेशी मुद्रा में से दी जाये । उपर्युक्त इस सिद्धान्त के अधीन, सरकार द्वारा प्रत्येक मामले पर उसके गुण दोषों के अनुसार विचार किया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने जो कर्ज जयन्ती शिपिंग कम्पनी को जहाज खरीदने के लिये दिया है क्या उस पर भी यह रूल लागू होता है ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने कहा, इस रूल में कोई एग्जेम्प्शन नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : जयन्ती शिपिंग कम्पनी को जो कई करोड़ रुपया कर्ज दिया गया है उसमें से कितने करोड़ इस रूल से एग्जेम्प्ट रखा गया है ?

श्री राज बहादुर : जितना कर्ज कम्पनी को देना है वह गारंटी के रूप में है, अगर वह खुद नहीं दे पायेंगे तो हमें देना पड़ेगा । इसलिए जहां तक सवाल फारिन एक्सचेंज का है, मौजदा हालत में फारिन एक्सचेंज जैसा और शिपिंग कम्पनीज़ को मिलेगा वैसा ही उनको भी मिलेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या इस कम्पनी के लिए इस रूल्स में एक्जेम्प्शन है ?

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकारी शिपिंग कारपोरेशन के लिए भी फारिन एक्सचेंज का इन्तिजाम इसी आधार पर होता है या उसके लिए सरकार की तरफ से भी कुछ इन्तिजाम किया जाएगा ?

श्री राज बहादुर : यह जो सवाल है यह तो इस समय फारिन एक्सचेंज की कमी के कारण है, और जैसा मैंने कहा, इसमें कोई अपवाद नहीं होगा । अगर फारिन एक्सचेंज नहीं है तो सरकारी शिपिंग कम्पनीज़ के लिए भी नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विदेशी मुद्रा कमा कर खरीद की लागत वसूल करने के लिए इन कम्पनियों या नौपरिवहन निगम को जितनी अवधि दी जाती है, उसे निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है ? या इस अवधि के लिए कोई सीमा नहीं है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमें दूसरी योजना के आरम्भ से ही विदेशी मुद्रा की कठिनाई हो रही है । वास्तव में इस कारण से हमने स्थगित भुगतान योजना बनायी थी जिसके अधीन ऋण का ३३ 1/3 प्रतिशत लागत के भुगतान के तौर पर दिया जायेगा और बाकी नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा कमायी गई कुल विदेशी मुद्रा में से तीन किस्तों में दिया जायेगा । अब यह निश्चय किया गया है कि इसके बाद सारी कीमत इन जहाजों द्वारा कमायी गयी विदेशी मुद्रा में से दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** अवधि किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

†**श्री राज बहादुर :** वित्त मंत्रालय का यह विचार है कि भुगतान की अवधि दो साल और बढ़ायी जा सकेगी जिसके दौरान कोई भुगतान नहीं करना होगा। तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में भुगतान जहाजों द्वारा कमायी गई विदेशी मुद्रा के १० प्रतिशत की दर से किया जायेगा। बाकी सात किस्तों में दिया जायेगा। इस प्रकार कुल अवधि लगभग १२ साल की होगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस नयी नीति से जहाजों की खरीद पर कुछ असर पड़ा है ? क्या यह नीति कार्यान्वित किये जाने के बाद कोई नये जहाज खरीदे गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** वास्तव में यह कोई नयी नीति नहीं है। यह तो केवल हमारी पुरानी नीति का एक नया रूप है। यह काफी सफल सिद्ध हुई है। अभी तक हमने कुल २१.९६ करोड़ रुपये की लागत से कुल २५४,००० सकल पंजीकृत टन भार के ४६ जहाज प्राप्त किये हैं। आशा है कि इस नयी योजना के अधीन भी कुछ जहाज प्राप्त किये जायेंगे। वास्तव में हमारे पास कुछ प्रस्ताव आ चुके हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** नयी जयन्ती नौपरिवहन कम्पनी ने कितनी विदेशी मुद्रा कमायी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम प्रत्येक कम्पनी द्वारा कमायी गई विदेशी मुद्रा के बारे में चर्चा नहीं कर सकते।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** इस सभा में नौवहन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी को यह रियायत केवल यह आश्वासन देने पर दी गई है कि कम्पनी जो भी विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी उसका प्रयोग नये जहाज खरीदने के लिए होगा। मैंने इसी कारण यह प्रश्न पूछा है। वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने उन शर्तों का सर्वथा ठीक उल्लेख नहीं किया है जिनके अन्तर्गत जयन्ती शिपिंग कम्पनी के साथ ऋण करार किया गया है। उनकी जानकारी के लिये में बता दूं कि अब तक उनके पास केवल एक 'टेंकर' है जो उन्होंने स्थगित भुगतान के शर्तों पर खरीदा था। विशेषकर उस जहाज ने २९ या ३० लाख रुपया अर्जित किया है। यह आंकड़े ३१ जुलाई तक ठीक हैं। वह कम्पनी जो भी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रही है वह पूर्णतया देश में आ रही है और उसके विदेशी मुद्रा के संचय को बढ़ा रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने १.५ करोड़ रु० प्रदत्त पूंजी के रूप में प्राप्त किये हैं और यह भी विदेशी मुद्रा में है। उन्होंने और दो करोड़ रु० जारी करने की प्रार्थना की है जिसका अधिकतर भाग विदेशी मुद्रा में है। अतः हम इस कम्पनी के द्वारा भी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोयदय :** श्री महीड़ा।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मेरा प्रश्न लिया जा चुका है। मैं जहाजों की संख्या जानना चाहता हूं।

†**श्री राज बहादुर :** मैं यह जानकारी दे चुका हूं। मैंने बताया कि उनकी संख्या ४६ है और उनकी कुल क्षमता २५४,००० जी० आई० टी० है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महेन्द्रघाट स्टेशन पर टिकटों का न बेचा जाना

***७९७. श्री रा० प्र० सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार के भिन्न भिन्न भागों से बस द्वारा आने वाले हजारों यात्री नित्य प्रति दिन पूर्वोत्तर रेलवे के पहलेजाघाट से रेलवे जहाज में सवार हो कर महेन्द्रूघाट जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहलेजाघाट पर टिकट खरीदने वाले यात्रियों की बगैर टिकट के यात्री समझा जाता है, और उन्हें नानबुकिंग चार्ज के रूप में कुछ अधिक भाड़ा देना पड़ता है;

(ग) क्या यह सच है कि महेन्द्रूघाट से पहलेजाघाट के लिये टिकट नहीं बेचे जाते हैं और यात्रियों को लाचार हो कर सोनपुर का टिकट खरीदना पड़ता है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ). एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जब यात्री केवल एक घाट से दूसरे घाट तक यात्रा करते हैं और जब उनकी यात्रा का कोई भाग रेलवे से तय नहीं होता, तो रेलवे फैरी को उन्हें ले जाने का अधिकार नहीं है। इन परिस्थितियों में जो यात्री एक घाट से दूसरे घाट तक रेलवे फैरी से यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें बिना टिकट यात्रा करते हुए समझा जाता है और उनसे सोनपुर और दीघाघाट/महेन्द्रूघाट के बीच की दूरी का किराया और अधि-प्रभार लिया जाता है ।

जो यात्री एक घाट से दूसरे घाट पर आते-जाते हैं, उनके लिये राज्य सरकार ने अलग से फैरी चलाने का लाइसेन्स दे रखा है। रेल से आगे यात्रा करने वाले यात्रियों के अलावा जो यात्री एक किनारे से दूसरे किनारे पर आना-जाना चाहते हैं, उनको इन्हीं फैरी व्यवस्थाओं का उपयोग करना होता है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या बिहार सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत हुई थी और उसके परिणामस्वरूप क्या महेन्द्रूघाट से पहलेजाघाट और पहलेजाघाट से महेन्द्रूघाट तक टिकट जारी करने के बारे में बिहार सराकर के साथ कोई करार हुआ है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** नहीं, श्रीमान । मेरे माननीय साथी श्री शाहनवाज खां वहां थे । उन्होंने इस पर बिहार के लोक निर्माण (पी० डब्ल्यू०) मंत्री से बातचीत की थी। एक किनारे से दूसरे किनारे को यात्रियों को ले जाने का उनको पूर्ण अधिकार है और मेरा ख्याल है उन्होंने यह काम एक गैर-सरकारी पार्टी को ८८,००० रु० वार्षिक की दर पर तीन वर्षों से दे दिया है। बिहार सरकार रेलवे को यह अनुमति देने को तैयार नहीं है कि वे एक किनारे से यात्रियों को दूसरे किनारे पर ले जायेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्योंकि एक घाट, महेन्द्रूघाट से दूसरे घाट को यात्री ले जाने की क्षमता होने की सम्भावना है, इस कारण रेलवे नौका को खाली जाने की अनुमति देने के बजाये यात्रियों को उसमें बैठने की अनुमति क्यों नहीं देते, यदि वे किसी रेलवे पर यात्रा नहीं करते? आप उन पर अतिरिक्त किराया क्यों लगाना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रश्न बिहार सरकार से पूछा जाये ।

†श्री भागवत झा आज़ाद : रेलवे यात्रियों को उससे जाने की अनुमति क्यों नहीं देते ? बे बिहार सरकार को भेजते हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हम यही तो करना चाहते हैं । हम यह कर सकते हैं । हम यात्रियों को ले जा सकते हैं ।

†श्री भागवत झा आज़ाद : जबकि रेलवे के जहाज़ में एक घाट से दूसरे घाट को यात्रियों को ले जाने की क्षमता है, तो वे यात्रियों को इस से जाने की अनुमति क्यों नहीं देते और इसे खाली क्यों जाने देते हैं ?

†रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं समझता हूं माननीय सदस्य की बात उचित है, बशर्तेकि हम केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनायें । हम यात्रियों के रेलवे के जहाज़ एक घाट से दूसरे घाट को ले जाना चाहते हैं, परन्तु हमें इस बारे में बिहार सरकार के मत को मानना पड़ता है जिसे यात्रियों को एक घाट से दूसरे घाट को ले जाने का पूर्ण अधिकार है ।

†श्री रा० प्र० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो यात्रियों से अनियमित रूप से पैसा ले लिया जाता है, यह घटवारों और रेलवे अधिकारियों के षड्यंत्र के फलस्वरूप हो रहा है ?

†श्री स्वर्ण सिंह : इसका हमें इल्म नहीं है ।

'आई० ए० सी०' और 'एयर सीलोन' की सेवाओं का समूहीकरण[1]

†*७९८. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' का 'एयर सीलोन' के साथ निरर्थक मुकाबला समाप्त करने की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में दोनों एयरलाइनों की सेवाओं के समूहीकरण के बारे में कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच हुए करार का क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख). इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन और एयर सीलोन के बीच कुछ समय से समूहीकरण प्रबन्ध हो रहा है परन्तु अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला है ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या इस समूहीकरण के परिणामस्वरूप होने वाले आधुनिकीकरण से, जैसी कि संभावना है, दक्षिण की कुछ राजधानियों, जैसे त्रिवेन्द्रम को लंका के अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक मार्ग से मिलाने का आई० ए० सी० के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही होने की संभावना है ?

†**श्री भगवती** : आजकल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि एयर सीलोन के विमान देश में नये प्रबन्ध के अन्तर्गत उड़ान करेंगे ?

†**श्री भगवती** : अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है । हर बात पर बातचीत हो रही है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह विचाराधीन है कि एयर सीलोन के विमानों को भारत संघ के राज्य क्षेत्र में उड़ान करने दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pooling of services.

†**श्री भगवती** : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : आजकल क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं और क्या यह समूहीकरण आवश्यक है ?

†**श्री भगवती** : यह समूहीकरण आवश्यक हो गया है क्योंकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों के कारण यातायात कुछ कम हो गया है । यातायात और राजस्व का आधुनिकीकरण करना, और भी वह भी कुछ समूहीकरण प्रबन्ध करके करना आवश्यक हो गया है ।

†**श्री नम्बियार** : क्या समूहीकरण केवल मद्रास से कोलम्बो और त्रिचि से कोलम्बो की निश्चित सेवाओं का होगा या मद्रास से त्रिचि तथा दक्षिण की शटल सेवाओं का होगा ?

†**श्री भगवती** : समूचा मामला विचाराधीन तथा बातचीत में है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस प्रकार के समूहन से आई० ए० सी० को क्या विशेष लाभ प्राप्त होंगे ?

†**श्री भगवती** : कुछ मामलों में मितव्ययता करने और भारत तथा लंका के बीच सेवा की बारम्बारता का आधुनिकीकरण करने का विचार है । विचार यह भी है कि वर्तमान गिरावट जारी रहने तक बारम्बारता कम कर दी जाये ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि समूहीकरण करने का मुख्य कारण यह है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । यदि ये प्रतिबन्ध हटा दिये जायें, तो क्या समूहीकरण को जारी रखना मितव्ययीय होगा ?

†**श्री भगवती** : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि इन सब दृष्टियों से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राजस्थान से खरीदा जाने वाला दूध

७९९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन ज़िलों के गांवों से दिल्ली में दूध लाया जाता है ;

(ख) यह दूध राजस्थान में किस भाव पर खरीदा जाता है और दिल्ली में किस भाव पर बेचा जाता है ;

(ग) इस दूध का क्रय-विक्रय कौनसी संस्था करती है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इसके कारण बीकानेर नगर में मिठाइयों के भाव बढ़ गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) बीकानेर ।

(ख) क्या दूध गांवों में सीधा उत्पादकों से १३ रुपये ३३ नये पैसे प्रति मन के हिसाब से खरीदा जाता है । दिल्ली में आंशिक निर्जीवीकृत दूध को बेचने का भाव २२ रुपये ५० नये पैसे प्रति मन है ।

(ग) दुग्ध का क्रय-विक्रय दिल्ली दुग्ध योजना करती है ।

(घ) जी नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री प० ला० बारूपाल : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बीकानेर से दिल्ली में दूध लाने की वजह से वहां के लोगों को दूध नहीं मिल रहा है और इस कारण उन में बहुत असन्तोष है ?

†**श्री शिन्दे** : बीकानेर जिले में दूध गांवों से प्राप्त होता है जो बीकानेर से १५ से ३५ मील तक दूर हैं। पहिले भी, बीकानेर में यह दूध इन गांवों से नहीं आता था। केवल ८ गांवों से दूध प्राप्त होता है। वह केवल गाय का दूध है।

श्री प० ला० बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हिन्दी में भी बता दें, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह मैं समझ नहीं पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जिन गांवों से यह दूध लाया जा रहा है, वे उस शहर से बहुत दूर हैं, जिस का ज़िक्र करते हुए माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर महंगाई हो गई है। उन का कहना है कि यहां पर दूध लाने से वहां की महंगाई पर असर नहीं पड़ा है।

श्री प० ला० बारूपाल : बहुत असर पड़ा है। पहले वहां पर साढ़े पांच रुपये मन....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में बहस न करें। वह सवाल पूछें।

श्री प० ला० बारूपाल : अगर सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है, तो वह उसी क्षेत्र में इस दूध को बेचने की व्यवस्था क्यों नहीं करती, ताकि वहां के लोगों को दूध मिल जाये और दूध-पालकों की हालत सुधर जाये ? वर्तमान व्यवस्था का अर्थ तो वहां के लोगों का शोषण करना है।

†**श्री शिन्दे** : प्राप्ति की व्यवस्था गौवर्धन परिषद् के कहने पर की गई थी। सरकार से अभ्यावेदन किया गया था कि गायों को ठीक से भोजन नहीं दिया जाता क्योंकि दूध का मूल्य कम था, अर्थात् ८ या ६ रु० प्रति मन। गौवर्धन परिषद् ने यह सुझाव दिया था कि जब तक सरकार दूध प्राप्त करके उनकी सहायता नहीं करती, तब तक गायों का सुधार आदि नहीं किया जा सकेगा। अतः केन्द्रीय गौवर्धन परिषद् के कहने पर योजना यहां लागू की गई थी। हां, वहां कोई स्थानीय योजना आरम्भ की जा सके, तो सरकार उसे प्रोत्साहन देगी।

श्री रामेश्वर टांटिया : इस स्कीम के चालू होने से वहां के गोपालकों को एक तरह की राहत मिली है। पहले उन लोगों को एक मन दूध का आठ रुपया मिलता था, जबकि अब तेरह रुपया मिल रहा है। क्या सरकार दूसरे ज़िलों में भी ऐसी स्कीम लागू करेगी ?

[कोई उत्तर नहीं दिया]

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि पहले बीकानेर शहर वाले दूध बेचने वालों को नौ रुपये प्रति-मन देते थे, जबकि दिल्ली मिल्क स्कीम के लिये दूध प्राप्त करने के लिये गोवसंवर्द्धन कौंसिल उन को तेरह रुपये पांच आने प्रति-मन दे रही है ?

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या गांवों में उत्पादक सहकारी समितियां बनाई जायेंगी और दूध एकत्रित करने के लिये जिला में सहकारी संघ बनाया जायेगा ?

†**श्री शिन्दे** : हां, सरकार की यही इच्छा है कि यथासंभव उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाई जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : दिल्ली दुध योजना भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से दूग्ध प्राप्त करती है । राजस्थान में प्राप्त किये जाने वाले दूध का मूल्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र से प्राप्त किये जाने वाले दूध के मूल्य की अपेक्षा कम है या अधिक ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : बीकानेर से संभरण का मुख्य उद्देश्य दिल्ली वासियों को गाय का दूध उपलब्ध करना है, अर्थात्, उन लोगों को जो भैंस के दूध की अपेक्षा गाय का दूध अधिक पसन्द करते हैं । हम ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से भी दूध प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, परन्तु सफल नहीं हुए । इसी कारण हम बीकानेर गये । बीकानेर में मुफस्सिल क्षेत्रों में बहुत गायें हैं और दूध कम मूल्य पर मिलता है । यही नहीं बल्कि दूध का प्रयोग मुख्यकर दूध के रूप में नहीं किया जाता, अपितु उस से घी बनाया जाता है और वह प्रयोग होता है । अतः केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् का सुझाव हमें स्वीकार्य लगा और हमने वह स्वीकार कर लिया है । हमने लगभग ८ मन से आरम्भ किया था लेकिन अब हमें प्रति दिन १२५ मन दूध मिलता है और यदि संभव हुआ तो हमारा विचार उपलब्धि बढ़ाने का है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : मेरा प्रश्न प्राप्ति मूल्य के बारे में था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री क० ना० तिवारी ।

†**श्री अ० म० थामस** : दिल्ली दुग्ध संभरण योजना की अब अपनी व्यवस्था है । हमारा विचार उत्पादक सहकारी संघ बनाने का है । बीकानेर में जो मूल्य हम देते हैं, वह अवश्य ही कम होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि मैंने माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी परन्तु माननीय मंत्री ने उसका उत्तर देना आरम्भ कर दिया । माननीय मंत्रियों को कम से कम इस ओर देखना चाहिये कि प्रश्न की अनुमति दी गई है या नहीं ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली मिल्क स्कीम के चालू होने से पहले देहातों में दूध का भाव क्या था और अब क्या भाव है ? यह दूध केवल वहां के देहातों से दिल्ली में लाया जाता है, क्या बीकानेर के आस-पास के गांवों का भी दूध लाया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यहां पर माननीय सदस्य सब इलाकों से आते हैं । वे यह भी चाहते हैं कि यहां पर दूध मिले, लेकिन उस के साथ ही यह भी चाहते हैं कि बाहर से यहां पर दूध न आये ।

श्री क० ना० तिवारी : मेरा कहना है कि यहां पर वहां के देहातों का दूध आता है, बीकानेर के आस-पास के गांवों से नहीं आता है ।

†**श्री अ० म० थामस** : दिल्ली दुग्ध संभरण योजना को दिये जाने वाले दूध का मूल्य दूध में चिकनाई के अनुसार १५ रु० से २२.५० रु० तक है। बीकानेर के दूध के लिए हम केवल १३.३३ रु० देते हैं और इससे भी उन्हें प्रायः प्राप्त होने वाले मूल्य से ४ या ५ पांच रु० अधिक मिलते हैं । इसका कारण यह है कि हमें परिवहन, आदि पर काफी व्यय करना पड़ता है क्योंकि उन क्षेत्रों में तो आवश्यक संचार सुविधायें भी नहीं हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल दूसरा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि दूध का सवाल बहुत ज़रूरी है । यह **फर्स्ट नैसेसिटी श्राफ लाइफ** है ।

श्री प० ला० बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक सवाल पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने अगला सवाल बुला लिया है ।

रेलवे फाटकों पर पुलिसमैनों की नियुक्ति

†*८००. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे फाटकों पर पुलिसमैन नियुक्त करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है ;

(ख) क्या बिना कर्मचारी के फाटकों पर चौकीदार भी रखे जायेंगे ; और

(ग) यदि राज्य सरकारों से कोई उत्तर प्राप्त हुए हैं, तो वे क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). भारतीय रेलों पर (ढोर के निकलने के स्थानों को छोड़कर) लगभग १९,००० फाटक ऐसे हैं जिन पर व्यक्ति नहीं हैं । बिना आदमी के सभी रेलवे फाटकों पर आदमी रखना न ही संभव है और न ही अनिवार्य है । बिना व्यक्ति के रेलवे फाटक के एक एक मामले पर जहां स्थानीय तथा विशेष कारणों से और सड़क तथा/या रेल यातायात के विकास के कारण व्यक्ति रखने की आवश्यकता है, रेलवे सदैव ही असैनिक प्राधिकारियों के परामर्श से विचार करती है और प्रत्येक मामले के बारे में विशेषतानुसार निश्चय किया जाता है ।

इस बात का ध्यान रखकर कि रेलवे फाटकों में, ऐसे रेलवे फाटकों में जहां कर्मचारी रहते हैं और यातायात अधिक है, सड़क-गाड़ियां घुस जाती हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पूर्व रेलवे प्रशासन ने जुलाई, १९६२ में प्रार्थना की है कि वे निम्न उपाय अपनायें :

(१) भारी यातायात वाले रेलवे फाटकों पर दोनों ओर, विशेषकर जी०टी०रोड के मिलने पर, यातायात-कांस्टेबल नियुक्त करना ताकि असावधान ट्रक ड्राइवरों को रोका जा सके ;

(२) अधिक यातायात वाले रेलवे फाटकों की सड़कों पर बम्पों की व्यवस्था करना ताकि सड़क-गाड़ियों के सारे ड्राइवर फाटक पर पहुंचते समय रफ्तार कम करने के लिए बाध्य हों ; और

(३) अचानक जांच करना और सुनिश्चित करना कि मोटर-गाड़ी नियमों में इस मामले में सम्मिलित आवश्यक उपबन्ध का कड़ा पालन किया जाये ।

उपरोक्त सुझावों पर राज्य सरकारों ने अपनी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं बताई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** वक्तव्य से पता लगता है कि यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि बिना आदमियों के सारे रेलवे फाटकों पर आदमी नहीं रखे जा सकते और प्रत्येक मामले पर विशेषतानुसार विचार किया जाता है । क्या इन बिना व्यक्ति के १९,००० रेलवे फाटकों में से किसी पर व्यक्ति रखने का निश्चय अभी तक किया गया है और यदि हां, तो कितनों पर ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हां । जिन रेलवे फाटकों पर व्यक्ति रखे जाने चाहियें उन सब का पुनरीक्षण किया जाता है । पिछले पुनरीक्षण से हमारा यह मत है कि बिना आदमी के लगभग १,१०० फाटकों पर आदमी रखे जाने चाहिये । मामले पर राज्य सरकारों के साथ वार्ता हो रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** विवरण में आगे वे सिफारिशें मिलती हैं जो राज्य सरकारों से की गई हैं । क्या इसका अर्थ यह है कि रेलवे प्रशासन महसूस करता है कि रेलवे फाटक पर सड़क गाड़ियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं का पूर्ण उत्तरदायित्व ट्रक ड्राइवरों पर है और रेलों पर इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे फाटक का फाटक बन्द होने पर और वहां दरबान के उपस्थित होने पर भी . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक मामला अपनी विशेषताओं पर निर्भर होगा । सारे मामलों के बारे में वक्तव्य कैसे दिया जा सकता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण में उल्लेख है कि उन्होंने तीन राज्य सरकारों से कुछ उपाय अपनाने को कहा है । वे सब ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ हैं । क्या इसका अर्थ है कि रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जहां रेलवे फाटक पर व्यक्ति हैं और फाटक बन्द होता है और इतना होने पर भी यदि ट्रक ड्राइवर फाटक से टकराकर और उसे तोड़कर खोलने का निश्चय करता है, तो इस के बारे में रेलें कुछ नहीं कर सकतीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख है :

> "इस बात का ध्यान रखकर कि रेलवे फाटकों में, ऐसे रेलवे फाटकों में जहां कर्मचारी रहते हैं, और यातायात अधिक है, सड़क-गाड़ियां घुस जाती हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पूर्व-रेलवे प्रशासन ने जुलाई, १९६२ में प्रार्थना की है कि वे निम्न उपाय अपनायें . . . ."

क्या अन्य राज्यों से कोई बात नहीं की गई है ? क्या इसका अर्थ है कि अन्य राज्यों में कोई दुर्घटना नहीं हुई हैं या अन्य कारणों से उनसे परामर्श नहीं किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मामला इसलिए आरम्भ किया गया था कि पूर्व-रेलवे के अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस विषय का विशषकर उल्लेख किया था । पूर्व-रेलवे से इन्हीं तीन राज्यों का संबंध है । केवल पूर्व-रेलवे ने ही यह उल्लेख किया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अन्य राज्यों से परामर्श क्यों नहीं किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** बिना व्यक्ति के फाटकों पर सभी रेलों पर दुर्घटनायें होती हैं। इसका क्या कारण है कि ये उपाय अपनाने के लिए केवल तीन राज्यों से क्यों कहा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** पूर्व रेलवे ने इन तीन राज्यों को लिखा है । अभी तक हमें उनका उत्तर नहीं मिला है । हमें जैसे ही उनके उत्तर प्राप्त होंगे, हम उनका अध्ययन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य राज्यों को लिखेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** भारतीय रेलें एक हैं । वे कोई अलग-अलग नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर दिया जा चुका है कि तीनों राज्यों से उत्तर प्राप्त होते ही वे, यदि आवश्यक हुआ तो अन्य राज्यों को लिखेंगे ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि कुछ रेलवे क्रासिंग्स के सिगनलों पर न तो प्लेटें हैं और न लाल और हरे कांच हैं ? देश में इतनी दुर्घटनाओं के होने के पश्चात् रेलवे मन्त्रालय के इतने अधिक निश्चिन्त होने का कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कारण तो यही हो सकता है कि आपने पहले यह सवाल नहीं किया ।

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): अब चूंकि सवाल किया है इसलिये हम खास तवज्जह देंगे । मेहरबानी करके वह बतला दें कि कौन से स्टेशनों पर कांच नहीं हैं और उनको किस जगह की शिकायत है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं बतला सकता हूं ......

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बतलाना है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या रेलवे प्रशासन ने माननीय अध्यक्ष महोदय का यह सुझाव लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि गाड़ियों को रेलवे फाटक पर, फाटक पार करने से पहिले रुकना चाहिये जैसाकि अमरीका में है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने तीन राज्य सरकारों को लिखा है और हमने सुझाव दिया है कि बम्पों की व्यवस्था की जानी चाहिये । हमने यह भी सुझाव दिया है कि सभी गाड़ियों को रुकना, देखना और जाना चाहिये । इन सुझावों को राज्य सरकारों और सड़क प्राधिकारों ने लागू करना है क्योंकि रेलें उन्हें लागू नहीं कर सकतीं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या राज्यों को कोई विशेष अनुदेश दिया गया है और क्या रेलवे फाटकों पर इस उद्देश्य से पुलिसमैन रखे गये हैं कि गाड़ियां इस रूप में न चलें और माननीय अध्यक्ष के सुझाव का पालन करें —क्योंकि यह एक सहायक सुझाव है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जैसाकि मैं पहिले कह चुका हूं कि हमने तीन राज्य सरकारों को लिखा है और हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । बाद में, हम देखेंगे कि क्या किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस उल्लेख के अतिरिक्त, मैं पुनः दोहरा दूं कि यदि नियम लागू कर दिया जाये, तो शायद बस के यात्री ही बस-ड्राइवर पर दबाव देंगे कि वह फाटक पर रुक कर आगे बढ़ें । अन्य देशों में ऐसा किया जा रहा है । सरकार इस पर विचार कर सकती है ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या यह सत्य है कि रेलवे लाइन आने से पहले सैंकड़ों वर्ष पुराने रास्तों पर रेलवे मन्त्रालय ने वहां स्लीपर्स लगा दिये हैं और रास्ता रोक दिया है, वहां पर कोई चपड़ासी

---

†मूल अंग्रेजी में

की व्यवस्था नहीं है जिस कारण से कि गाड़ियां दूसरी साइड से आ जाती हैं और वहां फंस जाती हैं जिसके कि कारण ऐक्सीडेंट होने का भी बहुत अंदेशा रहता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरा सवाल हो गया ।

श्री तुलशीदास जाधव : रेलवे क्रासिंग्स के पास लोकल भाषा में क्या कोई ऐंसे बोर्ड लगाये गये हैं जिनमें कि यह लिखा हो कि गाड़ी इस वक्त आने वाली है, गाड़ी आने का टाइम लिखा हो, यदि नहीं हो, तो क्या इस तरह के बोर्ड लगाने के बारे में रेलवे मन्त्रालय विचार करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप दूसरी तरफ चले गये ।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि रेलवे फाटकों पर उनका नक्शा इतनी बुरी तरह बनाया गया है कि अनेक मामलों में इन दुर्घटनाओं के अधिक होने की सदैव सम्भावना है ? इस बात का ध्यान रख कर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन फाटकों का नक्शा पुनः बनाने को तैयार है और यह देखेगी कि यथासम्भव फाटकों की सड़कों को सीधा कर दिया जाये ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कुछ मामलों में, सड़क काफी टेढ़ी है ताकि गाड़ी की रफ्तार कम होती ही होगी । टेढ़ी सड़कें बनाने का एक उद्देश्य यह भी है । यदि हम देखते हैं कि किसी रेलवे फाटक पर सड़क यातायात के लिये खतरनाक है, तो हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे । माननीय सदस्य हमें ऐसे मामलों की सूचना दें ।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय मन्त्री ने कहा था कि ११०० फाटकों पर व्यक्ति नहीं हैं । (**अन्तर्बाधा**) क्या उन्होंने इन फाटकों पर व्यक्ति रखने पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो उस चर्चा के उत्तर में कहा जा चुका है जो यहां हुई थी ।

ब्रिटिश फर्म के द्वारा रेलवे उपकरण का संभरण

\+

†*८०१. { **श्री रामेश्वर टांटिया** : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने एक. ब्रिटिश फर्म के साथ कलकत्ता क्षेत्र में रेलवे के विद्युतीकरण के लिये 'ओवरहैड' उपकरण सम्भरण बनाने तथा लगाने के बारे में करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ग) यह व्यय कैसे पूरा किया जाएगा ; और

(घ) करार की शर्तें और निबन्धन क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तीसरी योजना के दौरान अब तक दो ठेके ब्रिटिश फर्म को दिये गये हैं ।

(ख) कुल लागत १ करोड़ ६२ लाख ४४ हजार ६१९ रुपये ।

(ग) इन ठेकों में विदेशी मुद्रा का खर्च अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास ऋण बैंक से लिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यह फर्म २५ किलोवाट ए० सी० ओवरहैड उपकरण जिसमें तार, फिटिंग्स, इन्सुलेटर्स आदि शामिल हैं, सप्लाई करेगी, लगायेगी और चालू करेगी । उसको इसे चालू करने के बाद १२ महीनों तक चलाये रखना भी होगा । इस ठेके की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि देशी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग किया जाये । दोनों ठेकों के निर्माण कार्य मार्च १९६३ और अक्तूबर, १९६३ में पूरे किये जाने हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या भारतीय फर्मों को इसके लिये टेंडर देने के लिये कहा गया था ? क्या अन्य क्षेत्रों में भी विद्युतीकरण का इस मन्त्रालय का विचार है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वह सार्वजनिक टेंडर था । एक भारतीय फर्म ने भी टेंडर दिया था । लेकिन चूंकि ब्रिटिश फर्म का टेंडर सबसे कम था इसलिये ठेका उसी फर्म को दिया गया ।

जापानी फर्म द्वारा बिजली के इंजनों का संभरण

†*८०२. †**श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी जापानी फर्म को बिजली के इंजन खरीदने के लिये आर्डर दिये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ;

(ग) कितने इंजनों के लिये आर्डर दिये गये हैं ; और

(घ) इंजन कब तक आ जाएंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी हां, दिसम्बर, १९६१ में ।

(ग) २८ मिक्स्ड ट्रैफिक टाइप ऐसी बड़ी लाइन के इंजन ;

(घ) अनुमान है कि उनकी प्राप्ति मार्च, १९६३ में शुरू होगी और १९६४ के मध्य तक पूरी हो जायेगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन सब में कितनी लागत लगेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : २८ बड़ी लाइन इंजनों की लागत, २,६८,०७,१३९ रुपया है, फालतू पुर्जे १४,२९,२८६ रुपया ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: मन्त्री महोदय ने बताया कि फालतू पुर्जों के आर्डर जापानी फर्म को दिये गये हैं । क्या यह सच है कि ये चित्तरंजन कारखाने में तैयार किये जाते हैं । यदि हां, तो इस जापानी फर्म को आर्डर देने की आवश्यकता क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह सच नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या ग्लोबल टेंडर मांगे गये थे; और यदि नहीं, तो जापानी फर्म को यह काम क्यों सौंपा गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ग्लोबल टेंडर मांगे गये थे और जापानी फर्म का टेंडर सबसे कम था।

†**श्री ब० कु० दास** : दूसरे इंजनों के मुकाबले में इन इंजनों का विशेष लाभ क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ये इंजन दूसरे इंजनों जितने ही अच्छे हैं; सिर्फ वे सस्ते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या ये इंजन तैयार करने में जापान की कोई विशेषता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ग्लोबल टेंडर मंगाये गये थे और हमने उस देश को आर्डर दिया जो सस्ते दाम पर हमें इंजन सप्लाई करने के लिये तैयार है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : देश में ये इंजन तैयार करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसाकि माननीय सभा को मालूम है, हमने चित्तरंजन में डी०सी० बिजली के इंजन तैयार करना शुरू कर दिया है। हम १० इंजन तैयार कर चुके है और निकट भविष्य में ऐसी बिजली के इंजन भी तैयार करने का हमारा विचार है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : भुगतान रुपये की मुद्रा में या विदेशी मुद्रा में किया जायेगा ? भारत और विदेशों से आने वाले टेन्डरों को समान स्तर पर क्यों रखा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : भारत से जारी किये गये किसी टेन्डर के बारे में मुझे मालूम नहीं है। बिजली के इंजन अभी भारत में तैयार नहीं हो रहे है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : भारत में तैयार किये गये इंजनों का मूल्य जापान से मंगाये गये इंजनों के मूल्य की अपेक्षा कम है या अधिक ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ये आर्डर ऐसी बिजली के इंजनों के लिए हैं। फिलहाल भारत में कोई ए० सी० इंजन तैयार नहीं किये जा रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्यों नहीं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम वह करने जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वे तैयार नहीं किये जा रहे हैं तब तुलना कैसे हो सकती है ?

†**श्री सिंहासन सिंह** : फिर भी, कुछ तुलना हो सकती है।

श्री विभूति मिश्र : सरकार ने ब्राड गेज के लिए ही लोकोमोटिव्ज के आर्डर दिए है या गरीब मीटर गेज के लिए भी कुछ आर्डर दिए गए है ?

श्री शाहनवाज खां : मीटर गेज के लिए भी टेंडर्ज दिए गए हैं और उम्मीद है कि वे टेंडर्ज बहुत जल्दी फाइनलाइज किए जायेंगे।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : ये इंजन खरीदने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है और इन इंजनों के उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन २८ इंजनों के लिए लागत २,८२,३६,४२५ रुपया है। अनुमान है कि तीसरी योजना के अंत तक हम ६० से ७० ए० सी० इंजन तैयार कर सकेंगे।

नये जहाजों का निर्माण

†*८०३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वैज्ञानिक ढंग पर नये जहाजों के निर्माण के लिये और विद्यमान पालदार जहाजों को व्यापार के काम में लाने के लिये ऋण देने की दो योजनाएं अनुमोदित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ; और

(ग) इन योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). निर्देश संभवतः मशीनीकरण की (विद्यमान पालदार जहाजों को व्यापार के काम में लाने के लिए नहीं) और वैज्ञानिक ढंग से नये पालदार जहाज तैयार करने की योजना से है। इन दो योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में १५ लाख रुपये से ८५ लाख रुपये तक की व्यवस्था की गयी है। प्रस्ताव यह रखा गया है कि संबंधित समुद्र तटीय राज्यों की सरकारों को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों के आधार पर वे पालदार जहाजों के चालकों को वित्तीय सहायता दें। तदनुसार उन्हें पत्र लिखे गये हैं और उनका उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : कितने नये जहाज बनाये जायेंगे और वर्तमान योजना के अनुसार इन ऋणों से कितने पालदार जहाजों को व्यापार के काम में लाया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : आरंभ में इस आधार पर नियतन किया गया था कि देश में तैयार किये गये इंजन इसके लिए उपलब्ध हों। इसके आधार पर, १०० जहाजों में मशीनें लगायी जानी थीं और ९५ नये जहाज बनाये जाने वाले थे। उसके बाद स्थिति बदल गयी है क्योंकि देश में तैयार किये गये इंजन उपलब्ध नहीं हैं और अब अनुमान है कि ५० जहाजों में मशीनें लगाने और ७९ नये जहाज बनाने की योजना है जिसके लिए आयोजन आयोग से मंजूरी मांगी गयी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस ऋण योजना में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योग समाविष्ट होंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : वे पूरी तौर से सरकारी एजेन्सियां हैं। मैं नहीं समझता कि सरकार के अपने कोई पालदार जहाज हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या किसी समुद्रतटीय राज्य की सरकार ने इन दो योजनाओं में भाग लेने की बात सिद्धान्ततः मान ली है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने उन्हें लिखा है और आशा है कि वे उसी ढंग से काम करेंगे। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि किसी ने इस पर अपनी स्वीकृति दी है अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास

†*८०४. **श्री मान सिंह पु० पटेल** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास खण्डों के दूसरे प्रक्रम के पश्चात् सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ख) यदि रूपरेखा नहीं बनाई गई तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) सामुदायिक विकास खंडों के दूसरे प्रक्रम के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास संबंधी कोई अलग ढांचा निश्चित नहीं किया गया है । जैसाकि दूसरे प्रक्रम में किया गया था, विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अपने ही संसाधनों और विकास के लिए विभागीय निधियों और उसी प्रकार स्थानीय संसाधनों की सहायता से भी जारी रखा जायेगा ।

(ख) जब तक कि सामुदायिक विकास खंड अपना दूसरा प्रक्रम पूरा कर लेंगे, तब तक विकास व्यय खंडों के जरिये किये जाने की प्रणाली प्रचलित हो जायेगी और योजनाबद्ध बजट के द्वारा मामूली व्यवस्था जैसी कि पहले और दूसरे प्रक्रम में की गयी थी, आवश्यक नहीं समझी जायेगी ।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल** : अप्रैल, १९६२ तक दूसरे प्रक्रम के कितने खंड पूरे हो चुके हैं ।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : वास्तव में, अभी तक सिर्फ १४५ खंड पूरे हो चुके हैं, अक्तूबर, १९६१ में ५९ और अप्रैल, १९६२ में ८६ ।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल** : चूंकि खंड डेढ़ साल से बेकार पड़े हुए हैं क्या सरकार इस ओर ध्यान देने के लिए एक मूल्यांकन समिति बनाने के बारे में विचार कर रही है कि यदि खंड विकास के उस ढांचे तक नहीं पहुंच पाये हैं तो उन्हें केन्द्रीय सहायता से या राज्य सरकारों के जरिये जारी रखा जाये ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : वास्तव में, १९६१ में मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था । १९६२ में भी मंत्रियों के सम्मेलन में उस पर विचार किया गया था । यह निश्चय किया गया है कि दूसरे प्रक्रम के खंडों में जहां वे वास्तव में आयोजन और विकास की इकाई के रूप में नहीं हैं, प्रत्येक खंड के लिए सालाना १ लाख रुपये की व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि सघन-उत्तर खंडों (पोस्ट इन्टेन्सिव ब्लाक्स) का प्रशासन बहुत खर्चीला है और विकास रुक गया है जिसका नतीजा यह है कि इन खंडों के कार्य के संबंध में लोगों में क्षोभ और असंतोष है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यदि वह दूसरे प्रक्रम के खंडों के बारे में बात कर रहे हों तो वे काम कर रहे हैं । दूसरे प्रक्रम के बाद के खंडों की संख्या बहुत सीमित है और वह ४५ है । यह ठीक है कि निधियां अपर्याप्त होने के कारण कुछ कार्यक्रम की प्रगति बहुत धीमी है । लेकिन यह निश्चय किया जा चुका है और हम उस बारे में राज्य सरकारों को लिख रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि उपकर

†*७९५. { श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि उपकर के रूप में कितना धन वसूल किया ;

(ख) इस में से कितना धन मुख्यालय में कर्मचारियों के ऊपर व्यय किया गया ; और

(ग) कितना धन क्षेत्रों में केन्द्रीय अनुसन्धान पर व्यय हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्राप्ति			व्यय		
	१९६०–६१ रुपये	१९६१–६२ रुपये		१९६०–६१ रुपये	१९६१–६२ रुपये
(१) कृषि उत्पाद उपकर से प्राप्तियां	४९,५७,५९०	५२,०३,७५५	(१) मुख्य कार्यालय में कर्मचारियों पर व्यय	९,४६,१५७	१०,७९,०६३
(२) अन्य आय	१४,८३,८७३	१६,३९,६९३	(२) अनुसंधान और अन्य योजनओं पर व्यय	८०,११,७९७	४६,९२,७४५
कुल	६४,४१,४६३	६८,४३,४४८	कुल	८९,५७,९५४	५७,७१,७०८

'एयर इंडिया' की पुस्तिका का जापान में छपना

†*७९६. { श्री कजरोलकर :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एयर इण्डिया' ने "मैजिकल यू आर ए महाराजा" नामक पुस्तिका अमरीका के विज्ञापन-अभिकर्ताओं के द्वारा जापान में छपवाई थी ;

(ख) कितनी प्रतियां छपीं और प्रकाशन पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) यह पुस्तिका भारत नें क्यों नहीं छपी ; और

(घ) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां।

(ख) १५०,००० प्रतियां और प्रकाशन का कुल खर्च १,८५,५५७ रुपये ३२ नये पैसे था।

(ग) देश के प्रमुख मुद्रकों से पूछताछ कर भारत में यह पुस्तिका छपवाने की कोशिश की गयी थी लेकिन उन्होंने यह काम मंजूर नहीं किया क्योंकि सिल्क स्क्रीन प्रोसेस से टिशू पेपर पर छापने की सुविधा उनके पास नहीं थी। इसके अलावा आवश्यक किस्म का आर्ट पेपर और टिशू पेपर भारत में उपलब्ध नहीं था।

(घ) प्रकाशन पर १,८५,५५७ रुपये ३२ नये पैसे का संपूर्ण व्यय विदेशी मुद्रा में था।

नई दिल्ली में जापानी ढंग के बाग

†*८०४-क. **श्री पू० चं० भंज देव** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नई दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिये जापानी ढंग के बाग लगाने का फैसला किया है ;

(ख) इस योजना का व्यौरा, वित्तीय दायित्वों सहित, क्या है ; और

(ग) योजना को किस प्रकार लागू करने का इरादा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

'एयर इंडिया' पर विदेशी यात्रा का प्रभाव

*८०५. **श्री यु० ब० सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी होने के कारण 'एयर इण्डिया' अपनी कुछ उड़ानें (फ्लाइट्स) रद्द करने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खांड का निर्यात

†*८०६. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कुछ देशों को खांड का निर्यात करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को निर्यात करने का विचार है ; और

(ग) खांड की भारत में उत्पादन लागत के मुकाबले इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इस साल क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां।

(ख) जापान, कोरिया गणराज्य, दक्षिण वियतनाम, उत्तर अफ्रीका, पश्चिम यूरोप, दक्षिण अमरीका और कनाडा।

(ग) खाण्ड का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मल्य लन्दन दैनिक मूल्य के अनुसार २७.०० **पौंड** प्रति टन सी० आई० एफ० यू० के० ९६° आधार है। चंकि खांड अभी भारत में तैयार नहीं की जा रही है इसलिये उसकी उत्पादन लागत बताना सम्भव नहीं है लेकिन वर्तमान अनुमान से यह पता लगता है कि यह लागत सफेद दानेदार चीनी की उत्पादन लागत से बहुत अधिक कम नहीं होगी।

नेपाल को चीनी का निर्यात

*८०७. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में भारतीय चीनी के मुकाबले रूसी चीनी सस्ती तथा सुलभ होने के कारण नेपाल में भारतीय चीनी की खपत पर संकट आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय चीनी उद्योग तथा चीनी निर्यात पर इसका क्या असर होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी हां, यह ज्ञात हुआ है कि रूसी सहायता योजना के अन्तर्गत रूसी चीनी नेपाल भेजी जा रही है। तथापि इस आयात से भारतीय चीनी उद्योग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

कोसी बांध का निर्माण कार्य

*८०८. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भीमनगर के पास बनने वाले कोसी बांध के मिट्टी बांध के लिये पत्थर इकट्ठा करने का काम हाल ही में स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि नेपाली अधिकारियों ने छतरा के इलाके म पत्थर निकालने का काम रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करके बांध निर्माण के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नेपाल पुलिस ने अचानक ही कुछ गलतफहमी के कारण ३१ जुलाई, १९६२ को ६.३० दजे सायं कोसी रेलवे पर गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। बिहार सरकार ने नेपाल राज्य के स्थानीय अधिकारियों से तुरन्त बातचीत की और यह प्रतिबन्ध ५ अगस्त, १९६२ को ८ बजे सायं से उठा लिया गया। गाड़ियें पुन: पहले की नाईं चलने लगीं, चाहे बहुत थोड़ी देर के लिये ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल पुलिस ने पुनः ६ अगस्त, १९६२ को ६ बजे सायं से गाड़ियों के आवागमन को बन्द कर दिया। इससे कोसी बराज स्थल को पत्थरों का यातायात सर्वथा बन्द हो गया है। इस विषय में नेपाल सरकार से फिर बातचीत की गई और यह पता चला है कि प्रतिबन्ध को उठाने के लिये आदेश जारी हो गये है, यद्यपि वीरतनगर में स्थानीय अधिकारियों को यह अभी तक नहीं मिले हैं।

दिल्ली में यमुना के पानी के स्तर का गिरना

†*८०९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकार का ध्यान दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने करार का उल्लंघन करके यमुना से पानी ले लिया था जिसके कारण नदी के पानी का स्तर गिर गया था ;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई सचिव के इस प्रत्युत्तर को भी देखा है कि बिजली घर में पानी की उपलब्धता में कमी वज़ीराबाद बांध को बन्द करने के कारण हुई थी और ओखला से निकलने वाली आगरा नहर से सिंचाई के पानी को लेन की कोई मांग नहीं थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार इन दो परस्पर विरोधी वक्तव्यों में अनुरूपता लाने और जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई और विद्युत् विभाग के सचिव और दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के बीच जो पत्र-व्यवहार बाद में हुआ था उसमें सचिव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सिंचाई के लिये उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने कोई पानी नहीं लिया था क्योंकि उस समय आगरा नहर से जो ओखला से पानी लेती है, सिंचाई की कोई मांग नहीं थी। उसने यह भी बता दिया था कि इस घटना से कुछ दिन पहले यमुना में थोड़ी बाढ़ आयी थी और हमेशा की तरह ओखला बांध के फाटक गिरा दिये गये थे ताकि बाढ़ का पानी बह जाये। हो सकता है कि इससे दिल्ली बिजली घर में पानी की सतह गिर गयी हो।

डाक तथा तार बोर्ड

†*८१०. **श्री अन्सार हरवानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार बोर्ड के कितने सदस्य हैं ;

(ख) क्या सदस्य की पदावधि निश्चित कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो यह क्या है ;

(घ) क्या सदस्य (प्रशासन) का पद डाक सेवा के अधिकारियों के लिये रक्षित कर दिया गया है अथवा यह दोनों सेवाओं अर्थात् डाक तथा तार के अधिकारियों को बारी-बारी से दिया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं ;

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) इस समय डाक तार बोर्ड के छः सदस्य हैं जिनमें सदस्य (वित्त) शामिल है और डाक तार महानिदेशक, जो बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं, शामिल नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) से (छ). इस मामले में सरकारी आदेश के अनुसार सदस्य (प्रशासन) का पद डाक तथा तार दोनों ही शाखाओं के डाक तार विभाग की वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदाधिकारियों को जिन्हें सेवा की आवश्यकता के अनुसार इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, दिया जा सकता है ।

डाक तथा तार सलाहकार समितियां

†*८११. **श्री सिद्द्या :**
श्री प० ना० कया :
श्री सोनावने :

क्या **परिवहन** तथा **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी डाक तथा तार डिवीजनों में डिवीजन के स्तर पर डाक तथा तार सलाहकार समितियों का गठन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों के गठन को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ; और

(ग) इन समितियों के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इसकी छानबीन की जा रही है ।

दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर

†*८१२. **डा० सारादीश राय :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इस सम्बन्ध में समझौता हो गया है कि दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर के चालू होने पर दामोदर घाटी निगम नहर प्रणाली से सिंचाई के लिये पानी की कम मात्रा दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं और इसका सिंचाई योग्य भूमि पर क्या प्रभाव होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सिंचाई तथा दूसरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सारे साल नौपरिवहन के लिये पानी देने के प्रश्न की छानबीन पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो लाइसेंस

†*८१३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६२ तक सभी प्रकार के कितने रेडियो लाइसेंसों का नवीकरण नहीं हुआ था ;

(ख) क्या प्रत्येक पोस्टल सर्किल में रेडियो लाइसेंसों का धन वसूल करने के प्रबन्ध का अधीक्षण करने के लिये कोई पूर्णकालिक अधिकारी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का परामर्श लिया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी हां, पन्द्रह पोस्टल सर्किलों में से सात सर्किलों में। अन्तर्मन्त्रालयों की बैठक द्वारा निर्धारित प्रमाप के आधार पर शेष सर्किलों में कोई पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त करने के लिये कोई औचित्य नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चावल का निर्यात

†*८१४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४७ के बाद अब पहली बार अच्छे किस्म के भारतीय चावल का निर्यात किया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) और (ख). व्यापार के लिए पिछले वर्षों में चावल का कुछ निर्यात किया गया था लेकिन १९५६ के बाद भारत से चावल के वाणिज्यिक निर्यात पर रोक लगा दी गयी थी। अब यह विचार है कि विदेशों में भारतीयों के उपयोग के लिए सीमित मात्रा में अच्छी किस्म का चावल भारत से निर्यात करने की अनुमति दी जाये। यह निर्यात राज्य व्यापार निगम के ज़रिये किया जाता है। इस योजना के ब्यौरे पर अभी विचार किया जा रहा है।

चिकित्सा सहायक कर्मचारी

†*८१५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को दूर करने में सहायता देने के लिये चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिये गत वर्ष कोई समिति नियुक्ति की गई थी ;

(ग) क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया ह ; और

(घ) समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०**]

भाखड़ा की विद्युत् उत्पादन क्षमता

†*८१६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भाखड़ा की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) जिन क्षेत्रों को बिजली का संभरण करने का वायदा किया गया था उनको बिजली का वितरण करने की मुख्य योजना क्या है ;

(ग) क्या कम 'बोल्टेज' की कोई शिकायत मिली है ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ३६६ मेगावाट फर्म कैपेसिटी ।

(ख) सामान्य संग्रह उपभोक्ताओं अर्थात् दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और नंगल उर्वरक कारखाने की मांगें पूरी करने के बाद उपलब्ध बिजली ८४.७८ : १५.२२ के अनुपात में पंजाब और राजस्थान में बांटी जाती है । वास्तविक वितरण की जिम्मेदारी पंजाब सरकार पर है ।

(ग) जी हां । दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं—एक तो पंजाब में सीमेन्ट कारखाने से और दूसरी, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से ।

(घ) सीमेन्ट कारखाने की शिकायत भिवानी में ३३ किलोवाट के बिजलीघर को १३२ किलोवाट वाले बिजलीघर में बदल कर दूर कर दी गयी थी ? दूसरी शिकायत के सम्बन्ध में, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को सलाह दी थी कि वह उपयुक्त स्टैटिक कैपेसिटर्स स्थापित करके या ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा कर बोल्टेज बढ़ा दे । यह बोल्टेज और बढ़ जायेगी जब कि मुख्य ट्रांसमीशन लाइनों को १३२ किलोवाट से २२० किलोवाट में बदल दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश व जम्मू और काश्मीर में बिजली घर

*८१७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश व जम्मू और काश्मीर में कुछ बिजलीघर स्थापित करने के लिये रूमानिया के साथ भारत सरकार की बातचीत चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो वे बिजली घर किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) उस बातचीत में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

तिबिया कालिज, दिल्ली

†*८१८. **श्री मान सिंह पु० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालिज, दिल्ली में 'संक्षिप्त' पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कक्षा इस वर्ष आरम्भ नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). यह पाठ्यक्रम चालू वर्ष में आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि बहुत थोड़े आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । फिर आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धतियों के प्रशिक्षण के सम्पूर्ण विषय की समीक्षा आयोजन आयोग के विचारों और मुदालियर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए करनी है ।

कलकत्ता और दिल्ली के बीच दूर-संचार

†*८१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कलकत्ता के बीच टेलीप्रिंटर संचार गत तीन सप्ताहों में बार बार भंग हुआ जिसके परिणामस्वरूप समाचार पत्रों, वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा कुछ सरकारी कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई हुई ;

(ख) यदि हां, तो सेवा को सामान्य बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) सेवा भंग हो जाने के क्या मुख्य कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). कई बार भंग हुआ था लेकिन चूंकि वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था की गयी थी इसलिए तार सेवा बन्द नहीं पड़ी थी । कलकत्ता-दिल्ली मार्ग अब सामान्य है और वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था बन्द कर दी गयी है ।

(ग) तीन जगहों पर कोएक्सीयल तार टूट गया था । दोष दूर कर दिये गये हैं ।

कलकत्ते में गोदाम

†२२६२. **श्री तान सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वातानुकूलित गोदाम बनाने के लिए १ सितम्बर, १९५८ को कलकत्ते में एक जमीन पट्टे पर ली गयी थी ;

(ख) अब तक माहवार किराये की कितनी रकम दी गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस गोदाम के नक्शे और अनुमान भी अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं ; और

(घ) नक्शे और अनुमान स्वीकार किये जाने से पहले जमीन लेने की क्या आवश्यकता थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :(क) जी हां, शेलाक के लिए गोदाम बनाने के लिए ।

(ख) १६,७१२ रुपये ८ नये पैसे ।

(ग) गोदाम की योजना और अनुमान मंजूर किये जा चुके हैं और निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ।

(घ) नक्शे और अनुमान तैयार करने के लिए भूमि प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि यह काम इस बात पर निर्भर है कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य किया जाना है वह वास्तव में कहां है और उसका क्षेत्रफल कितना है ।

जाफना तम्बाकू

†२२६३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में जाफना तम्बाकू पैदा करने और उसको बनाने की संभाव्यता का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) पिछले चार वर्षों में केरल राज्य में प्रयोग के तौर पर की गई खेती से सिद्ध हुआ है कि जाफना तम्बाकू समुद्र तटीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है ।

लखनऊ डिवीजन में लेवल क्रासिंग

२२६४. **श्री रणञ्जय सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ डिवीजन (उ० रे०) में कितने फाटक (समपार) ऐसे हैं जिन पर अभी दरवाजे नहीं लगे हैं ;

(ख) लखनऊ और वाराणसी के मध्य मेन लाइन पर कितने समपारों पर दरवाजे लगे हैं और कितनों पर अभी नहीं हैं ;

(ग) लखनऊ और वाराणसी के मध्य मेन लाइन पर कितने तथा कहां-कहां के समपारों पर दरवाजे लगाने का विचार किया जा रहा है ; और

(घ) कब तक ये दरवाजे लग जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ३६३ ।

(ख) फाटकों वाले समपार ११४ और बिना फाटकों वाले ५२ ।

(ग) और (घ). अभी किसी समपार पर नहीं । कुछ भीड़-भाड़ वाले समपारों पर, जहां चौकीदार नहीं हैं, चौकीदार रखने के प्रश्न पर, राज्य सरकार के परामर्श से, विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश द्वारा खरीदे गये 'रिग'

†२२६५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सलाह पर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कितने 'रिग' लेना स्वीकार किया है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी ;

(ख) क्या रिगों का कोई विशिष्ट ब्यौरा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को उनके परीक्षणार्थ दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के पास राज्य सरकार की स्वीकार्यता आई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १० रिग, जिन पर १६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च आएगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । आन्ध्र प्रदेश सरकार अपना इरादा बनाने से पहले एक रूसी 'रिग' को वास्तविक रूप में काम करते हुए देखना चाहती है । उनको सलाह दी जा रही है कि वे मद्रास सरकार से बातचीत करे जिसे शीघ्र ही एक रूस रिग प्राप्त करने की आशा है ।

आन्ध्र प्रदेश के लिये अतिरिक्त रेलवें गाड़ियां

†२२६६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में गाड़ियों की कमी की पूर्ति करने के लिये केन्द्र को यदि कोई प्रस्थापना भेजी है, तो क्या ;

(ख) उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई प्रस्ताव लम्बित है, तो उनकी कब तक जांच की जाने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

†२२६७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों के लिये तीसरी योजना में कितना व्यय करने अनुमोदन किया गया तथा दूसरी योजना में कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने अपना मत बताया है कि आवंटन उनकी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आवंटन को बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क)

(१) दूसरी याजना में कुल व्यय .	३५७.१० लाख रुपये
(२) तीसरी योजना में अनुमोदित व्यय .	(१) नये काम—१०५.६१ लाख रुपये (२) दूसरी योजना की बकाया राशि को तीसरी योजना में लाना २३८.२८ लाख रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां। राज्य सरकार ने तीसरी योजना में १२२.४३ लाख रुपये की लागत के अतिरिक्त कामों की सिफारिश की है। धनाभाव के कारण सिफारिशें पूर्णरुपेण स्वीकार नहीं की जा सकीं। कुछ अत्यावश्यक अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों को शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मद्रास–कलकत्ता सड़क

†२२६८. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास–कलकत्ता सड़क (राष्ट्रीय राजपथ) की ओर जो आन्ध्र प्रदेश में से इसकी चालीस प्रतिशत जनसंख्या वाले घनी आबादी वाले मिलों में से ६०० मील तक जाती है, अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम से कम टाडा से विशाखापटनम तक राष्ट्रीय राजपथ को सीमेंट–कंक्रीट की बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, ताकि ३०० टन से ६०० टन प्रति दिन तक होने वाले यातायात की आवश्यकता पूरी की जा सके और संचार संबंधी रुकावटों को दूर किया जाए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं।

(ख) टाडा से विशाखापटनम तक के राष्ट्रीय राजपथ को सीमेंट–कंक्रीट करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ६०० टन प्रतिदिन तक यातायात उन सड़कों द्वारा उसी प्रकार उठाया जा सकता है, जिन के तट विटुमिनस सामग्री से बने हुए हों, जिस प्रकार सीमेंट कंक्रीट वाली सड़कों के द्वारा।

आंध्र प्रदेश में अन्तर्राज्य और आर्थिक महत्व की सड़कें

†२२६९. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य एवं आर्थिक महत्व की राज्य की सड़कों के विकास की योजना के अन्तर्गत तीसरी योजना के प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे काम क्या २ हैं और उनकी कुल अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) उन के प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक व तार विभाग के क्वार्टर

†२२७०. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में अडोनी, कुडापाह, गुंटूर, श्रीकाकुलम, विशाखापटनम और विजयवाडा में डाक व तार विभाग के क्वार्टरों के लिये कुछ स्थान अधिग्रहण करने का विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) यदि स्थान अधिग्रहण किया जा चुका है तो क्वार्टरों का निर्माण कब आरम्भ किया जाएगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) अडोवी, कुडापाह और श्रीकाकुलम में भमि ले ली गई है। विशाखापटनम और विजयवाडा में स्थान अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है। गुंटूर में स्थान अधिग्रहण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) क्वाटर सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बनाये जाएंगे। प्लान और नक्शे बनाये जाएंगे और अनुमान मंजूर करने हैं। इस काम पर लगभग दो-तीन वर्ष का समय साधारणतया लग जाता है। निर्माण कार्य को जहां तक संभव होगा शीघ्र करने का प्रयत्न किया जाएगा।

डाक व तार विभागों की इमारतों के लिये स्थान

†२२७१. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटर, पोड्डाटूर, और विजयवाडा (वकिंघमपेत) में १९६०–६१ में डाक व तार की इमारतों के लिये स्थान अधिग्रहण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) तीन डाक घर इमारतों की स्थिति इस प्रकार है :

गुंटूर——नक्शे तैयार करने हैं।

पोड्डाटूर——प्रारम्भिक अनुमान तैयार करने हैं।

विजयवाडा (वकिंघमपेत)——प्रारम्भिक नक्शे तैयार करने हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

डाक व तार की इमारतें

†२२७२. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न स्थानों पर दफ्तर की इमारतों का निर्माण किस स्थिति में है :

अडोनी—डाक व तार
अमालपुरम—डाक व तार
काकिनाडा—डाक व तार
कुरनूल—डाक व तार
ओंगोल—विस्तार डाक घर
श्रीकाकुलम—मुख्य डाक घर
सिकन्दराबाद—मख्य डाक घर
विशाखापटनम—डाक व तार
वारंगल—मख्य डाक घर
संकापल्ली—तार एक्सचेंज
हैदराबाद (गोही गुडा)—तार एक्सचेंज
ओंगोल—तार एक्सचेंज
श्रीकाकुलम—तार एक्सचेंज

(ख) प्रत्येक निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) प्रत्येक निर्माण कार्य कब पूरा होने की अपेक्षा की जाती है ?

†**परिवहन तथा संचार मत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) से (ग). सूचना संलग्न अनबन्ध में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या ९३]**

पलिवेंडाला में टेलीफोन एक्सचेंज

†२२७३. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के झुडापाहनिले में पुलिवेंडाला में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी नहीं।

(ख) एक २५ लाइन का स्वचालित एक्सचेंज मंजूर किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य

†२२७४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में पंजाब के लिये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी किन योजनाओं का विचार किया गया है ;

(ख) पंजाब में तीसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य पर कितना वित्तीय परिव्यय होगा ;

(ग) वहां पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य के रोगिओं के लिये कितने पलंग हैं ; और

(घ) मानसिक रोगों के कितने अनुमानित रोगियों को हस्पतालों में भरती करने की आवश्यकता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) मानसिक स्वास्थ्य की निम्नलिखित योजना पंजाब के लिये तीसरी योजना अवधि में प्रस्तावित है :—

(१) मानसिक अस्पताल, पटियाला की स्थापना ;

(२) पंजाब मानसिक अस्पताल अमतसर में अतिरिक्त अत्यावश्यक इमारत ;

(३) पंजाब मानसिक अस्पताल, अमृतसर में असाध्य रोगयों के लिये अतिरिक्त स्थान का निर्माण ;

(४) जिला मुख्यालय अस्पतालों में अस्पताल से बाहर रहने वाले रोगियों का मानसिक उपचार औषधालय ।

(ख) तीसरी योजना अवधि में उपरोक्त योजनाओं के लिये ८,१०,००० रुपये का कुल वित्तीय आवंटन किया गया है ।

(ग) ६०० ।

(घ) इस संबंध में कोई विश्वस्त सूचना प्राप्त नहीं क्योंकि अभी तक पंजाब में मानसिक रोगों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

पंजाब में नलकूप

†२२७५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में प्रयोगात्मक नलकूप खोदे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिला वार कुल कितने नलकूप खोदे गये हैं या खोदे जा रहे हैं ; और

(ग) खोदे गये कितने कूंए सिद्ध सफल हुए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). १९५७–५८ में पंजाब के विभिन्न जिलों में खोदे गये एंव सफल रहे प्रयोगात्मक नलकूपों की संख्या इस प्रकार है :

जिला	प्रयोगात्मक कूंए खोदे गये	प्रयोगात्मक कूंए सफल रहे
१. गुड़गांव	१५	२
२. रोहतक	३	—
३. महेन्द्रगढ़	५	—
४. हिसार	५	—
५. अम्बाला	६	४
६. होशियारपुर	४	१
योग	३८	७

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के समीप पुल का निर्माण

†२२७६. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **रेलवे** मंत्री नई दिल्ली सफदरजंग हवाई अड्डे के समीप ऊपर के या नीचे के पुल के संबंध में ३ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में तब से कोई अग्रेतर प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलों पर वैगन तोड़ने के मामले

†२२७७. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय रेलों पर वैगन तोड़ने के मामले अत्याधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे पर क्षतिपूर्ति के कितने दावे हुए हैं :

(ग) सरकार इस प्रचलित बुराई को रोकने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ; या करने का विचार करती है ; और

(घ) रेलवे कर्मचारियों ने इस मामले में क्या कार्य किया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ). रेलों पर निम्न निरोधक उपाय किये जाते हैं :—

(१) ऐसी घटनाओं वाले सैक्शन पर दृष्टि रखने के लिये उन को छांटा जाता है ;

(२) ऐसे क्षेत्रों में माल गाड़ियों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है ;

(३) सशस्त्र लोगों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पैदल गश्त की व्यवस्था की जाती है ;

(४) हिंसक तथा हताश अपराधियों पर, रेलवे सम्पत्ति और व्यक्ति की रक्षा करने के लिये गोली भी चलाई जाती है।

(५) यार्डों में बुनियादि सुरक्षा उपायों का प्रबन्ध किया जाता है ;

(६) मूल्यवान सामान के जाने वाले वैगनों में हर हालत में ई० पी० ताले लगाये जाते हैं।

(७) रेलवे कर्मचारी जो मुख्यरूपेण रेल की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये होते हैं, अपराध को रोकने के लिये अपना पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। कर्त्तव्य पालन में लापरवाही या चूक अथवा अपराधियों के साथ नर्मी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

कृषि औजारों के लिये अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्र

†२२७८. { **श्री हिम्मत सिंहजी :**
श्रीमती गायत्री देवी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन्नत कृषि औजारों के लिये अनुसन्धान एवं प्रयोग केन्द्र स्थापित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कितनी लागत से ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) उन्नत कृषि औजारों के लिये अनुसन्धान, प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र अब तक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में और कोयम्बटूर (मद्रास), बर्दवान (पश्चिम बंगाल), जोबाडा (राजस्थान), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तथा शिमला (हिमाचल प्रदेश) में स्थापित किये जा चुके हैं। भारत सरकार का अनुमोदन भी, जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिये दिया जा चुका है । संबद्ध राज्य सरकारें इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिये कार्रवाई कर रही हैं ;

(ग) १ करोड़ रुपये की व्यवस्था तीसरी योजना में इस कार्य के लिये की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय भूमि विज्ञान संस्था[1]

†२२७६. { श्री हिम्मत सिंह जी :
श्रीमती गायत्री देवी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमि विज्ञान तथा भमि बल विज्ञान संस्था स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : केन्द्रीय भमि विज्ञान एवं भूमि बल विज्ञान संस्था स्थापित करने की योजना तीसरी योजना में शामिल की गई है । इसके स्थान का अभी फैसला नहीं किया गया ।

कृषि शास्त्र में मैट्रिक उपरांत अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†२२८०. { श्री हिम्मत सिंह जी :
श्रीमती गायत्री देवी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्नात्तकोत्तर अध्ययन के स्थान पर कृषि के मैट्रिक उपरांत अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने का सरकार विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). कृषि सम्बन्धी मैट्रिक उपरांत अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

कृषि शिक्षा सम्बन्धी फिल्म

†२२८१. { श्री हिम्मत सिंह जी :
श्रीमती गायत्री देवी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अब तक देश में कृषि शिक्षा सम्बन्धी कितनी फिल्में बनी हैं ; और

(ख) चालू योजना काल में ऐसी फिल्में बनाने का क्या निश्चित प्रोग्राम है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की ओर से ११ कृषि शिक्षा सम्बन्धी फिल्में बनी हैं ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ६—८ से फिल्म प्रतिवर्ष की दर पर कुल लगभग ४० फिल्में बनेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Central Institute of Pedology and Soil Mechanics.

उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण

†२२८२. **श्री मलिक :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी धन राशि दी गई है या दी जायेगी ; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने नगरों या गांवों में बिजली लगाई गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये उड़ीसा सरकार को ऋण सहायता देने के लिये १५० लाख रु० निश्चित किये गये हैं ।

(ख) ८६ ।

उड़ीसा में सिंचाई

†२२८३. **श्री मलिक :**
श्री उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तीसरी योजना में आरम्भ की जाने के लिए मामू ी सिंचाई की कोई योजना, विशेषकर सूखे तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ऐसी योजनाओं के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) तथा (ख). अब तक उड़ीसा सरकार से तीसरी योजना काल में कार्यान्वित करने के लिए सूखे तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य सिंचाई की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है । अतः योजना में वित्तीय उपबन्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

फिर भी, यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने तीसरी योजना काल में कोई सिंचाई के प्रोग्राम निम्न योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था की है और तीसरी योजना में ३०४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है :—

१. छोटी सिंचाई

२. नल कूप

३. रूसी कुल्या बेसिन सहित उठाऊ सिंचाई ।

पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार जो वर्ष १९५८–५९ से लागू है, राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजनाओं में योजनाओं की केवल मुख्य श्रेणियों का ही उल्लेख करती है और प्रत्येक योजना का ब्यौरा तैयार करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है । योजना ों की वास्तविक कार्यान्विति तथा क्षेत्र, जहां वे लागू की जायेंगी, पूर्णतया राज्य सरकार के विवेक की बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माडल तथा जीवनांककीय यूनिट, नागपुर

†२२८४. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडल तथा जीवनांककीय यूनिट, नागपुर में प्रशिक्षण के लिए उनके मंत्रालय के व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना काल में उनमें से कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां ।

(ख) आशा है कि तीसरी योजना काल में लगभग २५० उम्मीदवारों (केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों) को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

विक्रमपुर में शाखा डाकघर

†२२८५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रमपुर, मध्य प्रदेश में शाखा डाकघर पुनः खोलने के बारे में आगे विचार किया गया है ;

(ख) क्या जिला सलाहकार समिति नरसिंहपुर ने जोरदार सिफारिश की है कि इसे विक्रमपुर में फिर खोला जाये ;

(ग) क्या स्थानीय जनता ने हानिपूर्ण करने का आश्वासन दिया है ;

(घ) क्या कोई निश्चिय किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो मामला किस अवस्था में है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

(घ) और (ङ) डाकघर केवल आदेश अंश के आधार पर खोला जा सकता है । रुचिकर व्यक्तियों ने डाकघर के संचालन में होने वाली हानि की पूर्ति के लिए उसके भुगतान के बारे में रुचिकर व्यक्तियों से आश्वासन की तथा डाकघर में उस राशि के जमा की जाने की प्रतीक्षा है ।

मद्रास राज्य में बाढ़ नियंत्रण

†२२८६. **श्री राजाराम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मद्रास राज्य से बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी उपायों की कोई विस्तृत योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्ष १९६१ ६२ की बाढ़ के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सरकार ने धन नहीं मांगा है, इसी कारण वर्ष १९६१-६२ में इस कार्य के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

मद्रास में सिंचाई और विद्युत् योजनायें

†२२८७. **श्री राजाराम :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सरकार की सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी कितनी योजनायें स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास अनिश्चित पड़ी हैं ; और

(ख) पिछले एक वर्ष में ऐसी कितनी योजनायें अस्वीकार की गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) आजकल केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास दो विद्युत् योजनायें और एक सिंचाई योजना अनिश्चित पड़ी है ।

(ख) कोई नहीं ।

सोहागपुर (मध्य रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान

†२२८८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोहागपुर (मध्य रेलवे—मध्य प्रदेश) में अनेक रेलवे कर्मचारियों को उचित मकान नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें मकान कब दिये जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग). धनाभाव के कारण किसी भी स्टेशन पर सारे कर्मचारियों को मकान नहीं दिये जा सके हैं । सोहागपुर में भी अब तक लगभग ४० प्रतिशत अनिवार्य कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं । धन उपलब्ध होते ही और क्वार्टर बनाये जायेंगे ।

डाक व तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२२८९. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य सर्किल (डाक तथा तार) में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिन्हें वर्ष १९५७ के बाद निरन्तर सेवा करने के बावजूद भी अर्ध-स्थायी प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन कर्मचारियों को ऐसे प्रमाण पत्र कब देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक तथा तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२२९०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में डाक तथा तार विभाग के मध्य सर्किल के चतुर्थ श्रणी के कुछ कर्मचारियों ने नियुक्ति के बाद मैट्रिक या समान परीक्षा की है ;

(ख) क्या नियम तथा विनियम के अधीन ऐसी परीक्षा पास करना उन्हें किसी पदोन्नति का अधिकारी बना देता है ;

(ग) यदि हां, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क), (ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) हां, वर्ष १९६० तक। वर्ष १९५१ और १९६० के बीच चतुर्थ श्रेणी के स्थायी तथा अर्ध-अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने सवा करते हुय मैट्रिकुलेशन या समान परीक्षा पास की है, भर्त्ती या पदोन्नति परीक्षा पास किये बिना क्लर्क तथा टेलीफोन आपरेटर की श्रेणी में पदोन्नति की स्वीकृत सूची में सम्मिलित कर दिये गये थे।

नारनौल और सिंघाने के बीच सड़क

†२२९१. **श्री साधू राम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के जिला महिन्दरगढ़ में नारनौल से राजस्थान के जिला झुनझुनू में सिंघाने तक की सड़क के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सड़क राजस्थान से मिलने वाली पाकिस्तान सीमा तक दिल्ली से जोधपुर/बीकानेर राष्ट्रीय राजपथ का एक भाग होगी; और

(ग) यह सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). राजस्थान में सिंघाने से नारनौल तक सड़क बनाने की एक योजना है। इस पर ३.७० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों की योजनाओं के लिये सहायता-अनुदान के लिये राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत की है। इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित सिंघान-नारनौल सड़क तैयार होने पर राज्य सड़क होगी और राष्ट्रीय राजपथ का भाग नहीं होगी ।

---

†**मूल अंग्रजी में**

कृषि योजनाओं का लक्ष्य

†२२९२. { **श्री हृ० प० चटर्जी :**
श्री रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों की तीसरी योजना के पहिले दो वर्षों में समस्त कृषि योजनाओं के लिये कितने प्रतिशत व्यय तथा भौतिक लक्ष्य का आयोजन किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** वर्ष १९६१-६२ में प्रत्याशित व्यय के आधार पर, जैसी कि राज्यों ने सूचना दी है और वर्ष १९६२-६३ के लिय प्राक्कलन स्वीकृत हुये हैं; कृषि योजनाओं (जिन में कृषि उत्पादन, छोटी सिंचाई और भूमि संरक्षण प्रोग्राम शामिल हैं) पर पहिले दो वर्षों में तीसरी योजना में किये गये उपबन्ध का ३३.४ प्रतिशत व्यय होगा। महत्वपूर्ण कृषि प्रोग्रामों के अन्तर्गत अस्थायी भौतिक लक्ष्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९४]**

पश्चिमी बंगाल में निचली दामोदर नदी की खुदाई

†२२९३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में पश्चिमी बंगाल में निचली दामोदर नदी की खुदाई का कोई प्रोग्राम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के लिये कितना धन स्वीकार किया गया है ; और

(ग) योजना की कार्यान्विति कब लागू होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) हां । बगुआहना से हुगली तक निचली दामोदर को ले जाने की योजना बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य की तीसरी योजना में शामिल कर दी गई है ।

(ख) तीसरी योजना में इस योजना के लिये १० लाख रु० का आवंटन किया गया है

(ग) योजना के निश्चय होने पर योजना को लागू करने का काम आरम्भ किया जायेगा ।

भूमि संरक्षण

†२२९४. { **श्री हेम राज :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार भमि संरक्षण के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ;

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के साथ बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम के समन्वय के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भूमि संरक्षण के लिये राज्यवार एसी विभिन्न क्या कार्यवाही की गई जो बाढ़ नियन्त्रण के लिये सहायक हैं; और

(घ) उनकी कार्यान्विति में क्या सफलता मिली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ख) बाढ़ नियन्त्रण प्रोग्राम आंशिक रूप से केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड तथा नदी आयोग, जो सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने बनाये हैं, के अन्तर्गत आता है और आंशिक रूप से खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के अन्तर्गत आता है ।

कृषि मंत्री केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं और विभिन्न नदी आयोगों में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सचिव और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सदस्य (जलमार्ग, सिंचाई तथा नौवहन) केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के सदस्य हैं । इनके अतिरिक्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में भूमि संरक्षण के निदेशक, जो नदी घाटी जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण प्रोग्राम के प्रभारी हैं, इन निकायों की बैठकों में भाग लेते हैं ।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण की सभी योजनायें, जिनमें बनरोपण, चरागाह विकास, चराने पर नियन्त्रण, सीढ़ीदार खेत बनाना, रोक बान्धों का निर्माण, अवनालिका रोधन, सिलिप नियन्त्रण नालों, आदि का नियन्त्रण बाढ़ नियन्त्रण के उपाय के रूप में सहायक हैं । नदीघाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के ऐसे उपाय भी, जिनमें अग्नि सुरक्षा, शामिल है, परोक्ष रूप में इसी उद्देश्य के लिये हैं । राज्य योजनाओं में शामिल प्रत्येक योजना विशेष रूप से कितने ऐसे क्षेत्र में काम करती हैं, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) तीसरी योजना में ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त हुई प्रगति सम्बन्धी रिपोर्टें सभी राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

उड़ीसा में विद्युत्-जनन

†२२६५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विद्युत्-जनन की कुल कितनी क्षमता है और क्या पूर्ण उत्पादन हो रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या तीसरी योजनाकाल में उड़ीसा की आवश्यकता वर्तमान क्षमता से पूरी तरह पूरी हो जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो अभाव की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और तीसरी योजना काल में कौन-कौन नई योजनायें पूरी हो जायगी और क्षमता क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि चिपिलिका परियोजना के पूरे होने पर यहां से पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की कोयला पट्टी को कुछ बिजली देने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) २३२.२ मेगावाट। जहां तक संभव है, पूर्ण उत्पादन बनाया रखा जा रहा है।

(ख) नहीं।

(ग) अन्तर पूर्ति के लिये निम्न विद्युत् योजनायें आजकल पूरी हो रही हैं :—

(१) हीरा कुड अवस्था २

(१) हीरा कुद बिजलीघर—छटा यूनिट —३७.७ मेगावाट।

(२) चिपिलिका बिजली घर—४८ मेगावाट।

(२) तलचेर तापीय विद्युत् केन्द्रअ २४० मेगावाट।

(घ) हां।

अंधे व्यक्तियों में कुत्ते की आंख लगाना

†२२९६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर इराक में मोसल में १८ मिनिट के आपरेशन के बाद एक अन्धे व्यक्ति में कुत्ते की आंख सफलतापूर्वक लगा दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस नये आविष्कार का, भारत में अन्धे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए, प्रयोग करने पर विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) इराकी समाचारपत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि अन्धे व्यक्ति में कुत्ते की आंख लगा दी गई परन्तु इराक में आंख विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसा प्रयास पिछली डेढ़ शताब्दी से हो रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश उसमें से कोई सफल नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृत्रिम औषधि

†२२९७. **श्री उमा नाथ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री राम रतन गप्त :
डा० रा० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री विश्वनाथ पांडे :
श्री अ० न० विद्यालंकार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में जून और जुलाई, १९६२ में सामान्य इंजेक्शनों और कृत्रिम औषधियों को जब्त करने के तथ्यों का ब्यौरा, राज्यों के नाम, औषधि तथा इंजेक्शनों के नाम और मात्रा बताने वाला एक विवरण पटल पर रखेंगी ;

(ख) क्या इन कृत्रिम निर्माताओं के साधनों का पता लग गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) जांच के लिए और उनका निर्माण रोकने के लिए राज्य-सरकारों त ा केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) से (ग). विभिन्न राज्यों में जून तथा जुलाई, १९६२ में सामान्य इंजेक्शनों तथा कृत्रिम औषधियों को जब्त करने के तथ्यों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी०--४२७/६२]**

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रित प्राधिकारियों को सलाह दी है कि वे निर्माताओं पर अभियोग चलायें और पकड़े गये स्टाक को जब्त करने के लिये न्यायालय से कार्यवाही करने की प्रार्थना करें। विभिन्न राज्य सरकारों ने निम्न कार्यवाही की है:--

आंध्र प्रदेश : १० फर्मों के बारे में औषधि अधिनियम की धारा ३२ (३) के अन्तर्गत उपबन्ध बनाये गये और राज्य के औषधि निरीक्षकों को तत्काल अनुदेश दिये गये कि वे स्टाक रोकने और विश्लेषण के लिए निवारक चिकित्सा संस्था, हैदराबाद के नमूने भेजने में सतर्क रहें। सभी जिला चिकित्सा अधिकारी और सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंटों, जिसमें गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थायें शामिल हैं, को सूचित किया गया है कि वे १९ फर्मों द्वारा बनाई गई औषधियां प्रयोग न करें। इन फर्मों के नाम औषधि नियंत्रक (भारत), ने दे दिये हैं।

बिहार : जुलाई, १९६२ में पकड़ी गई औषधि तथा इंजैक्शन सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। सरकारी विश्लेषण से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही औषधि अधिनियम और उसके अन्तर्गत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर : ऐसे औषधियों के विक्रय के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश : राज्य सरकार मामले पर विचार कर रही है।

मद्रास : राज्य में व्यापारियों के पास कृत्रिम औषधियों के स्टाक को पकड़ कर उनकी बिक्री रोक दी गई है। सरकारी चिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है। जिला औषधि निरीक्षकों को इस मामले में सावधान कर दिया गया है और सरकारी विश्लेषण को अनुदेश दिया गया है कि वह कृत्रिम औषधियों के विश्लेषण को सर्वाधिक प्राथमिकता दे।

मैसूर : औषधि नियंत्रण प्रशासन इस मामले में सतर्कता से काम कर रहा है और निरीक्षण कर्मचारियों को इस मामले में और भी सतर्क कर दिया गया है।

महाराष्ट्र : राज्य सरकार का विचार राज्य दोषी फर्मों के खिलाफ कार्यवाही करने का है। निर्माताओं के खिलाफ आगे कार्यवाही करने के लिए पश्चिमी बंगाल में प्राधिकारियों को भी इस बारे में सूचित किया गया है। जांच पड़ताल पूरी होने पर औषधि अधिनियम, १९४० के अन्तर्गत उस राज्य में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जायेगा।

उड़ीसा : परीक्षा के लिये विश्लेषण प्रयोगशाला को औषधियों के नमूने भेज दिये गये हैं। रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

पंजाब : 'डिस्टिल्ड वाटर' की पकड़ी शीशियां औषधि निरीक्षक के पास रखी है और औषधि नियंत्रक (भारत) को निर्माताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सूचना भेज दी गई है।

राजस्थान : औषधि नियंत्रक, राजस्थान ने राज्य में सभी अस्पतालों के प्रशासन अधिकारियों को एक गश्ती चिट्ठी भेजी है कि वे इस वर्ष के लिए और पिछले वर्ष के लिए विभिन्न अस्पतालों तथा औषधालयों को औषधि संभरण करने के लिए स्वीकार किये गये संभरणकर्ताओं द्वारा संभरण किये गये 'डिस्टिल्ड वाटर' की शीशियों के नमूने विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषण को भेजें। औषधि निरीक्षकों को विभिन्न औषधि विक्रेताओं के स्टाक की जांच करने और यह पता लगाने को कहा गया है कि क्या उनके पास पश्चिमी बंगाल के बिना लाइसेंस की कुछ फर्मों द्वारा बने 'डिस्टिल्ड वाटर' का स्टाक है और यदि हां, तो व उसे जब्त कर लें और उनका नमूना लेकर विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक को भेजें।

केरल : सभी नकली दवाइयों को जब्त कर लिया गया है और इस मामले को औषधि नियंत्रक (भारत) और पश्चिम बंगाल के औषधि लाइसेंसिंग पदाधिकारी को बता दिया गया है। नकली और उपस्तर की औषधियों के निर्माण, विक्रय और वितरण पर नियंत्रण के लिये केरल की राज्य सरकार ने औषधि नियंत्रण विभाग में सम्बद्ध एक गुप्त सूचना शाखा और इस शाखा का प्रभारी एक पूर्णकालिक औषधि निरीक्षण नियुक्त किया है।

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल म नकली दवाइयों के बारे में औषधि निर्माण की जांच पड़ताल करने के लिये एक आयोग स्थापित किया जा रहा है। अब तक उपस्तर की औषधियां बनाने के लिये एक सार्थ पर मुकदमा चलाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश : अन्य राज्यों में रिपोर्ट के आधार पर पकड़े गये नमनों के परिणाम पता लगने पर इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

त्रिपुरा : शून्य ।

दिल्ली : एक मामले में, जिसको स्टैण्डर्ड किस्म का नहीं बताया गया है, सरकारी विश्लेषक का प्रतिवेदन मिल गया है । उस फर्म को, जिससे यह नमूना लिया गया था, कारण बताने का नोटिस दिया जा रहा है । बाकी के बारे में सरकारी विश्लेषक का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।

लक्कदीव प्रशासन : शून्य ।

मनीपुर : शून्य ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय

†२२९८. **श्री बसुमतारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सस्ते मूल्य पर किसानों को उर्वरकों का संभरण करने के लिये सभी राज्यों में उर्वरक कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को सस्ते मूल्य पर सिंचाई के पानी और बढ़िया किस्म के बीजों के संभरण को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) सरकार किसानों को आधुनिक तरीके से गहन खेती द्वारा अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये और क्या सुविधायें देगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । सिंचाई के लिये पानी देना भी राज्यों की जिम्मेदारी है । तथापि, नई सिंचाई योजनाओं से पानी के पूरा इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिये, राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया कि पहले कुछ वर्षों में किसानों को रियायती दरों पर सिंचाई का जल दिया जाये । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकांश राज्य सरकारे नयी सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने पर पहले कुछ वर्षों में रियायती दर ले रही है । राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे राज्य बिजली बोर्डों से कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली देने को कहें ।

जहां तक बढ़िया किस्म के बीजों का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य में 'आधार' बीजों के उत्पादन के लिये बीज गुणीकरण फार्म स्थापित किये गये हैं । इन "अधार" बीजों का पंजीकृत बीज उत्पादकों के फार्मों में गुणीकरण किया जाता है और फिर ये उचित दरों पर किसानों को दिये जाते हैं ।

(ग) सभी राज्य सरकारों ने तीसरी योजना में प्रमुख उत्पादन साधनों, जैसे अच्छे बीज, उर्वरक, पौधा संरक्षण योजनायें, अच्छे कृषि औजार, के बारे में योजनाओं के लिये पर्याप्त निधि का उपबन्ध किया है और वह यह देखने के लिये कि उत्पादन साधन किसानों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर मिले, भरसक प्रयत्न कर रही है । सुपरफोस्फेट, जिसको २५ प्रतिशत राज-सहायता, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारें समान रूप से वहन करेंगी, पर बेचा जा रहा है, के उपभोग को प्रोत्साहन देने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । उर्वरकों के उपभोग के

†मूल अंग्रेजी में

साथ साथ खाद के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राज्य सरकारें कई स्थानीय खाद योजनायें क्रियान्वित कर रही हैं । पौधा संरक्षण उपायों के लिये आवश्यक कीटाणुनाशक औषधियों, झाडन और स्पेयर खरीदने के लिये किसानो को प्रोत्साहित करने के लिये ५० प्रतिशत सहायता, जिसे केन्द्र और राज्य बराबर वहन करेंगे, मंजूर की गई है । किसानों को पर्याप्त रूप से ऋण सुविधाओं के लिये अल्प-कालीन, मध्य-कालीन और दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में आवश्यक उपबन्ध किया गया है । राज्य सरकारों ने भी तृतीय योजना में किसानों को, मुख्यत: अच्छे कृषि तरीकों के प्रचार के लिये वैज्ञानिक प्रदर्शन, अच्छे कृषि औजारों आदि को लोकप्रिय बनाने के लिये कृषि उपकरण कर्मशाला स्थापित करके, आधुनिक आधार पर गहन रूप से शिक्षा देने की योजनायें रखी हैं ।

बरेली जंक्शन पर पार्सलों पर विलम्ब शुल्क[1]

†२२९९. **श्री बृज राज सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्सल क्लर्कों की असावधानी से अथवा पोर्टरों की कमी के कारण बरेली जंक्शन पर बहुत समय तक पार्सल बिना जांच किये और बेहिसाब पड़े रहते हैं और प्रेषिती से बिलम्ब शुल्क वसूल किया जाता है; और

(ख) इस को रोकने के लिये अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, अथवा की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) वर्ष १९६१–१९६२ में असामान्य रूप से आम का अधिक परिवहन होने के कारण कई अवसरों पर पार्सल बिना जांच के और बेहिसाब पड़े रहे परन्तु ऐसे पार्सलों पर कोई बिलम्ब शुल्क नहीं लिया गया । पोर्टरों की कोई कमी नहीं हैं ।

(ख) असावधानतापूर्वक कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और पुनरावृत्ति रोकने के लिये स्टेशन पर प्रक्रिया अथवा कार्यकरण को कड़ा कर दिया गया है ।

कोटा में सुपरवाइजर की वर्कशाप से सीमेंट की बोरियों का हेर-फेर

२३००. **श्री बैरवा कोटा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में कोटा स्थित सुपरिवाइजर की वर्कशाप में से १००० सीमेंट की बोरियों के हेर-फेर के मामले का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में कौन-कौन शामिल हैं ;

(ग) क्या इस मामले के कारण सुपरवाइजर और अन्य व्यक्तियों की वहां से बदली कर दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Demurrages.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोटा के पर्यवेक्षक के कारखाने में नहीं, निर्माण निरीक्षक के कारखाने में सीमेंट की ११६७ न कि १०००, बोरियों की कमी पायी गई ।

(ख) सर्वश्री ए० एस० यादव और प्रेम नाथ, निर्माण निरीक्षक ।

(ग) जी हां ।

(घ) अनुशासन की कार्रवाई की जा रही है ।

(ङ) पुलिस की रिपोर्ट मिल चुकी है और ऊपर (घ) भाग में बतायी गई कार्रवाई की जा रही है ।

(च) ऊपर भाग (ङ) को देखते हुये सवाल नहीं उठता ।

राजधानी के आस पास के क्षेत्रों का विकास

†२३०१. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने राजधानी के असपास के क्षेत्रों का क्रमबद्ध और संतुलित विकास करने के लिये एक अन्तर्राज्यीय प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). दिल्ली की (दिल्ली प्रशासन नहीं) वृहत्त योजना ने राजधानीय क्षेत्र के लिये एक प्रादेशिक योजना तैयार करने के लिये एक संविहित प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की है । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

मनीपुर में दुग्ध-चूर्ण' की बिक्री

†२३०२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९० के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आरोप का पता है कि मनीपुर एपेक्स सहकारी विपणन समिति प्रशासन द्वारा प्रति ५६ पौंड के थैले के लिये निर्धारित ५० रुपये की दर के विरुद्ध थोक सहकारी समितियों को ८१ रुपये की दर से दुग्ध चूर्ण बेच रही है ;

(ख) क्या अधिक मूल्य का भुगतान कर दुग्ध-चूर्ण की बड़ी मात्रा चोर बाजारियों के हाथ में चली गई है और उपभोक्ता जनता इससे बंचित रह गई है; और

(ग) यदि हां, ती इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) एपेक्स सहकारी विपणन समिति को दिये गये आयातित दुग्ध चूर्ण के एक हजार थैलों में से ३७५ थैले मनीपुर थोक सहकारी समिति को बेचे गये और बाकी विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को । एपेक्स सहकारी विपणन समिति द्वारा ४४ थैले १ रुपया प्रति पौंड की खुदरा दर पर बेचे गये और बाकी प्रति ५६ पौंड के थैले के लिये पचास रुपये की थोक दर पर बेचे गये ।

---

†मूल अंग्रजी में

'Milk Powder'

(ख) सरकार को अभी तक दुग्ध चूर्ण में चोरबाजारी की किसी घटना का पता नहीं चला है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में भेड़-पालन केन्द्र

२३०३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में खोले गये भेड़ों की नस्ल सुधारने और ऊन विकास के प्रत्येक केन्द्र के लिये भारत सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है तथा १९६२–६३ में कितनी और सहायता देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : केवल १९५७–५८, १९५८–५९ में भेड़ और ऊन विकास के लिये अलग वित्तीय सहायता मंजूर की गई। इसके पश्चात् का भेड़ और ऊन विकास संबंधी खर्च राज्य सरकार के कुल आयोजित खर्च में शामिल है और कुल खर्च पर आधारित आयोजित कार्यक्रमों के लिये मिलने वाली सहायता में भेड़ और ऊन विकास शामिल है। १९५७–५८ के दौरान में उत्तर प्रदेश सरकार को भेड़ और ऊन विकास के लिये दी गई सहायता और तत्पश्चात् भेड़ और ऊन विकास के संबंध में उस सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्च निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सहायता (रुपयों में)		खर्च
	ऋण	अनुदान	
५६–५७	१०,६९२	३४,२८१	४७,१७७
५७–५८	२०,५१२	८०,५४५	१,२७,६१४
५८–५९	भेड़ और ऊन विकास के लिये अलग सहायता नहीं दी गई। ऐसी सहायता तो योजना की कुल सहायता में शामिल है।		१,५७,२२५
५९–६०			१,४३,९९७
६०–६१			१,३८,१३२
६१–६२			३,११,६००
६२–६३			८,६९,५०० (+बजट उपबन्ध)

कलकत्ता म अफीम खाने वाले लोग

†२३०४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में और भारत के अन्य बड़े नगरों में अफीम खाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या डाक्टरों द्वारा बताई गई कुछ औषधियों का मादक औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) कलकत्ता में अफीम खाने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। अन्य मादक औषधियों और भारत के अन्य बड़े नगरों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) अफीम के अतिरिक्त व्यसनियों द्वारा, कुछ अन्य मादक औषधियों जैसे टिंचर ओपी, मोरफाइन के इंजेक्शन और पेथीडिन के इंजेक्शनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

(ग) अफीम खाने के बारे में, रजिस्टर्ड अफीम खाने वालों को अफीम की बहुत सीमित मात्रा खरीदने की अनुमति है और उनकी अफीम खाने की आदत छुड़ाने के ख्याल से उनके कोटे में शनैः शनैः कमी की जाती है। अब नये लोगों को अफीम खाने वालों के रूप में रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। जहां तक मोरफीन और पैथीडीन इंजेक्शनों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित राज्यों से उन डाक्टरों और केमिस्टों के विरुद्ध, जो रोगियों को लापरवाही से ये इंजेक्शन बताते हैं, या संभरण करते हैं, जिससे वे व्यसनी हो जाते हैं, कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है।

नदी के पानी में हिस्सा लेना

†२३०५. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ नदी के पानी में भाग लेने के लिये किसी नयी योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ;

(ग) क्या मद्रास ने इस मामले में केन्द्र से सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में तहसील सहकारी समितियां

†२३०६. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री ने० क० कुमारन :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में महासू जिले में तहसील सहकारी संघों की क्या संख्या है ;

(ख) इस समय ऐसे कितनें संघ चल रहे हैं ; और

(ग) इस समय न चल रहे संघों को गतिशील बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) दस जिसमें समापनाधीन तीन भी शामिल हैं।

(ख) पांच ।

(ग) इस समय न चल रहे पांच संघों में से तीन का समापन हो रहा है क्योंकि उनके फिर चालू होने का कोई अवसर नहीं है।

कासुम्पती में तहसील संघ को पुनः चालू किया जा रहा है और वनस्पति और पहाड़ी चीजों की बिक्री के लिये शिमला में एक आढ़त दुकान खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

चोपाल में तहसील संघ को गतिशील करने के लिये इसको, संघ राज्य क्षेत्र की चालू वर्ष (१९६२–६३) की योजना के अधीन २०,००० रुपये की लागत से एक गोदाम बनाने के लिये १५,००० रुपये ऋण और ५,००० रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण

†२३०७. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुनिहार बरोतीवाला और जोगेन्द्रनगर सरकाघाट सड़कों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरा किया जाना था ; और

(ख) उपरोक्त सड़कें कब तक पूरी होने और उसके मोटर चलने योग्य होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, नहीं।

(ख) दोनों सड़कों के तृतीय योजना के अन्त तक मोटर चलने योग्य होने की आशा है। इन सड़कों का निर्माण-कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ हुआ था।

उत्तर प्रदेश में भूकम्प

२३०८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ जुलाई, १९६२ को दिल्ली के भूकम्प मापक यंत्रों द्वारा एक ऐसे भूकम्प का अनुभव किया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गढ़वाल और चमोली जिलों के कई गावों में झटके से जन धन की हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). १४ जुलाई १९६२ को रात के ९ बजकर २९ मिनट पर दिल्ली के भूकम्प-मापी यंत्रों ने एक भूकम्प का अनुभव किया था। भूकम्प के झटके का अधिकेन्द्र (एपीसेंटर) उत्तर में ३० डिग्री अक्षांश और पूर्व में ८० डिग्री देशांतर के निकट, अल्मोड़ा से लगभग ५० किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित बताया गया है। इसमें कोई जन-हानि नहीं हुई। गढ़वाल जिले में एक मकान को और चमोली जिले में पांच मकानों को कुछ क्षति पहुंची।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्मृति डाक-टिकट

२३०९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस सुझाव पर विचार किया है कि दो भारत रत्न श्री पुरुषोत्तम-दास टंडन और डा० विधान चन्द्र राय, और श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की स्मृति में विशेष डाक-टिकटें जारी की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इन विशेष डाक-टिकटों को कब जारी करने का निश्चय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :(क) अभी कोई विचार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति

†२३१०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में कंचरापाड़ा और अन्य वर्कशापों में चतुर्थ श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों की, जो वास्तव में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थान पर और कुशलपदों पर कार्य कर रहे हैं, वर्षों से श्रेणी नहीं बदली गयी है ;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के इन कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के मार्ग हैं; और

(ग) इस बारे में ताप्से समिति की सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). सम्बन्धित रेलवे से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सब्जी मंडी, दिल्ली के सिटी बुकिंग एजेंट द्वारा भाड़ा वसूली

†२३११. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जी मंडी, दिल्ली के सिटी बुकिंग एजेंट द्वारा भाड़ा वसूल किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस मामले में दिल्ली के व्यापारियों को बहुत समय से धोखा दिया जा रहा है ; और

(ग) इस भ्रष्टाचार को रोकने और इस पर नियंत्रण रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी):** (क) अधिकृत एजेंसी शुल्क, जिसमें कर्मचारियों की लागत, इमारत का किराया, सिटी बुकिंग एजेंसी से रेल तक परिवहन का भाड़ा आदि शामिल है, प्रति ४० किलोग्राम या उसके भाग के लिये २७ नया पैसा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि, ठेकेदार सामान्यतः १७ नये पैसे छूट देकर वैगन-भार माल के लिये प्रति ४० किलोग्राम केवल २० नये पैसे शुल्क लेता है। यह छूट देने की इजाजत है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति के सदस्यों की नियुक्ति

२३१२. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री गणपति राम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कर्मचारी अधिकारी ने अनुसूचित जाति के सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर नियुक्त कराने की जो सूची बनाई है उसको लागू करने में स्थानीय रेलवे अधिकारीगण आनाकानी करते हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि बीकानेर डिवीजन ने अनुसूचित जाति के सदस्यों को उनके सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये बड़ौदा हाउस के मुख्यालय से सूची मांगी है परन्तु मुख्यालय उसे नहीं भेज रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं।

रेलवे सेवा आयोग के नोटिसों का उड़िया समाचारपत्रों में प्रकाशन

†२३१३. **श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री २१ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता की निम्नलिखित तथा अन्य रोजगार सूचनायें किसी उड़िया समाचारपत्र में प्रकाशित की गयीं :

(१) रोजगार सूचना संख्या ६/६१–६२१ और श्रेणी १८९ से १९६ और २०१ से २१० ;

(२) १५ जनवरी, १९६२ को गज़ट में प्रकाशित रोजगार सूचनायें ;

(३) १ मार्च, १९६२ को गज़ट में प्रकाशित रोजगार सूचनायें ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनको प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं।

(ख) जिन उड़िया समाचारपत्रों को रोजगार सूचनायें भेजी गयीं, उन्होंने निर्धारित दर पर उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

कटक में रेलवे सहायता-प्राप्त होस्टल

†२३१४. **श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक में रेलवे सहायता-प्राप्त होस्टल में इस समय कितने छात्र रह रहे हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वहां पर विद्यार्थियों की देखभाल करने के लिये कोई वार्डन नियुक्त किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) २७

(ख) जी हां।

आसाम में भोज्य विषाक्तता के मामले

†२३१५. **श्री प्र० [०] चक्रवर्ती :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग के सरकारी विश्लेषक के दारंग में छोटा पुखरी कथौलिक मिशन स्कूल से लाये गये मैदे (आधे) के नमूनों में निश्चित रूप से ट्राग्रोर्थस क्रिसिल फास्फेट पाया है ;

(ख) यह उपपत्ति, सरसों के तेल के साथ तैयार की गई खुराक के उपयोग से माल्डा में पक्षाघात के मामलों के सम्बन्ध में ट्रापिकल स्कूल आफ मैडिसन, कलकत्ता की उपपत्ति से मेल खाती है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि शिलांग में जांचे गये मैदे में, दूषित सरसों के तेल के साथ मिलने से ट्राईकिसिल फास्फेट पैदा हो गया था ; और

(घ) क्या यह जानने के लिये कोई जांच की गई है कि आटे की बोरियों में आते समय या कहीं रखी हुई अवस्था में कुछ तरल पदार्थ रस गया था, जिसमें ट्राईक्रिसिल फास्फेट मिला हुआ था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). पास्चर इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी शिलांग द्वारा आटे के बोरों से, जिस पर सी टी (एफ एफ) ५१६१७ चिन्ह लगा हुआ था, जो नमूने लिये थे, ट्राईक्रिसिल फास्फेट की विद्यमानता पाई गई थी।

सीटी (एफ एफ) ५२२०१ चिन्हित बोरियों के लिये गये आटे के नमूने, जो उसी भण्डार में रखे थे जहां सी.टी (एफ एफ) ५१६१७ चिन्ह वाले आटे के बोरे रखे थे, पास्चर इंस्टीट्यूट तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला शिलांग द्वारा जांच करने पर दूषित नहीं पाये गये जब कि माल्डा (पश्चिम बंगाल) में उसी नंबर के आटे के बोरों में ट्राईक्रिसिल फास्फेट मिला हुआ पाया गया जब ट्रौपिकल मैडिसन स्कूल, कलकत्ता ने उस की जांच की। यह बात स्पष्ट है कि छोटा पखूरी कथौलिक मिशन स्कूल दारंग के माल गोदाम में रखे सी० टी० (एफ एफ) ५२२०१ चिन्ह वाले आट के बोरों में दूषण नहीं आया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस दूषण का स्रोत एवं स्थान मालूम करने के लिये जांच अभी जारी है।

†मूल अंग्रेजी में

अडसाली की खेती¹

†२३१६. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती जमुना देवी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ के मौसम के लिये बिहार और मध्य प्रदेश में, फैक्टरी वार, अडसाली की खेती कुल कितनी भूमि पर है ;

(ख) उपरोक्त फैक्टरी क्षत्रों में १९६१–६२ के मौसम की अडसानी गन्ने में चीनी का अंश कितना है और महाराष्ट्र की अडसानी के आंकड़ों की तुलना में यह कैसी है ;

(ग) क्या चीनी फैक्टरी में फसल की कटाई और गन्न की पिराई के बीच समय कम हो जाने से चीनी की प्राप्ति बढ़ जाएगी ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे घटाने के लिये क्या कारंवाई की जा रही है ;

(ङ) क्या बिहार और मध्य प्रदेश में अडसाली गन्ने में कोई कीड़े आदि लगे हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस रोग को नष्ट करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) मध्य प्रदेश में अड्साली की कोई खेती नहीं। बिहार में अडसाली की खेती की गई है, प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर समस्तीपुर फैक्टरी क्षेत्र में। १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ के लिये अडसाली खेती के एकड़ों के सही आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) क्योंकि अडसाली खेती मध्य प्रदेश या बिहार में सामान्य खेती में आरम्भ नहीं की गई है, अडसाली गन्ने में चीनी के अंश क आंकड़ों की तुलना महाराष्ट्र के अडसाली आंकड़ों से करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) खेत में फैक्टरी तक गन्ने को शीघ्रता से ले जाने के लिये निम्न कारंवाई की जा रही है :—

(१) चीनी फैक्टरी क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण ;

(२) सहायता आधार पर न्यूमैटिक ढंग के छकड़ों का प्रबन्ध ; और

(३) बिहार के चीनी फैक्टरी क्षेत्रों में ट्राम की लाइनें बिछाने के लिये ऋण देना।

(ङ) इस सूचना की इतनी जल्दी अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि बिहार में अडसाली खेती अभी हाल ही में प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ की गई है।

(च) सवाल पैदा नहीं होता।

¹Adsali Plantation.

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने का उत्पादन

†२३१७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने सुव्यवस्थित बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की व्यवस्था करने एवं सिंचाई की अधिक सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये कदम उठाये हैं, जिस का प्रयोग महाराष्ट्र में किया जाता है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुसार पौधों की बीमारियों और कीड़ों आदि पर नियंत्रण पाने के लिये कार्रवाई की गई है ;

(ग) इन दोनों राज्यों में गन्ने के उत्तम उत्पादन के लिये अनुसन्धान कार्य कहां तक किया गया है ; और

(घ) क्या उन्होंने अपने क्षत्रों में, महाराष्ट्र में किये गये अनुसन्धान कार्य के परिणामों का प्रयोग किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की खेती का औसत आकार तुलनात्मक दृष्टि से छोटा है। तथापि दोनों सरकारों द्वारा जितनी अधिक सिंचाई का प्रबन्ध नहरों, नलकूपों आदि के द्वारा की जा सकती है, उसका प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) जी हां। उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की बीमारियों और कीड़ों आदि के नियंत्रण के लिये बड़ा प्रभावपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

(ग) इन राज्यों में गन्न का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पर्याप्त अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिये समुचित किस्मों का विकास करना, समुचित खाद संबंधी अनुसूची तैयार करना और खेती करने के तरीकों एवं कीड़ों और बीमारियों के नियंत्रण के सक्रिय उपाय सम्मिलित हैं।

(घ) महाराष्ट्र समेत देश में विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों के बीच सूचना का नियमित रूप से विनिमय होता रहता है। अन्यत्र निकाले गये किसी नवीन तरीके का स्थानीय स्थितियों में अच्छी तरह प्रयोग किया जाता है और जहां कहीं संभव होता है, आवश्यक सिफारिशें की जाती हैं।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के खुलने व बन्द होने का समय

†२३१८. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय लगातार ७ बजे से ७.३० बजे सायं तक चलते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली के सभी अ० स्व० से० योजना के औषधालय में यही समय जारी किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). इस समय अं० स्व० से० योजना के अन्तर्गत केवल इन तीन औषधालयों में समय ७.३० प्रात: से ७.३० सांय लगातार १२ घंटे के हैं :—

(१) तिलक नगर

(२) गोलमार्केट

(३) लाजपत नगर

वनस्पति निर्माण के लिये औद्योगिक एकक

२३१९. **श्री साधु राम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वनस्पति-घी एकांश बनाने के लिये कुल कितने औद्योगिक एकांश हैं ;

(ख) इन एकांशों की कुल स्थापित क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह सही है कि हाल ही में अधिक उत्पादन होने के कारण वनस्पति घी के मूल्यों में बहुत अधिक मन्दी आ गई थी ; और

(घ) वनस्पति घी के निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कारंवाई की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ५३।

(ख) ५.७२ लाख टन प्रति वर्ष ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) (१) वनस्पति के निर्यात पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, जो वनस्पति पर तथा इसके निणर्माय में प्रयोग में आने वाले कच्चे तेल पर लगाया जाता है, निर्यात के समय पूर्णतः वापिस कर दिया जाता है ।

(३) निर्यात किये जाने वाले माल को डिब्बे में बन्द करने के लिये जिस चादर या इस्पात का उपयोग किया जाता है वह प्रयोग में लाई गई मात्रा में १३३ $^1/_3$ प्रतिशत तक रियायती दरों पर दिया जाता है ।

(४) अक्तूबर, १९५९ में वनस्पति के निर्माताओं एवं निर्यातकों को, यथासंभव मात्रा तक क्षतिपूर्ति करने के लिये पर्याप्त मात्रा में नारियल का आयात करने दिया जाता है, और निर्यात पर होने वाली हानि (जो ४०० रुपये से ६५० रुपये प्रति टन के बीच होती है) आयात किये गये नारियल की बिक्री से प्राप्त लाभ द्वारा, अतिरिक्त सुविधा के तौर पर उन को ५ प्रतिशत रेल भाड़ा सहित कमाई की मात्रा तक उन को अपेक्षित प्रासेस केमिकल और फालतू पुर्जों का आयात करने दिया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवेकानन्द ब्रिज के लिये पथकर इकट्ठा करना

†२३२०. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाली विवेकानन्द पुल, पश्चिम बंगाल के दोनों ओर सरकार द्वारा गाड़ियों और पदयात्रियों से जो पथकर लिया जाता है, वह उस पुल का निर्माण लागत से कहीं बढ़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पुल पर पथकर लेना बन्द करने का विचार करती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

सौराष्ट्र क्षेत्र में सड़कें

†२३२१. **श्री जसवन्त महता** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गाडगिल समिति की सिफारिशों के अनुसार सौराष्ट्र-क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिये मंजूर हुई राशि उपयोग में नहीं लाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के उत्तराधिकारी राज्य को वह सिफारिश की गई राशि न देने के कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां।

(ख) १९५५ से १९५८ तक की अवधि में ५० लाख रुपये का अनुदान भतपूर्व सौराष्ट्र और बम्बई राज्यों को सौराष्ट्र क्षेत्र के सड़कों के विकास के लिये इस धारणा पर किया गया था, कि काम, सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा, केन्द्रीय सड़क निधि (विशेष रक्षित निधि) से वित्तपोषित कामों की कार्यान्वित के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक काम के अनुमान के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, कार्यान्वित किये जायेंगे। यह काम राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपने धन का प्रयोग करके किये गये थे, जिस का परिणाम यह हुआ कि उस राशि का उपयोग केन्द्रीय सड़क निधि (विशेष आरक्षित धन) से नहीं किया जा सका। उपयोंग में न लाई गई राशि का कैसे उपयोग किया जाना चाहिये यह प्रश्न महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सरकारों के परामर्श के साथ केन्द्रीय सरकार के विचार-अधीन है।

ऑडियो मीटर[1]

†२३२२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार, बहरे-गूंगे लोगों की श्रवण शक्ति की जांच करने के लिये कितने हस्तपतालों और औषधालयों में, जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं या जिनको सरकारी सहायता मिलती है, आडिओ मीटर हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Audio meters.

केन्द्रीय औषधालय संस्थान, दिल्ली

२३२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की औषधालय परिषद् के सुझाव पर दिल्ली में शीघ्र ही एक केन्द्रीय औषधालय संस्थान की स्थापना करने का निश्चय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस संस्थान के उद्देश्य, कार्य-शैली, पूंजी, चालू व्यय और उत्पादन क्षमता आदि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस संस्थान की स्थापना व संचालन में सरकार कितना सहयोग व सहायता देगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). केन्द्रीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना के बारे में भारतीय फार्मेसी परिषद् से एक सुझाव प्राप्त हुआ है । सरकार इस सुझाव का अभी परीक्षण कर रही है ।

बांधों से कृषि योग्य भूमि की क्षति

२३२४. **श्री किशन पटनायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जहां जहां बड़ी योजना के बांध बने हैं वहां की काफी अच्छी भूमि को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण अनाज के उत्पादन में हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो खेती योग्य यह भूमि कितने एकड़ है और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या प्रतिकार किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) यह देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में, जहां पर सिंचाई-व्यवस्था के लिए बांध बनाये गये हैं, आन्तभौम जलस्तर के ऊंचे उठने और बाद में खारापन और क्षारीयपन के विकास के कारण कृषि भूमि पर असर पड़ा है । इन तीनों राज्यों में व्यापकजल-लग्नता को विशेष रूप से नोट किया गया है ।

(ख) प्रभावित क्षेत्र को मालूम करने के लिये कोई ब्यौरेवार सर्वे नहीं किया गया है। अनुभान है कि पंजाब में कठोरता की विभिन्न डिग्रियों में जल-लग्नता से लगभग ९३-लाख एकड़ भूमि पर असर हुआ है और भूमि में खारापन और क्षारीयप के बढ़ जाने से लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि बेकार और अनुत्पादक हो गई है । उत्तर-प्रदेश में लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि ऊसर हो गई है । यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में भी यही समस्या है । तीसरी योजना में खारी, क्षारीय और जल लग्नता वाली सभी प्रकार की किस्मों के लगभग २ लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिए ३९९ लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है । जल-लग्नता के क्षेत्रों में सुधार करने के लिए सिंचाई विभागों के अन्तर्गत एक पृथक कार्यक्रम भी है ।

हीरा कुद बांध

२३२५. **श्री किशन पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद जैसे बड़े बांधों के बनने के बाद उन से आशानुकूल फल मिल रहा है या नहीं, इसका विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उनका क्या प्रतिवेदन है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

उन्नत किस्म के बीज

२३२६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तम और सुधरे हुए बीजों के उत्पादन के लिये किन-किन राज्यों ने कितने अनुदान का विगत एक वर्ष में उपयोग किया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म थामस) : (क) १९५८-५९ में लागू की गई संशोधित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न योजनाओं को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को वर्ष के शुरु में विकास शीर्षों के अनुसार सूचित कर दी जाती है और फिर विकास शीर्षों के अनुसार ही मंजूरी दी जाती है, न कि योजना के अनुसार। अतः प्रश्न में पूछी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सहकारी फार्म

२३२७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष कितने सहकारी फार्म बनाने के लिय संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार द्वारा अनुदान दिया गया ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): १९६१-६२ में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा पांडीचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में १० सहकारी खेती समितियों को सहायता दी गई।

असम के गांवों में पीने के पानी का संभरण

†२३२८. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में ग्राम्य पीने के जल की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से आसाम सरकार ने कितना अनुदान मांगा है;

(ख) कितना अनुदान मंजूर किया गया है ; और

(ग) कितनी राशि का प्रयोग १९६१-६२ में किया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) से (ग). आसाम सरकार ने १९६१-६२ में ग्राम्य पीने के जल के संभरण की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये विशेष रूप से केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की। राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान पद्धति के अनुसार, धन का नियतन योजनावार नहीं किया गया, किन्तु राशि योजनाओं के बड़े वर्गों या सेवियों के लिये प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ही मंजूर की जाती है। एक वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता की

†मूल अंग्रेजी में

तीन-चौथाई राशि, वर्ग के बीच ९ समान किश्तों में राज्य सरकार को इकट्ठी राशि मार्गोपायों के तरीके से दी जाती है। इस स्थिति के कारण, एक एक योजना के लिये केन्द्रीय सहायता मंजूर करने का सवाल पैदा नहीं होता। तथापि आसाम सरकार की ९०.४९ लाख रुपये की लागत की ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता योजनायें, जिनमें १९६१–६२ में प्राप्त ३.५० लाख रुपये की योजनायें भी शामिल है, अनुमोदित की जा चुकी है, जिन पर राज्य सरकार को राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्य क्रम (ग्राम्य) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का हक है।

रेल डिब्बों का निर्माण

२३२९. { श्री राम सेवक :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री तुला राम :
श्री कजरोल्कर : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में गत पांच वर्ष में कुल कितने रेल डिब्बे बने तथा प्रति वर्ष कितने रेल डिब्बे बनते है ;

(ख) प्रत्येक किस्म के रेल डिब्बे बनाने पर अलग-अलग कितनी रकम खर्च होती है ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने रेल डिब्बे बनाने का लक्ष्य है ;

(घ) देश में और कोई नया रेल डिब्बा कारखाना खुलने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो कहां और कब तक ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक बयान साथ नत्थी है। (विवरण संख्या १)

(ख) एक बयान साथ नत्थी है। (विवरण संख्या २)

(ग) बोगियों के हिसाब से ८६०८ डिब्बे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण (संख्या १)

भारत में निर्मित सवारी, पार्सल आदि डिब्बों की संख्या

(कोच यूनिटों में)

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
१९५७–५८	७५५	४२४ (इनमें विदेशों से मंगाये गये ११ खोल शामिल हैं, जिनमें साज़-सामान भारत में लगाया गया ।)	६९
१९५८–५९	९३७	६३८	२५
१९५९–६०	१०६२	६२६	५९
१९६०–६१	७६४	७१२	३२
१९६१–६२	९२१	७४४	६७
१९६२–६३ (३०–६–६२ तक)	२७८	१२४	१२
जोड़	४७१७	३३१३ (इनमें विदेशों से मंगाये गये ११ खोल शामिल है, जिनमें साज-सामान भारत में लगाया गया ।)	२६४
कुल जोड़ :		८२९४	

विवरण (संख्या २)

डिब्बों का दर्जा	एक डिब्बा तैयार करने पर अनुमानित खर्च (हजार रुपयों में) बड़ी लाइन	मीटर लाइन
पहले दर्जे की बोगी	१,४८	१,३६
तीसरे दर्जे की बोगी	१,४६	१,२२
तीसरे दर्जे की शायिका बोगी	१,४२	१,०८
तीसरे दर्जे की बोगी, सामान और ब्रेक वान	१,३८	१,०३

हैदराबाद–विजयवाड़ा राजपथ

†२३३०. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद विजयवाड़ा रोड (राष्ट्रीय राजपथ) के आमूल सुधार के लिये २१०.०० लाख रुपये की लागत का एक प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :**(क) और (ख), जी हां। वित्तीय संकट के कारण इस प्रस्ताव की पूर्ण कार्यान्विति नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार से कमजोर स्थलों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में निश्चित प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया है और प्राप्त होने पर महत्व के अनुसार उन पर विचार किया जायेगा ।

सरस्वती सिंचाई योजना

†२३३१. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में सरस्वती नदी सिंचाई योजना की क्या प्रगति है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा टेकनीकल स्वीकृति न मिलने से इस योजना में विलम्ब हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक पूर्ण होगी ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :**(क) मार्च, १९६२ तक इस परियोजना पर १४ लाख ३३ हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं। परियोजना की यथार्थ प्रगति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं। इस योजना का योजना आयोग ने जुलाई, १९६१ में अनुमोदन किया था ;

(ग) यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी होने की आशा है ।

दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़

†२३३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना के जल स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप दिल्ली के तीन गांव जलमग्न हो गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या हर वर्ष वर्षा ऋतु में यमुना में बाढ़ रोकने का कोई प्रस्ताव है ?

(घ) यदि हां, तो इसका क्या व्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) चालू बाढ़ की मौसम में यमुना के स्तर में ६६९.८ फुट तक पानी चढ़ गया था जो खतरे के स्तर से २.२ फुट कम है। इस कारण खेती की वह जमीन जलमग्न हो गई जो नदी और शाहदरा बांध के बीच और दिल्ली राज्य क्षेत्र के शेरपुर, बिहारीपुर और शादतपुर गांवों में स्थित है।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई विशेष कदम उठाना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) जी हां।

(घ) यमुना नदी के दोनों किनारों पर बांध जो मौजूदा रेलवे पुल से प्रस्तावित सड़क और रेलवे पुल तक है उन्हें ऊंचा कर मजबूत बनाने का प्रस्ताव है ताकि नदी के आगे के तट पर रुकावट पैदा करने वाले इन पुलों के समीपवर्ती तटबंधों में पानी का बहाव रोका जा सके। नदी में २,५०,००० क्यूसेक्स पानी की निकासी के लिये इन बांधों को ऊंचा कर मजबूत किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित जल निकासी योजना से बाढ़ के कारण जलमग्न की स्थिति से भी मुक्ति मिलेगी।

रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की पदोन्नति

२३३३. { **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५६ की विशेष पदोन्नति में ८०.२२० रुपये के वेतन-क्रम के स्थानों के लिये स्नातक क्लर्कों के लिये २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी पूर्ति सीधी भर्ती से की जानी थी ;

(ग) यदि हां, तो हर एक रेलवे ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के स्नातकों के लिये कितने स्थान सुरक्षित किये और उनके कोटे के हिसाब से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के स्नातकों को पदोन्नति दी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों को संरक्षण देना अस्वीकार कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो रेल मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को संरक्षण देने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के स्नातकों को पदोन्नति दिलाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ). सवाल नहीं उठता।

जुंद-कांडला रेल मार्ग

†२३३४. **श्री याज्ञिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुंद-कांडला रेल मार्ग परियोजना योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मध्य गुजरात और कच्छ के बीच सीधी रेल सम्पर्क स्थापित करने की दृष्टि से इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**:(क) जुंद-कांडला बड़ी लाइन को तीसरी पंच वर्षीय योजना में नई लाइनों को रेलवे कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

मेहमदाबाद रेल यार्ड में सिगनल पोस्ट

†२३३५. **श्री याज्ञिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम रेल के मेहमदाबाद रेल यार्ड के अन्तर्गत स्थित सिगनल पोस्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जब कि रेलवे लाइन से इसके अधिक समीप होने के कारण यात्रियों की अनेक आघात दुर्घटनाएं घट चुकी हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सिगनल पोस्ट को रेलवे लाइन से कुछ दूर हटाने का निर्णय कर लिया है ताकि इस प्रकार दुर्घटनाएं न हों ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । इस स्टेशन पर सिगनल और रेलवे लाइन के बीच न्यूनतम अपेक्षित फासला पहसे ले ही विद्यमान है ।

वेगन खाली करने म समय की कटौती

†२३३६. **श्री याज्ञिक** : क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में पश्चिम रेलवे के कुछ चुने हुये रेलवे स्टेशनों पर वेगन खाली करने के समय में पांच घंटे से लेकर तीन घंटे तक कटौती कर दी है :

(ख) क्या वेगन खाली करने की दिशा में ये कटौती भारत में किसी अन्य रेलवे में कोई और स्टेशन पर लागू की है ;

(ग) क्या इस थोड़ी समायवधि के संबंध में सरकार के समक्ष जोरदार विरोध किया गया है ; और

(घ) क्या इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने नियमों में ढिलाई की है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी)** : (क) जी हां, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में पश्चिम रेलवे के कुछ चुने हुये स्टेशनों पर ऐसा किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रारम्भ में विरोध किया गया था किन्तु बाद में रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारियों और अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत के व्यापार हितों की प्रतिनिधि समिति की १५–७–१९६२ को हुई मीटिंग में समिति इस प्रयोग को चालू रखने के लिये सहमत हो गई है और कुछ अपवाद की स्थिति को छोड़ कर सब वैगनों को खाली करने के लिये तीन घंटे निर्बंध समय के रूप में काम करने के लिये तैयार हो गयी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) जी नहीं, किन्तु कुछ विशेष प्रकार के सामान तथा विशेष प्रकार के कुछ वैगनों के सम्बन्ध में छूट दे दी गई है ?

दिल्ली में डाक्टर और अस्पताल

†२३३७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रति १८०० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर और चार लाख व्यक्तियों के लिये एक अस्पताल है :

(ख) क्या २७ लाख आबादी के नगर————राजधानी में यह स्थिति है; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

देश में बिजली का उत्पादन

२३३८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री उमानाथ :

क्या **सिंचाई** और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिजली का कुल उत्पादन सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पृथक पृथक कितना है ; और

(ख) गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र की कुल उत्पादन क्षमता में कलकत्ता बिजली संभरण कारपोरेशन और टाटा जल-विद्युत् व्यवस्था का कितना योग है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क)

		दस लाख किलोवाट
सरकारी औद्योगिक क्षेत्र		३.९८
गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र		२.४०
	योग	६.३८

(ख) कलकत्ता बिजली संभरण कारपोरेशन	१८.५ प्रतिशत
टाटा जल तापीय व्यवस्था	२५.८ प्रतिशत

†मूल अंग्रेज़ी में

विमान यातायात

२३३९. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री उमानाथ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पश्चिम योरोपीय देशों के बीच, जिन में ब्रिटेन भी शामिल है, कुल विमान यातायात (यात्री एवम् सामान अलग अलग) नवीनतम अवधि के लिये तथा उन में भारतीय विमान सेवाओं का हिस्सा कितना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** अप्रैल, १९६१ से मार्च १९६२ तक की अवधि में भारत और पश्चिमी यूरोप के देशों में जिन में ब्रिटेन भी शामिल है ७२, ३४८ यात्री तथा २,१८०,३५८ किलोग्राम सामान का आवागमन हुआ। इस में एयर इंडिया का हिस्सा यात्रियों के संबंध में ४९.४ प्रतिशत तथा सामान का ५९.४ प्रतिशत हिस्सा था।

गैर-सरकारी क्षेत्र में तापीय बिजली कारखाना

†२३४०. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, कोयम्टूर और ट्योटीकोरिन के कुछ उद्योगपतियों ने बिजली उत्पादन के लिये अपने पापीय बिजली कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या मद्रास सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय किया है ;

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) और (ख). मद्रास सरकार ने कुछ उद्योगपतियों के एक दल के एक प्रस्ताव का समर्थन किया है कि मद्रास के समीप एन्नौर, में ६० मेगावाट क्षमता वाला एक तापीय बिजली घर स्थापित किया जाये।

(ग) यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है ?

हिमाचल प्रदेश में डाक तथा तार कार्यालय

†२३४१. **श्री प्रताप सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में डाक तथा तार कार्यालयों की कितनी संख्या है तथा १९६२–६३ में कितने और नये कार्यालय खोले जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

डाकघर स्थापित किये जा चुके हैं	स्थापित करने का प्रस्ताव है
१. बारा मंडी	१. चुरी
२. गोरखोवाला	२. बालू
३. सिवा	३. खडयाड
४. मलोह	४. पनारसा
५. झंगी	५. शल्ला
६. डीम	६. धंगू
७. रोहिल	७. शराची
८. कुगती	८. सूसन
९. ओहरा	९. बेरी
१०. टिंडी	१०. सैंटी
	११. बेहली
	१२. मझावद
	१३. कालनी
	१४. धगांनून
	१५. सधियानी
	१६. पौराकोठी
	१७. भिनी
	१८. गिल्टार
	१९. धरोगरा
	२०. शकरा
	२१. मलहाट
	२२. चुनियार
	२३. लहरा
	२४. डियोर
	२५. सैंच
	२६. बागधार
	२७. गोला
	२८. सरोगा
	२९. बधना
	३०. कूहाट
	३१. भिडरा
	३२. शरिया
	३३. बराहीन बलद्वारा

†मूल अंग्रेजी में

डाकघर स्थापित किये जा चुके ह	स्थापित करने का प्रस्ताव है
	३४. ननवान
	३५ पजयाल
	३६. चारोल
	३७. जोझवीन
	३८. डीया
	३९. कूट
	४०. चरांग
	४१. गुम्मन
	४२. बलडियान
	४३. चरोली

तारघर

स्थापित किये जा चुके ह	स्थापित करने का प्रस्ताव है
	१. टिसा
	२. बर्थिन
	३. लेहरी सरैल
	४. सराहन
	५. सवरा

डीजल इंजनों का आयात

†२३४२. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री १० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में छोटी लाइन के डीजल इंजन कितनी संख्या में आयात करने का विचार है ; और

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ६० डीजल इंजन ।

(ख) लगभग तीन करोड़ रुपये ।

हिमाचल प्रदेश में सतलज के ऊपर पुल

†२३४३. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब कुलू सराज क्षेत्र से मिलाने के लिये दत्ता नगर (हिमाचल प्रदेश) में सतलज के ऊपर एक अन्तर्राज्य पुल के निर्माण के लिये पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) उस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

लौह अयस्क के निर्यात के लिये नई रेल लाइन

†२३४४. **श्री ह० च० सौय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा के लिये नई रेल लाइनों के निर्माण की योजनाएं सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या रेलवे को इस विषय में पूर्वी जोन खनिज एसोसिएशन की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण—भाग (ख)

निम्नलिखित नई लाइनों का निर्माण किया जा रहा है :—

(एक) विमलगढ़—किरिबुरु और सम्बलपुर—तितलागढ़—उड़ीसा में प्रतिवर्ष २० लाख टन लौह अयस्क के निर्यात के लिये विशाखापतनम बन्दरगाह से होकर किरिबुरु से।

(दो) कोत्रावालसा से बचेली। (दण्डकारण्य क्षेत्र) इसका कुछ भाग उड़ीसा राज्य में है, विशाखापतनम बन्दरगाह होकर प्रतिवर्ष ४० लाख टन लौह अयस्क के निर्यात के लिये।

परादीप बन्दरगाह होकर २० लाख टन लौह अयस्क के निर्यात के लिये उड़ीसा में टोमका और जखापुरा के बीच नये रेल मार्ग का सर्वेक्षण विचाराधीन है।

(ग) नई रेल लाइनों के निर्माण के लिये नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बीमा किये पार्सलों का गुम होना

†२३४५. { **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में करेंसी नोट वाले बीमाशुदा पार्सल पिछले पांच वर्ष में रायसीना पोस्ट आफिस और दिल्ली के सार्टिंग आफिस में खो गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्ष में कितने मामले हुये हैं, प्रत्येक मामले में कौन कौन बैंक अन्तर्ग्रस्त हैं तथा सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) रायसीना रोड डाकघर से पिछले पांच वर्ष से बीमाशुदा पार्सलों के खोने की दो घटनायें हुईं। इनमें से एक घटना में दिल्ली सार्टिंग आफिस का उल्लेख किया जाता है। ये पार्सल पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा बुक कराये गये थे।

इन मामलों की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। एक मामले में डाकखाने के एक क्लर्क का यायालय में चालान कर दिया गया है। दूसरे मामले का पुलिस पता नहीं लगा सकी। लापरवाह सेद्ध हुये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

समुद्र पार संचार के दौरान गुम हुए संवाद

†२३४६. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक 'अत्यन्त आवश्यक' संवाद हाल के महीनों में समुद्रपार संचार सेवा के दौरान खो गये ;

(ख) क्या इनकी जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती):** (क) १ अप्रैल, १९६१ से २९ अगस्त, १९६२ की अवधि में समुद्रपार संचारसेवा में एक 'अत्यन्त आवश्यक' संवाद खो गया। बाद में यह संवाद मिल गया और आठ दिन बाद उसकी डिलीवरी कर दी गई। 'सरकारी प्राथमिकता' संकेत के अनुचित विलम्ब वाले २२ अन्य मामले, जो 'अत्यन्त आवश्यक' संवादों की श्रेणी के समान हैं पिछले सत्रह महीनों में घटे; इनमें से १० मामलों में देर समुद्रपार संचार सेवा में त्रुटि के कारण हुई तथा अन्य में देर का कारण विदेशों का प्रशासन है जो भारत से बाहर है।

(ख) और (ग). सामान्य प्रथा का अनुकरण करते हुये देर अथवा गुम होने के प्रत्येक मामले की पृथक् रूप से जांच की गई। वर्तमान प्रक्रिया का पुनरीक्षण आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि जांच में यही सिद्ध हुआ कि अधिकांश घटनायें मानवीय गलतियों के कारण हुई हैं। तथापि गलती के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की गई।

देर की शिकायत अथवा गुम होने की घटना के प्रत्येक मामले की जांच के अतिरिक्त ऐसे मामलों की संख्या पर क्रमिक विचार किया जाता है और जब भी प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां दिखाई देती हैं तो उनमें यथोचित संशोधन किया जाता है ताकि काम का अपेक्षित स्तर बना रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम और बिहार में बाढ़ सम्बन्धी सहायता

†२३४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रेड क्रास और रेड क्रीसेंट समितियों ने आसाम और बिहार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये १०,००० रुपये की रकम का दान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रकम का किस प्रकार प्रयोग किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) भारत के पूर्वी भाग में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ भारतीय रेड क्रास समिति को १७ अगस्त, १९६२ को सोवियत रूस की रेड क्रास ऐलायन्स और रैड क्रीसेंट समितियों की ओर से १०,००० रुपये प्राप्त हुये हैं।

(ख) यह रकम आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ प्रयुक्त की जा रही है।

डाक-तार विभाग की इमारतें

†२३४८. **श्री याज्ञिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सरकार ने डाक तथा तार विभाग की इमारतों के निर्माण के लिये कोई ठेका दिया है ;

(ख) क्या चालू वर्ष में सरकार ने डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये भी कोई ठेका दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन ठेकों की अलग-अलग अनुमानित लागत कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में डाकतार की कार्यालय की इमारतों के लिये ३३,१८,११२ रु० का और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने का ५९,८८,७९८ रु० का ठेका दिया गया है।

कंक्रीट के स्लीपर

†२३४९. { **श्री हिम्मतसिंह जी :**
श्रीमती गायत्री देवी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कंक्रीट के स्लीपरों और इस समय इस्तेमाल होने वाले स्लीपरों की लागत में क्या अन्तर है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** इस समय इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के स्लीपरों और कंक्रीट स्लीपरों की लागत बताने वाला विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

किस्म		अनुमानित लागत जिसमें उसे लगाने का खर्च भी सम्मिलित है	अनुमानित कार्यकाल
		रु०	
१. स्टील के	बी० जी०	४४.००	३५
	एम० जी०	३०.००	३५
२. ढलवां लोहे के	बी० जी०	४६.७०	४०
	एम० जी०	२७.२०	४०
३. लकड़ी के			
(१) कड़ी लकड़ी	बी० जी०	२५.५०	१५
	एम० जी०	१३.२५	१५
(२) नरम लकड़ी	बी० जी०	२८.५०	१२
(उसे ठीक करने के खर्च सहित)	एम० जी०	१४.५०	१२

४. कंक्रीट के

किस्म के अनुसार बी० जी० स्लीपरों के मूल्य ३७.०० रु० से ६९.०० रु० तक और एम० जी० स्लीपरों के मूल्य २४.०० रु० से २७.१२ रु० तक हैं।

कांडला पत्तन

†२३५०. **श्री हिम्मतसिंह जी :**
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गांधीधाम तथा कांडला पत्तन के उस क्षेत्र के लोग बेरोजगारी के कारण धीरे-धीरे उस क्षेत्र को छोड़ कर अन्यत्र जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विस्थापित व्यक्तियों तथा विभाजन के बाद वहां बसे व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु क्या सरकार के पास वहां छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने या रोजगार के अन्य साधनों का प्रबन्ध करने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) कांडला—गांधीधाम क्षेत्र की आर्थिक स्थिति वस्तुतः गत तीन या चार वर्षों से एक सी ही चली आ रही है। कांडला पत्तन में मजदूरों का निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के बाद उस क्षेत्र की जन संख्या जो कभी ४०,००० के लगभग थी, कम होकर लगभग ३५,००० हो गयी और इस समय भी लगभग इतनी ही है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पत्तन तथा गांधीधाम उपनगर के निकट की भूमि उद्योगों के प्रयोजन के लिये नियत कर दी गयी है और उद्योग स्थापित करने के लिये आवण्टित की जा रही है। यद्यपि बहुत से प्लाट गैर-सरकारी लोगों ने लिये है परन्तु वास्तविक निर्माण कार्य अभी तेजी से आरम्भ नहीं हुआ है। इसका कारण शायद यह है कि यह क्षेत्र लगभग पृथक्सा है और इसका विकास होना है और सम्बन्धित पक्ष विकास की प्रतीक्षा में हैं। इस कारण इस क्षत्र का औद्योगिक विकास धीमा रहा है।

बम्बई की एक फर्म कांडला में फार्मलडीहाइट के उत्पादन के लिये एक कारखाना खोलने जा रही है; यह उत्पादन प्लास्टिक तथा वस्त्र उद्योग के लिये एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यह फर्म वहां हेक्सामाइन बनाने का भी एक कारखाना खोलना चाहती है; यह उत्पादन औषधि निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पत्तन पर मछलियों को डिब्बों में भरने का एक कारखाना चल रहा है। अभी हाल में मेसर्स सिन्धु रिसेटलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को १२,००० तकुओं की क्षमता वाला एक कताई मिल खोलने के लिये लाइसेंस दिया गया है; यह फर्म कांडला पत्तन संगठन के सहयोग से गांधीधाम उपनगर का विकास कर रही है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ५२ शेडों की एक औद्योगिक बस्ती पूरी हो गई है और उसमें से ३४ शेड आवण्टित किय जा चुके हैं। इस बस्ती में १० उद्योग हाल में ही स्थापित किये जा चुके हैं।

इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये आगामी लगभग ६ महीनों में यहां एक निर्वाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाने वाला है।

डाक तथा तार विभाग में इंजीनियरिंग सुपरवाइजर

†२३५१. { **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६२ को प्रत्येक डाक-तार सर्किल में कुल कितने इंजीनियरिंग सुपरवाइजर (अस्थायी और स्थायी) काम कर रहे थे ;

(ख) उक्त तिथि को प्रत्यक डाक-तार सर्किल में अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति के कुल कितने इंजीनियरिंग सुपरवाइजर (अस्थायी और स्थायी) काम कर रहे थे ;

(ग) स्थायी श्रेणी में कम प्रतिनिधित्व होने का क्या कारण है ; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) से (घ). मांगी गई जानकारी भरती करने वाले विभिन्न प्राधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

माल यातायात

†२३५२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि आम माल को ढोने की भारतीय रेलवे की क्षमता अप्रैल से जून, १९६२ की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में १.५ प्रतिशत बढ़ी है फिर भी पुनरीक्षित लक्ष्यों में ८ से १० प्रतिशत की कमी रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिये पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार क्षमता बढ़ाने के लिय क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). भारतीय रेलवे पर अप्रैल ६२ से जून ६२ के दौरान लादा गया सामान गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान लाय गये सामान से ५.२ प्रतिशत अधिक रहा है। जून ६२ की दूसरी अवधि के बाद से लाये गये सामान में लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि रही है ।

तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनें

†२३५३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रेलवे मन्त्री ७ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली रेलवे लाइनों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव अब प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावों का एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां, ३१-८-१९६२ को।

(ख) एक विवरण सन्लग्न है ।

विवरण

क्रमांक	नई लाइन का नाम	अनुमानित लम्बाई (मील)
१.	रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम	६०
२.	एटा-कासगंज	१५
३.	सहजनवां-बरहलगंज	४२
४.	शाहगंज-जंघई	४६
५.	चौबेपुर-बिठूर	५
६.	उनाव--बछरा	४२
७.	खतौली-मवाना-हास्तिनापुर	२२

(ग) तीसरी योजना में बनाई जाने वाली रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर समुचित विचार किया जायेगा । परन्तु तीसरी योजना में बनाई जाने वाली नई रेलवे लाइनों का निर्णय कर लिया गया है, और उन्हें योजना आयोग द्वारा प्रकाशित तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय २८ में सम्मिलित कर लिया गया है । समिति वित्तीय साधनों को देखते हुए अब बहुत ही कमी आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त किसी प्रस्ताव को उसमें सम्मिलित किया जा सकेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

मलेरिया-निरोधक अधिकारियों की बैठक

२३५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में देहरादून में काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मलेरिया निरोधक अधिकारियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की ओर से तथा विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से उसमें किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया था ;

(ग) इस बैठक में क्या क्या निश्चय किये गये ; और

(घ) इन निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):(क) जी हां। इन राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त केन्द्रीय रक्षा तथा रेलव मन्त्रालयों, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निदेशालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के निम्नलिखित अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया :

१. रक्षा सेवायें

१. ब्रिग० एम० एस० बोपाराय, उप-निदेशक, विकृति विज्ञान एवं स्वास्थ्य निदेशालय, सेना मुख्यालय।

२. रेलवे

१. डा० आर० पी० श्रीवास्तव, स्वास्थ्य मलेरिया निरोधी अफसर, उत्तर-पूर्वी रेलवे, गोरखपुर।

३. जम्मू और काश्मीर

१. डा० जी० एल० सिंह, यनिट अफसर, जम्मू।

२. डा० ज० के० शर्मा, यूनिट अफसर, ऊधमपुर।

४. हिमाचल प्रदेश

१. डा० तजवीज़ सिंह, राज्य मलेरिया-विद्, हिमाचल प्रदेश।

२. डा० आर० डी० शर्मा, मलेरिया मेडिकल अफसर, हिमाचल प्रदेश।

५. पंजाब

१. डा० डी० डी० शर्मा, उप-निदेशक मलेरिया-विज्ञान, पंजाब।

२. डा० गोविन्द राम, जोनल अफसर, जालन्धर।

३. डा० एस० पी० बहल, जोनल अफसर, हिसार।

४. डा० पी० डी० पाठक, मलेरिया अफसर, चण्डीगढ़।

५. डा० बी० पी० विज, मलेरिया अफसर, अम्बाला।

६. डा० चैत राम शर्मा, मलेरिया अफसर, करनाल।

७. डा० आइ० इ० पाण्डे, मलेरिया अफसर, रोहतक ।

८. डा० आर० एल० नारंग, मलेरिया अफसर, गुड़गांव ।

९. डा० गुरबचन सिंह, मलेरिया अफसर, नारनौल ।

१०. डा० डी० व्ही० अत्री, मलेरिया अफसर, हिसार ।

११. डा० के० के० सेन, मलेरिया अफसर, फीरोजपुर ।

१२. डा० सोमनाथ, मलेरिया अफसर, गुरुदासपुर ।

१३. डा० यू० पी० भट्टाचार्य, मलेरिया अफसर, पालमपुर ।

१४. डा० टी० आर० दाऊ, मलेरिया अफसर, होशियारपुर ।

६. दिल्ली

१. डा० ओ० पी० भसीन, उप-स्वास्थ्य अफसर (मलेरिया), दिल्ली ।

२. डा० एस० बी० वैद, मेडिकल मलेरिया अफसर, दिल्ली ।

७. उत्तर प्रदेश

१. डा० एम० व्ही० सिंह, उप-निदेशक (मलेरिया), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

२. डा० के० सी० रस्तौगी, क्षेत्रीय-सहायक निदेशक (मलेरिया), पश्चिम उत्तर प्रदेश ।

३. डा० एम० पी० घोष, उप-सहायक निदेशक (मलेरिया), मेरठ जोन, मेरठ ।

४. डा० पी० बी० शर्मा, उप-सहायक निदेशक (मलेरिया), कानपुर जोन, कानपुर ।

५. डा० बलदेव राज, मलेरिया निरोधी अफसर, एम० एन० ई० पी० यूनिट, देहरादून ।

६. डा० आई० बी० जिन्दल, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी० यूनिट, सहारनपुर ।

७. डा० आर० डी० शर्मा, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी० यूनिट, मुजफ्फरनगर ।

८. डा० एल० के० जी० बिमल, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी०, यूनिट, (पश्चिम) मेरठ ।

९. डा० एम० बी० माथुर, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी० यूनिट, (उत्तर) मेरठ ।

१०. डा० एस० एस० वर्मा, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी०, यूनिट, (पूर्व) बुलन्दशहर ।

११. डा० जी० पी० अग्रवाल, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी० यूनिट (दक्षिण) बुलन्दशहर ।

१२. डा० मुहम्मद इश्तियाक, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी० यूनिट, अलीगढ़ ।

१३. डा० बी० एस० कुलश्रेस्त्र, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी० यूनिट, मथुरा ।

१४. डा० आर० एस० सिंह, मलेरिया निरोधी अफसर, एन० एम० ई० पी० यूनिट, आगरा ।

८. राजस्थान

१. डा० बी० एल० माथुर, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं (मलेरिया) का उप-निदेशक, जयपुर (राजस्थान)

२. डा० रूप राज पुरोहित, सहायक निदेशक, जोनल (मलेरिया), जोधपुर।

३. डा० डी० पी० कपूर, सहायक निदेशक, जोनल (मलेरिया), जयपुर।

४. डा० व्ही० एन० शर्मा, मेडिकल अफसर इंचार्ज, एन० एम० ई० पी०, यूनिट, चुरू।

५. डा० पी० एन० शर्मा, मेडिकल अफसर इंचार्ज, एन० एम० ई० पी० यूनिट, गंगानगर।

६. डा० आर० एन० शुक्ल, मेडिकल अफसर इंचार्ज, एन० एम० ई० पी० यूनिट, अलवर।

७. डा० डी० पी० दत्त, मेडिकल अफसर इंचार्ज, एन० एम० ई० पी० यूनिट, भरतपुर।

९ क्षेत्रीय समन्वय संगठन (बड़ौदा)

१. डा० एम० आई० डी० शर्मा, उप-निदेशक, क्षेत्रीय समन्वय संगठन, एन० एन० ई० पी० बड़ौदा।

१०. क्षेत्रीय समन्वय संगठन (लखनऊ)

१. श्री वी० एन० भटनागर, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय समन्वय संगठन, एन० एम० ई० पी० लखनऊ।

११. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली

१. डा० एस० एल० धीर, उप-निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली।

१२. विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधि

१. डा० डी० आर० महत्ता, मलेरिया सलाहकार, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन।

(ग) इस बैठक में किये गये निश्चय इस प्रकार हैं :--

१. यूनिट बाउण्ड्रीज के स्पष्ट व्यावर्तनों के लिये सीमान्त क्षेत्रों में भौगोलिक टोह के महत्व को स्वीकार करते हुये सम्मेलन सिफारिश करता है कि यूनिट अफसर सीमा के दोनों ओर संयुक्त निरीक्षण करें और यह टोह सितम्बर, १९६२ के अन्त तक पूर्ण हो जाये।

२. क्षेत्र के सीमान्त माने जाने पर विचार करने के बाद सम्मेलन का मत है कि सभी व्यावहारिक दृष्टिकोणों से टोह-कार्य के हेतु एवं ग्राम, जनसंख्या और औषधालयों की स्थिति आदि दर्शक विस्तृत सीमा मान-चित्रों को तैयार करने के लिये सीमा के दोनों ओर दो-दो मील दूर तक का क्षेत्र पर्याप्त होगा।

३. सीमा-क्षेत्रों में छिड़काव की अवधि के काल-समीकरण के महत्व पर भली प्रकार विचार करने के पश्चात् सम्मेलन सिफारिश करता है कि सीमा के दोनों ओर छिड़काव पूर्णतया ही न किया जाये अपितु ठीक पूर्व निर्धारित समयानुसूची के अनुसार भी

किया जाय । छिड़काव का अग्रिम कार्यक्रम तैयार करते समय सीमा-एककों को चाहिए कि वे संयुक्त रूप से छिड़काव कार्यों की एक योजना बना लें ताकि कार्य प्रारम्भ करने की तिथियों में सीमा-असामनतायें न आने पायें ।

४—यूनिटों में सीमा के दोनों ओर कमजोर संनिरीक्षण के परस्पर संघटन, विशेषतया छिड़काव बन्द करते समय को प्रतीत करते हुए, यह सम्मेलन जोरदार सिफारिश करता है कि सीमा-एकक-क्षेत्रों में सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार के संनिरीक्षण-कार्य में और गति लाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

५—सीमा के दोनों ओर लोगों के आवागमन और सक्रिय रोगियों के पैदा होने जैसी समस्याओं पर सावधानी से विचार करने के बाद, यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि निम्नलिखित के संबंध में सीमा-एकक अफसरों के बीच सूचना का आदान प्रदान हो :—

(क) निर्धारित प्रोफार्मा पर सीमा क्षेत्रों में रोग की सक्रिय घटनाओं के बारे में;

(ख) लोगों के अपने संभाव्य मार्ग से आवागमन और यात्रा-वर्ष का समय ।

६—यूनिट अफसरों की समय-समय पर बैठकों के महत्व को स्वीकार करते हुए सम्मेलन सिफारिश करता है कि सीमा एकक अफसर इस बात का ध्यान रखें कि वे कम से कम तीन बार बैठक करें अर्थात् छिड़काव की संयुक्त योजना तैयार करने से पूर्व, उसे तैयार करते समय और उसके तैयार होने के बाद, ताकि छिड़काव कार्य और उसका निर्धारण प्रभावकारी ढंग से हो सके ।

७—अपने अपने यूनिट तथा जोनल अफसरों के सीमा क्षेत्रों में समय-समय पर निरीक्षण करने तथा प्रतिरूपों की समय-समय पर बैठकों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि मासिक यात्रा कार्यक्रम बनाते हुए इन अफसरों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे अपने निरीक्षण में प्रति मास कुछ सीमा क्षेत्रों को सम्मिलित कर लें। तथा ऐसे निरीक्षणों की तिथियों की सूचना अपने प्रतिरूपो को दे दें जिससे वे भी सीमा पर मिलने की व्यवस्था कर लें ।

८—कुछ राज्यों के ५ से १० ग्रामों के उन छोटे-छोटे पाकिटों में छिड़काव तथा संनिरीक्षण कार्यों की कठिनाइयों को समझते हुए, जो उस राज्य के सीमा एकक के लिए अगम्य है, किन्तु संलग्न सीमा एकक के लिए पर्याप्त सुगम हैं, यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि वहां संलग्न सीमा एकक द्वारा ही ये कार्य किये जाने चाहिएं। ऐसी व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निदेशक के परामर्श में सम्बन्धित राज्य मलेरिया विदों के परस्पर समझौते की आवश्यकता होगी ।

९—नगर मलेरिया उन्मूलन के महत्व को स्वीकार करते हुए सम्मेलन सिफारिश करता है कि लार्वा-निरोधी उपाय और प्रभावोत्पादक ढंग से बर्ते जायें जैसे कि दिल्ली में १७ अप्रैल १९६२ को हुई विशिष्ट कार्य समिति की बैठक में पहले ही बल दिया जा चुका है ।

१०—प्रयोगशाला सेवाओं में सुधार की आवश्यकता और अनिवार्यता पर विचार करने के बाद यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि प्रयोगशाला प्राविधिकों (माइक्रोस्कोपिस्ट) की संख्या में और अधिक वृद्धि करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय क्योंकि प्रवर क्षेत्र कार्यकार्त्ताओं तथा कीट-कलेक्टरों की सेवाओं के उपयोग की वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हो रही है ।

(घ) इन सिफारिशों को राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों को कार्यान्विति के लिए भेजा जा रहा है ।

नये सिगनल केबिनों का पोर्टरों द्वारा पर्यवेक्षण

†२३५५. **श्री बेरवा कोटा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में बनाये जाने वाले नये सिगनल कैबिनों के पर्यवेक्षण का काम पोर्टरों को सौंपा गया है ;

(ख) क्या इस व्यवस्था के फलस्वरूप गाड़ियों के टक्कर की अनेक दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) से (ग). मांगी गयी जानकारी विभिन्न रेलवे से मंगाई गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाली टिनों का भाड़ा

†२३५६. **श्री याज्ञिक :** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे ने अभी हाल में एक परिपत्र निकाल कर ४ किलोग्राम से कम वजन वाले खाली टिन पर ४ किलोग्राम वाले टिनों के लिए नियत दर से भाड़ा लेने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या ४ किलोग्राम से कम वजन वाले खाली टिनों पर मनमाना उच्च भाड़ा लगाने के विरुद्ध खाली टिन व्यापारी संस्था ने विरोध प्रकट किया है ;

(ग) क्या ऐसी किसी संस्था ने रेलवे के इस निर्णय के विरुद्ध सांकेतिक हड़ताल करने का निश्चय किया है ; और

(घ) क्या भारत की किसी अन्य रेलवे ने भी ऐसा कोई निर्णय किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर कैंटीनों के उप-ठेके

†२३५७. **श्री ह० च० सौय**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर जिन लोगों को कैंटीनों के लाइसेंस दिये गये हैं वे अपने पट्टे उन ठेकेदारों को दे देते हैं और इस कारण कैंटीनों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं रहती और सामान खराब मिलता है ; और

(ख) इस बुराई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जून १९६२ में समाप्त होने वाली छमाही में दक्षिण-पूर्व रेलवे में इस प्रकार उप-ठेका देने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी । शिकायत की जांच की गई पर वह सही नहीं पाई गई । उप-ठेके देना प्रतिबन्धित है और यदि यह सिद्ध हो जाये कि उप-ठेका दिया गया है तो ठेके संक्षिप्त कार्यवाही करके समाप्त कर दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एयर इंडिया

†२३५८. { **श्री पु० र० पटेल :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो मास में पहले महीनों की उपेक्षा एयर इंडिया की मार्फत आने जाने वाले यात्रियों की संख्या और उसके राजस्व में कितनी कमी हुई है ;

(ख) गत दो वर्ष में एयर इंडिया की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) वर्तमान घाटे को पूरा करने के लिये एयर इंडिया क्या उपाय कर रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**:(क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि अर्थशास्त्र की भारतीय संस्था, बम्बई को अनुदान

†२३५९. { **श्री पु० र० पटेल :**
श्री दे० जी० नायक : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अर्थशास्त्र भी भारतीय संस्था, बम्बई को दिये गये अनुदान का हिसाब-किताब हर साल देखा जाता है ;

(ख) किन शर्तों पर अनुदान दिया जाता है ;

(ग) क्या उसके हिसाब-किताब की जांच सरकार के लेखा-परीक्षक नियमित रूप से करते हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस संस्था की गत चार वर्षों अर्थात् १९५८-५९ से १९६१-६२ के संतुलन-पत्र की प्रतियां और यदि लेखा-परीक्षकों की कोई टिप्पणी हो, तो उसे भी सभा पटल पर रखेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) संस्था को अनुदान देने की शर्तों की एक प्रति साथ में सन्लग्न है [**देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९६**]

(ग) उसके हिसाब किताब की परीक्षा नियमित रूप से चार्टर्ड लेखापाल करते हैं । यदि भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक चाहे, तो वह भी हिसाब-किताब देख सकता है ।

(घ) गत चार वर्षों अर्थात् १९५८-५९ से १९६१-६२ के संस्था के संतुलन पत्र की प्रतियां सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रात में हवाई डाक सेवा

†२३६०. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है कि नागपुर में रात में हवाई डाक सेवा चालू रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कोई परिवर्तन होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) १ अक्टूबर, १९६२ से प्रभावी होने वाली संशोधित राशि हवाई डाक सेवा के अधीन निगम दिल्ली/बम्बई, बम्बई/मद्रास, मद्रास / कलकत्ता और कलकत्ता/दिल्ली के बीच सीधी वाइकाउंट सेवा चलायेगा । परन्तु दिल्ली/मद्रास के बीच रात्रि हवाई डाक वाइकाउंट सेवा और बम्बई/कलकत्ता के बीच स्काईमास्टर सेवा नागपुर में रुकती रहेगी और वहां से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के लिए यात्रियों, डाक और सामान की व्यवस्था करेगी ।

(ख) ये सेवायें एक दूसरे से बिलकुल अलग-अलग होंगी और डाक तथा यात्रियों का कोई बदलाव नहीं होगा । परन्तु नागपुर और चार मुख्य नगरों के बीच डाक तथा यात्रियों को ले जाने की वर्तमान सेवा सुविधा में कोई कमी नहीं होगी ।

(ग) वर्तमान रात्रि हवाई डाक सेवा प्रणाली के अधीन नागपुर जंकशन एक नाजुक स्थान है और एक भी क्षेत्र में कोई विलम्ब होने से तीनों अन्य क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है । नई व्यवस्था में यह त्रुटि दूर हो जायेगी और साथ ही इससे दिल्ली/बम्बई, बम्बई/मद्रास, मद्रास/कलकत्ता और कलकत्ता/दिल्ली के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा ।

महाराष्ट्र में बाढ़ें

†२३६१. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चांदा नगर (महाराष्ट्र) के चारों तरफ जो दीवार है, जो बाढ़ के पानी को नगर में घुसने से रोकती है, वह बड़ी जीर्ण अवस्था में है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संघ सरकार से मांग की है कि बाढ़ नियंत्रण योजना के अधीन संघ सरकार इसकी मरम्मत कराये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुठ[1] का उत्पादन

†२३६२. **श्री हेम राज**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कुठ का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में वर्ष १९५९ से १९६१ के बीच अलग-अलग वर्ष में और अलग-अलग राज्य में कितनी मात्रा में कुठ का उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में कुठ का बाजार मूल्य क्या रहा ; और

(ग) उनमें से कितने का उपयोग देश में किया गया और कितने का निर्यात किया गया और विदेशी मुद्रा के रूप में इससे कितना मूल्य प्राप्त हुआ और किन देशों को इसका निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :(क) से (ग). राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित स्रोतों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय डेरी कालेज, करनाल

†२३६३. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल के केन्द्रीय डेरी कालेज में हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए कितनी जगहें रक्षित की गई हैं ;

(ख) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक छात्र को प्रति मास कितनी छात्रवृत्ति दी जायगी ; और

(ग) इसकी तुलना में पंजाब सरकार वहां पढ़ने वाले पंजाब के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति देती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) बी० एससी० (डेरिंग) और इंडियन डेरी डिप्लोमा कोर्स में से प्रत्येक के लिए दो दो ।

(ख) ७५ रुपये प्रति मास ।

(ग) पंजाब सरकार बी एस सी डेरिंग के छात्रों के लिए १५० रुपये मासिक और इंडियन डेरी डिप्लोमा कोर्स के लिए १०० रुपये मासिक देती है ।

असम में बाढ़ों के कारण रेलवे को क्षति

†२३६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस वर्ष आई अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण रेलवे की लाइनों, पुलों और स्टेशनों को कितनी हानि पहुंची है ; और

(ख) इस कारण कितनी रेलगाड़ियों की सेवा स्थगित करनी पड़ी और किन सेक्शनों में यह सेवा पुनः आरम्भ कर दी गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९७]

---

[1] Kuth.

†मूल अंग्रेजी में

झूठे मनीआर्डर[1]

†२३६५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में झूठ मनीआर्डरों सम्बन्धी धांधली का पता लगाया गया है जिसमें भारत के कई भागों में ८००० रुपये लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) हां श्रीमान । किन्तु इस धोखेबाजी का पता पूना शहर में लगा। अब तक ७८३० रुपये के बोगस मनीआर्डरों के भुगतान का पता लगा है ।

(ख) यह अभिकथित है कि रेल डाक सेवा का एक पदच्युत कर्मचारी जो कि अपराधी है स्थानीय विभिन्न टिकटों से बोगस मनीआर्डर तैयार करके रेलवे डाक सेवा के एक पोर्टर की सहायता से डाक के थैले में डाल देता था । ये मनीआर्डर विभिन्न नगरों में ख्यातिप्राप्त फर्मों को देय होते थे जिनसे अपराधी सामान और रुपया लेता रहता था । पूना में एक फंदा डाल कर अपराधी को पकड़ा गया था जब यह सन्देह किया गया कि भुगतान के लिए दो मनीआर्डर मिले हैं । पटना में भी और पूछताछ की गई और मामले की कुछ बातों का पता लगा । अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है ।

काटाखाल–हाइलाकांडी रेलवे स्टेशन

†२३६६. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में काटाखाल-हाइलाकांडी रेलवे लाइन (कछार-असम) का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी ;

(ख) क्या उस लाइन को मिजो जिले तक ले जाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि उस लाइन के किसी भी स्टेशन पर शेडों की व्यवस्था नहीं है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० बें० रामस्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) हालाखांडी का स्टेशन काटाखाल और लाल बाजार को मिलने वाली लाइन पर है जिसका प्रबन्ध पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी के हाथ है अतः उसे सरकार द्वारा हाथ में लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं ोता ।

(ख) नहीं श्रीमान ।

(ग) हां, श्रीमान । किन्तु वृद्धि और सुधार का १००० रुपये तक का खर्च मालिक कम्पनी को उठाना पड़ेगा और उन्होंने शेडों की व्यवस्था के लिए धन की व्यवस्था करने में असमर्थता प्रकट की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bogus Moneyorders

चिकित्सा कालेज

†२३६८. श्री नवल प्रभाकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के स्नातक पूर्व अध्यापन के लिए चिकित्सा कालेजों में जगहें रक्षित रखी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के राज्यों को ये जगह बांटने के लिए सामान्य नियम क्या रखा जाता है ; और

(ग) ऐसी रक्षित जगहों के लिए छात्रों के नाम निर्देशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अन्दमान और निकोबार द्वीप लक्का द्वीप मिनकाय और अमीनदीव द्वीप समूह, गोआ, दादर नगरहवेली नागालैंड और नेफा का संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों (लड़के और लड़कियों दोनों के लिए) विभिन्न राज्यों के चिकित्सा कालेजों में प्रति वर्ष जगहें रक्षित करने के लिए प्रबन्ध किए जाते हैं। मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज की स्थापना के बाद दिल्ली को इस योजना में शामिल नहीं किया गया। मुख्य दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापनों द्वारा आवेदन-पत्र मंगवाये जाते हैं। हर वर्ष सरकार द्वारा नियुक्त समिति चुनाव करती है और जिन कालेजों में जगहें रक्षित होती हैं उनके लिए छात्रों के नाम निर्देशन की सिफारिशें करती है। सिफारिशें करते समय समिति बहुत सी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है जो छात्र को प्रवेश के लिए पूरी करनी होती है जैसे कि न्यूनतम आय प्रतिशत अंक आदि। छात्रों द्वारा बताई गई विभागों सम्बन्धी अधिमानता का भी ध्यान रखा जाता है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभी कालेजों में रक्षित स्थानों को एकत्र कर दिया जाता है और उन्हें पात्र छात्रों में बांट दिया जाता है।

एम बी बी एस कोर्स

†२३६९. श्री नवल प्रभाकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिपालितों के लिए एम बी बी एस कोर्स की जगहों का अलग अभ्यंश रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी सीटें हैं और उनमें से कितनी अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए कितनी सीटें रखी गई ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तथा (ख). हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, गोआ, दादर और नगर हवेली, नागालैंड और नेफा के संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों (लड़के और लड़कियों) के लिए विभिन्न राज्यों के चिकित्सा कालेजों में प्रति वर्ष जगहें रक्षित करने के लिए प्रबन्ध किए जाते हैं। उन रक्षित जगहों के लिए विदेश स्थित शिष्टमंडलों के कर्मचारियों के बच्चों में से भी लिए जाते हैं। सब रक्षित जगहें एकत्र करके पात्र

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों में बांट दी जाती हैं। सब रक्षित जगहों में से पच्चीस प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए होती हैं और उनका चुनाव विश्वविद्यालयों और सम्बन्धित कालेजों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के आधार पर किया जाता है।

टेलीफोन एक्सचेंज मैसूर

†२३७०. { **श्री सिद्दय्या :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावाने : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर नगर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) भूमि प्राप्त कर ली गई है। भवन का प्रारम्भिक नक्शा तैयार हो गया है और विस्तृत नक्शा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तैयार कर रहा है।

(ख) १९६४ के अन्त तक।

केरल में बदागरा पायर[1]

†२३७१ श्री अ० का० राघवन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बादगरा पायर के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या आवश्यक विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित राज्यों से मंगवाई गई है और मिलते ही यथाशीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी।

"एसोसिएशन फार मौरल एण्ड सोशल हाइजीन"

†२३७१-क. श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के "एसोसिएशन फार मौरल एण्ड सोशल हाइजीन और/अथवा उसकी विभिन्न राज्य शाखाओं का अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या इन प्रतिवेदनों में से प्रत्येक की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Badagara Pier.

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क), (ख) तथा से (ग). "ए ब्रीफ एनुअल रिपोर्ट आफ दी एसोसियेशन फार मारल एंड सोशल हाइजीन इन इंडिया (जोकि गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था है) फार दी इयर १९६०-६१" संसद् पुस्तकालय में रखी गई है ।

परादीप पत्तन

†२३७१-ख. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना की जल विज्ञान अनुसंधान संस्था परादीप को मुख्य पत्तन के रूप में विकसित करने की अन्तिम रूप रेखा की जांच कर रही है ;

(ख) क्या कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने यह विचार किया है कि यदि धन मिल जाये तो परादीप पत्तन को मुख्य पत्तन के रूप में विकसित करना आवश्यक है ; और

(घ) परादीप को अब तक माध्यमिक पत्तन घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तथा (ख). पत्तन को सब ऋतुओं के लिये एक पत्तन घोषित करने के लिये राज्य सरकार ने सलाहकार इंजीनियरों की एक फर्म नियुक्त की थी जिस ने प्रतिवेदन दे दिया है और प्रतिवेदन में दिये गये नक्शों की जांच पूना स्थित केन्द्रीय जल विद्युत गवेषणा केन्द्र कर रहा है ।

(ग) सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(घ) पत्तन को पहले ही माध्यमिक पत्तन समझा जाता है और भारत सरकार ने तीसरी योजना में इस प्रयोजन के लिये १.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ।

स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं

†२३७१-ग. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान पद्धति कहां तक उपयोगी रही है ; और

(ख) क्या (i) नियमित चिकित्सा और स्वास्थ्य निरीक्षण, (ii) रोग के उपचार की सुविधायें और (iii) तत्संबंधी कार्यक्रम के लिये उपयुक्त व्यवस्था की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तथा (ख). भारत सरकार द्वारा श्रीमती रेणुका रे की अध्यक्षता में नियुक्त स्कूल स्वास्थ्य समिति ने यह राय व्यक्त की है कि विभिन्न राज्यों में स्कूलों में उपलब्ध सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं ।

सरकार इस सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है । पर्याप्त स्कूल स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था के लिये प्रयोगात्मक परियोजनायें स्थापित कर दी गई हैं ।

केन्द्रीय चिकित्सा-विधि संस्था

†२३७१-घ. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय चिकित्सा विधि संस्था स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो उपरोक्त संस्था की स्थापना में कितनी लागत का अनुमान है और यह कहां स्थापित की जायेगी ;

(ग) इस योजना में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) से (ख) तथा (ग). केन्द्रीय चिकित्सा निधि संस्था स्थापित करने की योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उस के परिणामों संबंधी जांच की जा रही है ।

दिल्ली में गोसदन

२३७१-ङ. श्री बैरवा कोटा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दूध के लिये कितने गोसदन केन्द्रीय सरकार चला रही है और उन में वे कितनी-कितनी गायें हैं ;

(ख) क्या सरकार १५ और २० रुपये माहवार की सहायता गोसदनों को फी गाय देने की योजना बना रही है और क्या यह योजना राजस्थान में लागू की जायेगी ; और

(ग) यह योजना कब से लागू की जायेगी और इस के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया रखा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):(क) गाय प्रजनन केन्द्र उन गोसदनों से बिल्कुल अलग हैं जोकि बूढ़ी, कमज़ोर और प्रजनन के लिये नाकारा ढोरों के लिये खुले हुए हैं । संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय उन गोशालाओं से है जोकि प्रजनन तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र हैं ।

केन्द्रीय सरकार स्वयं किसी गाय प्रजनन केन्द्र को नहीं चलाती । फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन ३ गैर-सरकारी गोशालाओं को सहायता देती रही है । प्रत्येक गोशाला में रखी गई गायों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(१) दिल्ली पिंजरापोल गोशाला	२७७
(२) गोशाला, नजफ़गढ़	९६
(३) गोशाला, महरौली	१३५

(ख) यह सुझाव दिया गया था कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकारें तथा दिल्ली प्रशासन ढोरों के प्रजनन, खुराक और प्रबन्ध की उन्नति के लिये योजनायें तैयार करें ताकि दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत गायों के दूध के सम्भरण को बढ़ाया जाये । सभी राज्य सरकारों/दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में गाय स्वामियों को उन की दुग्ध उपज के अनुसार विभिन्न दरों पर सहायता देने के लिये योजनायें तैयार की हैं । इन योजनाओं पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, इस योजना के लिये राशि का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । सभी सम्बन्धितों द्वारा योजना पर विचार करने और अनुमति देने के पश्चात् ही राशि निर्धारित करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे । इस समय इस योजना के शुरू होने की तिथि नहीं बताई जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली यातायात सम्बन्धी संकेत

†२३७१-च. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शीघ्र ही दिल्ली में यातायात संबंधी संकेत की बत्तियों की प्रणाली को बदल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या परिवर्तन किया जाना है और उस के कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) हां श्रीमान ।

(ख) वर्तमान प्रणाली में संकेत बत्तियों का क्रम हरा, पीला, लाल और लाल, पीला, हरा है । सड़क प्रयोक्ता जब चौक में पहुंचता है तो वह पीला और लाल संकेत और हरा पीला संकेत देखता है । ट्रैफिक पुलिस ने देखा है कि पीली बत्ती के जगते ही लोग चौक में घुस जाते हैं जबकि उन्हें हरी बत्ती की प्रतीक्षा करनी चाहिये । नई प्रणाली के अनुसार बत्तियों का क्रम लाल पीली लाल और लाल हरी होगा । इस प्रकार सड़क प्रयोक्ताओं को लाल के बाद सीधी हरी बत्ती दिखाई देगी । इस प्रकार वर्तमान प्रणाली में पीली बत्ती देखते ही चल पड़ने की प्रवृत्ति समाप्त होगी और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा । दूसरी ओर हरी बत्ती को देखने वाले सड़क प्रयोक्ता को पीली बत्ती दिखाई देगी ताकि वे रफ्तार कम कर ले और निर्धारित स्थान पर रुक जाये । नई प्रणाली पहले ही बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चालू है ।

रिंग रोड पर रोशनी की व्यवस्था

†२३७१-छ. **श्री बड़े** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रिंग रोड पर मोती बाग से लाजपत नगर तक कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सड़क पर प्रकाश व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) रिंग रोड को तेज चलने वाली मोटरगाड़ियों आदि के लिये, जो सामान्यतः अपने प्रकाश से चलती हैं, बनाया गया है । रिंग रोड पर प्रकाश की समस्या का समाधान समानान्तर सेवा सड़क, जिस पर स्थानीय यातायात के लिये उचित प्रकाश-व्यवस्था होगी, बना कर होगा । इस मामले से संबंधित निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय और दिल्ली नगर निगम से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है । रिंग रोड के साथ वाली अधिकांश सरकारी बस्तियों में समानान्तर सड़कें हैं जहां प्रकाश व्यवस्था है और निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय द्वारा सरकारी बस्तियों को जाने वाली समानान्तर सड़कों पर, जहां प्रकाश व्यवस्था नहीं है, बिजली लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो

२३७१-ज. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय भारत में प्रयुक्त किये जाने वाले रेडियो सेटों की संख्या कितनी थी; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर यह संख्या कितनी हो जाने का अनुमान है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) कभी कभी एक रेडियो लाइसेन्स के अन्तर्गत एक से अधिक रेडियो सेट काम करते हैं। उक्त अवधि के दौरान प्रयोग में आने वाले कुल रेडियो सेटों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी क्रमशः इन वर्षों में जारी किये गये कुल रेडियो लाइसेंसों की संख्या नीचे दी ई है :—

१९५१–५२	८,३९,८९९
१९५६-५७	१३,३२,७२०

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान रेडियो लाइसेंसों में हुई औसत वृद्धि के आधार पर, आशा की जाती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रयोग में आने ले रेडियो सेटों की संख्या लगभग ४१ लाख हो जायेगी।

आवेपक मशीन[1]

†**२३७१-झ. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बड़ी इमारतों और बांधों की संरचनात्मक दृढ़ता का परीक्षण करने के लिये एक ब्रिटिश सार्थ से आवेपक मशीन खरीद रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** जी, नहीं।

महाराष्ट्र राज्य में छोटी सिंचाई योजनाएं

†२३७१-ञ. { **श्री जेधे :**
श्री लोनीकर :
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार को छोटी सिंचाई के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में आवंटन के अतिरिक्त कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ख) उस का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थॉमस):** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने २० अगस्त, १९६२ को सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों को पत्र लिखा है जिसमें उनसे राज्य योजनाओं में सम्मिलित किये जा चुके छोटी सिंचाई कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने, उन को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये फिर से बनाने और योजना की बाकी अवधि में जो अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं, वह बताने के लिये कहा गया है। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे चालू वित्तीय वर्ष,

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vibrator Machine.

१९६२–६३ के बाकी महीनों में जो अतिरिक्त आवंटन वह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस के लिये विशिष्ट प्रस्ताव इस मंत्रालय को आवश्यक विवरण सहित २० सितम्बर को भेज दें । महाराष्ट्र सरकार से उत्तर अभी प्रतीक्षित है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्य सभा के संदेश

†**सचिव** : श्रीमान् जी, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक भिन्न सन्देश की सूचना देनी है राज्य सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या १२५ के अन्तर्गत हुई व्यवस्था के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचना देनी है कि राज्य सभा अपनी ३ सितम्बर १९६२ की बैठक में असम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ से जो लोक सभा द्वारा ७ अगस्त, १९६२ को पारित कया गया था बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ती राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

सदस्य का निलम्बन

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ऐडजर्नमेंट मोशन है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : उस की कल ही आप को लिख कर इत्तला दे दी गई कि वह ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता, कवायद के अन्दर, क्योंकि बहुत देर की बात वह है । आज फिर भी आपको इत्तला दी गई कि इस मामले पर ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता ।

श्री भू० ना० मंडल : (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि आनरेबल मैम्बर बैठ जायें, वे अपनी सीट ले लें ।

श्री भू० ना० मंडल : लेकिन यह बात ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें । अगर आप नहीं बैठेंगे. .. . .

श्री भ० ना० मंडल : हम लोग यहां पर जनता के प्रतिनिधि हो कर आये है . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नहीं बैठते तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप सदन से बाहर चले जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भू० ना० मंडल : (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरे इतना कहने के बाद भी मेम्बर साहब बोले चले जायेंगे तो कोई चीज रिकार्ड नहीं होगी ।

**

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है गत दस सालों से एडजर्नमेंट मोशन के बारे में यहां ऐसी परम्परा रही है कि उस का उल्लेख इस सदन में हो जाता था जिस से यहां ऐसी विस्फोटक स्थिति कम पैदा होती थी । मैं समझता हूं कि अगर यहां पर इस एडजर्नमेंट मोशन का उल्लेख कर दिया जाता तो आनरेबल मेम्बर के मन में इतना असन्तोष न होता ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं समझ गया मगर अगर कोई माननीय सदस्य इस बारे में तब्दीली चाहते हैं तो वह मेरे पास आयें, मेरे साथ बातचीत करलें । अगरवे किसी वक्त यहां पर किसी चीज को उठाना चाहते हैं तो मुझ से आज्ञा ले लें, फिर यहां आकर उसे उठा सकते हैं । हमें कायदे से चलना चाहिये । अगर उन को किसी बात में असन्तोष है, अगर वह किसी कानून या जाब्ते में कोई तब्दीली चाहते हैं, तो बड़ी खुशी से मेरे पास आयें, मेरे साथ बात करें, और अगर बात करने के बाद भी यहां पर वह किसी चीज को उठाना चाहेंगे तो मैं उस को देखूंगा । अगर कायदे के मुताबिक इजाजत दे सकूंगा तो दूंगा । उस के बाद यहां आकर वह उठा सकते हैं । मगर इस तरह से कार्रवाई में बाधा डालना दुरुस्त नहीं है । इसलिये जो कार्यवाही चल रही है, उसे चलने दिया जाये ।

श्री भू० ना० मंडल : मैं ने जो ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप से एक बार कहा, मैं फिर दोहराता हूं कि आप जान बूझ कर. . . .

श्री भू० ना० मंडल : कंडक्ट आफ बिजिनेस के मुताबिक . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इन आनरेबिल मैम्बर को "नेम" (नाम) करता हूं क्योंकि वह खामख्वाह इस कार्रवाई में जानबूझ कर रुकावट डाल रहे हैं । उन को मना किया गया तब भी वह उस से बाज नहीं आते ।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि श्री भू० ना० मंडल को इस सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि श्री भू० ना० मंडल को इस सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(श्री भू० ना० मंडल सभा भवन से चले गये)

श्री बागड़ी (हिसार) : आवाज हुई है ।

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की गई ।

श्री बड़े (खारगोन) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । इस प्रकार के इन्स्टैन्सेज और हुए है । लेकिन चूंकि यह एक नये मैम्बर हैं इस वास्ते यह समय एक दिन का कर दिया जाय । (अन्तर्बाधायें)

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज यह है कि गोकि आवाज मैंने "नहीं" की थी, लेकिन आप ने सुनी नहीं । उस के बाद भी मैं ने कहा कि "नो" की आवाज हुई है इसलिये मैं समझता हूं कि आपको दुबारा पूछ लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : तो आप की आवाज "नो" की थी ।

श्री बागड़ी : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं ने उस वक्त नहीं सुनी तो अब कहे देता हूं कि हाउस में एक आवाज "नो" की थी ।

श्री किशन पटनायक : एक आवाज मेरी भी थी ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, दो सदस्यों की आवाज "नो" की थी । और किसी की रही हो तो मैं वह भी कह दूं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अगर इस को दुबारा पूछ लिया जाये तो हर्ज क्या है ? इस ; आपत्ति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जब एक दफा फैसला हो जाये तो दुबारा नहीं पूछा जाता ।

श्री रामेश्वरानन्द : फैसला तो हुआ ही नहीं । फैसला तो तब होगा जब आप दुबारा पूछ लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, दुबारा पूछने की जरूरत नहीं है । यह फैसला तो आवाज पर हुआ था । मैंने समझा था कि "नो" की आवाज कोई नहीं हुई । लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने ठीक से सुना नहीं । मैं ने कह दिया : बहुत अच्छा, आप समझ लें कि दो मैम्बर साहबान ने "नो" की आवाज दी थी । लेकिन फैसला तो हो चुका है ।

श्री रामेश्वरानन्द : दुबारा पूछ लिया जाये, तो क्या हर्ज है ?

अध्यक्ष महोदय : बार बार नहीं पूछा जाता ।

श्री बागड़ी : मैं इस के खिलाफ प्रोटैस्ट कर के वाक आउट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप रुकावट न डालें ।

१२.०६

(श्री बागड़ी और एक अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से चले गये ।)

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सदन को इस बात का पता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना अगस्त, १९५६ में एक प्रस्ताव स्वीकार कर के भारत सरकार ने की थी । आगे के तीन वर्षों में जो कार्य इस आयोग ने किया, उस से उन्होंने सारे देश और इस सदन का विश्वास प्राप्त किया । परिणाम स्वरूप १९५९ में एक संविहित आयोग की स्थापना की गयी । आयोग ने अपने संविहित अस्तित्व के पिछले साढ़े तीन वर्षों में अच्छा कार्य किया है । परन्तु उस के कार्य की कुछ सीमायें रही हैं, जिन को दूर करने के लिये हमें उस की सहायता करनी चाहिये । अतः इस संशोधन को प्रस्तुत कर के उस की शक्तियां बढ़ाने का विचार किया गया है ।

प्रथम बात यह है कि संशोधन अधिनियम का विस्तार जम्मू तथा काश्मीर राज्य तक भी होगा । वैधानिक तौर पर इस में कोई कठिनाई नहीं । यह विषय ही ऐसा है । दूसरे संशोधन द्वारा आयोग को सहायक कम्पनियां बनाने और उन की सहायता करने की शक्ति दी जा रही है । राज्य सरकारों ने आयोग के स्थानीय कार्यों में भाग लेने का प्रस्ताव किया था । तीसरा संशोधन वेतन की अधिकतम सीमा को २,००० रुपये से बढ़ा कर २,२५० रुपये करने का है । इस से आवश्यक योग्यता वाले लोगों को आयोग की ओर आकृष्ट किया जाय । चौथा संशोधन यह है कि अभी आयोग को बिना सरकार की अनुमति के ३० लाख रुपये से अधिक खर्च करने की शक्ति नहीं है । उस सीमा को बढ़ा कर ५० लाख रुपये किया जा रहा है । पांचवें संशोधन द्वारा आयोग की वर्तमान ७½ लाख रुपये के पुनर्विनियोजन की शक्ति को बदल कर २० प्रतिशत कर दिया जा रहा है ।

मेरा निवदन है कि आयोग की शक्तियां लचीली रहनी चाहिए । और उन्हें काफी काम करने की आन्तरिक स्वतन्त्रता रहनी चाहिए । इसी दृष्टि से हमने व्यवहार रूप में यह अनुभव किया जो भी अधिकार आयोग को प्राप्त हैं वे काफी नहीं हैं, अतः यह संशोवन विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मैं सदन से इसे स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री रंगा (चित्तूर)** : मुझे इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य है कि कितनी सरलता से सरकार इस विधेयक द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को और अधिक अधिकार दे रही है । वैसे भी सरकार स्वतन्त्र निगमों को व्यापक अधिकार देने की नीति का अनुसरण कर रही है । इस आयोग को सरकार अनेक सहायक संस्थायें बनाने के अधिकार दे रही है । इन संस्थाओं को भी आयोग के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे । इन शक्तियों अथवा अधिकारों पर किसी भी प्रकार का संसदीय नियन्त्रण न होना ठीक नहीं कहा जा सकता ।

दूसरी बात यह है कि सरकार आयोग को ऊंचे ऊंचे वेतनों वाले लोगों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां भी देना चाहती है । परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया कि वह आयोग को बिना सरकार के निर्देश के उच्च वेतन भोगी अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति क्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

दे रही है। कारण देरी है अथवा अयोग्यता कुछ तो होगा ही। उनका कहना है कि हमने कई प्रकार के तकनीकी लोगों को तुरन्त नियुक्त करना होता है परन्तु सरकार को पूछते पूछते देर हो जाती है। परन्तु तकनीकी कर्मचारी तो बहुत हैं। १९६१ में उनकी संख्या २,२६० थी, मार्च १९६२ में ३,७५२ हो गयी। परन्तु ये लोग तो तीसरी श्रेणी के कर्मचारी थे। इन्हें तो २,५०० रुपये प्रति मास दिया नहीं जाता। दूसरी और प्रथम श्रेणी के अधिकारी १९६२ में ७८ और ३७१ थे। ये शक्ति उनके लिए ही है। परन्तु मुझे इनकी कोई विशेष आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

यह भी आश्चर्य की बात है कि आयोग को बिना सरकार के निदेश के ३० लाख रुपये के बजाय ५० लाख रुपये खर्च करने की शक्ति दी जा रही है। यदि ऐसी शक्तियां विभिन्न व्यय करने वाले विभागों को प्रदान नहीं की गई हैं तो वे आयोग को ही क्यों प्रदान की जा रही हैं जिस पर संसद का नियंत्रण और भी कम है। उस शक्ति को बढ़ाने के बजाय कम करना आवश्यक है। आयोग द्वारा सहायक संस्थायें चालू करने का प्रश्न एक बहुत गम्भीर बात है। इस मामले पर अग्रेतर विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री ओझा** (सुरेन्द्र नगर) : इस बारे में माननीय सदस्यों के सन्देश निराधार हैं। संसदीय नियन्त्रण तो हर बात पर हर समय है। हमें याद रखना चाहिए कि हम देश में समाजवादी समाज का निर्माण कर रहे हैं। विभिन्न क्षत्रों में विभिन्न कार्यों को बढ़ाना है। देश का औद्योगिक विकास करना है।

अतः मेरा निवेदन है आयोग के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये उसकी शक्तियों को बढ़ाना आवश्यक है। इस संबंध में उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहनी चाहिये। आयोग को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिये। विधेयक में अपेक्षित शक्तियां प्रदान किये जाने के बाद भी संसद को आयोग पर नियंत्रण की पर्याप्त शक्ति रहेगी। हमें केवल यह देखना चाहिये कि आयोग अपना कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर सके।

†**श्री विश्राम प्रसाद** (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६२ के सैक्शन १ में लिखा है :—

"सिवाय जम्मू और काश्मीर राज्य के" मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है लेकिन प्रिंसिपल ऐक्ट के सैक्शन १४ में क्लाज (जी) के बाद जो (जीजी) जोड़ा जा रहा है मेरी समझ में नहीं आता कि इस का क्या मकसद है। (जीजी) क्लाज यह है कि उसमें समवाय अधिनियम का पुनः उल्लेख है। इस की मंशा मेरी समझ में नहीं आती कि क्या है? इसी तरह से प्रिंसिपल ऐक्ट के सैक्शन १५ को इसके द्वारा संशोधित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कमिशन की पावर्स को बढ़ाया गया है। पहले जहां वह २००० रुपये प्रतिमास की पोस्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस ऐप्रूवल के क्रीएट कर सकता था वहां अब वह २,२५० रुपये प्रतिमास तक की जगहें बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस ऐप्रूवल के क्रीएट कर सकेगा। २,२५० रुपये तक की जगहों के लिए अब कमिशन को सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं लेनी है और वह उनको स्वयं क्रीएट कर सकता है।

इसी तरह से १५ (बी) में यह संशोधन किया जा रहा है जिस का मतलब यह होगा कि अब कमिशन ५० लाख रुपये तक की किसी स्कीम या प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस ऐप्रूवल नहीं लेगा। इस में भी उसकी पावर को बढ़ाया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन २१ को भी अमेंड किया जा रहा है। पहले २० परसेंट और सैवन ऐंड ए हाफ लैक्स आफ रूपीज की लिमिट थी इस बिल के द्वारा साढ़े सात लाख रुपए की उस लिमिट को हटाया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीज़न्ज में कमीशन की पावर्ज़ को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया गया है। इस से प्रकट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बिना बहुत से अधिकार लेने की कोशिश की गई है और जहां तक मेरी समझ में आता है, सट्रल गवर्नमेंट को डार्क में रखा गया है। हो सकता है कि इस के बाद में बहुत सी बादरेशन्ज़ पैदा हों।

इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूं कि आखिर इस बिल के द्वारा कमीशन की पावर्ज़ को क्यों बढ़ाया जा रहा है। आयल एंड नैटरल गैस कमीशन के डायरेक्टर आफ़ एड-मिनिस्ट्रेशन एंड सैक्रेटरी एंड डायरेक्टर आफ़ दि स्टोर्ज़ एंड परचेज़ डिपार्टमेंट पर मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जिन की पावर को बढ़ाने के लिए ये सारे अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इन डायरेक्टर साहब की उम्र ३३ साल है। उन्होंने दो दफ़ा अपना नाम बदला है और जहां तक उन के एक्सपीरियंस का सम्बन्ध है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह ऐसे अधिकारी का उल्लेख कर रहे हैं जो यहां नहीं हैं, ऐसा नहीं चाहिए।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं उन का नाम नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस की उम्र, चेहरा, रंग सब कुछ तो बता रहे हैं उन से उस को शनाख्त किया जा सकता है।

श्री विश्राम प्रसाद : सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बहुत सीनियर आई० सी० एस० आफ़िसर को डिपूट किया गया था कि वह आयल एंड नैटरल गैस कमीशन के वर्किंग को स्टडी करे और इस बारे में अपनी रीकमेंडेशन्ज़ दे कि उस में क्या इकानोमी हो सकती है, उस की एफ़िशेन्सी कैसे बढ़ाई जा सकती है, वहां पर क्या रद्दो-बदल किया जा सकता है, ताकि उस के ख़र्च में कमी हो। उस आफ़िसर ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को इस मिनिस्ट्री ने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया।

उस आफ़िसर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि कमीशन तब तक अपना स्टाफ़ न बढ़ाए, जब तक कि मैं कमीशन के सेक्रेटेरियट की वर्किंग की पूरी तरह से जांच न कर लूं, लेकिन इस के बावजूद दो डिपुटी सेक्रेटरी, दो अंडर सेक्रेटरी, छः सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर और लगभग एक दर्जन आफ़िसर्ज़ की एपायंटमेंट हुई। मैं ये बातें आपको यह बताने के लिए अर्ज़ कर रहा हूं कि कमीशन की पावर को बढ़ाने की बात क्यों कही जा रही है।

उस आफ़िसर ने अपनी रिपोर्ट म कहा था कि आयोग के सचिवालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन का सेक्रेटेरियट ओवर-स्टाफ्ड है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कमीशन को पावर बेशक दी जाय, लेकिन उस में गवर्नमेंट का या पब्लिक का जो पैसा ख़र्च होता है, उस के हिसाब की हम को और गवर्नमेंट को पूरी मालूमात होनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्राम प्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे रोक लिया, वर्ना मैं इस सदन को यह बताना चाहता था कि डायरेक्टर को जो पावर्ज़ दी गई हैं, उन के द्वारा वह बड़े से बड़े आफ़िसर्ज़ और टेक्निकल विशेषज्ञों को एपायंट कर सकता है और उन को हटा सकता है।

पहले साढ़े सात लाख रुपए की लिमिट रख कर जो चैक रखा गया था, अब उसको हटा कर सिर्फ़ बीस परसेंट की लिमिट रहने दी जा रही है। बीस परसेंट के मान बीस लाख भी हो सकते हैं, पचास लाख भी हो सकते हैं और एक करोड़ भी हो सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और यह कहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस बात पर साफ-साफ प्रकाश डालें कि ये अधिकार क्यों दिये जा रहे हैं।

†**श्री पे० वेंकटासुब्बया** (अंडोंजे) : इस विधेयक द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं मैं उन का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि १९५९ ई० से ही तेल और गेस आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अतः यदि छोटी-छोटी बातों के लिये उस के कार्य संचालन में अड़चनें डाली जायेंगी तो आर्थिक विकास तेजी के साथ नहीं हो सकेगा।

अन्य स्वायत्त शासी निकाय स्थापित करना आयोग के हित में नहीं है। मेरा सुझाव है कि देश की सहकारी समितियों को गैस की वस्तुओं का वितरण सौंप दिया जाये।

आयोग को २००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले प्रविधिज्ञ नियुक्त करने की शक्ति दे देनी चाहिये। दूसरे कर्मचारियों के बारे में ऐसा अधिकार देना अनुचित हो सकता है ?

आयोग का आय-व्ययक सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में आयोग की शक्ति बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

आयोग की एक शाखा हैदराबाद में स्थापित करनी चाहिये ताकि दक्षिण की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके जहां तेल मिलने की बहुत संभावनाएं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री ब० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : इस विधेयक में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारों को विस्तृत करने का यत्न किया गया है और मेरे विचार में ये अधिकार देने चाहियें।

यह उद्योग देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और आयोग का २½ वर्ष का संक्षिप्त इतिहास उत्साहजनक है। आयोग के कार्यों में जो नई सूची लगाई जा रही है उन्हें दृष्टिगत रखते हुए उसे और अधिकार देना सर्वथा न्याय संगत है।

एक संशोधन द्वारा आयोग के २२५० रुपये के वेतन के पद निर्माण करने का अधिकार दिया जा रहा है। इतने बड़े उद्योग में यह अधिकार आवश्यक है।

एक और खण्ड द्वारा आयोग को ३० लाख रुपये के स्थान पर ५० लाख रुपये के व्यय की अनुमति देने का उपबन्ध है जोकि उपयुक्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल उद्योग के सम्बन्ध में हमें अधिक व्यय की चिंता नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह ऐसा उद्योग है जो स्वयं अपना वित्त पोषण कर सकता है ।

प्राक्कलन समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि आयोग का सभापति एक व्यक्ति होना चाहिये जो सारा समय दे सके । उसे मंत्रालय से स्वतंत्र होना चाहिये । इस मामले में हमें कड़ा दृष्टि-कोण अपनाना चाहिये और मंत्री जी को वर्तमान व्यवस्था का परीक्षण करने का अवसर देना चाहिये अर्थात् मंत्री जी को आयोग का सभापति बना रहने देना चाहिये ।

†**श्री इकबाल सिंह** (फीरोजपुर): मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । पहले तो इस विधेयक द्वारा अधिनियम में जम्मू और काश्मीर को शामिल किया जा रहा है । इस राज्य में भी तेल आदि की खोज करना स्वाभाविक है ।

आयोग ने पिछले ढाई वर्षों में प्रशंसनीय कार्य किया है, अतः उस के क्षेत्र एवं शक्तियों का बढ़ाया जाना सर्वथा उचित है ।

आयल इंडिया लिमिटेड एक अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु है । आयोग को सहायक संस्थाओं के निर्माण के लिये कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(धारा १४ का संशोधन)

†**श्री हजरनवीस** : माननीय सदस्य श्री ओझा ने संशोधन प्रस्तुत करके इस ओर ध्यान दिलाया है कि आयोग को गैस के परिवहन का अधिकार होना चाहिये उस के प्रयोग का नहीं । किन्तु यदि आयोग इस का प्रयोग करना चाहे तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि उसे अनुमति प्राप्त नहीं । हम यह गैस पैदा कर रहे हैं और माननीय सदस्य को विदित है कि इस का प्रयोग किया जा सकता है अतः मैं उस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री ओझा** : उपखण्ड (ङ) के अन्तर्गत आयोग केन्द्रीय सरकार की अनुमति से गैसों को प्रयोग कर सकता है जबकि मुख्य खण्ड में सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार इस में असंगति है । इस खण्ड में संशोधन करके असंगति को दूर करना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है । आप ने अभी यह उचित निर्णय दिया था कि यह संशोधन इस चर्चा के अन्तर्गत नहीं आता ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : हां मैं ने माननीय मंत्री को बता दिया था । यदि सरकार ऐसा संशोधन चाहती है तो वह अलग संशोधन विधेयक लाये ।

†श्री नम्बियार (त्रिचुरापल्ली) : सरकार ने उन वेतनों के सम्बन्ध में जिन के लिये आयोग को सरकार को निर्देश नहीं करना होगा कि राशि को २००० रुपये से बढ़ा कर २२५० रुपये कर देने के पर्याप्त कारण नहीं दिये हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ से ५ तक विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३ से ५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और बिल का नाम भी विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री हजरनवीस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और विशेषत: इस बात का कि इसे जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू किया जा रहा है ।

विधेयक के उपबन्धों से आशा है उस राज्य में अभी तक जिन प्राकृतिक संसाधनों की खोज नहीं की गई उन्हें काम में लाया जायेगा और वह राज्य उन्नति करेगा । आयोग को इस राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्रीमान् यह छोटा सा विधेयक है और मुझे विश्वास है कि यह विवादास्पद भी नहीं है । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अधिनियम की सूची १ में दिये गये सब उद्योग रखे गये हैं । अधिनियम की सूची २ में संसद् की यह घोषणा है कि लोकहित के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रथम सूची में दिये गये उद्योगों को सरकार अपने नियंत्रण में ले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस घोषणा का यह प्रभाव है कि संसद् उन उद्योगों के सम्बन्ध में विधान पारित कर सकती है। यह विधान संघ सूची १ की मद ५२ अथवा समवर्ती सूची की मद ३३ के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

अधिनियम की प्रथम अनुसूची में लौह और अलौह धातुएं शामिल हैं। अलौह धातुओं में सोना और चांदी भी शामिल हैं किन्तु ग्राम प्रथा के अनुसार अलौह धातुएं केवल तांबा, जस्ता, एलूमीनियम टीन आदि हैं और सोना और चांदी कीमती धातु समझी जाती हैं। अतः यह बात संदेहास्पद है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि "कीमती धातुओं जिनमें सोना चांदी और उन की मिश्रित धातुएं शामिल हैं" का उल्लेख करके अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संदेह की बात को दूर करना है और इस का उल्लेख हम ने कारणों और उद्देश्यों के विवरण में किया है।

दूसरे मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि सोने की खानें मैसूर सरकार से ली जा रही हैं या ले ली गई हैं। संभवतः इस वर्ष १ नवम्बर से ले लिया जायेगा। मैं कोलार सोने की खानों के क्षेत्र का निवासी हूं और मुझे उस का इतिहास पता है। दशाब्दियों तक सर्वश्री जान टेलर एंड सन्ज़ इसके प्रबंधक अभिकर्ता रहे हैं। १९५६ में मैसूर सरकार ने इन खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब केन्द्र उसे अपने हाथ में ले रहा है। ऐसा परस्पर सहमति से किया जा रहा है।

इस संशोधक विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिये जोकि बहुत गंभीर हैं। उन का मुकाबला करने के लिये हमें कुछ कदम उठाने हैं। इस विषय के इन पहलुओं को किसी और अवसर पर लिया जायेगा। यहां तो केवल मैं यह बताना चाहता हूं कि कई कारणों से संघ सरकार के लिये सोने की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

सभा को विदित है कि सोने का मूल्य पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर बढ़ रहा है जिस से तस्कर व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। हमें तस्कर व्यापार को रोकना है और यह काम तस्कर व्यापार विरोधी दल के सशक्त बनाने से हो सकता है। इस के अतिरिक्त सोना एकत्र करने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना और सोने का सट्टा ज्यादा से ज्यादा रोकना आदि उपाय करने हैं ताकि मूल्य न बढ़े। इस प्रश्न के इन सब पहलुओं पर विचार करने का यह अवसर नहीं है। किन्तु इस उद्योग के बारे में विधान बनाने की शक्ति प्राप्त करने पर सरकार किसी समय ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और संसद् का अनुमोदन प्राप्त करके कार्यवाही करेगी। निस्सन्देह सरकार कोई प्रशासनात्मक कार्यवाही करेगी किन्तु इस समय हमें यहीं तक सीमित रहना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सभा यह ध्यान रखे कि तस्कर व्यापार आदि के विषय की ओर निर्देश कर के चर्चा के विषय का विस्तार न किया जाये। हमें वाद-विवाद को इस साधारण संशोधन तक सीमित रखना है जिस के द्वारा सोना और चांदी को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है। इस विधेयक पर किसी संशोधन की सूचना नहीं मिली अतः मुझे आशा है कि इसे सभा की सर्वसम्मति प्राप्त होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि सोने और चांदी के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लिया जा रहा है जबकि सोने का मूल्य बढ़ रहा है और तस्कर व्यापार जोरों पर है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

जब किसी उद्योग में कुप्रबंध के कारण कोई गड़बड़ होती है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जाती है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत कई बार कपड़े की मिलों के कुप्रबन्ध के बारे में चर्चा उठाई गई किन्तु लाभ मिल मालिकों को ही हुआ। अतः लोगों का इस पर से विश्वास उठ रहा है। अतः ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये।

अनेक व्यापार संस्थाओं, जिन पर अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं किये गये थे, ऐसे ही रह गयीं। उनकी कोई जांच नहीं हुई। आज भी इस अधिनियम के अन्तर्गत उसकी जांच हो तो अनेक कपड़ा मिलों और लौह अयस्क खानों का कार्य ठीक होने लगेगा। अतः मेरा निवेदन है कि मैं विधेयक का समर्थन करता हुआ, मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि कोलार की सोने की खानों के हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में कुछ और सूचना दी जानी चाहिए। जब हम सोने की खानों को हस्तगत कर रहे हैं तो जमाखोरी पर भी उचित रोक लगाई जानी चाहिए। सभा यह जानना चाहती है कि सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है। वैसे सोने की तस्करता को रोकने के सम्बन्ध में यह संशोधन ही नहीं, और भी कोई विधान लाया जाये तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिये गये समस्त उद्योगों का उचित विनियमन नहीं किया गया है। कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में, जो ठीक नहीं चल रहे थे, अधूरे मन से प्रयत्न किया गया है। उनकी जांच ठीक ढंग से नहीं की गयी। मुझे खेद है कि मुझे नाम लेना पड़ रहा है। शोलापुर की कताई एवं बुनाई मिल उन मिलों में से एक है, जिनका कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत ठीक किया जाना चाहिए था। वहां लगभग ६००० कर्मचारी बेकार बैठे हैं। पहले जांच समिति नियुक्त की गई थी, परन्तु उसे मेरे एक प्रश्न के उत्तर में गोपनीय बताया गया था। उसकी जांच के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब एक अन्य समिति नियुक्त की गयी है, और इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसका प्रतिवेदन भी गोपनीय रखा जायेगा।

ऐसी स्थिति में सरकार चुप क्यों बैठी है। बहुत से अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं। महाराष्ट्र सरकार इस समस्या को हल भी करना चाहती है परन्तु केन्द्रीय सरकार कुछ करने नहीं देती। वहां स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जन साधारण एवं मजदूर नुकसान उठा रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को इस दिशा में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री बड़े (खारगोन): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने आया है यह देखने में तो छोटा सा है लेकिन इसके जो नतीजे हैं वे बड़े ही दूरगामी होंगे। इसमें इतना ही कहा गया है कि गोल्ड एंड सिलवर को भी शैड्यूल १ में सम्मिलित कर लिया जाए। चूंकि शासन को इस एक्ट में कुछ एम्बिगुअटी दिखाई दी इस वास्ते उसने गोल्ड एंड सिलवर का भी इस एमेंडिंग बिल के ज़रिये स्पष्टीकरण करना उचित समझा है। मैं समझता हूं कि जैसे एक छोटा सा सांप होता है और बड़ा होने पर वह पायज़नस हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो बिल है, यह भी एक खतरनाक बिल है।

†मूल अंग्रेजी में

राजाजी जैसे कहते हैं कि आज का शासन लाइसेंस और परमिट का शासन हो गया है, वह सही बात है। यह गोल्ड एंड सिलवर जो बचा था, वह भी लाइसेंस और परमिट के बिना नहीं चल सकेगा, ऐसा आभास मिलता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब में दो पक्ष होते हैं, एक तो उत्पादनकर्ता होता है और दूसरे उपभोक्ता होता है। यहीं दो क्लासिस हिन्दुस्तान में हैं। शासन का हमेशा ही यह लक्ष्य रहता है कि उत्पादनकर्ता जो है, वह जो काम करता है, उसके जो साधन हैं, उन पर कंट्रोल किया जाये, उसके लिए ऐसा करने के लिये परमिट और लाइसेंस जरूरी कर दिये जाएं। यही चीज़ शासन गोल्ड के बारे में करने जा रहा है। शासन ने जब देख लिया कि दूसरे ज़रियों से उसको आय नहीं होती है तो उसका ध्यान गोल्ड की तरफ जाने लग गया और माननीय मंत्री जी ने जाते-जाते एक धोखे की सूचना दे दी है, ऐसी एक सूचना दे दी कि गोल्ड को भी हम कंट्रोल करने जा रहे हैं क्योंकि हमें फारेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। माननीय श्री बनर्जी साहब को, जब वह भाषण कर रहे थे मैंने टोका था और पूछा था कि क्या गोल्ड आर्नामेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि गोल्ड आर्नामेंट्स के बारे में भी अगर कोई चीज़ आए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मैं अपने मित्र बनर्जी साहब से पूछना चाहता हूं कि जितनी हिन्दुस्तान की महिलायें जितनी हिन्दुस्तान की मातायें हैं और मिसेज़ बनर्जी भी हैं, उन्होंने क्या उनसे कभी पूछा है कि अगर उनके आर्नामेंट्स चले जायेंगे तो क्या उनको दुःख नहीं होगा और अगर ऐसा किया जाता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जहां तक मैं समझता हूं वे सब जरूर इसका विरोध करेंगी।

इसमें गोल्ड एंड सिल्वर को लिख दिया गया है उसका मतलब यह साफ है कि जो गोल्ड माइंज हैं, उनकी तरफ शासन का लक्ष्य है और उनको कंट्रोल करने के लिए और लाइसेंस देने के लिए शासन ने इस बिल को हमारे सामने रखा है। चूंकि पहले वाले बिल में, एक्ट में कुछ एम्बिगुअटी थी और अगर उस एम्बिगुअटी के रहते प्रेशस मैटल्ज़ को जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, नान-फेरस मैटल्ज़ में शामिल किया जाता तो हो सकता था कि यह मामला किसी कोर्ट में जाता और कहा जाता कि गोल्ड एंड सिल्वर इसमें नहीं आता है, इस वास्ते सरकार ने इसका स्पष्टीकरण जरूरी समझा है। मैं समझता हूं कि मैसूर की गोल्ड माइंज तथा दूसरी गोल्ड माइंज को लेने की तरफ सरकार का लक्ष्य जरूर है और इस इंडस्ट्री को भी वह नैशनलाइज़ करने जा रही है। इस तरह का एक बड़ा धोखा इसमें हमें दिखाई देता है।

इसी एक्ट के नीचे जो जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उन में मैंने देखा है टैक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि जहां-जहां पर भी प्राइवेट सेक्टर होता है वहां-वहां अच्छा काम होता है लेकिन जब भी उसको नैशनलाइज कर दिया जाता है तो काम अच्छा नहीं होता है। जहां तक लेबर का सम्बन्ध है, उसके लिए तो लेबर लाज़ बने हुए हैं। लेकिन जहां जहां शासन का हस्तक्षेप होता है वहां पर दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग रहते हैं, वे और अपना पैसा उसमें खर्च करना नहीं चाहते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि नए नए एंटरप्राइज़ शुरू नहीं होते हैं। पर उस वक्त जो बनर्जी साहब ने कहा था कि पूंजीपति लोग और स्पेकुलेटर्स जो रहते हैं वे हस्तक्षेप करते हैं, और उनको ही सारी सुविधायें मिलती हैं। माननीय मंत्री जी को खराब लगेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन्दौर में रहता हूं, मैंने टैक्सटाइल मिलों में देखा है कि जहां पर भी शासन हस्तक्षेप करने लगा, वहां काला बाजार शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, साथ-साथ लाइसेंस और परमिट देने की व्यवस्था में भी मुश्किल पड़ती है, ऐसा कह कर के नेशनलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज़ हो रहा है। इसलिये मैं इसके विरुद्ध हूं। हिन्दुस्तान में नैशनलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज़ नहीं होना चाहिये, प्राइवेट एंटरप्राइज़ बढ़नी चाहिये, और शासन जो हर जगह हस्तक्षेप करता है वह भी गलत है।

[श्री बड़े]

मैंने देखा ड्रग्स एक्ट में भी इसी तरह से हुआ। सरकार ने देखा कि लोग पाउडर और स्नो का ज्यादा उत्पादन करके फायदा उठा रहे हैं। उसने ड्रग्स एक्ट में अमेंडमेन्ट कर दिया और जितना भी ट्वायलेट वगैरह का सामान है उस पर शासन ने अपना कंट्रोल रख दिया जिसमें कि लाइसेंस और परमिट लागू करने की जरूरत पड़ गई। इस प्रकार से आज समाजवाद के नाम पर हर जगह शासन का हस्तक्षेप हो रहा है। शासन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोल रहा है और कहता है कि चूंकि हम इंडस्ट्री को ठीक से चलाना चाहते हैं, इसलिये हस्तक्षेप करना चाहते हैं। यह बात नहीं है। जनता तो यह कहती है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं, उनके ऊपर अपना कंट्रोल रख कर सरकार एक प्रकार से मकड़ी का जाला या जिस को मछली पकड़ने का जाल कहते हैं, उसका निर्माण कर रही है, अपना कंट्रोल कर के। इस तरह कहीं भी जनता को स्वतन्त्रता नहीं हो सकती है। यदि आर्थिक स्वाधीनता जनता को नहीं मिलेगी तो उसमें बड़ा विक्षोभ हो जायेगा। इसीलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज़ चल रही हैं, उनको चलते रहना चाहिये।

मैं मानता हूं कि जहां ज्यादा मुनाफाखोरी हो, वहां पर ज्यादा कंट्रोल होना चाहिये, लेकिन मूल ऐक्ट में जो सेक्शन दिये हैं जहां पर कि परमिट और लाइसेंस देने की बात थी वहां पर जिस तरह संशोधन किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उस पर कोई भी कारखानेदार या इंडस्ट्री वाला तैयार नहीं हो सकता है। जो मूल कानून है उसके सम्बन्ध में खराबी यह है कि उसका इम्प्लिमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। जहां पर भी शासन का हस्तक्षेप होता है वहां काला बाजार और भ्रष्टाचार की वृद्धि होने लगती है। यद्यपि इस कानून का उद्देश्य देखने में बड़ा अच्छा है लेकिन उसका जो इम्प्लिमेंटेशन जो होता है वह खराब होता है। इसलिये मैं शासन से कहना चाहता हूं कि जो वह हर एक जगह हस्तक्षेप करना चाहता है वह गलत है।

इसके साथ साथ मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि गोल्ड को किस प्रकार लिया जाये इसके वास्ते भी वे विचार कर रहे हैं। मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि यदि आपने सोने को हाथ लगाया तो इससे देश में बड़ा असन्तोष फैलेगा। वह तो आज बहुत से लोगों के जिन्दा रहने का साधन है। अगर उन्होंने सोने को इस तरह से खींचने का प्रयत्न किया तो जनता में बड़ा क्षोभ पैदा हो जायेगा। आजकल जनता को खाने को मिलता नहीं है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है, और उनके पास जो गोल्ड आज है उस पर भी आपकी काक दृष्टि पड़ जायेगी तो उसमें विक्षोभ पैदा हो जायेगा। आज जनता में यह बात फैलनी शुरू हो गई है कि बैंकों में जो गोल्ड रखा है उसे वापस ले लेना चाहिये क्योंकि न जाने कब मंत्री महोदय यह आदेश दे दें कि आज जितना गोल्ड है उसकी आज की कीमत का दुगुना दस साल बाद दिया जायेगा। अगर किसी का गोल्ड १०० रु० का है तो दस साल बाद उसके लिये २०० रु० दिया जायेगा, यह कह कर वह सारा सोना वापस ले लेंगे। आज जनता में इसकी चर्चा हो रही है कि श्री मोराजी देसाई ने स्टटेमेंट दिया है कि वह विचार कर रहे हैं कि देश में जितना गोल्ड है उसको फारेन एक्सचेंज पाने के लिये किस तरह काबू में लिया जाये। इस चीज से बड़ा असन्तोष हो पैदा गया है।

अभी मैंने यह बिल देखा। गोल्ड और सिल्वर क्वाएन्स पर भी आपकी काक दृष्टि पड़ रही है। आज जनता में यह भावना पैदा हो रही है कि आगे जो इंडस्ट्रीज़ खराब चलने वाली हैं भले ही आप उनको ले लें, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ ठीक से चल रही हैं, उनको आप लेना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है।

इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप का उद्देश्य भले ही अच्छा हो लेकिन उसका इम्प्लिमेंटेशन ठीक नहीं है।

†**श्री राम रतन गुप्त** (गोंडा) : उद्योग (विकास तथा नियन्त्रण) अधिनियम बड़े उच्च उद्देश्यों से, उद्योगों का नियन्त्रण करने के लिये प्रस्तुत किया गया था। परन्तु व्यवहारिक अनुभव यह है कि उद्योगों के विकास में सहायता देने के स्थान पर उससे उद्योगों के विकास में बड़ी व्यापक बाधा पड़ी है। जिसका कारण प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ बातें हैं और कुछ अन्य बातें हैं जिससे देरी हो जाने की कुछ सम्भावना हो जाती है।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि खनिज संसाधनों के लाइसेंस देने का कार्य सरकार के हाथ में है ही इसलिये यह उपबन्ध करने वाले विधेयक को लाये जाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। कि वे दो कीमती धातुएं सरकार के नियन्त्रण में होंगी। और यह एक ठोस तथ्य है कि यदि अन्य लोगों को उन धातुओं की खोज करने से रोका जायेगा तो उससे स्वयं सरकार को ही नुकसान होगा।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भाव नगर) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि विकास खण्ड कैसे कार्य कर रहा है और विधान को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ में यह भी कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। जो कुछ प्रतिवेदनों से पता चला है उससे लाइसेंसिंग के बारे में १९६० में २,२४१ आवेदन पत्र थे, जिनमें से १९०७ आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गयी थी। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एक एक आवेदन पत्र के बारे में फैसला करने में छः छः और नौ नौ मास क्यों लग गये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिनियम को सरल बनाया जाना चाहिये। लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिये। सरकार को विकास खण्ड का कार्य ठीक करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि देरी न हो। इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि देश में सोने का तस्कर व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है। सरकार को समस्त समस्या पर विचार करना चाहिये। मेरा विचार है कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। सरकार को सोने का मूल्य कम करने के सम्बन्ध में भी एक नयी नीति निर्धारित करनी चाहिए। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का यह कह कर विरोध किया गया कि हमारे घरों में जो सोना चांदी है उसको भी लेने का विचार गवर्नमेंट कर रही है। मेरे विचार में इस विधेयक के अन्दर से यह ख्याल नहीं उठना चाहिये। इस विधेयक के अन्दर कोई चीज ऐसी नहीं है कि हमारे घरों के अन्दर जो सोना चांदी है उसको भी सरकार ले ले। इस अधिनियम का जो रूप अभी तक था उसमें सोने चांदी का पैदा करना, उसकी खानें आदि नहीं आते थे। परिभाषा के रूप में यह चीज आ सकती थी लेकिन उस परिभाषा को साफ करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह दिया गया है कि नान-फैरस मैटिल्स उसके अन्दर आया करते थे, लेकिन प्राय: यह सन्देह उठा करता था कि ये वास्तव में उसके अन्दर आ सकते हैं या नहीं। इस सन्देह को दूर करने के विचार से यह विधेयक लाया गया है ताकि यह चीज साफ हो जाए।

मैं नहीं समझता कि यह जो इण्डस्ट्रीज (डेवेलपमेंट एण्ड रैगुलेशन) अमेंडमेंट बिल सदन में पेश है इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है। हमने यह तय किया है कि हम इस देश को समाजवादी ढांचे की तरफ ले जाना चाहते हैं हालांकि उसके अन्दर हमने आर्थिक व्यवस्था कुछ मिली जुली रखी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

है । समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है । यह करप्शन और भ्रष्टाचार जिसका कि वर्णन किया जा रहा है वह मेरी समझ में इसी मिक्सेड एकोनामी के कारण हो रहा है । समाजवाद की तरफ ले जाने की विचारधारा होते हुए भी पूंजीपतियों का इतना ज्यादा जोर है कि वे अपना काम करा लेते हैं और उनका कोई काम नहीं रुकता है । सरकार की इस मिली जुली अर्थ नीति का ही यह परिणाम रहा है कि कुछ चीजें तो पब्लिक सैक्टर में रहीं, सरकार के पास रहीं और काफी चीजें सरकारी विभाग से निकल कर व्यक्तिगत विभाग में अर्थात् प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ में चली गयीं । गवर्नमेंट का सन् १९५६ का इण्डस्ट्रियल पालिसी रेजोलूशन होते हुए भी बहुत से उद्योग प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में चले गये हैं । जब तक देश में यह मिली जुली अर्थशास्त्र की नीति अर्थात् मिक्सेड एकोनामी रहेगी तब तक देश से भ्रष्टाचार को दूर करना एक असम्भव सी चीज दिखाई पड़ती है । यह साधारण नियम है कि बहुत पूंजी ईमानदारी से इकट्ठा हो नहीं सकती वह तो भ्रष्टाचार और बेईमानी आदि से ही सम्भव हो सकती है । आज से नहीं प्राचीन कल से यह चीज होती आई है और हमारे वहां कहा भी गया है कि जिसको जितना धनी देखो उसको उतना ही बेईमान समझो । यह वाक्य युधिष्ठिर के हैं कोई मैं अपनी ओर से यह नहीं कह रहा हूं । युधिष्ठिर से नारद ने पूछा था कि अधिक धन कैसे होता है तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि चोरी से होता है । यह चीज आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि उस समय थी । यह पूंजीपति लोग ईमानदारी का दम भरते हुए भी दरअसल गलत और अनुचित तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं और सदा तीन के तेरह करने की फिक्र में रहते हैं । आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सरकार इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बर्ते क्योंकि इस मिली जुली अर्थ नीति में आज जो गड़बड़ घुटाला हो रहा है उसको बन्द करने के लिये नियन्त्रण कड़ा किया जाये और अधिक सख्ती की जाये ।

अभी परमिट्स की बातें कही गयीं । परमिट लेने के लिये बहुत सी संस्थाएं खुली हैं । परमिट लेती हैं और परमिट बेचती हैं । अब इन पर कुछ रोक होनी चाहिये । इसके लिये हम कुछ कदम उठा रहे हैं और इस विचार से उठा रहे हैं ताकि धीरे धीरे पूंजीवाद के शिकंजे से निकाल कर हम अपने देश को समाजवादी समाज की तरफ से जायें । मौजूदा संशोधन विधेयक उस ओर एक कदम है । अभी तक सोना और चांदी सरकार के नियन्त्रण के बाहर थे और उस वजह से हर कोई जानता है कि इन दो कीमती धातुओं को लेकर कितनी गड़बड़ और भ्रष्टाचार देश में होता था । अब सोना और चांदी को भी इंडस्ट्रीज (डेवेलपमेंट एण्ड रैगुलेशन) ऐक्ट के मातहत ले आया गया है । अभी तक सोने और चांदी का स्वतन्त्र रूप से जो व्यवसाय चलता था उसको भी सरकार अपने नियन्त्रण में ले रही है और यह ठीक भी है क्योंकि बगैर इसके जो सोने और चांदी में गड़बड़ चलती है वह बन्द नहीं हो सकती है ।

इस ऐक्ट के अन्तर्गत जो भी उद्योग सरकारी नियन्त्रण में आते हैं सरकार उसके लिये लाइसेंस देती है । अब अगर कोई लाइसेंस शुदा व्यवसायी सही तरीके से चीजों का उत्पादन नहीं करता है और जो कि आज अक्सर देखने में आता है तो यह एक अनुचित बात है और सरकार को उस पर पर्याप्त अंकुश लगाने चाहियें और कड़ाई से पेश आना चाहिये । यह बड़े कलंक की बात है कि अपने देश का बना हुआ माल जब हम आज बाजार में खरीदने जाते हैं तो विक्रेता कहते हैं कि यह घड़ी तो हिन्दुस्तान में निर्मित है इसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी लें तो फिर आप स्विटजरलैण्ड की बनी घड़ी खरीदिये । देश में बनी साइकिल की जिम्मेदारी व्यापारी नहीं लेना चाहते हैं अलबत्ता बाहर की बनी हुई हरकुलीस साइकिल की जिम्मेदारी लेने को वह तैयार हैं । यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि हमारे देश के पूंजीपति जो कि देशी चीजें बनाते हैं उनकी प्रवृत्ति मुनाफाखोरी की रहती है चीज की क्वालिटी की तरफ कम रहती है और यही कारण है कि हमारे देश में बनी हुई चीजें विदेशों में निर्मित चीजों का मुकाबला नहीं कर पाती हैं ।

अन्य देशों के पूंजीपति और व्यवसायी चाहते हैं कि उनका बना माल सुन्दर और टिकाऊ हो जबकि हमारे देश के पूंजीपति केवल भारी मुनाफा ही कमाना चाहते हैं और यही कारण है कि यहां का बना माल औरों के मुकाबले घटिया होता है। इसीलिये हमने यह कानून बनाया है और कण्ट्रोल कौंसिल रखी है कि वह इन तमाम चीजों पर नजर रक्खे। केन्द्रीय सरकार का जिन इंडस्ट्रीज पर कण्ट्रोल है उनमें ठीक से काम हो रहा है और चीजों का उत्पादन हो रहा है या नहीं यह देखना इस कण्ट्रोल कौंसिल का काम है। आज प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अभाग्यवश हमारे सरकारी अधिकारी प्राइवेट उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथ में खेलने लगते हैं। हमारे माननीय गृह मन्त्री ने शायद कोई योजना भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये बनाई है। वह दिन देश के इतिहास में एक मुबारक दिन होगा जिस दिन वह योजना लागू होगी। मेरा तो विचार है कि देश से भ्रष्टाचार उस समय तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि संविधान की दफा ३११ तरमीम न हो जाये। इस दफा के अन्दर सरकारी अधिकारियों को हमने यह अधिकार दे रक्खा है कि वे तब तक निकाले नहीं जायेंगे जब तक कि उनको पहले चार्जशीट नहीं दे दी जाती। बाद को चार्ज साबित होने पर ही उसके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जा सकता है। आपने अखबार में देखा होगा कि दिल्ली निगम के एक इंजीनियर के खिलाफ पिछले तीन वर्ष से केस चल रहा था कि वे निकाले जायें कि नहीं। अब डेमोक्रेसी में खींचतान चलती है और जिसके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाये उसको पूरा मौका दिया जाता है कि वह उसके खिलाफ चाराजोई करे। दिल्ली निगम के उस इंजीनियर जिसके कि खिलाफ सबूत था तीन साल तक मुकदमा चला तब कहीं जाकर कारपोरेशन के कमिश्नर साहब को अपील करने पर उस इंजीनियर को निकालने की स्वीकृति मिली। प्रजातन्त्र में हर एक आदमी को हम पूरा मौका देते हैं कि वह अपने को निर्दोष साबित करे लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि हम जो भ्रष्टाचार अथवा गड़बड़ियां चल रही हैं उनकी रोकथाम न करें। सोना बड़ी आकर्षक वस्तु है और सोने में पाप की पूंजी काफी मात्रा में रहती है। आज तक उस पर सरकार का नियन्त्रण नहीं था इस संशोधन विधेयक की मार्फत उसको नियन्त्रण में लाया जा रहा है यह स्वागत योग्य बात है। सदन के हर एक भाग से इसका स्वागत होना चाहिए।

सोने के भाव बढ़ने की चर्चा हुई। अब सोने का भाव इसीलिये बढ़ता है कि यह धंधा प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ में रहा है। जिस तरह से और चीजों के भाव बढ़ते गये उसी तरह से सोने के भाव भी लगातार बढ़ते गये। सोने का धंधा कुछ हाथों में केन्द्रित हो गया है इस मोनोपली को दूर करने के लिये सरकार कदम उठाये, इसका काम अपने हाथ में ले ले और वितरण करे। सोना अरेबिया से आता है और वह काफी मात्रा में स्मगल होता है। जिस सोने का भाव वहां ३०–४० रुपये तोला है यहां वही सोना करीब १५० रुपये तोला मिलता है। अब इसमें जो भारी और अनुचित मुनाफाखोरी चलती है सरकार द्वारा उसकी रोकथाम अवश्य होनी चाहिये। सोने की स्मगलिंग में बड़े बड़े आदमी लगे हुए हैं। सोने को सरकारी नियन्त्रण में लाने के लिये जो यह संशोधन विधेयक आया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं अपनी सरकार से केवल यही कहना चाहूंगा कि नियन्त्रण करने के लिये जो कौंसिल बनाई है उसके लिये सरकार इस बात को देखे कि वह सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करती है। सरकार इसको इंश्योर करे कि गड़बड़ियों की ठीक तरीके से रोकथाम करती है या नहीं, सही तरीके से चीजें बनती हैं या नहीं और अगर ठीक तरीके से और ठीक अनुपात से नहीं बनती हैं तो उसको ठीक करने के लिये सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि सही चीजें बन सकें।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी द्वारा निर्मित कल, पुर्जों और घड़ियों आदि की बड़ी कद्र हो रही है और निर्माण कार्य वहां ठीक प्रकार से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि उस तरह से यहां पर चीजें बनें और दुनिया के मार्केट में वह कम्पीट करें। जर्मनी और स्विटज़रलैण्ड आदि देशों में बनी हुई

[श्री सिंहासन सिंह]

घड़ियों और साइकिलों के मुकाबले में भारत में निर्मित साइकिलें और घड़ियां अच्छी ठहरें और हम उनका मार्केट कैप्चर कर सकें। इसके लिये मैं अपने पूंजीपति लोगों की ओर से जो सदस्य यहां आये हैं उनसे अपील करूंगा कि वे इसमें सरकार को अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें और मुनाफाखोरी की भावना को छोड़ कर देश के हित का खयाल करें और सही व उम्दा चीजें बनायें जो कि फौरेन मार्केट में कम्पीट कर सकें।

अभी यहां मोटर कार के निर्माण का भी जिक्र आया था। ५,००० रुपये की छोटी मोटर बनने वाली थी। इस घोषणा से हमारे जैसे छोटे आदमियों को बड़ी खुशी हुई थी कि चलो यह सस्ती कार खरीद लेंगे। लेकिन हमने देखा कि सम्बन्धित उद्योगपति और पूंजीपति लोगों ने इसके रास्ते में रुकावट डाली और परिणामस्वरूप इस बारे में दो, दो कमेटियां बनीं और इस तरह से इस काम को टाला गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि फलां कार बने। मुझे हमेशा से यह डर रहा है कि जब तक यह मोटर निर्माण का धंधा दो बिज्नैस हाउससेज तक सीमित है, दो के पास इसकी मोनोपली है तब तक सरकारी क्षेत्र में मोटर नहीं बन सकती और हमने देखा कि वह सस्ती मोटर कार सरकारी क्षेत्र में नहीं बनी। यह खेद का विषय है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही हैं क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत है . . .

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : आप अपनी पार्टी के बारे में कहिये।

श्री सिंहासन सिंह : अब हमारी पार्टी को भी पूंजीपतियों से चंदा मिलता है इस से मैं इंकार नहीं करता। लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि सन् १९४२ के जमाने में एक दफा एक महाराजा ने कहा कि आप हम से चंदा भी लेते हैं और हमें गाली भी देते हैं यह आखिर क्या बात है? हम ने उन को जवाब दिया था कि भाई चंदा भी दोगे और गाली भी सुनोगे। चंदा आप भी उन से लेते हैं और हम भी लेते हैं। आप को वह चंदा इसलिए देते हैं कि आप स्ट्राइक करा देंगे और हमें चंदा इस उम्मीद पर देते हैं कि हम परमिट दिला देंगे बस फर्क इतना ही है। वह तो चंदा दोनों को देते हैं और देंगे . . .

जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने आपको टटोलें तो हम आप भी पायेंगे कि शायद हम लोग भी गहरे पानी में हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सही तरीके से देश का काम चले और जो भी गड़बड़ियां या भ्रष्टाचार कहीं पर चलता है उसको सख्ती से समाप्त किया जाये और इसमें सब का सहयोग अपेक्षित है . . .

श्री हरि विष्णु कामत : बड़ी मनोरंजक स्वीकारोक्ति है।

श्री सिंहासन सिंह : ऐसा हम नहीं कहते हैं। अलबत्ता वह चंदा देने वाले यह समझते हैं और उनको यह आशा रहती है कि शायद हम उनको परमिट दिलवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब कृपया समाप्त करें।

श्री सिंहासन सिंह : वैसे कहना तो मुझे अभी बहुत कुछ था लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है इस पर काफी लोग बोलना चाहते हैं इसलिए इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सा संशोधन आया है और इस का लक्ष्य अवश्य यह है कि सोने और चांदी की खानों पर नियंत्रण किया जाये । इस का तो मैं ज़रूर स्वागत करता हूं, परन्तु, जैसा कि कई बार इसी सदन में कहा जा चुका है, यह ठीक है कि एक बार तो सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पास कर लिया कि हमारे देश में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, परन्तु उस समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वह समाजवादी आर्थिक व्यवस्था किस तरह से बनाई जा रही है, इस को बहुत ग़ौर से देखने की ज़रूरत है । अगर यह कहा जाये कि सरकार के सीधे नियंत्रण में हो जाने से हालत सुधर जाये और चीज़ें सम्हल जायें, तो इस में मुझे काफ़ी सन्देह है । जिन संस्थाओं को सरकारी अंकुश (कंट्रोल) में लिया गया है, जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उन में भी प्रायः यह देखा गया है कि इस देश के मुट्ठी भर पूंजी वाले लोगों का फ़ायदा होता है और उन्हीं को प्रोत्साहन मिलता है । सोशलिज्म का नारा ज़रूर लगाया जाता है, किन्तु उस को अमल में नहीं लाया जाता है । प्रायः हर संशोधन, हर बिल, जो कि इस सदन में रखा जाता है, का लक्ष्य दिखाने के लिए ज़रूर यह होता है कि उस के द्वारा हम सोशलिज्म की तरफ़ बढ़ रहे हैं ।

इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि व्यवसाय के बारे में जितना ज़बर्दस्त भ्रष्टाचार हमारी सरकार में है, शायद उतना भ्रष्टाचार और दूसरे महकमों में नहीं है । जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा है—मुझे खुद भी इस बात का काफ़ी तजुर्बा है—यहां पर दिल्ली में लाइसेन्स और परमिट्स लेने के लिए प्रायः बहुत सी संस्थायें खुली हुई हैं, जिन की सहायता के बिना लाइसेन्स या परमिट लेना प्रायः असम्भव है । यह कहा जाता है कि अगर पांच हजार रुपया खर्च किया जाये तब वहां पहुंच होती है । इस का नतीजा यह होता है कि जो लोग वास्तव में मुस्तहक होते हैं, उन को कभी भी परमिट या लाइसेन्स नहीं मिलता है, बल्कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलता है, जो कि सरकार की निगाहों में हों, जिन को प्रोत्साहन दिया जाता है और जिन के द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है ।

अभी यहां पर पीपल्ज़ कार का ज़िक्र किया गया, लेकिन ख़ाली पीपल्ज़ कार की ही बात नहीं है । उत्तर प्रदेश में यह विश्वास दिलाया गया था कि मिर्ज़ापुर के पास रिहंद बांध से जो बिजली पैदा होगी, उस का ज्यादातर भाग देहात में दिया जायेगा, ग़रीब किसानों के प्रयोग के लिए दिया जायेगा, परन्तु पता नहीं किस तरह से ऊपर ही ऊपर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक मुआहिदा हो गया, जिस के बारे में यह बताया जा रहा है कि अभी तो वहां पर तैयार होने वाली बिजली का साठ परसेंट हिस्सा उस के एलुमिनियम कन्सर्न के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है और यह बात भी विचाराधीन है कि जब वहां पर बड़ा प्लांट लगे, तो और पावर वहां डाइवर्ट कर दी जाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्य तो यह सामने रखा गया था कि जनता के लिए, किसानों की उपज बढ़ाने के लिए वह योजना बनाई जा रही है, लेकिन अब उस का पूरा पूरा फ़ायदा एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा रहा है । क्या यह सोशलिज्म है ?

एक माननीय सदस्य : वह इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है ?

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : उन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है । सब लोग उन को जानते हैं । अभी वह एलुमिनियम प्लांट को बढ़ाने के लिए अमरीका जा कर और ज्यादा कर्ज़ लेने की बात कर रहे हैं ।

अगर हम ने समाजवाद और सोशलज्म की तरफ़ बढ़ना है, तो फिर मशीन के वर्किंग को ध्यान से देखना चाहिए कि क्या वह वाकई सही तौर पर चल रही है या नहीं । मुझे

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार का ध्यान इस ओर कभी भी नहीं जाता है कि नियंत्रण में ले लेने के बाद किसी संस्था या उद्योग को ऐसे ढंग से चलाया जाये कि उस का फ़ायदा साधारण जनता को पहुंचे, किसी व्यक्ति-विशेष को न पहुंचे। यह बात बिल्कुल ध्यान में नहीं रखी जाती है ।

इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब १९५१ के रेगुलेशन एक्ट की धारा १५, १६ और १८ के अन्तर्गत जब ये सोने और चांदी की खानें नियंत्रण में आयें और उन का कार्य-संचालन हो, तो उस समय अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस में लाइसेन्स सही तौर पर दिये जायें और उन व्यक्तियों को दिये जायें, जिन के द्वारा भ्रष्टाचार न हो ।

लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि यह सरकार समाजवादी आर्थिक व्यवस्था किस परह से देश में लायगी, जब कांग्रेस पार्टी देश में चुनाव लड़ने के लिए निकलते वक्त अपना इलेक्शन का कोष उन लोगों के द्वारा इकट्ठा करती है ? इस अवस्था में उस को कैसे साहस होगा कि वह मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट्स के खिलाफ़ कोई कार्य कर सके ? मैं कोई मनगढ़न्त बात नहीं कह रहा हूं । हमारे प्रदेश में एक दिन में केवल प्रधान मंत्री जी ने कई लाख रुपया चुनाव-फंड के लिए कैपिटलिस्ट्स से इकट्ठा कर लिया । मैं निवेदन करूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का श्रीगणेश, आरम्भ, इस तरह से होता है, उन लोगों के सरमाये की बिना पर होता है, तो फिर वह समाजवाद की बात किस तरह से कह सकती है । इस लिए मैं सरकार से कहूंगा कि या तो वह मिक्स्ड इकानोमी या समाजवाद वाली बात हटा दे और इस तरह से देश और देश की जनता को धोखा न दें, अथवा अगर उस ने सिन्सेरिटी के साथ समाजवाद स्थापित करने के लिए काम करना है, तो उस का कदम उसी के मुताबिक उठे । यह नहीं होना चाहिए कि दिखाने के लिए तो वह समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की बातें करें, परन्तु रोज़-बरोज़ वह पूंजी वालों को बढ़ाए और उन की परवरिश करें, मंत्री लोग उन के मेहमान बनें और हमेशा उन के इन्ट्रेस्ट और हितों को ध्यान में रखें ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर): मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं । परन्तु साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि अलौह पदार्थों के विवरण की विद्यमान प्रणाली से देश के औद्योगिक विकास की उन्नति नहीं हो सकती । मेरा अनुरोध यह है कि इस बारे में किसी अधिक अच्छी प्रणाली को अपनाया जाये । इस बारे में कठिनाइयों का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है ।

सोने चांदी के बारे में मेरा निवेदन है कि इनको विधेयक के अन्तर्गत लाने का तो मैं स्वागत करता हूं, परन्तु मेरा कहना है कि मंत्री महोदय यह बतायें कि इसका सोने के जमा न करने पर जो प्रभाव है, उसे बतादो अलौह तथा कीमती धातुओं के सम्भरण और वितरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और इस दिशा में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए । और यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है इसके उपबन्धों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाय । मुझे आशा है कि इस बारे में संगठित कार्यवाही होगी और सन्देहों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी । इन शब्दों मे मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल एक्ट है, इंडस्ट्रीज़ (डिवेलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट, १९५१, उस का जो शेड्यूल १ है उस में उन इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया गया है जिन पर सरकार कंट्रोल कर सकती है और उस शड्यूल में एक दुरुस्ती करने के लिये सरकार ने इस एमेंडिंग बिल को हमारे सामने पेश किया है। जो दुरुस्ती की जा रही है वह इस बारे में है कि जो नान-फेरस मैटल्ज़ हैं, उन में गोल्ड एंड सिल्वर भी आ जाय और यह चीज़ ज्यादा क्लीयर हो जाये और उस में किसी प्रकार की भी शंका की कोई गुंजाइश न रहे। इस वास्ते यह कह दिया गया है कि प्रेशस मैटल्ज़ इनक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इस के लिये जहां तक मैं समझ पाया हूं सरकार को धन्यवाद तो दिया ही जाना चाहिये और वह इसलिये कि जो इन का धंधा चलता है जो कारखाने चलते हैं वे इस तरह से नहीं चलने चाहियें कि जैसा उन धंधों को चलाने वाले लोग चाहें, करते चले जायें और उन के ऊपर सरकार का कुछ न कुछ कंट्रोल होना ही चाहिये। अगर हम ने यहां पर सोशलिस्टिक पटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करनी है जोकि हमारा लक्ष्य है तो उन को अपने तावे भी लिया जा सकता है। जो यह गोल्ड एंड सिल्वर का धंधा चलता है, यह भी बाकी न रह जाय जिस पर कि सरकार का कंट्रोल न हो, इस दृष्टि से जो यह कानून यहां पेश किया गया है, वह लाजिमी दिखाई देता है और मैं समझता हूं कि इस को पास कर दिया जाना चाहिये।

इतना कह चुकने के बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस किसी भी चीज़ को हम अपने हाथ में लें, उस को ठीक रीति से चलाने की भी हम को कोशिश करनी चाहिये, इम्प्लेमेंटेशन जिस को कहते हैं, वह ठीक ढंग से होना चाहिये। माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें यहां पर कही हैं और मैं समझता हूं कि वे सही हैं, उन में वज़न है। आज भी जो बटवारा होता है नान-फेरस और फेरस मैटल्ज़ का, उस के बारे में बहुत सी कम्पलेंट्स हैं। यह कहा जाता है कि जो बड़े नज़दीक के आदमी हैं या जो बड़े पूंजीपति हैं, उन को उस का ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है। यह बात आम सुनने में आती है। दूसरे कोई धंधा निकालने के लिये जो लाइसेंस दिये जाते हैं, उन में भी कोई इस तरह की बात न हो, इस की तरफ आप को विशेष ध्यान देना चाहिये। इस तरह की टीका के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये, कोई मौका किसी को नहीं दिया जाना चाहिये। साथ ही जो प्रिंसिपल जो ध्येय इस सरकार ने मंजूर किया है, उस को देखते हुए यह जरुरी है कि जो कोआप्रेटिव बेसिस पर धंधा चलता है, उस को ज्यादा से ज्यादा उत्तेजन दिया जाये। कई जगहों पर ऐसा नहीं किया जाता है वर्तमान में। एक दूसरी मुश्किल भी है जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्राईवेट ओनर्ज़ जो होते हैं, उन का जो धंधा होता है, उन के पास अधिक पैसा होता है लेकिन उस के साथ साथ जो वही धंधा करने वाली कोआप्रेटिव सोसाइटी होती है, उस के पास उतना नहीं होता है और उस को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो प्राइवेट ओनर है वह शुरु शुरु में नुक्सान भी बर्दाश्त कर सकता है, उस की यह भी कोशिश रहती है कि यह जो कोआप्रेटिव सोसाइटी है, इस का धंधा न चले और इस ध्येय की पूर्ति के लिये वह इस नुक्सान को भी शुरु शुरु में बर्दाश्त करने के लिये तैयार हो जाता है। मैं आप के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं। जब कपड़े पर कंट्रोल था, अनाज पर कंट्रोल था, उस वक्त सरकार इन सोसाइटियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, उन को कोटे दिया करती थी और प्राइवेट ओनर्स को भी साथ साथ दिया करती थी। लेकिन इन सोसाइटियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अगर आप कोआप्रेटिव बेसिस पर दुकानों को चलाना चाहते हैं और साथ ही साथ वहीं पर प्राइवेट ओनर्स को छूट देते हैं कि वे भी चला सकते हैं तो इस से बड़ी मुश्किल पैदा होगी। प्राइवेट ओनर्ज़ के साथ साथ कोआप्रेटिव बेसिस पर उस धंधे का चलाना मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में उस चीज़ को ले लेती है तब तो दूसरी बात है, अन्यथा इस तरह से वह चीज़ चल नहीं सकती है। यह बीच का रास्ता चल नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार ज़रा सोच विचार करे।

[श्री तुलसी दास जाधव]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी चीज़ों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है उन को जल्दी से जल्दी अपने हाथ में ले ले । जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, इन को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को सरकार को चाहिये कि वह अपने हाथ में ले ले । आज जो गड़बड़ी है, उस का यही इलाज है । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो टीका चलती है, वह चलती रहेगी । अभी मेरे भाई ने कहा कि जो बड़े बड़े सरमायेदार हैं, जो बड़े बड़े कपिटलिस्ट हैं, उन को सरकार की तरफ से लाइसेंस दे दिये जाते हैं और यह इसलिए किया जाता है कि इलेक्शन के लिये उन से पैसा लेना होता है । जब इस तरह की टीका की जाती है, तो मैं इस में कोई सार नहीं पाता हूं । दूसरे जो भाई हैं, दूसरी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, वे भी तो कहीं से पैसा लाती हैं और ऐसी बात तो है नहीं कि वे बगैर पैसे के काम करती हैं । लेकिन यह बात सही है कि ऐसी टीका करने के लिये भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं बच रहनी चाहिये । इस वास्ते जहां तक हो सरकार को ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को, ज्यादा से ज्यादा धंधों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और अपनी इस गति को तीव्र कर देना चाहिये । इस तरह की टीका से बचने का यही एक उपाय हो सकता है, यही एक रास्ता हो सकता है । जो प्राइवेट ओनर्ज़ होते हैं, वे कितनी बेपरवाही से धंधा चलाते हैं, इस की मिसाल अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर घटी एक घटना की माननीय श्री सोनावने ने दे दी है । वहां पर जो प्राइवेट ओनर्ज़ द्वारा चलाई जा रही स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है, उस में जो गड़बड़ी हुई है, उस ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है । सरकार सब कुछ देखते हुए भी कुछ कर नहीं सकती है । ऐसी उस की अवस्था है । इस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल तो चाहिये । लेकिन आगे जा कर मैं यह कहूंगा कि सरकार धंधे हाथ में ले, लेकिन उसी तरह से जिस तरह हम ने लैंड के बारे में किया था । जो बीच में लेंडलार्ड्स थे उन को निकालने के लिये हम ने टेनेन्सी एक्ट पास किया । उस के साथ साथ यह किया कि जमीन पर सीलिंग लगाई जिस में कि एक आदमी के पास बहुत ज्यादा जमीन न रहे, जिस तरह कि महाराष्ट्र में किया गया । इसी तरह से धंधों के बारे में भी जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाने चाहियें । म कहना चाहता हूं कि आज लोग राज्य की तरफ बड़ी आशा से देखते हैं कि उन गरीबों के लिये जिन को धंधा नहीं मिलता है और जिन की हालत बड़ी खराब है, उन के लिये यह सरकार जल्दी से जल्दी कुछ करे ।

मैं आप को शोलापुर स्पिनिंग और वीविंग मिल्स के बारे में बतलाना चाहता हूं । मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन सन् १६४६ से उस की हालत इतनी खराब है कि जहां पर पहले ६,००० वर्कर्स काम करते थे वहां आजकल केवल ३,००० वर्कर्स हैं । उन लोगों को काम नहीं मिलता । न तो सरकार ही कुछ करती है और न प्राइवेट ओनर्स ही उस की तरफ देखते हैं । इस तरह से उस मिल की हालत है । दूसरी वारसी शहर के मिल मालिक अफ्रीका में जा कर बैठ गये । वहां भी एक राजन् नाम की कपड़ा मिल है । इसलिये कहना है कि ऐसे जो धंधे हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होना चाहिये । अगर कंट्रोल कर के भी काम न चले, तो सरकार उन को अपने हाथ में ले कर चलाना चाहिये ।

मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बिल में जो अमेंडमेंट लाये गये हैं वह बहुत अच्छे हैं । सोने के बारे में मैं बार बार कहता हूं, और हम सुनते हैं कि कई लोगों के पास सोना बहुत है । इतना ही नहीं, कई लोगों के पास ब्लैक मार्केट का पैसा भी बहुत है, लेकिन उस का बाहर निकालना मुश्किल है । इस के लिए आप रास्ता बतलायें । इस कानून से यह भी हो जायेगा कि जिन खानों से सोना निकलता है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो सकेगा और इस से समाज में जो आर्थिक ऊंच नीच का भाव है वह पैदा न होगा । इसलिये इस बिल में जो अमेंडमेट लाया गया है, वह बड़ा अच्छा

है । मैं उस का हार्थिक समर्थन करता हूं । मेरा बार बार यह कहना है कि धंधों को अपने हाथ में ले कर हम लोगों को अपने ऊपर इस तरह की टीका करने का मौका न दें ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरा विचार था कि माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करते समय संशोधन विधेयक तक ही सीमित रहेंगे और चर्चा का क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं होगा । नौ माननीय सदस्यों ने विवाद में भाग लिया है । मैं ने सब की कही हुई बातों को नोट किया है । सब ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की नीतियों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों का भी उल्लेख हुआ । पक्ष और विपक्ष में माननीय सदस्य विचार व्यक्त करते रहे । मुझे आशा नहीं थी कि विवाद यह रुप धारण कर लेगा । और मुझे खेद है कि इस छोटे से संशोधन विधेयक पर सन्तोषजनक उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं रहा । क्योंकि समय बहुत ही कम है ।

मैं अपने प्रस्ताव तक ही सीमित रहूंगा । मेरा निवेदन है कि विधेयक का उद्देश्य केवल इस बात को स्पष्ट करना है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर भी लागू होता है । कुछ मूल बातों का उल्लेख किया गया है । मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में किसी को कोई सन्देह नहीं होना चाहिये कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं । इसी मूल सिद्धान्त पर ही हमारी योजनाओं का निर्माण हुआ है । हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों परन्तु सिद्धान्त रूप में बात ऐसी ही है । हमारा लक्ष्य वही है और यदि किसी को सन्देह हो जाये कि हम पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं तो यह निराधार है । यह कहना कि हम सरकारी खंड की नीति का गैर सरकारी खंड के पक्ष में त्याग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है । हमें यह अवश्य याद रखना चाहिये कि गैर सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के विकास से बहुत लाभ हुआ है । देश के विकास में दोनों को ही अपना अपना योग देना है । दोनों का विकास एक दूसरे पर आश्रित है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने गुण नियंत्रण की बात कही मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकारी क्षेत्र की बजाये गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक कुछ करना है । दोनों क्षेत्रों को गुण, उत्पादकता, किफायत से उत्पादन मूल्य में कमीं आदि का ध्यान रखना चाहिये । दोनों क्षेत्रों को अपने अपने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लागू किये जाने, उस के विकास विभाग और लाइसेंस देने की नीति की चर्चा की । मैं इस मामले में चाहूंगा कि एक पूर्ण वाद-विवाद किसी भी समय हो । वाद-विवाद में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस अधि-नियम का प्रशासन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और प्रशासन में कुछ कमी है उसे ठीक कर देना चाहिये । एक अन्य सदस्य ने कहा कि यह नियंत्रण बिलकुल ही हटा दिया जाना चाहिये ।

पण्डरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज़ की स्थिति की ओर संकेत किया । हमारे दिमाग में भी इसका ख्याल है हम नहीं चाहते कि कोई भी उद्योग गड़बड़ स्थिति में रहे । प्रशासन स्थिति के बारे में जागरूक और उद्योगों को मजबूत नीव पर खड़ा करने का भरसक प्रयत्न करेगा ।

इस अधिनियम के अधीन सरकार ने ५० औद्योगिक कारखानों को अपने अधीन ले लिया है और जरूरत पड़ने पर औरों को भी ले लिया जायेगा । आज सुबह राज्य सभा में मैंने बताया कि इंडिया इलैक्ट्रिकल वर्क कलकत्ता का प्रबन्ध अच्छा नहीं था इसलिये हमने उसे अपने हाथ में ले

†मूल अंग्रेज़ी में

लिया है। वहां पर भविष्य निधि और बकाया वेतन आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे गये। तो मैंने कहा कि पहले हमें उद्योग को ठोस आधार पर खड़ा करना है उस के बाद हम अन्य जिम्मेदारियां पूरी करेंगे।

जहां तक शोलापुर मिल्ज़ का सवाल है जुलाई, १९६२ में उसकी जांच के लिये श्री राजा राम के सभापतित्व में एक समिति बना दी गई है और उसकी रिपोर्ट मिलने पर भी हम इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे अन्यथा मामले न्यायालय में उठाये जायेंगे और यह सभा भी हमारी कार्यवाही की आलोचना करेगी।

अलग अलग मामलों के बारे में वाद विवाद में जवाब पाना मुश्किल है यदि माननीय सदस्य मुझ से अलग में मिलें तो मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकता हूं।

श्री बनर्जी ने बी० आई० सी० के बारे में जिक्र किया। इस का एक बड़ा लम्बा इतिहास है जिसका पूरा विवरण मैं सभा में नहीं दे सकता मैं इतना बता सकता हूं कि सरकारी शेयर न तो किसी को बेचे गये हैं और न कोई हस्तांतरण हुए हैं। और कोई हस्तांतरण करने का फिलहाल विचार भी नहीं है। माननीय सदस्यों ने श्री बजोरिया का ज़िक्र किया। मेरा कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उक्त फर्म का प्रबन्ध हो रहा है न्यायालय के निर्णय की प्रति अभी मिली नहीं है और मामला एक प्रकार से निर्णयाधीन है अतः इस मामले पर अधिक ब्यौरे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि बी०आई० सी० के मामले में भी हम जो कुछ करेंगे वे लोक हित और देश के उद्योगीकरण के हित के विरुद्ध नहीं होगा।

श्री बनर्जी ने और भी कई बातों का ज़िक्र किया और कोलार की सोना खान के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में भी कहा। बीस हजार कर्मचारियों का मामला है इस सम्बन्ध में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं इस क्षेत्र में पला हूं और वहां के कर्मचारियों से मेरा निकट का सम्बन्ध है। भारत सरकार मैसूर राज्य सरकार से सोने की खानें अपने हाथ में ले रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि कर्मचारियों की सभी उचित मांगें पूरी की जायेंगी।

इस अधिनियम के प्रशासन और कार्यान्विति के बारे में मुझे कुछ कहना है। हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिनियम के उपबन्ध को ईमानदारी, न्यायोचित तथा तत्परता के साथ लागू किया जाये। पूर्णतः का दावा तो नहीं किया जा सकता लेकिन यह काम सन्तोषपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। मैं लाइसेंस नीति, प्रक्रिया आदि का ब्यौरा अभी दे सकता हूं। जब भी प्रक्रिया से दूर जाकर कोई काम किया गया है तब कोई ऐसा कार्य था जो फर्म ने पूरा नहीं किया। यदि कभी किसी कार्य में विलम्ब हुआ है तो इसके लिये स्वयं फर्में ही उत्तरदायी हैं मैं यह नहीं कहता कि कभी कोई त्रुटि नहीं हुई है। कभी कभी लोगों ने गलत ढंग अपना कर लाइसेंस प्राप्त किये हैं यद्यपि इसके लिये सरकार भी उत्तरदायी है लेकिन वे लोग भी उत्तरदायी हैं जो लोग गलत तरीके अपनाकर लाइसेंस लेकर शीघ्र धनी बन जाते हैं। कुछ व्यक्ति सरकारी पदाधिकारियों को भ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इस दिशा में सतर्कता की आवश्यकता है। इसके लिये सरकार, संसद्, माननीय सदस्य और आम जनता का कर्तव्य है कि वे सब मिल कर देश में नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। ये राष्ट्रीय अभियान है एक मंत्री के अकेले का काम नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा कि चोरी से माल लाने और ले जाने को किस प्रकार से रोका जा सकता है। एक माननीय सदस्य ने तो यह भी कहा कि मैं देशसवासियों की धन सम्पत्ति को

हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहा हूं । यह कहना कि इस विधेयक की पृष्ठ भूमि में कोई दुर्भावना है इससे लोगों को उत्तेजित किया जा सकता है । यह राजनैतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न है । एक माननीय सदस्य ने हिन्दी में भाषण दिया---मैं उसे भली प्रकार नहीं समझ सका उन्होंने वित्त मंत्री के कथित वक्तव्य का निर्देश किया कि देश में एकत्रित ४,००० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । इस विधेयक का ये मंशा नहीं है । भविष्य में उत्पन्न होने वाले विभिन्न मामलों के बारे में सरकार की क्या नीति होगी सभा में यह सब बातें बताना उपयुक्त नहीं है । इस अधिनियम का लक्ष्य है---मूल्यों का नियंत्रण, वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि । खनिज संसाधनों और सोने की खानों के लिये लाइसेंस देने की बात इस मौजूदा विधेयक से इससे सुसंगत नहीं है ।

चोरी से माल लाने और ले जाने को रोकने के लिये उठाये जाने वाले कदम का विवरण देना यहां उपयुक्त नहीं है । भविष्य में जो व्यवस्था की जायेगी उसका प्रचार अथवा उन पर चर्चा या उनका प्रसारण किया जाना उचित नहीं है । ऐसा करने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

जस्ता, तांबा आदि जैसी अलौह वस्तुओं के वितरण का भी ज़िक्र किया गया । मेरे सहकारी मंत्री ने इस बारे में कुछ उत्तर दिया था । कठिनाई यह है कि हमारे देश में अलौह धातुओं की कमी है और हमें उनका आयात करना पड़ रहा है । जिसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है । पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की उपलब्धि नहीं । यही सब से बड़ी कठिनाई है ।

इन धातुओं के वितरण का काम राज्य सरकारें करती हैं इसके लिये उनकी अपनी व्यवस्था है हां अगर किन्हीं मामलों में कोई अन्याय हुआ हो तो हम उसे ठीक करने के लिये तैयार हैं ।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अधिकांश बातों का उत्तर दे चुका हूं और मैं समझता हूं कि वे सभी सन्तुष्ट हैं मुझे आशा है कि इस संशोधन विधेयक पर वे सर्वसम्मति से अपनी राय देंगे । अन्त में मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि संशोधन नहीं है अतः मैं खण्डों को मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न ये है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री क० च० रेड्डी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

परिसीमन विधेयक

सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से कि यह सभा मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त सभा में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें : अर्थात् श्री अ० शं० आल्वा, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री बड़े, श्री रा० बरुआ, श्री प० ला० बारुपाल, श्री ज० ब० सिं० बिष्ट, श्री प्र० चं० बरुआ, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री दाजी, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री मे० क० कुमारन, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्री मंत्री, श्री गोपाल दत्त मैंगी, श्री कृ० ल० मोरे, श्री मुथिया, श्री उस्मान अली खां, श्री विश्वनाथ पांडे, श्री मान सिंह पृ० पटेल, श्री भोला राउत, श्री अ० कु० सेन, श्री बिशन चन्द्र सेठ, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, श्री सोलंकी, श्री अ० ना० विद्यालंकार, श्री वीरभद्र सिंह, श्री वाडीवा, श्री अब्दुल वहीद, और श्री विभुधेन्द्र मिश्र ।"

इस विधेयक का प्रयोजन विधि आयोग को तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लाग करना है । जहां तक धाराओं का सवाल है, उनके बारे में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशें अर्थ स्पष्ट करने या भाषा स्पष्ट करने के लिये हैं ।

मैं केवल दो महत्वपूर्ण संशोधनों की चर्चा करूंगा । एक संशोधन भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा २९ के बारे में स्वीकार कर लिया गया है । धारा २९ के उपबन्धों के अधीन इस विषय की कुछ धारायें विशेष कानून और स्थानीय कानून पर लागू होती हैं ; सब धारायें नहीं । अतः विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि भारतीय परिसीमन अधिनियम की सभी धारायें किसी विशेष या स्थानीय कानून पर क्यों न लागू हों । स्थानीय या विशेष कानून के लिये छूट होगी कि वह भारतीय परिसीमन अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से बाहर रहें । इसे स्वीकार कर लिया गया है ।

दूसरा सुझाव कि भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा २६ और २७ का निरसन किया जाये, स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि सुविधा का किसी भी सूची में विशिष्ट रुप से उल्लेख नहीं है । चूंकि यह भूमि का अधिकार है, इसलिए यह संभवतः 'भूमि' के अन्तर्गत आता है । यह राज्य का विषय है । इसलिए संसद इस के सम्बन्ध में कानून बना कर इसे सारे राज्यों पर लागू नहीं कर सकती । राज्य इसे उन क्षेत्रों में जहां यह लागू नहीं है । ये लागू कर सकते हैं । तब ऐसे क्षेत्रों पर भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा में २६ और २७ लागू नहीं होंगी । इसलिए यह उचित समझा गया है कि ये धारायें वैसी की वैसी ही रखी जायें ।

विधि-आयोग ने सिफ़ारिश की है कि अनच्छेदों का वर्गीकरण नियम के अनुसार किया जाये और उसे श्रेणी के अनुच्छेदों में एकरूपता होनी चाहिये । उसका तीसरा सुझाव यह है कि परिसीमन के शुरू होने की तिथि कार्यवाही की तिथि से शुरू होनी चाहिये । जहां तक पहले दो सुझावों का सम्बन्ध है, ये स्वीकार कर लिये गये हैं और अब अनच्छदों को १० शीर्षकों के अन्तर्गत बांट दिया गया है और जहां तक संभव है उसी श्रेणी के दावों के सम्बन्ध में एकरूपी आधार पर अवधि को निश्चित कर दिया गया है । किन्तु तीसरे सुझाव को इस सरल कारण से स्वीकार नहीं किया गया कि वर्तमान प्रबन्ध जिस अन्तर्गत प्रत्येक मामले में परिसीमन के आरम्भ होने के निश्चित समय की व्यवस्था की गई है, जारी रहने चाहियें क्योंकि इस का न्यायिक निर्वचन हो चुका है । इससे वे केवल व्यक्तियों को कठिनाई का सामना होगा, अपितु अनेक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी । इसलिए यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया ।

इसके बाद विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि संविदे और जिल्ह के सब मामलों में परिसीमन की अवधि एक ही अर्थात् तीन वर्ष होनी चाहिये । जहां तक संविदों का सम्बन्ध है, सुझाव बहुधा स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु जिल्ह के मामलों में, इसका कोई सन्तोषजनक कारण नहीं खोजा गया कि उन मुकदमों के परिसीमन को जो इस समय केवल एक वर्ष है, बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया जाये । इसलिए केवल उन मामलों को छोड़कर जिन में परिसीमन की अवधि पहले से दो या तीन वर्ष है, वर्तमान उपबन्ध को वैसे ही रखा गया है ।

जहां तक सरकार के विरुद्ध मुकदमों का सम्बन्ध है, अधिनियम में चार अनुच्छेद हैं । अनुच्छेद २ के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, विधि आयोग ने सिफारिश की है कि परिसीमन ९० दिनों से तीन साल कर दिया जाये । किन्तु इसे एक साल कर दिया गया है । अनुच्छेद २ को अनुच्छेद ७२ में मिला दिया गया है और अब इस का पृथक अस्तित्व नहीं होगा ।

जहां तक अनुच्छेद १४९ अर्थात् सरकार द्वारा या सरकार की ओर से दावे का सम्बन्ध है परिसीमन की अवधि को ९० वर्ष से घटा कर ३० वर्ष कर दिया गया है । अनुच्छेद १५ और १६ के अन्तर्गत परिसीमन की अवधि १ वर्ष है । इन अनुच्छेदों को अब हटा दिया गया है और अब परिसीमन अवधि को १ वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर देने का प्रयत्न किया गया है ।

एक सुझाव यह दिया गया है कि न्यायिक निर्णयों में भेद के कारण अनुच्छेद १४२ को संशोधित किया जाये । अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद १४२ को केवल कब्ज़ों के लिये किये गये दावों पर आधारित किया जाये तथा अनुच्छेद १४४ को केवल सम्पत्ति के मालिकों के लिये ही रखा जाये ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि अनुच्छेद १८२ और १८३ को बिल्कुल ही हटा दिया जाये । क्योंकि विधि आयोग की राय में विभिन्न न्यायालयों के लिए परिसीमन की अवधि भिन्न भिन्न रखने की आवश्यकता नहीं है ।

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र]

जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को अपील के मामले का सम्बन्ध है, समय को अब ६ दिन से घटा कर ३० दिन कर दिया गया है। जहां तक व्ययहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपीलों का सम्बन्ध है अवधि ९० दिन से घटाकर ६० दिन कर दी गई है। विधि आयोग ने यही मुख्य सुझाव दिये हैं।

आनुषंगिक उपबन्ध को भी स्वयं परिसीमन विधेयक में स्थान दे दिया गया है। यह बात अच्छी तरह मालूम है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा ६ को देखते हुए जहां भी समय पहले से अधिक है और बढ़ा दिया गया है, वे मामले पुनः नहीं उठाये जा सकते जो अवरुद्ध हो चुके हैं। अब समय कम है इस लिए जब तक कोई सहायक खंड न हो, इस से कुछ कठिनाई होगी। ऐसे मामलों के लिए खंड २९ रखा गया है।

इन शब्दों के साथ में संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से कि यह सभा मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने और तत्संबंधी प्रयोजनों के लिये विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें : अर्थात् श्री अ० शं० आल्वा, श्री फ्रेंक एन्थनी, श्री बड़े, श्री रा० बरुआ, श्री प० ला० बारुपाल, श्री ज० ब० सि० विष्ट, श्री प्र० चं० बरुआ, श्री सचीन्द्र जौधरी, श्री त्रिदिब कुमार, चौधरी श्री दाजी, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री मे० क० कुमारन, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्री मंत्री, श्री गोपाल दत्त मैंगी। श्री कृ० ल० मोरे, श्री मुथिया, श्री उस्मान अली खां, श्री विश्वनाथ पांडे, श्री मान सिंह, पृ० पटेल श्री मोला राउत, श्री अ०कु० सेन, श्री बिशन चन्द्र सेठ, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, श्री सोलंकी, श्री अ० ना० विद्यालंकार, श्री बीर भद्र सिंह, श्री वाडिया, श्री अब्दुल वहीद, और श्री विभुधेन्द्र मिश्र।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

श्री बागड़ी : हां उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि बाढ़ों और सैलाबों के जो खौफनाक नतायज आज भारत के बहुत बड़े हिस्से में हुए हैं वह बहुत देर से चर्चा के लिये इस सदन में आये हैं। बहुत अच्छा होता अगर इस गम्भीर मसले पर लोक सभा पहले ही कुछ सोचती और चर्चा करती। इस के लिये सोचती कि अपने देश में जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनके लिये क्या उपाय किया जाय तो अच्छा होता। लेकिन खैर, आज तो सदन में यह चर्चा उठाने का मौका मिला है कि भारत के अन्दर आज आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बहुत खतरनाक नतायज निकले हैं। इस बाढ़ के पंजों में आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, एक

†मूल अंग्रेजी में

करोड़ के लगभग इन्सान, फंसे हैं, मौत और जिन्दगी के दोराहे पर खड़े हो कर अपने वक्त को गुजार रहे हैं। आज उसी बाढ़ पर चर्चा करने का मौका सदन में आया है।

मैं आपकी मार्फत अपनी सरकार से और सदन के आनरेबल मेम्बरों से यह निवेदन करूंगा कि इस गम्भीर मसले को सिर्फ चर्चा तक ही न रक्खें बल्कि इसके गर्भ से उनको कुछ तत्व भी निकालना चाहिये। आज जो भूखे लोग लोक-सभा की तरफ, इस पवित्र सदन की तरफ आंख लगा कर बैठे हैं कि हमारे नेता हमारे लिये कुछ करेंगे, उनके लिये हमें गम्भीरता से सोच कर कुछ करना चाहिये।

अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर यह बाढ़ या सैलाब किस तरीके से आया। आया यह बाढ़ एक ईश्वरीय देन है, खुदा का कहर है, ईश्वलर का कोप है, या इसके अन्दर किसी और का भी कोई दोष है। मैं इस चीज को वहां से शुरू करता हूं जब सन् १९४६ में हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री इस देश के नेता थे। वे बार बार पुकार पुकार कर अपने लेक्चरों में कहते थे कि भारत के अन्दर जो बाढें आती हैं, उसमें जो हजारों और लाखों इन्सान अपनी जिन्दगी पास ही खड़ी मौत के साथ लिपट कर काटते हैं, वह सिर्फ खुदाई कहर नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन की देन भी है, अंग्रेजी शासन की गफलत भी है, अंग्रेजी शासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार भी है। अमर शहीद पूज्य बापू ने कहा था कि किसी वक्त की सरकार जो बाढ़ पीड़ितों के, बाढ़ की जो बीमारी है उससे ग्रसित लोगों से, यह कह कर कि यह बीमारी, यह रोग, यह बाढ़ खुदा की देन है, अपने आप को दोष से छुटकारा दिलाती है, वह पापी सरकार है और पास से मुक्त नहीं हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम को यह बात सोचनी है कि अगर बाढ़ सिर्फ खुदा की देन नहीं है, तो आज़ाद हिन्दुस्तान के अन्दर पन्द्रह सालों के अर्से में बार बार बाढ़ आई है, यह मैं मानता हूं कि कोई भी ऐसा अभागा मनुष्य नहीं है जो यह चाहता हो कि हमारे देश के अन्दर ऐसी बाढ़ आये जिससे हमारे लोग दुखी हों, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि हमारी सरकार इस बात के लिये दोषी है कि जब यहां बार बार बाढ़ आती हो, हिन्दुस्तान के बेशतर हिस्सा बाढ़ के अन्दर ग्रसित होता हो, इतना कौमी नुकसान होता हो, तो उसने कोई प्रयत्न उसको रोकने का नहीं किया, उसका कोई भी प्रयत्न कामयाब नहीं हुआ, और वह प्रयत्न उसको दोष से मुक्त नहीं कर सकता। हमें यहां पर आज प्रधान मन्त्री के उन शब्दों की याद आती है हैं जो वह अंग्रेजी राज्य के अन्दर कहा करते थे कि यह रेल की पटरियों यह नहरें, यह सड़कें, बगैर किसी ढलान को देखे हुए, बगैर ऊंची नीची जमीन को देखे हुए, जो अंग्रेजी सरकार ने स्वंम् अपने हित और व्यापार के वास्ते बनाई हैं, यह हिन्दुस्तान के अन्दर बाढ़ का बुलाया है। आज क्या हमारे प्रधान मन्त्री के वह शब्द पलट गये ? क्या वह वक्त पलट गया, क्या वह तौर तरीके पलट गये? क्या जो रेल की पटरियों अंग्रेजी राज्य में थीं उनके ऊंचे नीचे ढलान के तौर तरीके में परिवर्तन हो गया ?

यह जरूरी बात है कि हम लोग बाढ़ के समय अपने घर से पानी नहीं डालते हैं। पानी तो जमीन से या पहाड़ों से आता है, लकिन उस पानी के आवारापन को, उस पानी के जाहिलपन को, उस पानी के तबाह करने का जो क्रम है, उसको अगर आप रोक नहीं पाते हैं तो उस को [illegible] सरकार है, सिर्फ खुदा नहीं, सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ प्रकृति नहीं।

आखिर बाढ़ें आती क्यों हैं ? बाढ़ें आने के तीन कारण हैं। अगर असम, बिहार और उत्तर प्रदेश की बाढ़ों के सम्बन्ध में हमारे मन्त्री महोदय की रिपोर्ट को देखा जाय तो बाढ़ों का एक कारण तो यह है कि जो नदियां हमारे देश के अन्दर आती हैं वह बाढ़ के पानी से जब किनारों को काटती हैं तो रेता साथ लाती हैं। इससे नदियों की जो गहराई है वह कम होती जाती है और फैलाव बढ़ता जाता है और उससे बाढ़ बनती जाती है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजों को कोसा करते थे वह भी बाढ़ का एक कारण हैं तो वह भी आज इस देश में बदस्तूर बाढ़ का कारण

हैं । दूसरा यह कारण है । जो बाढ़ आती हैं उसका तीसरा कारण हमारी सरकार की काफी से ज्यादा गफलत है और इन चीजों को न रोकने की है । जिस तरह की स्कीमें कागजात के अन्दर बनती हैं उन के अन्दर भ्रष्ट नीति और घृष्ट नीति चलती है और भाई भतीजेवाद का वहां पर बोलबाला है । मामा भांजे का चूंकि रिश्ता वहां पर चलता है इसलिये काम ठीक से पूरा नहीं हो पाता है । रिश्तेदार का एक गांव बचाना हुआ तो भले ही उसके लिये ५०---१०० गांव डूब जायं कोई चिन्ता की बात नहीं है । अब गोरखपुर के अन्दर मिनिस्टर के एक रिश्तेदार के गांव को बचाने के लिये ५० गांव सैलाब के मुंह में चले गये । यह भी एक वजह है जिससे कि यह बाढ़ और सैलाब रुकते नहीं हैं बल्कि बढ़ते हैं ।

अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि यह गन्डक नदी एक ऐसी नदी है जिसका कि किसी को पता नहीं है । भोले से भोला इंसान तक जानता है कि यह गंडक नदी कितना नुकसान करती है और यह रुक सकता था अगर वह नैपाल बांध बन जाता । वह नैपाल बांध कब बन सकता था ? वह तब बन सकता था जबकि नैपाल और हिन्दुस्तान की आपस में मैत्री थी । एक घर था, एक जैसी वाणी थी और एक कर्म था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बाढ़ को कोई अहमियत नहीं दी गई और यू० पी० और बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया । उस वक्त अगर नैपाल के साथ वार्त्तालाप करके बांध को बांध दिया जाता तो आज बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके से दरख्तों पर खड़ी रह कर जिन्दगी नहीं गुजारती । माताओं की कोख में नन्हे नन्हे मासूम बच्चे माताओं का खून पीकर अपनी जिन्दगी को मौत के साथ न टकराते । सांप और बिच्छुओं की चारों तरफ पानी के अन्दर बौछार और इंसान जिन्दगी की आखिरी सांसें लेता हुआ और मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देखा जाता । दिल को दहलाने वाला भयंकर दृश्य हमने न देखा होता । इस भयंकर दृश्य को दिखाने के लिये आप दोषी हैं क्योंकि आपने यह बांध क्यों नहीं बनाया जबकि आपके नैपाल के साथ अच्छे ताल्लुकात थे ? आज तो बात बहुत दूर चली गयी लेकिन उस वक्त जो आपने यह नहीं किया उसके लिये आप को ही दोषी ठहराया जायेगा ।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सन् ५२ या ५३ में मैंने डिब्रूगढ़ और गौहाटी में जो भयंकर बाढ़ आई थी उसको हवाई जहाज से देखा था । डिब्रगढ़ की हालत भयंकर थी । आज भी वही दौर है बल्कि हालत उससे भयंकर होती जा रही है और उससे आगे बढ़ती जा रही है । आपने बाढ़ से बचाने के लिये डिब्रूगढ़ के लिये प्लान बनाया है लेकिन कल जिस डिब्रूगढ़ के लिये प्लान नहीं था और वह खतरे में था आज जबकि उसके लिये आपने प्लान बनाया हुआ है तब भी वह खतरे में है। आज भी वही शहर गोरखपुर और बलिया वगैरह जहां कि बाढ़ के प्रकोप से मौत नंगा नाच नाचा करती थी आज भी उसका नाच बदस्तूर जारी है । इन आपके प्लानों और प्रोग्रामों से रीति नीति से कोई फायदा नहीं हुआ है ।

हमारे आदरणीय मन्त्री महोदय का लोकसभा में ४ सितम्बर १९६२ को दिया हुआ स्टेटमेंट हमारे सामने है । उन्होंने उसमें कुछ आंकड़े भी दिये हैं । मैं नहीं कह सकता कि हमारे बुजुर्गवार ने यह आंकड़े कहां से मौसूल किये हैं---राज्य सरकारों से प्राप्त किये हैं या कोई इलहाम आया है जहां से कि यह आंकड़े उन्होंने इकट्ठे किये हैं ? लेकिन एक बात बड़े मार्के की है कि राज्य सरकारों के आंकड़े और आपके आंकड़े बिल्कुल मिलते नहीं हैं, विपरीत चलते हैं, अलग अलग चलते हैं । उदाहरणस्वरूप मैं आपको बतलाऊं कि मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में १४.१८ लाख एकड़ जमीन एफैक्टेड हुई । ३६ लाख ९७ हजार इन्सान बाढ़ से एफैक्टेड हुए । ५७५२ गांव एफैक्टेड हुए । २७९१३ मकानों को नुकसान पहुंचा और नष्ट हुए । २० इंसान मर गये और ८ मवेशी मरे ।

अब मैं नहीं कह सकता कि यह जो आंकड़े हाफिज साहब ने दिये हैं वे सही हैं या वहां उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री ने कौंसिल में ३ तारीख को अपने स्टेटमेंट में जो आंकड़े दिये हैं वे सही हैं ? लेकिन एक बात तो यह तय है कि या तो उनके आंकड़े गलत हैं और हाफिज साहब के आंकड़े सही हैं या फिर उलटी बात है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है यह मैं कैसे कहूं ? लेकिन यह तो बात तय है कि दोनों सही नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री के अनुसार ८६०० देहात इन बाढ़ों से एफैक्टेड हैं जबकि हमारे मन्त्री महोदय के अनुसार ५७५२ गांव एफैक्टेड हैं। इसी तरह से हमारे मन्त्री महोदय के अनुसार डैमेज्ड एण्ड डिस्ट्रायेड मकानों की तादाद २७६१३ है लेकिन उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री के कथनानुसार उनकी तादाद ३५४०० है। हाफिज जी के अनुसार २० आदमी मरे हैं जबकि उनके अनुसार २७ मरे हैं और आज के अखबार में मृतकों की संख्या ३५ है। यह तो रही यू० पी० की बात।

बिहार के बारे में हाफिज साहब ने पटने में जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने बतलाया कि ४६४३ मकान सैलाब की जद में आकर खराब हुए या बर्बाद हुए जबकि इस स्टेटमेंट में वह तादाद सिर्फ १८६२ ही बतलाई गई है। असम के बारे में वे लिखते हैं कि ६ लाख ६ हजार इंसान बाढ़ से एफैक्टेड हुए लेकिन वहां के मुख्य मन्त्री ने ३१ अगस्त को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें वह बतलाते हैं कि १ लाख ३०८०० मकान नष्ट हुए हैं जबकि आप बतलाते हैं कि ३८०० मकान नष्ट हुए हैं। आप मौतें ४५ बतलाते हैं जब कि वहां के मुख्य मन्त्री साहब बतलाते हैं कि १०० से ज्यादा अमवात हुईं। अब डिप्टी स्पीकर साहब आप ही बतलायें कि किस का स्टेटमेंट सच है ? हमारे मन्त्री महोदय का स्टेटमैंट सच है या उन राज्य सरकारों के मंत्रियों का स्टेटमेंट सच है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस किस तारीख के हैं ?

श्री बागड़ी : वह ३१ अगस्त का है। अब पुनः जो कर नया रूप धारण करके आ गये हों तो मुझे पता नहीं। कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका आ गया हो तो मुझे पता नहीं........

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तक खबर आने में दो, तीन रोज की देर होती है।

श्री बागड़ी : यह बयान माल मंत्री का ३ सितम्बर का है जोकि उन्होंने यू० पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल में दिया है। खैर मैं किसी को क्यों झठा कहूं ? दोनों ही सच हैं दोनों मिल कर सच हो जायें तो भी बड़ी खुशकिस्मती है इस देश की कि दोनों का स्टेटमेंट मिल जाय। बड़ी अच्छी बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक करोड़ इंसान आज ऐसी भयानक हालत में हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश का ४५वां हिस्सा ४५ में से एक इंसान आज पानी के अंदर घिरा हुआ है। सोयें तो पानी पर सो नहीं सकते, बैठें तो पानी पर बैठ नहीं सकते। सांप और बिच्छू और जंगली जानवर वह दर्दनाक नज्जारा जो सैलाब के अंदर हुआ करता है वह हमारे मंत्री महोदय ने हवाई जहाज से देखा होगा और उस के फोटो भी लिये होंगे। उन को अच्छे तरीके से याद होगा कि खाने पीने का क्या साधन है ? उन को मदद दी है बड़ी हातिमताई की कब्र पर लात मार दी है सरकार ने। सरकार की मदद के आंकड़े मेरा खयाल है आनरेबुल मिनिस्टर ने बड़े जोश और जोम में आ कर बतलाये हैं मानों सारे देश की सम्पत्ति उन भूखे लोगों के लिये उन्हों ने लुटा दी हो। यू० पी० के अंदर ३६ लाख लोग एफैक्टेड हैं और जो इमदाद उन को दी गई है वह ५ आने फी कस जा कर उस का औसत पड़ता है। ५ आने फी कस सरकार की तरफ से इमदाद दी जाती है अब वह बाढ़ में मरे जियें सरकार बेचारी इस के लिये क्या करे और वह उन की कितनी मदद करे। आसाम को दिया गया है ५४ लाख रुपया और वहां पर एफ़ैक्टिड हैं ६६ लाख लोग। इस प्रकार एक करोड़ रुपये का नुक्सान सारे भारत का हुआ है। इस तरीके से एक अरब रुपया इस साल खर्च हुआ है, जो बार-बार खर्च होता है, जो वेस्ट और तबाह होता है। अगर हमारी सरकार इमर्जेन्सी की हालत की बिना पर, इस को एक कौमी काम समझ कर, एक कौमी काज़ समझ कर, सब दलों और जनता

[श्री बागड़ी]

को साथ ले कर आगे बढ़ती और देश में सैलाब या बाढ़ की रोक-थाम के लिये कुछ काम करती और एक, दो, चार अरब रुपया इस पर लगा देती, तो यह अरबों रुपयों का नुक्सान न होता, आज जो इन्सानों की इन्सानियत ख़तरे में है, वे दर्दनाक बातें आज नज़र नहीं आतीं ।

क्या हम कुछ कर सकेंगे ? मुझे तो लज्जा महसूस होती है, किसी और को हो या न हो, कि जब ४५ में से एक आदमी इतना दु:खी हो, तो हमारी कैबिनेट के मिनिस्टर इसी तरीके से पार्टियों में जाते रहें और एक दिन भी हिन्दुस्तान की दर्दभरी आवाज़ कौम के सामने न रखें कि एक करोड़ इन्सान दु:खी हैं । फिर उन को यह कहने का क्या हक है कि हम इस देश की किस्मत को बनाने वाले हैं, हम देश के रहबर हैं ? वे भूल कर भी एक दिन या एक वक्त की भूख न सह सकें और कौम के नाम एक अपील भी न कर सकें । हो सकता है कि हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब रहमत और दान के नाते अपने फ़ंड में से कुछ पैसा भेज दें, लेकिन इस से देश और कौम नहीं उठ सकती, इस बाढ़ के कारण जो देश की दरिद्रता है, वह मिट नहीं सकती । मंत्री महोदय से मैं क्या कहूं ? क्या हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय बाढ़-पीड़ित इलाकों में गये ? जब इलैक्शन की घंटी बजी, तब तो वह सरकारी ख़ज़ाने का ख़र्चा लगा कर सारे देश में हवाई जहाज़ पर उड़े, लेकिन जब हिन्दुस्तान की जनता मर रही हो, तड़प रही हो, मासूम बच्चे अपनी माओं की छातियों के साथ लिपटे हुए हों और जब दूध न हो, तो उन की छातियों से खून पीते हों, ऐसे दर्दनाक वाकये को देखने के लिये हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, साधन नहीं मिला कि वह अपनी आंखों से उस को देखें ।

मैं समझता हूं कि अगर सब से ज्यादा गुनाह है, अगर सब से ज्यादा कमी है, तो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के फ़ेल की है । आज पांच आने फ़ी-कस दे कर यह समझा जाता है कि हातमताई की कबर को लात मार दी **

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : बिल्कुल ग़लत है । औचित्य प्रश्न के हेतु । यह एक झूठा वक्तव्य है और इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये । **(अन्तर्बाधा)**

कुछ माननीय सदस्य : यह ग़लत बात है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ऐसे वक्तव्य न दें ।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : यह नियम बाह्य और असंगत है । **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इन शब्दों को वापस ले लें, नहीं तो मैं उन को एक्सपंज करूंगा ।

श्री बागड़ी : डिप्टी स्पीकर साहब, किस बात के लिये, क्यों वापस ले लूं ? आप मुझे वजह बतायें कि मैं इन शब्दों को क्यों वापस ले लूं । मैं इस लफ्ज़ को . . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री बड़े (खारगौन) : यह असंसदीय नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह प्रत्यक्षत: झूठा वक्तव्य है और ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये ।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बदरुद्दुजा** (मुर्शिदाबाद): यह गलत हो सकता है परन्तु असंसदीय नहीं है। वे क्यों इसे वापस लें ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपने वक्तव्यों के लिये उत्तरदायी होना चाहिये।

श्री बागड़ी : हम इस वक्त बहस कर रहे हैं फ्लड से हिन्दुस्तान की जनता को बचाने के लिए।** लेकिन दर्द नहीं उठता, जब मासूम बच्चे अपनी माताओं की छातियों से चिमट कर आज खून पीते हैं। (**अन्तर्बाधा**)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने क्या दिया ? उन को दूध की बोतल दी ? एक सेर चावल उनको दिया ? दो रुपया उन को दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री बागड़ी : अगर उस पर भी दर्द नहीं हुआ, तो शर्म आनी चाहिये। (**अन्तर्बाधा**) अगर ये माननीय सदस्य किसी को बोलने नहीं देंगे तो वे भी नहीं बोल सकेंगे। (**अन्तर्बाधा**)। डिप्टी स्पीकर साहब, यह शक्ति का बोल-बाला है। ये ट्रेज़री बेंचिज़ के लोग हम लोगों के बारे में कहते हैं कि हम लोग दखल-अंदाज़ी करते हैं। अगर वे इस तरीके से हुल्लड़ मचायेंगे, तो जब वे बोलेंगे, उस वक्त भी हुल्लड़ होगा,। अगर यह रिवाज रहेगा, तो उस को कौन रोक सकेगा। (**अन्तर्बाधा**)

श्री शिव नारायण : (बांसी) : माननीय सदस्य को इन शब्दों को वापस लेना चाहिये।

श्री बागड़ी : अगर मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट रेस्पांसीबिलिटी पर मबनी है . . .

†**श्री का० ना० पांडे** (हाटा): औचित्य प्रश्न के हेतु। क्या प्रत्येक सदस्य को आधा घंटा दिया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं। उन्हें अब समाप्त करना चाहिये।

श्री बागड़ी : डिप्टी स्पीकर साहब, यह मोशन मैंने रखना है। एक करोड़ इन्सानों की ज़िन्दगी का सवाल है। (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप ने पच्चीस मिनट ले लिये हैं। अब आप समाप्त करें। (**अन्तर्बाधा**)

श्री बागड़ी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन से बात करूं या आप से ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने पंद्रह मिनट से ज्यादा ले लिये हैं।

श्री बागड़ी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की मार्फ़त इन से अर्ज़ करूंगा, हाउस से अर्ज़ करूंगा कि यह उल्टा रिवाज हमें न सिखाया जाये। हम बहुत सीखे हुए हैं। यह बात तो मुझे भी आती है। तब कोई नहीं बोल सकेगा।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : माननीय सदस्य फ्लडिड एरिया से नहीं आये हैं। वह नहीं जानते कि फ्लड क्या है। वह कुछ नहीं जानते हैं और उन को इस का अनुभव नहीं है, फिर भी वह इतना ज़ोर बांधते हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : बागड़ी साहब, मेरे सामने सोलह मेम्बरों के नाम हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री बागड़ी : मैं दस मिनट में ख़त्म करता हूं।

मैं आप की मार्फ़त सदन के मेम्बरों से अर्ज़ करूंगा कि वे इस विषय पर इस नाते से सोचें कि यह एक कौमी काम है और हम सब ने देश के लोगों को फ्लड से बचाना है।

आज कहा जाता है कि एफ़ैक्टिड एरियाज़ में नौकाओं की कमी है। लोग खड़े हैं और देख रहे हैं कि कोई नैया आये और हम को फ्लडिड एरिया से बचा कर निकाले। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ़ से कहा जाता है कि नौकायें नहीं हैं। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब बार-बार फ्लड आते हैं, तो गवर्नमेंट पहले से ही नौकाओं को क्यों नहीं बना कर तैयार रखती। गवर्नमेंट का काम करने का तरीका तो वही है कि जब प्यास लगती है या आग लगती है, तो कुआं खोदने की बात सोची जाती है। अगर नौकाओं की कमी है, तो इस की ज़िम्मेदारी किस पर है ? सरकार पर है। मैं अर्ज़ करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नौकायें फ्लडिड एरियाज़ में भेजी जायें और ज्यादा से ज्यादा वहां के लोगों को इमदाद दी जाये।

इस के अलावा जब तक उन लोगों के पास कोई रोज़गार का साधन न हो, तब तक उन को फ्री राशन दिया जाये। जिन लोगों के मकान बह गये हों या जिन को नुक्सान पहुंचा हो, तो जिन मकानों को बचाया जा सकता है, सरकार उन को बचाने का इन्तज़ाम करे। यह काम उन लोगों की आरज़ी इमदाद के तौर पर किया जाना चाहिये।

हिन्दुस्तान का कैटल, पशुधन, आज मर रहा है। उस को बचाने की तरफ़ सरकार का ध्यान नहीं है। फ्लडिड एरियाज़ में हिन्दुस्तान के पशुधन को बचाने के लिये सेंटर ज्यादा से ज्यादा चारा भेजे।

जहां तक फ्लड्ज़ को मुस्तकिल तौर पर रोकने का सवाल है, मैं अर्ज़ करूंगा कि जितनी रेलवे लाइन्ज़ और सड़कें हैं, उन के नीचे से छोटी-छोटी पुलियां बनाई जायें, ताकि पानी निकल सके। जिन आवारा नदियों में हमेशा बाढ़ आती है, उन की खुदाई की जाये, क्योंकि मिट्टी भर जाने की वजह से उन की गहराई कम हो जाती है और इसलिये ज्यादा सैलाब आते हैं। जैसे हम नहरें खोद कर लाते हैं, वैसे ही उन की खुदाई हो। इस के अलावा बाकायदा तौर पर उन के बैंक्स ऊंचे किये जायें।

खड़गपुर के पास एक झील है। वहां के इंजीनियरों ने रिपोर्ट की है कि झील की दीवार फट गई है और जिस मशीन से फाटक खुलता है, वह बेकार हो चुकी है। चौबीस घंटे में वह फाटक खुल सकता है। पानी उससे रिस रहा है। हो सकता है कि वह किसी वक्त सारे इलाके के लिये ख़तरा हो जाये। सरकार को इन बातों की तरफ़ ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिये।

जो लोग इस बाढ़ के बारे में दोषी हैं, जिन को पहले काम करना चाहिये था और उन्होंने नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ जांच करने के लिये एक बोर्ड बिठाया जाये।

इस के बाद मैं आप की मार्फ़त अपील करता हूं कि लोक-सभा की तरफ़ से हर पार्टी के लोग, हर नेता लोग, रेडियो से ब्राडकास्ट करें और हिन्दुस्तान की जनता से इस बात की अपील करें कि वह आसाम, बिहार और यू० पी० के बाढ़-पीड़ित लोगों की ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें। इन मिनिस्टरों का और दूसरा तमाम ख़र्च कम किया जाये। वे कुछ दिन के लिए कोठियों में रहना बन्द कर दें। सब साथी मिल कर सारे देश की जनता से धन वग़ैरह के लिए अपील करें और इस प्रकार बाढ़-पीड़ित लोगों को बचाया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही उन भाइयों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, जो बहुत गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं बाढ़-पीड़ित इलाके से ताल्लुक नहीं रखता हूं । लेकिन इस मोशन को एक ग़ैर-बाढ़-पीड़ित आदमी ने रखा है और उन लोगों के लिए लज्जा की बात है, जोकि बाढ़-पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने इस मोशन को नहीं रखा है ।

श्री रा० प्र० सिंह (छपरा) : सदस्यों के बोलने के लिए टाइम निश्चित कर दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक माननीय सदस्य १० मिनट ही लें ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सम्पूर्ण देश में बाढ़ आई है, उसका जो भीषण नज़ारा हमारी आंखों के सामने आया है, वह अभूतपूर्व है । पिछले . . . .

श्री क० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं चाहता हूं कि समय निश्चित कर दिया जाये क्योंकि बोलने वाले माननीय सदस्य बहुत हैं।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सम्पूर्ण देश में जो बाढ़ आई है और जो उससे क्षति हुई है, उससे इस सदन के कुछ एक सदस्यों को ही, एक दो सदस्यों को ही दर्द नहीं हुआ है बल्कि इससे सम्पूर्ण देश को और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को दुःख हुआ है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो चिल्लाते तो बहुत हैं लेकिन दिल से कोई कोशिश नहीं करते हैं और दूसरे जो हैं, वे कोशिश करते हैं, चिल्लाते नहीं हैं । ऐसे माननीय सदस्यों के लिए मैं आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको बतला दें कि पब्लिक मीटिंग और हुआ करती है और लोक-सभा का जो भाषण है वह और ही हुआ करता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के इलैक्टोरेट का सौभाग्य ही कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे महानुभाव भी हैं जो इस सदन के नियमों के विपरीत इस सरकार के विरुद्ध सिर्फ गालियां बकना जानते हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कई सिलसिलों में मैंने अपने भाषणों में अपनी सरकार की जो समालोचना की है और अब भी जो मैं करूंगा उस से पता चल जायेगा कि शायद उसका एक कोना भी, एक अंश भी जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, नहीं है । हां, एक बात में वह बढ़ सकते हैं, गाली देने में और चिल्लाने में और चुने हुए शब्दों का बिना प्रयोजन के प्रयोग करने में । यही चीज़ वह जानते हैं . . . . .

श्री बागड़ी : गाली किस को कहते हैं ? किसने गाली दी है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में इस तरह की बातें, इस तरह के भाषण सुनने का भी हमें अभ्यास होना चाहिये और माननीय सदस्य को भी अभ्यास होना चाहिये ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : मैं एक प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज़ करना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी मैम्बर का जो भाषण है, जो तकरीर है, उसको गाली करके यहां बयान किया जा सकता है ? गाली क्या कहा जा सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि आप उन्हें बतलायें कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसमें एक शब्द भी अनपार्लियामेंटरी नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि पब्लिक मीटिंग में गाली बकना और है और इस सदन में बात करना और है। अगर वह इसको नहीं सुन पाये हैं तो उन्हें किसी डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए ।

श्री बागड़ी : आन ए प्वाइंट ऑफ परसनल एक्सप्लेनेशन, सर . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप बोल चुके हैं, कृपया बैठ जाइये।

श्री भागवत झा आजाद : जिस तरह से हम लोग उनकी बात को चुपचाप सुनते हैं, उसी तरह से उनको भी हमारी बात को सुनना चाहिये और इसकी उनको आदत होनी चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि इस में कोई सन्देह नहीं है कि सम्पूर्ण देश में बाढ़ आई है। मैं उस राज्य का रहने वाला हूं ,बिहार राज्य का रहने वाला हूं जहां पर बाढ़ ने अपना भयंकर रूप दिखाया है, अपनी अपूर्व विनाशलीला दिखाई है। बिहार राज्य में २३ लाख लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ा है, १२,००० घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं या बह गये हैं, सात करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इतना ज्यादा नुक्सान होने के बावजूद भी वहां की सरकार जितनी उसमें ताकत है, उसके सहारे जो समस्या उठ खड़ी हुई है, उसको हल करने की कोशिश कर रही है। वहां पर बताया गया है कि ३१,००० मन गल्ला बांटा गया है। लाखों रुपये इन बाढ़-पीड़ित लोगों में वितरित किये गये हैं। जिस जोश से माननीय सदस्य ने जो भाषण किया है अगर उसके बजाय उन्होंने थोड़ा सा सेवा-कार्य इन बाढ़-ग्रस्त लोगों के लिए भी किया होता तो पता चलता कि उनके दिल में भी इन लोगों के प्रति कोई हमदर्दी है। हमारे तिवारी जी ने ठीक ही कहा कि एक बोतल दूध भी आप ले कर वहां नहीं पहुंचे, कपड़े जमा करने का आपने ज़रा सा भी काम नहीं किया, गल्ला जमा करने का आपने कोई काम नहीं किया और न ही आपने यह बताया है कि . . . .

श्री बागड़ी : आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन, सर . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी इन माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया है। मैं फिर कहूंगा कि आप इनको बतलाइये कि यह लोक-सभा का नियम है, लोक-सभा का कानून है कि परसनल एक्सप्लेनेशन मेरे भाषण के बाद हो सकता है, आप इनको बताइये कि इस सदन में बोलने के क्या नियम हैं, आप इन्हें बताइये कि बाहर पब्लिक मीटिंग और होती है और सदन में जो बोला जाता है वह दूसरे ढंग से बोला जाता है।

मैं कह रहा था कि बिहार राज्य में कई मन अनाज बांटा गया है . . . . .

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह बतला रहा हूं कि सरकार ने क्या क्या किया है और जिन्होंने कहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया उनको मैं बतला रहा हूं कि सरकार ने यह यह किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि यह सरकार बेकाबू है, सरकार किसी भी काम की नहीं है। मैं यह मानता हूं कि सरकार पूरी तरह से इंतज़ाम नहीं कर पाई है लेकिन जब यह कहा

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है तो उसके साथ में किसी भी दशा में सहमत नहीं हो सकता हूं। मैं जानता हूं कि जब आकाश बरसता है तो उसके साथ-साथ ज़मीन पर लाखों आंखें भी बरस पड़ती हैं, मैं जानता हूं कि हिमालय पहाड़ जो एक ज़माने में हमारे लिए संतरी का काम करता था आज हमारे लिए दुःख का कारण बन गया है, मैं जानता हूं कि बागमती इत्यादि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वे किसी वक्त हमारे लिए सोना लाती होंगी और आज हमारे लिए सिर्फ दुःख और दर्द लाती हैं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि असम, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बाढ़ आई है, वह बहुत भीषण है, उसका प्रकोप बहुत व्यापक हुआ है, उसके कारण लाखों लोगों को क्षति पहुंची है, हज़ारों मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मैं यह भी जानता हूं कि बिहार में हज़ारों घर बरबाद हो गये हैं, लाखों आदमी इससे प्रभावित हुए हैं, सात करोड़ रुपये की हानि हो गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोगों को सहायता दी गई है, जो अन्न बांटा गया है, वह काफी नहीं था। जहां तक उनकी आलोचना के इस भाग का सम्बन्ध है, इससे मैं सहमत हुए बगैर नहीं रह सकता हूं। मैं इस बात में भी उन से सहमत हुए बगैर नहीं रह सकता हूं कि जिस को पांच आने मिलते हैं, उसकी क्या हालत होगी। हम यह भी जानते हैं कि जिस का घर बह जाता है उसको केवल दस रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिये जाते हैं, अगर एक परिवार में दस व्यक्ति हैं तो उसे केवल सौ रुपये ही मिलें और इतने पैसों से वह कैसे अपने घर को बनवा पायेगा। ये सब चीज़ें हैं और इनकी तरफ़ हम को ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने दो सुझाव रखना चाहता हूं। इस विभीषिका के बारे में अभी जो स्टेटमेंट दिया गया है और जिस में क्षति का अनुमान बताया गया है, उसको मैं दौहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल दो सुझाव देना चाहता हूं। इन दो सुझावों में एक तो वह सुझाव है जिस पर तत्काल अमल किया जा सकता है और दूसरा सुझाव बाद की बातों से ताल्लुक रखता है। तत्काल जो हमें करना है वह यह है कि जो पीड़ित हैं, जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनकी सहायता का जो क्रम है, उसमें सुधार हो। मैं अपने मित्र से इस बात में सहमत हूं जो उन्होंने कही है कि इनको पांच आने नहीं पांच रुपये दिये जायें। मैं उन से आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि इनको पांच रुपये नहीं पचास रुपये दिये जायें। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रुपया कहां से प्राप्त किया जा सकता है, इसको भी आपको देखना होगा। इसके लिए आपको और टैक्स लगाने होंगे और मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि जिस जोश के साथ उन्होंने भाषण किया है, जिस जोश में वह चिल्लाये हैं, उसी जोश के साथ उस वक्त वह इन टैक्सों की हिमायत करें और अगर इतने ज्यादा जोश से नहीं तो कुछ कम जोश से तो अवश्य उसका समर्थन करें। इन टैक्सों को देने की हम में सामर्थ्य है। बिहार में हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि जो सहायता बाढ़ पीड़ितों को आज दी जा रही है अगर वह केन्द्रीय सरकार ने हमें नहीं दी तो हम अपनी योजना के एक भाग को छोड़ देंगे, हम अपनी योजना में कट कर देंगे। अन्य राज्यों के मंत्रियों ने भी अपने-अपने यहां स्टेटमेंट दिये हैं, जो आशाप्रद हैं। इसके साथ-साथ मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि बाढ़-पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए राज्यों को जिस सहायता की आवश्यकता होगी, वह रुपया या तो प्लान में से निकलेगा या फिर किसी और जगह से। अगर उसको प्लान में से न निकालना हो और टैक्स लगाने की बात हो और टैक्स भी उन पर लगाया जाये जिनमें देने की सामर्थ्य हो तो यह न कहा जाये कि क्यों टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं, क्यों टैक्स आप लगाते जा रहे हैं।

[**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुए]

दूसरी योजना जो हो सकती है वह लांग टर्म है और उसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक लांग टर्म योजना का ताल्लुक है

[श्री भागवत झा आजाद]

कुछ एम्बैंकमैंट्स बनाये गए हैं, इंजीनियर्स भेजे गये हैं। मैं जानता हूं कि कोसी का एम्बैंकमेंट बना है। मैं यह भी जनता हूं कि विभिन्न राज्यों में कहीं पर पांच सौ मील, कहीं पर आठ सौ मील और कहीं पर तीन सौ मील एम्बैंकमेंट्स बने हैं। लेकिन इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जब बांध बनाया गया तो उस बांध को उस सीमा तक नहीं ले जाया गया जिस के बाद क्षति की सम्भावना न रहती और कई एम्बैंकमेंट्स के बारे में ऐसा किया गया है। कोसी का एम्बैंकमेंट बना और उसको वहीं छोड़ दिया गया जिसके बाद बाढ़ की विभीषिका और भी बढ़ गई। इसलिए इन बांधों के बीच रहने वाले जो लोग हैं, उनकी पूरी-पूरी सुरक्षा का प्रबन्ध है, इस पर लोगों को सन्देह हो गया है। उनको सन्देह हो गया है कि अगर यह एम्बैंकमेंट टूट जायेंगे तो यह बरवाद हो जायेंगे। इस लिये पहली आवश्यकता यह है कि आप इन एम्बैंकमेंट्स को उस सीमा तक ले जाइये जिस सीमा के बाद वह निरापद हो जायें, जहां उन्हें डर न रह जाये।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आज यह आवश्यक है कि एक बहुत हाई पावर कमिशन बनाया जाये। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उस में टेक्निकल आदमी ही काबिल होते हैं क्योंकि फिर तो डिप्टी मिनिस्टर साहब भी उस में नहीं रह जायेंगे। मैं तो कहता हूं कि उस में टेक्निकल आदमी भी रहें और इस सदन के सदस्य भी कुछ हों, जो यह देखें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में जो बाढ़ आती हैं उनके क्या कारण हैं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि उन को दूर करने के लिये लांग टर्म प्लानिंग क्या की जाये, उस के लिये शायद कहा जाये कि हमारे इंजीनिअर्स हैं, हमारा वाटर एण्ड पावर कमिशन है, वह इस चीज को करता है। लेकिन हर साल यह बाढ़ आती है, कोई साल ऐसा नहीं होता जबकि बाढ़ न आती हो। हर साल रुपया दिया जाता है, प्लानिंग कमिटी आती है, कोआर्डिनेशन कमेटी आती है, वह बैठती है, कांफ्रेंस होती हैं। प्लैन को इम्प्लिमेंट करने के लिये जो कोआर्डिनेशन कमेटी के आधार स्तम्भ हैं उन को छोड़ कर आप जरा इधर भी देखिये। आप एक ऐसा कमिशन बनाइये जो कमिशन बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में आने वाली बाढ़ों के कारणों की जांच करे। आप जानते हैं कि ४० वर्ष पूर्व एक अमेरिकन ने डी० बी० सी० की जांच की। आज डी० बी० सी० बाढ़ को रोकने के लिये बनाया गया। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि वह डी० बी० सी० आज बिजली भी दे रहा है। इसलिये आज आवश्यकता है कि एक कमिशन बनाया जाये जो हमेशा के लिये मनुष्य की इस विभीषिका का विनाश कर दे, जोकि बराबर इस उत्तर हिमालय की ओर से आने वाली नदियों को बताये कि उन्हें किन मार्गों से हो कर बहना चाहिये। आप कहते हैं कि हम नदियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन आज तक नदियों को रास्ता नहीं बतलाया गया। आज तक नहीं कहा गया आजाद हिन्दुस्तान में इस बात को। इस तरह का कमिशन बने जिस में मेरे बगल में बैठे हुए इंजीनिअरों की तरह के लोग हों जो नदियों से कहें कि हम तुम्हें रोक देंगे, हम तुम को अपने बतलाये हुए मार्ग पर चलने के लिये मजबूर कर देंगे, हम तुम्हारे रास्ते को मोड़ देंगे। इस लिये मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का कमिशन बनाया जाये। इस तरह से आप दो बातें कीजिये। एक तो तत्काल सहायता का बढ़ाना आवश्यक है, उनके अनुमानों को आप बढ़ाइये। दूसरे यह कि एक ऐसा कमिशन बनाया जाये जोकि बिहार, असम और उत्तर प्रदेश में हर साल आने

वाली बाढ़ की विभीषिका के खिलाफ़, हर साल आने वाले दुःख दर्द के खिलाफ़ हज़ारों लाखों आंखों क आंसू पोंछ सके।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अच्छे तरीके से और गौर के साथ उस बयान को पढ़ा जो कि हमारे मंत्री महोदय ने दौरा करने के बाद दिया। पढ़ कर कम से कम यह मालूम हुआ कि उन्होंने इस चीज़ का जो अध्ययन किया वह शायद हवाई जहाज से किया। इसी वजह से उन्होंने जो बयान दिया और राज्य सरकारों के मंत्रियों ने जो बयान दिया, उस में शायद फर्क पड़ गया। हमारे मंत्री महोदय जो हैं मैं उन की बुजुर्गी की बड़ी इज्जत करता हूं, और मैं समझता हूं कि उन के लिये यह मुमकिन नहीं था कि वह नावों में सब जगह जा सकते। लेकिन जब केन्द्रीय सरकार ने इस बात को माना कि वहां पर जा कर सिचुएशन का, गम्भीर परिस्थिति का, अध्ययन किया जाय, तो कम से कम राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं उन से अपने आंकड़ों को मिला कर तो देखना चाहिये था। मेरे मित्र श्री बागड़ी ने काफ़ी तफसील के साथ उन आंकड़ों को यहां रक्खा, और यह साबित करने की कोशिश की कि अगर राज्य सरकार ने कहा कि २७ आदमियों की मृत्यु हुई है, बाढ़ से, उत्तर प्रदेश में, तो हमारे मंत्री महोदय को जो लाशें मिलीं वह सिर्फ २० ही थीं। मैं जानता हूं कि हवाई जहाज में और धरती में कुछ फर्क जरुर होता है, लेकिन मैं तो दंग रह जाता हूं कि चाहे बाढ़ का मसला हो, चाहे दूसरे मसले हों, हमारी सरकार हमेशा यह कहती है कि छोटी छोटी बातें हैं, और हम ने हवाई जहाज़ से दौरा कर के एरियल व्यू ले लिया। मुझे डर होता है कि कभी चन्द्रमा और कभी आसमान की बात सोचते सोचते कहीं ऐसा न हो कि हमारी सरकार चकोर बन जाय और धरती से उस का सम्बन्ध ही न रह जाये। मैं चाहता था कि वहां जा कर कम से कम तमाम चीजों को देखा तो जाता।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : क्या आप कहते हैं कि हवाई जहाज से न जा कर ऊंट से जाकर देखते ?

श्री स० मो० बनर्जी : आप विश्वास मानिये कि मैं यह नहीं कहता कि ऊंट की सवारी की जाय। मैं चाहता हूं कि नावों में जा कर देखा जाता, जिस में इस बात का अन्दाजा हमारे मंत्री महोदय को हो सकता कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के समय नावों में जाने में कितनी दिक्कत होती है।

दूसरी चीज मैं इन आंकड़ों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला जरूर हूं, लेकिन पूर्वी जिलों का रहने वाला नहीं हूं। इस के आंकड़े और आंखों देखा विवरण तो मेरे मित्र श्री ज० ब० सिंह या दूसरे मित्र जो हैं वे बतलायेंगे। लेकिन यह बात सत्य है कि पूर्वी जिलों की हालत जो है, सालों से पूर्वी जिलों में जो भयानक परिस्थिति है, उसी की वजह से प्रधान मंत्री जी का ध्यान भी बार बार उस की तरफ आकर्षित हुआ। हर साल बरसात से पहले लोग यह सोच लेते हैं कि पता नहीं अब की मर्तबा हमारा यह गांव रहे या नहीं। मुझे याद है कि पिछली बार जब बाढ़ पर बहस हो रही थी तब हमारे मित्र श्री सिंहासन सिंह जी ने गांवों को ठीक से बसाने के लिये, गांवों को ऊंचा करने के लिये जो एक योजना बनी थी, उस के बारे में कुछ सुझाव रक्खे थे। मैं जानता हूं कि गांवों को ऊंचा करने की जो योजना थी उस में गांव उन्हीं लोगों के ऊंचे

[श्री स० मो० बनर्जी]

हुए जिन का गांवों में असर था। लेकिन नीचे स्तर के आदमी जो नीचे के गांवों में रहते हैं उन के घर ऊंचे नहीं हुए। उन लोगों के घर और भी नीचे हुए और बाद में वे पानी में चले गये।

एक माननीय सदस्य : ऐसी बात नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कहता हूं कि आम तौर से अगर आप देखें तो जो योजनायें बनी थीं उन में फ्लड कंट्रोल के बारे में कहा गया, मास्टर प्लैन के बारे में कहा गया। मैं अपने माननीय बन्धुओं से कहूंगा कि मैं इस लिये आलोचना नहीं कर रहा हूं कि मैं आलोचना करना चाहता हूं। आज जो बाढ़ उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में आई हुई है उसके बारे में आप देखिये कि साफ तौर से कहा गया है कि **दे बिल अपसेट दि एकानमी आफ दि स्टेट** अगर उन का पैसा, जो कि दूसरी योजनाओं के लिये था, वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगा दिया जायेगा। वाजिब है कि उसे लगा दिया जाना चाहिये, लेकिन बाद में उन सूबों की क्या हालत होगी ? सिवा इस के कि लोगों पर और टैक्स लगाया जाय, और कोई चारा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये नहीं होगा। इस लिये अपनी आवाज मैं इस लिये बुलन्द नहीं करना चाहता कि मैं एक आलोचक के दृष्टिकोण से इस बाढ़ का सहारा ले कर सरकार की निन्दा करना चाहता हूं। यह बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फ्लड कंट्रोल की योजनायें बनी मास्टर प्लैन बनी हम से यह कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इतना पैसा केन्द्र की मार्फत सूबों की सरकारों को दिया गया क्या यह सच नहीं है कि वह पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ और जब इस्तेमाल नहीं हुआ तो इस के बावजूद कि सूबों की सरकार चाहतीं थीं कि वह पैसा इस्तेमाल किया जाय, उस को वापस कर दिया गया ? वह पैसा अनस्पेन्ट रहा ? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर फ्लड कंट्रोल योजनाओं के बारे में क्या हुआ। माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है :

> "यदि १९२४ के बाद से राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य न किया गया होता, तो हानि इस से बहुत गम्भीर होती"।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उन के कहने का मतलब यह है कि यह जो फ्लड कंट्रोल योजना थी वह हमारे लिये किश्तिये नूर थी, वर्ना ऐसा होता कि उत्तर प्रदेश, असम और बिहार रहते ही नहीं, वह बह जाते। यह तो मेहरबानी है कि फ्लड कंट्रोल योजना बनी। वह योजना सन् १९५४ से चल रही है। मास्टर प्लैन बनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना पैसा उस पर खर्च हुआ और क्यों वह बांध नहीं बने ? क्यों नेपाल बांध नहीं बना और क्यों उत्तर प्रदेश की दरिया गंडक को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई ? अध्यक्ष महोदय, मैं ने उन जिलों को देखा है। आज वहां के लोगों की हालत यह है कि वे हमेशा यह सोचते हैं कि कुदरत का प्रकोप हमारे ऊपर होने वाला है। दूसरे देशों के इतिहास को आप पढ़ें। वहां नदियों के रूख को मोड़ने की कोशिश की गयी और उनको इंसानों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारे यहां नदियों का रूख क्यों नहीं मोड़ा जा सकता। उनको टेम करने की और ट्रेन करने की कोशिश हो रही है लेकिन वे अभी तक अनट्रेंड रह रही हैं। हम एक नदी को भी अच्छी तरह से टेम नहीं

कर सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि फ्लड कंट्रोल की योजना क्या है यह इस सदन के सामने साफ होना चाहिए, कितना पैसा इसके लिए दिया गया है, कितना पैसा खर्च किया गया है और कितना पैसा सरकार और देना चाहती है । यह भी बतलाया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें उस पैसे का किस तरीकें से इस्तेमाल कर रही हैं और फ्लड को रोकने में कहां तक कामयाबी हुई है ।

हमारे गरीब किसान करोड़ों की तादाद में बेघर हुए हैं। स्टेट्समैन के अनुसार आप देखें कि कितना एरिया एफ़ैक्टेड हुआ है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में १४—१८ लाख एकड़, बिहार में १०—१ लाख एकड़, असम में ११—३६ लाख एकड़ एरिया पर असर पड़ा है, इस तरीके से आप देखें तो मालूम होगा कि लाखों एकड़ जमीन पर इसका असर पड़ा है और करोड़ों इंसान बेघर, बेबस और बेकस हो गए हैं। इसलिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब इनको तकाबी दी जाए तो इन से सवा ६ परसेंट सूद न लिया जाए। क्या सरकार हमको यकीन दिला सकती है कि इन लोगों को सहायता के रूप में जो रुपया लोन के तौर पर दुबारा काश्तकारी को बनाने के लिए दिया जाएगा उसको वापस तो नहीं लिया जाएगा।

इसी सदन में पूना फ्लड के बारे में बहस हुई थी। उस फ्लड में यह बात थी कि वह भगवान का कोप नहीं था, वह फ्लड वारिश की वजह से नहीं आया था। वहां तो बांध टूट गया था जिसमें सरकार का कुसूर था। उस समय लोगों को पैसा दिया गया, वह पैसा आज उनसे वसूल किया जा रहा है और एक सरकारी कर्मचारी जिसको सौ रुपया महीना वेतन मिलता है उसको २७ और २८ रुपया मिल रहा है । तो मेरा कहना है कि इन लोगों को जो तकावी दी जाए उस पर सूद न लिया जाये। और जो सरकार फिलहाल मदद दे रही है उसको बढ़ाया जाए और फ्लड कंट्रोल योजना के बारे में बताया जाए कि वह कहां तक कामयाब हुई है ।

इन शब्दों के साथ में मंत्री महोदय से दोबारा कहूंगा कि वह दौरा कर आए इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि एक टीम को भेजा जाए जिसका सुझाव कि श्री भागवत झा आजाद ने दिया है । लेकिन वह कमीशन ऐसा न हो कि बैठने के लिए तो बैठ जाए, लेकिन फिर लेट जाए और फिर सो जाए, और उसको जगाने के लिए फिर दूसरा कमीशन बिठाना पड़े। मैं चाहता हूं कि इसमें पार्लियामेंट के मेम्बर भी रखे जायें जैसे श्री के० एल० राव हैं जो कि इस चीज को समझते हैं। केवल यह एक्सपर्ट्स की कमीशन न हो ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि सेंटर राज्य सरकारों को और ज्यादा मदद दे ताकि वे इन बेघर और बेवस लोगों को ज्यादा मदद दे सकें।

श्री सिंहासन सिंह : (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ का मसला कोई नया नहीं है, यह बहुत पुराना है। बाढ़ पहले भी आया करती थी, आज भी आ रही है और आगे भी आएगी। प्रश्न तो यह है कि बाढ़ों से राहत के लिए क्या ढंग हैं और गवर्नमेंट ने कौन कौन से ढंग अपनाये हैं और उनमें उसको कहां तक कामयाबी मिली है । मैं इस ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

सन् १९५२ या १९५३ में फ्लड कंट्रोल बोर्ड कायम हुआ। इस बोर्ड ने देश की नदियों को पांच हिस्सों में बांटा है। वह हिस्से हैं गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, उड़ीसा रिवर्स बेसिन, नार्थ-वैस्ट इंडियन रिवर्स बेसिन और सेंट्रल इंडिया रिवर्स बेसिन । आज कमीशन की मांग

[श्री सिंहासन सिंह]

की जा रही है । मैं इस कमीशन की मांग से सहमत नहीं हूं। इस बोर्ड ने जो एक कमीशन के रूप में ही काम कर रहा है ३४ रिपोर्टें दी हैं गंगा बेसिन पर, २८ रिपोर्टें दी हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन पर, सात रिपोर्टें दी हैं उड़ीसा रिवर्स पर, चार रिपोर्टें दी हैं नाथ वैस्ट इंडियन रिवर्स पर और ४० रिपोर्टें दी हैं सेंट्रल इंडिया रिवर बेसिन्स पर । इन रिपोर्टों के बावजूद आज भी बाढ़ों की विषमता कम नहीं हुई है, प्रत्युत हर साल कुछ न कुछ विषमता बढ़ती जाती है । हमें आपको इस पर गौर करना है कि इसका क्या कारण है, कहां खामी हैं। रिपोर्टें दी जाती हैं, स्कीमें बनायी जाती हैं, पर वह खामी क्या है ।

मैं सरकारी कागज देख कर कह रहा हूं कि इन योजनाओं को सरकार ने दो हिस्सों में बांट रखा है, एक करोड़ की और एक करोड़ से ऊपर वालीं। एक करोड़ तक की योजनाएं तो प्रदेशीय सरकारों को दे रखी हैं और वह उनको चलाने का काम करती हैं लेकिन जो एक करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं उनको केन्द्रीय सरकार कार्यान्वित करती है । आप सुन कर हैरान हो जायेंगे, इस रिपोर्ट में लिखा है कि जब कोई योजना केन्द्रीय सरकार से फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास आती है तो उसकी इतनी प्रतिलिपियां नहीं होतीं कि सब डाइरेक्टरों और सब विभागों को भेजी जा सकें। वहां से आदेश भेजा जाता है कि इतनी प्रतिलिपियां और भेजो, सरकार नहीं भेजती तो रिमाइंडर भेजा जाता है । इसमें महीनों लग जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि वहां से जो एक करोड़ से ऊपर वाली स्कीम आए, उसकी जो दो तीन प्रतिलिपियां हों उनको अपने यहां साइक्लोस्टाइल करवा लें और जिसको भेजना हो भेज दें। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता और ज्यादा कापियां भेजने के लिए लिखा जाता है । और उन कापियों के आने में देर होती है इसलिए गाड़ी रुकी रहती है । महीनों इसी दौड़ धूम में कागज चलते रहते हैं। इस प्रकार कागजों की फाइलें बढ़ती जाती हैं और काम नहीं हो पाता ।

इस साल जो हमारे यहां गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ में यह बाढ़ की विभिषिका आयी है इसका मूल कारण यह नहीं है कि पानी अधिक बरस गया। इस साल पारसाल से अधिक बारिश नहीं हुई है उससे कम हुई होगी, मगर इस बाढ़ का कारण यह है कि बड़ी गंडक ने गत वर्ष अपना रास्ता बदल लिया था और इस कारण उसका ज्यादा पानी हमारे गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों में बहने वाली रोहिनी और छोटी गंडक में आ गया है । हर साल तो यह होता था कि बाढ़ आने से पहले हम अपनी फसल बो लेते थे और कुछ काट भी लेते थे। इस साल तो शुरु जुलाई से ही बड़ी गंडक का पानी हमारी तरफ आ गया और फसल नहीं बोयी जा सकी ।

पारसाल यह दिक्कत रही कि नेपाल में जो परसोना बांध है वह टूट गया और उसको ठीक करने की नेपाल सरकार से आज्ञा लेने में देर हो गयी। अब जो बयान सभा पटल पर रखा गया है उससे पता चलता है कि नेपाल सरकार ने आज्ञा दे दी है । हमारे विदेश मंत्रालय के राजमंत्री ने कहा है कि हमको अप्रैल महीने में इसकी सूचना मिल गयी थी और एक्सपर्ट को मालूम हो गया था। जो कुछ हो, यह संतोष का विषय है कि नेपाल सरकार की आज्ञा मिल गयी है । हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी। जो बीत गया सो तो बीत गया अब तो जितनी जल्दी हो सके उस बांध की मरम्मत करनी चाहिए। बीती बात को रोने से काम नहीं चलेगा, अब तो हमें आगे की चिन्ता करनी चाहिए ।

इसके लिए सेमिनार भी होते रहते हैं। यहां भी हुआ, नैनीताल में भी सेमिनार हुआ और जब सेमिनार होता है तो एक्सपर्ट बहुत बातें करते हैं और चले जाते हैं। कल मैं भी सैमिनार में गया था। तीन एक्सपर्ट ने भाषण दिए। दो एक्सपर्ट अपनी विभिन्न दिक्कतें बताते रहे। लेकिन सक्रिय रूप क्या हो इसके लिए कोई नया सुझाव नहीं दिया है। एक भाई ने कहा कि वह कम्बोडिया गये हुए थे। कम्बोडिया में उन्होंने देखा कि नदियों के किनारे इम्बेंकमेंट्स नहीं बने हैं बल्कि मकानात सब ऊंचे पर बने हैं, सब मचान पर हैं और सब के नीचे अपनी नावें बंधी हुई हैं। हर गांव पर पानी आता है और बहता हुआ चला जाता है। पानी हटा फिर अच्छी फसल हुई। कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हमारे जहां भी ऐसी योजना हो; गत वर्ष भी मैं ने यह सुझाव दिया था कि मकान ऊंचे पर बनाये जायें और गांव ऊंचे किये जायें। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव ऊंचे करने की योजना बनाई है। आप की मदद से वहां वह स्कीम बनी लेकिन हम ने देखा कि योजना पर ठीक से अमल नहीं हुआ। कई गांवों में तो मिट्टी की एक खांची भी नहीं डाली गई लेकिन यह बतला दिया गया कि गांव ऊंचा हो गया। ऐसी एक घटना हमारे गोरखपुर में हुई। गांव ऊंचा करने के लिए मिट्टी वगैह डालने के लिए पेमेंट हो गया लेकिन दरअसल काम कुछ नहीं हुआ। इस तरह की गड़बड़ वहां पर चल रही है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि गांवों को ऊंचा करने के लिए कोई समन्वित योजना नहीं है, कोई कानून नहीं है जिसके कि जरिए से आप गांव ऊंचा कर सकें। कल एक इंजीनियर महोदय ने कहा कि गांव को ऊंचा करने के लिए साइंटिफिक बेसिस पर कोई कारगर तरीका अपनाना पड़ेगा। गांव को ऊंचा करने के लिए मिट्टी चाहिए। अबः हुआ यह कि जिसके पास मिट्टी रही उसने मिट्टी से अपना घर तो ऊंचा कर लिया लेकिन गांव ऊंचा नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहना है कि गांव ऊंचा करने के लिए कोई एक साइंटिफिक तरीके पर समन्वित योजना बनाई जाये और उस पर देखरेख रखते हुए अमल कराया जाये। अगर ऐसा हो गया होता तो आज यह दिक्कतें न होती। इसलिये मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि गांव ऊंचा करने के लिए आप एक कानून लाइये, चाहे केन्द्रीय कानून हो और चाहे प्रादेशिक कानून हो और उसके अन्तर्गत गांव ऊंचे किये जायें। मिट्टी जहां से ली जाये वह जगह एक तालाब गने जोकि रिजरवायर का काम करे। जिसकी जमीन ली जाये उसकी भरपाई कर दी जाये ताकि उसको घाटा भी न हो और गांव को भी दिक्कत न हो। आप कानून से मिट्टी लीजिये ताकि किसी को शिकायत का मौका न रहे और इस तरह गांव को समतल करे।

आपने एक सुझाव यह दिया है कि गांवों को हटाया जाये और अगर उनको हटाना संभव न हो तो फिर गांवों को ऊंचा किया जाये। अब मेरा कहना यह है कि आपका पहला सुझाव कि गांवों को हटाया जाए ऐसा होना असम्भव है। अलबत्ता दूसरा सुझाव आपका दुरुस्त है कि गांवों को ऊंचा किया जाये। गांवों को ऊंचा करने के वास्ते आप कानून बनाइये . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं इस पर बोलने के लिये दो, चार मिनट का समय और चाहूंगा क्योंकि मैं उस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से आता हूं जहां कि हर साल बाढ़ के कारण तबाही आती है और ३४ रिपोर्ट्स में से हर एक रिपोर्ट में कहा गया है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मेरी दिक्कत को भी तो देखिये। दस मिनट आप बोल चुके हैं और अभी कितने ही माननीय सदस्य इस पर बोलने को इच्छुक हैं। बहरहाल आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गांवों में नावों का समुचित प्रबन्ध किया जाय। हर साल बाढ़ के वक्त में नावों की चर्चा होती है। पार साल भी नावों की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई थी। हमारे गोरखपुर के लिये तब तय हुआ कि ९०० नावें बनाई जांय ताकि हर एक गांव के पीछे अगर एक नाव न हो सके तो कम से कम दो गांव के पीछे तो एक नाव हो ही जाय। अब गोरखपुर में १६०० गांव बाढ़ में डबे हैं लेकिन इस साल नावें बनती हैं केवल ६०–७०। गवर्नमेंट कहती है कि एक तिहाई गांव सभा दे और दो तिहाई सरकार दे। हमने सुझाव दिया है कि कुल नावें सरकार बनवा ले और गांवों से वसूल करे। एक तिहाई वसूल करना है चाहे गांव सभा देवे या आप देवें। पबलिक मनी है। गांवों में नावों की व्यवस्था होनी चाहिये। गांव ऊंचे हों और नावें वहां हम प्रोवाइड करें। गांव में आने जाने के लिये रास्ता देवें। रास्ता दिया है। हमारे यहां बहुत से रास्ते बने हैं लेकिन रास्ते में कहीं पर पुल, पुलिया नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि वह रास्ते पानी के दिनों में बेकार हो जाते हैं। अगर आप पुल बनायें और एक योजनानुसार बनायें कि पुल हम उसी रास्ते पर बनायेंगे जहां कि गांव ऊंचे किये गये हैं तो ठीक रहेगा। वह गांव वाले जो कि खुद अपने पैसे और पुरुषार्थ से रास्ते ठीक करें और मरम्मत करें वहीं पर आप पुलिया दें ताकि वे गांव सड़कों और बाहर के रास्तों से सम्बन्धित हो जांय।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जितनी भी ओपिनिंग्स जो कि बंद कर दी गई हैं उनको आप खोल दीजिये। ऐसा करने से पानी का फैलाव हो जायगा और पानी इतना ऊंचा न होता जितना कि ऊंचा आज यह हुआ है। आज इम्ब्रेंकमेंट्स से घिर कर यह पानी इतना ऊंचा हो गया है। सन् १९३४ में जो बाढ़ आई थी उसमें गोरखपुर में इतना ऊंचा पानी नहीं पहुंचा था क्योंकि पानी का फैलाव था, नदी नालों से पानी बह गया था लेकिन आज चारों तरफ ओपिनिंग्स बंद होने के कारण पानी का फैलाव रुक गया है और जिसका कि परिणाम यह है कि आज पानी इतना ऊंचा हो गया है आप फिर ओपिनिंग्स खोलिये।

रेलवे लाइन पर गोरखपुर से सहजनवां स्टेशन १० मील पड़ता है। वह सब समुद्र बन गया है। अगर वहां पांच, दस पुल बना दिये जाते तो पानी का बहाव जल्दी हो जाता और यह समुद्र बन जाने की नौबत न आती। आज वहां पर वाटरलौगिंग हो रही है और पानी निकल नहीं पाता है।

अब ड्रेनेज की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। ड्रेनेज जहां बने हैं, वहां भी वे बंद रह जाते हैं। ड्रेनेज की ओपिनिंग करें तो शायद यह दिक्कत दूर हो सकती है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि अरली क्रौपिंग के लिये आप पानी की व्यवस्था करें। फूड मिनिस्टर आपका साथ देवें। पानी की व्यवस्था की जाय ताकि हर एक गांव का रहने वाला मई के महीने में मक्का की फसल बोये, ६० दिन में वह तैयार होती है और बाढ़ आने के पहले वह फसल काट लेगा। अगर उसका गांव और घर ऊंचा हो गया, नाव बाहर जाने के लिये उसके पास हो गयी तो उसको आपके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इस तरह से उन पर पैसा व्यय करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी। ऐसी व्यवस्था होने से बहुत अंशों में हम बाढ़ की विभीषिका से बच सकते हैं अन्यथा बांध बनाने आदि पर और सहायता कार्य करने में आप भले ही करोड़ों रुपये खर्च करते जांय, बाढ़ें जो आनी हैं वह तो आयेंगी ही और हम हर साल उसमें डबेंगे और आप चाहें बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई जहाज से दौरा करें अथवा रेलगाड़ी से यह काम ठीक होने वाला नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : इस वर्ष बाढ़ें बहुत बड़े पैमाने पर हैं और तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में इनका विशेष प्रभाव पड़ा है लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा है और हज़ारों मकान गिर गये हैं ।

आसाम में बाढ़ हर साल आने लगी है । आसाम में जो तटबन्ध बनाये गये हैं । वे ठीक नहीं बनाये गये । उन से बाढ़े रुकने की बजाये और बाढ़ें आई हैं । खराब तटबन्ध, जो अधिक खतरनाक है, नष्ट कर दिये जाने चाहिये । तटबन्धों के बारे में सारे प्रश्न की जांच करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति बनानी चाहिये ।

पर खेद का विषय है कि जल विज्ञान और ऋतुविज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों के न होने के कारण बाढ़ नियन्त्रण योजनायें बनाने में बाधा होती है । इस प्रकार के आँकड़ों के न होने के कारण डिब्रूगढ़ का तटबन्ध टूट गया था ।

व्यय के बारे में क्या स्थिति है । कहा जाता है कि सरकार स्थाई उपायों पर रुपया खर्च नहीं करना चाहती और अस्थाई उपायों में विश्वास करती है । इस लिये इन पर जो आवर्तक व्यय होता है वह स्थायी उपायों के व्यय से कहीं अधिक होता है । यदि बाढ़-ग्रस्त लोगों की सहायता के अस्थाई उपायों पर व्यय किये गये धन को बाढ़ नियन्त्रण एवं अन्य स्थाई उपायों पर खर्च किया जाये तो यह समस्या हल की जा सकती है ।

तीसरी योजना में बाढ़ नियन्त्रण के लिये केवल ६० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं, जो कि बहुत ही कम हैं ।

आसाम में इस साल दो बार बाढ़ आई है—पहले जून में और दूसरी बार अगस्त में । अगस्त में २० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और लोगों की पीड़ा बयान से बाहर है । जून की बाढ़ से पटसन और धान की फसलें बिलकुल तबाह हो गई थीं । नुकसान को रोकने के कोई उपाय नहीं किये गये । ब्रह्मपुत्र नदी के तल की खुदाई की जानी चाहिये और उसके ऊपरी भाग में बांध बनाया जाना चाहिये और पानी को नहरों में बहा देना चाहिये । इन लाइनों पर एक बहद् योजना बनाई जानी चाहिये । सरकारी प्रतिवेक्षों में दीर्घकालीन उपायों का उल्लेख होता है किन्तु उन्हें कभी क्रियान्वित नहीं किया जाता । यदि ब्रह्मपुत्र नदी के तल से रेत आदि साफ़ की जाये, तो बाढ़ के कम होने के साथ उस में जहाजरानी भी हो सकेगी ब्रह्मपुत्र की बाढ़ को रोकने के लिये मेरे विचार से निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाये । नदी में ऊपरी ओर बांध बनाये जायं, इस कार्य के लिये एक वृहद् योजना बनायी जाये तत्पश्चात् नहरें बनायी जायें और ब्रह्मपुत्र नदी से रेत निकाली जाती रहें । मेरे विचार से उक्त साधनों के प्रयोग से यह समस्या हल की जा सकती है ।

श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उस पर आई हुई मुसीबतों का सवाल अकसर उठा है और जब भी वह सवाल उठता है तो वह बहुत से लोगों के लिये एक हैडेक बन जाता है । उसके बाद जब पूर्वी उत्तर प्रदेश से वह बला टल जाती है तब उसके बाद फिर कभी उसके बारे में कोई बात नहीं सोची जाती है । मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और आज ही फ्लड का जो एरिया है, वहां से होकर आ रहा हूं । मेरा अनुभव यह है कि जो कुछ आंकड़े माननीय मंत्री महोदय ने दिये हैं, उसको मैं बिल्कुल गलत समझता हूं । नमूने के तौर पर एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं । नम्बर ६ में उन्होंने कहा है कि नम्बर आफ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ज० ब० सिंह]

कैटल लास्ट इज ८ । मेरा अनुभव यह है कि कम से कम चार पांच हजार जानवर बह गये होंगे या वे ऐसे होंगे जिन्हें खाना नहीं मिला होगा और इस कारण मर गये होंगे या फिर कहीं वे रास्ते में इधर उधर भटक रहे हैं । यह बहुत कम करके मैं आपको एस्टीमेट दे रहा हूं । मैं अपने जिले में नाव पर जा रहा था तो वहां मैंने देखा और मुझे मालूम हुआ कि कोसी और सगड़ी के इस इलाके में करीब एक हजार जानवर फ्लड में बह गये हैं या खाने बगैर मर रहे हैं जबकि आंकड़ा आठ दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह आंकड़ा बिल्कुल गलत है । उसी तरीके से आदमियों के मरने के संबंध में जो कुछ बागड़ी जी ने कहा है उस को मैं दोहराना नहीं चाहता । मैं एक दूसरे ही विषय पर आता हूं ।

फ्लड के बारे में यह कहा गया है कि चूंकि बारिश हो जाती है इस लिये हर साल बाढ़ आ जाती है । इसका मतलब तो यह हुआ कि इंसान की या फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है । मेरा कहना यह है कि फ्लड के कारण जब हम देहात में जाते हैं तो हमको यह भी अनुभव होता है और हम इसको भी देखते हैं और मंत्री महोदय गौर उनके जो एक्सपर्टस हैं वे भी देखते होंगे कि जो एनार्किक तरीका प्लानिंग का है, वह भी इन बाढ़ों के लिये बहुत हद तक जिम्मेदार है । देहातों में घर घर पानी पहुंचाने के लिये यह भी बहुत हद तक जिम्मेदार है । देहातों में मैंने देखा है कि एक तरफ विकास क्षेत्र के लोग सड़क बनवा रहे हैं, एक तरफ रेल गाड़ी की लाइन बन रही है, एक तरफ माननीय सिंचाई मंत्री नहर खुदवा रहे हैं और इन सब का कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे से एक दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं है, जहां चाहे बांध बनवा दिया जाता है, जहां चाहे सड़क खुदवा दी जाती है, जहां चाहे नहर खुदवा दी जाती है और इस सब का नतीजा यह होता है कि जब थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो वह पानी पूरे देहात में फैल जाता है और महीनों पानी निकलता नहीं है । उस जमाने में जब ये चीजें नहीं थीं, पानी आता था और चला जाता था लेकिन आज यही पानी मुख्यतः उस देहात के लोगों को तबाह और बरबाद कर देता है । यह बात नहीं है कि आपकी योजना नहीं है । जो योजना है उसको व्यक्तिगत रूप से डिपार्टमेंट्स पूरा करते हैं और एक दूसरे से कोई कंसलटेशन नहीं होता है, कोई राय नहीं होती है, एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है । किसी गांव में अगर नहर निकाली जाती है तो कहां से पानी निकलेगा इसका कोई आपके सामने नक्शा नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है । यह जो चीज है यह भी इसके लिये जिम्मेदार है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आज तबाह और बरबाद हो रहा है ।

दूसरी जिम्मेदारी जिसको आप पूरा नहीं करते हैं, वह मैं आपको बतलाता हूं । आप बांध बनवाते हैं, नहर खुदवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, यह सब ठीक है । लेकिन आपने क्या कभी देखा है कि उस बांध में, उस डैम में उस पुल में, जो सिमेंट पड़ा है वह क्या सिमेंट है या उसकी जगह बालू भर दिया गया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहां के मंत्री श्री हुक्म सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने काउंसिल में दी है, तीसियों बांध और सड़कें टूट गयी हैं, सड़कें कट गई हैं । क्या कभी आप ख्याल करते हैं कि ये बांध क्यों उड़ जाते हैं ? मैं अपने जिले की बात आपको बतलाता हूं । वहां पर एक बांध बांधा गया था और इसको तीन महीने भी नहीं हुये थे कि बाढ़ आई और वह बांध साफ हो गया । क्या आपने कभी इसको देखा है, कभी इस तरह की चीजों की जांच की है, कभी तफतीश की है और जो लोग गुनहगार पाये गये हैं, उनको क्या कभी आपने कोई सजा दी है ? कोई कुछ नहीं करता है । जब बाढ़ आती है तो हाय हाय आप भी करते हैं और हम भी करते हैं और फिर चुप हो कर बैठ जाते हैं । आप भी घटियाली आंसू बहा लेते हैं और उसके बाद कोई आपका इन्तजाम नहीं है, कुछ आप करते करते नहीं हैं । मैं कहता हूं कि चौदह बरस में जितना रुपया आपने मदद की शकल में दिया है, तकावी की शकल में दिया है, जगह जगह जानवरों के लिये भूसा खरीदने

के लिये दिया है अगर उतना रुपया आज इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थायी तौर से बाढ़ रोकने के काम में खर्च किया गया होता तो आज पूर्वी जिलों के इंसान पेड़ों पर चढ़कर अपनी जिंदगियां बसर नहीं करते। इस तरह के दृश्य देख कर हम लोगों का भी खून खौल उठता है। नेहरू जी कहते हैं कि हमारा भी कोमल हृदय है। मैं कहता हूं आपका कोमल हृदय था और हो सकता है कि आज भी हो। लेकिन आप का कोमल हृदय इन देहात के लोगों की तरफ आज नहीं है जो तबाह हो रहे हैं, जो बरबाद हो रहे हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसी अवस्था में क्या आपका कोमल हृदय कम्पित नहीं होता है जो आप कुछ कर नहीं रहे हैं।

आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, इसको मैं आपको बतलाता हूं। मेरे घर को जाने के लिये आज रास्ता नहीं है। ढोरीघाट स्टेशन से मेरा घर छः मील के फासले पर है। मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूं क्योंकि रास्ते में छाती छाती भर पानी है। सारा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है जाने के लिये। आपने इन जिलों के अन्दर एक हजार से कुछ ही अधिक नावें मुहैया की हैं। मैं आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया जिलों की बात आपको बतलाता हूं। १०७५ या १०७२ नावें आपने इन जिलों के लिये मुहैया की हैं। हर साल जब बाढ़ आती है तो आप कहते हैं कि हर गांव सभा की एक नाव हो जायेगी और जहां बाढ़ चली गई उसके बाद न गांव सभा की नाव हो पाती है न किसी दूसरे की हो पाती है। गवर्नमेंट के अफसर कहते थे कि साहब दस रोज हो गये, मैं जानता हूं कि गांव बह गया है और उनमें रहने वाले इंसानों का क्या हुआ, जानवरों का क्या हुआ, मुझे पता नहीं। मैं वहां जा नहीं सकता हूं। यह बात नहीं है कि वहां जाना नहीं चाहता हैं और न ही मैं इसकी कोई शिकायत करता हूं। ऐसी बात भी नहीं है कि वह खतरा मोल लेना नहीं चाहता है। लेकिन उनके पास कोई समान नहीं है जिससे उस जगह जाकरके वे कुछ कर सकें। लखनऊ में जब बाढ़ आती है तो हैलीकोप्टर से रोटियां, तरकारी वगैरह गिरा दी जाती हैं लेकिन जब हम देहाती लोगों पर मुसीबत आती है तो क्या वजह है कि हमारे पूर्वी जिलों में हैलीकोप्टर्ज़ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं असम में आप इनका इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं बिहार में करते हैं। उनके लिये हैलीकोप्टर नहीं हैं क्योंकि वे गरीब लोग हैं। इधर तो बाढ़ आई हुई है उधर हमारे यहां गुप्त जी ने जमीन पर टैक्स लगाने का बिल लाकर के विधान सभा में पेश कर दिया है। जब हम लोगों पर इतनी ज्यादा मुसीबत आई हुई है, हम तबाह और बरबाद हो रहे हैं तब क्या वह दस दिन रुक नहीं सकते थे। इस मुसीबत कोटल जाने देते, इस आफत को खत्म हो जाने देते और कम से कम इतनी तो इंसानियत दिखाते कि अभी इसको पेश न करते। उस बिल में यह भी नहीं है कि गरीबों को छोड़ दो और अमीरों पर ही टैक्स लगा दो। आपका हृदय कितना कोमल है, यह मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। कैसे जनता तड़प रही है, इसका उनको ख्याल नहीं। कितनी सहानुभूति पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये है, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर के लिये है, इसको आप देखें। पैसा खर्च करने के लिये फ्लड कंट्रोल के नाम पर यहां से जाता है लेकिन लाखों रुपया वापिस चला आता है और एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता है। आप सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें। मैं आजमगढ़ में जानता हूं कि आपने बाढ़ रोकने के लिये एक काम तक नहीं किया जबकि आधा जिला हर साल तबाह और बरबाद हो जाता है। मेरा सुझाव है कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों......

अध्यक्ष महोदय : सुझाव भी मुझे दीजिये।

श्री ज० ब० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि कम से कम एक काम आप करें। इन छोटी नदियों को गहरी कीजिये। यह आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में हो रहा है। आज नदियां गहरी नहीं हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जरा सा ज्यादा पानी आ जाने से सारे देहात में बाढ़ का पानी फैल जाता है। साथ ही साथ जो प्लानिंग आप करें, वह कोआर्डिनेटिड

[श्री ज० ब० सिंह]

प्लानिंग होना चाहिये। एनार्किक प्लानिंग से यह जो वाटर लागिंग का प्राबलैम है, इसको आप हल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बराबर दस साल से हर एक बयान में, हर एक स्टेटमेंट में मांग करते आ रहे हैं कि एक हाई पावर कमिशन बिठाया जाये जो इस बात की जांच करे कि कौन सा तरीका होगा जिससे वहां पर बाढ़ न आये और किस तरह से ये जो इंसान हैं, इनको बचाया जा सकता है, जो ढाई करोड़ जनता वहां रहती है, उसको बचाया जा सकता है।

मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं पूरे आंकड़े लेकर आया हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें, समझें, कि अगर वह पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस प्रकार छोड़ते जायेंगे, तो जैसा उन की पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश आज भी उनके हाथ से बाहर है, वह और भी मुखालिफ पार्टियों के हाथ में चला जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप का यह रवैया रहा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग एक एक कतरा खून बहायेंगे और आपको वहां कभी जमने नहीं देंगे और इन सवालों को मजबूती के साथ हल करेंगे, हल करेंगे, हल करेंगे।

श्री न० प्र० यादव : (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर बिहार की बाढ़ की परिस्थिति से आप को अवगत करना चाहता हूं। सम्पूर्ण उत्तर बिहार बहुत प्रारम्भ से ही प्राकृतिक आपत्तियों के हाथों का एक खिलौना रहा है। इस क्षेत्र की सब से गम्भीर दो विरोधी समस्यायें हैं—भयंकर बाढ़ और सूखा। कभी जब इधर की नदियां भयानकता के साथ उभरती हैं तो उत्तर बिहार का सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और कभी लगातार वर्षा के अभाव में फसलें सूख जाती हैं। उत्तर बिहार की सब से भयानक नदी बागमती की चपेट में जीवन त्रस्त हो गया है। विगत जून, १९६२ के प्रारम्भ से ले कर अभी तक यह लाखों मनुष्यों को बेघरबार और हजारों एकड़ जमीन में लगी विभिन्न प्रकार की फसलों को तहस नहस करती रही है। अनगिनत गांव बागमती की गोद में समाहित हो चुकी हैं। सम्पूर्ण उत्तर बिहार का आवागमन भी इस के कारण ठप्प हो गया है और रेलवे लाइनों पर भी इस ने भयानक खतरे की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

संकट की इस घड़ी में बिहार सरकार की ओर से कुछ तात्कालिक कदम उठाये गये हैं परन्तु इसे बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता। नावों और प्रारम्भिक सहायता की व्यवस्थायें पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण जनता को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी का वेग जब प्रारम्भ में अपने उभार पर था, सरकारी अधिकारियों ने इस पर प्रकार कदम नहीं उठाया जिस से जनता में विश्वास की भावना पैदा हो सकती। परन्तु संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये समुचित व्यवस्थायें की जानी चाहियें।

बागमती नदी की बाढ़की समस्या उस समस्त उत्तर बिहार के लिये एक अत्यन्त ही गम्भीर प्रश्न है जिस का निदान आवश्यक है। अगर इस नदी को नियंत्रित करने के लिये कुछ स्थायी कदम उठाये जायें तो त्राण का कुछ रास्ता निकल सकता है और यह नदी सम्पूर्ण बिहार के लिये वरदान सिद्ध हो सकती है। बागमती नदी को नियंत्रित करने का काम एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार शुरू करने की आवश्यकता है।

इस के अतिरिक्त प्राय: नेपाल राज्य के नथर पहाड़ की ओर से बागमती की धारा प्रारम्भ होती है। वहीं इसे नियंत्रित कर के जल का काफी बड़ा भण्डार बनाया जाय तथा फिर नहरों के माध्यम से इस के जल को आवश्यकतानुसार सिंचाई के काम में लाया जाय। इस के लिये नेपाल सरकार से भी बातचीत करने की आवश्यकता है। बागमती योजना का मुख्य सम्बन्ध टैकनिकल विशेषज्ञों के साथ

है जिस के लिये शीघ्र ही एक "बागमती योजना सलाहकार मण्डल" के निर्माण की आवश्यकता है, जिस में विशेषज्ञों के अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधियों को भी रक्खा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिहार सरकार या केन्द्रीय सरकार के द्वारा बागमती योजना पर कोई चर्चा नहीं की गई है। परन्तु बागमती की वर्तमान भयानकता ने शीघ्र ही इस पर सोचने को बाध्य कर दिया है। प्रायः किसी भी योजना को शुरू करने के पूर्व आर्थिक समस्याओं का प्रश्न उठाया जाता है। बिहार के मुज्जफरपुर, चम्पारन, दरभंगा, सारन और मुंगेर जिलों में बाढ़ से करीब २६ लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने २८०० वर्ग मील क्षेत्र पर असर डाला है और लगभग १३ हजार ३ ५०० घर नष्ट हो गये हैं। लगभग साढे आठ लाख एकड़ क्षेत्र की फसलें बरबाद हो चुकी हैं, जिन की कीमत करीब करीब साढ़े छः करोड़ रुपये होती है।

२६ जून को एकाएक हमारे सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, इस तरह की भयंकर बाढ़ आई, जैसी कि इस सब डिवीजन में उस से कब्ल कभी नहीं आई। एकाएक बागमती के आस पास का भाग पानी से भर गया, रेलवे लाइन टूट गई और आवागमन एक दम से बन्द हो गया। बरगनिया थाने के मुकरहर गांव में करीब छः फीट पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया। वहां के लोग बांस, गाछी और वृक्षों के ऊपर रात भर गुजर करने के लिये बाध्य हो गये। सीतामढ़ी सब-डिवीज़न के अफसर, कक्लैटर और कमिश्नर भी वहां गये। अभी तक बरगनिया थाने में करीब करीब २०० मन अन्न केवल बांटा जा सका है। हमारे चीफ मिनिस्टर भी सीतामढ़ी गये थे। उन्होंने अपने एस० डी० ओ० और कलेक्टर को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द बरगनिया थाने में, सिउहर थाने में, अदौरी और बेलसन थाने में गरीब लोगों को कम से कम एक हफ्ते के लिये राशन दिया जाय जिस से गांवों के प्राणियों की रक्षा हो सके। हमारे मुख्य मंत्री के हुक्म के बावजूद भी हमारे सीतामढ़ी सब डिवीजन में अफसर लोग ४०० मन से ज्यादा गेहूं का बटवारा नहीं कर सके हैं।

मेरा आप से अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि उत्तर बिहार बचे, उत्तर बिहार के किसानों के प्राणों की रक्षा हो सके, तो हमें रिलीफ की जरूरत नहीं, हम नहीं चाहते कि दो चार साल पर आप एक हफ्ते या दो हफ्ते के लिये रिलीफ के नाम पर थोड़ा सा अन्न पहुंचा दें क्योंकि इस से किसानों का कोई त्राण नहीं हो सकता। मेरा आप से निवेदन है कि अगर आप उत्तर बिहार के किसानों को बचाना चाहते हैं तो जैसे आप ने मेरे इलाके कोसी के लिये एक योजना शुरू की, उसी तरह से मुज्ज-फ्फरपुर, आधा दरभंगा, आधा मोतिहारी जिलों के किसानों की खेती की व्यवस्था करने के लिये आप बागमती नदी को बंधवा कर सिंचाई की व्यवस्था कर दें। अगर आप इस तरह से करते हैं तभी हमारे दरभंगा जिले के आधे भाग, मुज्जफ्फरपुर, जिले और मोतिहारी जिले के किसानों की भलाई हो सकती है। बागमती नदी में पानी की बड़ी भारी मुश्किल है क्योंकि जहां पर आज कल बागमती का पानी प्रवेश करता है वहां एक बार में २००, २५० मन तक धान होता है। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि बागमती योजना को इस इलाके के लोगों के लिये शुरू किया जाय।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** ब्रह्मपुत्र बेसिन में आसाम के ६ जिले आते हैं तथा उन में आसाम की दो तिहाई आबादी रहती है। इस में से यदि कछार जिले को छोड़ दें तो लगभग ५५ प्रतिशत आबादी इस बेसिन में आती है।

१९५० के पूर्व बाढ़ें कभी कभी ही आती थीं। १९५० के पश्चात् बाढ़ से नदी का स्तर ऊंचा हो गया फल यह हुआ कि थोड़ी सी वर्षा से ही नदी में बाढ़ें आने लगीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० च० बरूग्रा]

प्रतिवर्ष ५.३० करोड़ रुपये की सम्पति की क्षति होती है जब कि सरकार अनुदानों और ऋणों के रूप में केवल २२ लाख रुपये की सहायता देती है। हम आसाम में कृषि अथवा उद्योग के क्षेत्र में जो भी प्रगति करते हैं वह बाढ़ों से नष्ट हो जाती है।

ब्रह्मपुत्र नदी के नियंत्रण हेतु आसाम के लिये एक पृथक वृहद योजना बनायी जानी चाहिये। ब्रह्मपुत्र नदी के सम्बन्ध में, बाढ़ नियंत्रण उपायों के साथ कुछ अन्य कार्य जैसे नियंत्रण बांध, सिंचाई, नौपरिवहन, विद्युत् उत्पादन आदि को दीर्घकालीन आधार पर आरम्भ किये जाने चाहिय।

जहां तक अल्पकालीन योजना का सम्बन्ध है कई बातें कही गयी गयी हैं। एक विशेषज्ञ ने यह सुझाव दिया कि मचांग प्रकार के मकान बनाये जाने चाहिये तथा उन के लिये बांस या लट्ठों के स्थान पर सीमेंट का उपयोग किया जाये। अतः सरकार को चाहिये कि वे उचित मात्रा में सीमेंट का ही संभरण करें।

श्री यशपाल सिंह : (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से ध्यानपूर्वक सदन में चलने वाली बहस को सुन रहा हूं। यह जो आज दिक्कत है यह **गोडमेड नहीं है बल्कि मैनमेड** है। यह दिक्कत दूर की जा सकती है। इंसान की अकल से इसे दूर किया जा सकता है। अगर थोड़ा भी सोच समझ से काम लिया जाता तो यह हालत न होती। कुछ मेरी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन मैं २० साल की बात याद रखता हूं। आज से २० साल पहले हमारे देश में काफी वन सम्पदा थी। देहरादून, मौहंड और हरिद्वार के इलाकों के ऊपर करोड़ों की तादाद में पेड़ कटाये गये। वन सम्पदा जिस समय थी पानी हरिद्वार में जब बरसता था तो रिस रिस कर रुक रुक कर और जज्ब हो कर कहीं दो महीने बाद बलिया और आजमगढ़ आदि में पहुंचता था। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि वन सम्पदा सारी काट डाली गई है। हमारे मित्र इंजीनियर श्री के० एल० राव यहां बैठे हुए हैं। वे इस बात को जानते हैं कि एक तिनका सवामन पानी की हरकत को रोकता है। लेकिन जिस देश के करोड़ों पेड़ बेरहमी से काटे गये हों वहां आज हालत यह बन गई है कि पानी जो आज हरिद्वार में बरसता है वह चार दिन के बाद बलिया, और आजमगढ़ पहुंच जाता है।

श्री गेंदासिंह ने यू० पी० असेम्बली में बहस के दौरान यह बात कही थी कि साल में सिर्फ तीन महीने ऐसे हैं जब कि गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया और देवरिया में खाना बनता है। बरसात के दिनों में तमाम इलाका पानी में डूबा रहता है। गरमियों में सख्त लुओं से झौंपड़ों के जल जाने का खतरा रहने के कारण खाना नहीं बन पाता है। पचास, पचास मील तक मकान बाकी नहीं रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि वहां की कितनी दर्दनाक हालत है। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि जो वन सम्पदा नष्ट की गई है और जो कि हमारी सबसे बड़ी दौलत थी उसको पैदा किया जाय। मैं आपको क्या बतलाऊं? जिस तरीके से भले घर की लजीली लड़कियां परदे में रहती थीं, गृह वधू का कोई मुंह नहीं देख सकता था, वे हमारी बहन बेटियां परदे में रहती थीं और अपना मुंह नहीं खोलती थीं उसी तरह से हमारे देहात और शहर दिखलाई नहीं देते थे और उनके ऊपर बागों का परदा रहता था। गांव क्या थे पूरे पेड़ से लदे हुए बागात थे। लेकिन खेद का विषय है कि आज हमारे गांव और देहात बगैर घूंघट के हो गये हैं बेपरदा हो गये हैं और वही पाप है जो कि हमें इस तौर पर तबाह कर रहा है।

दूसरी दिक्कत यह है कि फसलें ज्यादा ली गईं। एक साल में एक जमीन से ४, ४ फसलें ली जाती हैं। पहले मकई बोई गई। मकई काटने के बाद आलू बोया गया। आलू खोद कर

चना बोया गया और चना काटने के बाद गन्ना बोया गया। इस से जमीन कल्लर (बैरन) हो गई। जमीन जैसे एक बन्धया स्त्री होती है उस के समान जमीन बन्धया हो गई। पहले जब हमारे यहां पानी बरसता था तो हमारे यहां एक मसल थी कि तीस दफा जोतने के बाद गेहूं बोना चाहिये, २० दफा जोतने के बाद गन्ना बोना चाहिये और जब गेहूं बोते थे तो गांव का बूढ़ा आकर खेत में पानी का भरा हुआ घड़ा छोड़ता था लेकिन जमीन इस कदर कमाई हुई होती थी कि वह पानी का घड़ा फूटता नहीं था और तब वह खेत काश्त के काबिल समझा जाता था। वह जमीन तमाम बर्षा के पानी को चूस लेती थी और वह पानी को आगे नहीं जाने देती थी। आज कानूनन यह किया गया कि फसल प्रतियोगिताएं हों और इन फसल प्रतियोगिताओं का मतलब यह हुआ कि अधिक खाद्यान्न पैदा करने के चक्कर में हम अपनी जमीनें दे बैठे और अपनी केटिल वैल्थ दे बैठें। मेरा कहना है कि खाद्य समस्या का यह हल नहीं है जो कि अब कर रहे हैं। गीता में इस सम्बन्ध में लिखा है :—

"विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रस वर्जरसोऽ प्यस्थ परं दृष्ट्वा निवर्त्तते।"

गीता में लिखा हुआ है कि कम खाओगे तो तंदरुस्त रहोगे और बीमार नहीं होवोगे। कम खाओगे तो मनस्वी रहोगे। कम खाओगे तो बुद्धिमान रहोगे और विद्वान रहोगे। जनता में इस तालीम को देने की जरूरत थी कि आप जितना अधिक खायेंगे उतने शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह हल नहीं था जो कि निकाला गया। इसलिये आप के द्वारा माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि यह सफल प्रतियोगिताएं कम कर के जमीन की कमाई की जाय, बाढ़ें रुक जायेंगी। यह मैन मेड डिफिकल्टीज हैं। मैंने अपनी आंख से देखा कि आजमगढ़ में मुगल बादशाहों ने एक नहर ऐसी बनाई थी कि तमाम शहर का पानी उस में से हो कर टोंस नदी में जा गिरता था। तमाम बाढ़ का पानी इकट्ठा हो कर टोंस दरिया में जा कर पड़ता था। अब मुगल बादशाहों द्वारा बनाई गई नहर को मैंने अपनी आंखों से देखा कि अब वह नहर भर गई है और नहर नहीं रह गई है। उस नहर में मवेशी चरते हैं। मिट्टी से वह नहर भर गई है। आज जरूरत इस बात की है कि उन नहरों को गहरा किया जाय। इसी तरह गाजीपुर में मुगल बादशाहों द्वारा खोदी हुई नहर देखी। मुगल बादशाहों ने गंगा के चारों तरफ बांध बनाया था और चाहे जितना भी पानी बरसे गाजीपुर में गंगा जी घुस नहीं सकती थी लेकिन वह बांध इस तरह से टूट गया जैसे कि कुम्हार का कच्चा घड़ा टूट जाता है। उस बांध को मेंटेन नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि गाजीपुर शहर पानी में डूबा पड़ा रहता है। यह दिक्कतें हैं जो कि मैन मेड दिक्कतें हैं यह खुदा की दी हुई नहीं बल्कि यह इंसानों की बनाई हुई दिक्कतें हैं। अक्ल से इन के ऊपर काबू पाया जा सकता है। दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया है। हम भी एक योजना बना कर इस पर काबू पा सकते हैं।

जब मैं यू० पी० असेम्बली में था तो एक डेपुटेशन पर मैं बाढ़ का जायजा लेने के लिये गाजीपुर, बलिया और देवरिया वगैरह गया था और मैं ने स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ का वह भयंकर दृश्य देखा था और आज भी उसका खयाल करते हुये मौत का नज्जारा मेरी आंखों के सामने आ जाता है।

"नुचे नुचे बालों पर भी देखे लुटे लुटे कारवां भी देखे,
जमीं की छाती का बोझ बन कर झुके झुके आस्मां भी देखे।"

जब आज ऐसी दर्दनाक हालत पैदा हो रही है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि फौरी रिलीफ उसको पहुंचायी जाय। उनको राहत पहुंचाने के लिये फ्लड एंड फैमिन इंश्योरेंस फंड

[श्री यशपाल सिंह]

कायम किया जाये। किसान की केटिल वैल्थ, खेत और किसान के घर के लिये स्टेट गवर्नमेंट पचास फीसदी पैसा दे और सेंट्रल गवर्नमेंट पचास फीसदी देवे। यह काम तब होगा जब इसके लिये एक मुस्तकिल फंड कायम किया जायगा। जहां किश्तियों की कमी है वहां किश्तियां भेजी जायें। उन इंजिनियर्स और ओवरसियर्स को बरख्वास्त किया जाय जो कि अब तक नालियों का सिस्टम कायम नहीं कर सके हैं। हम गंगा के किनारे पर रहते हैं लेकिन जब भी बारिश होती है हमारे मकानात धुल जाते हैं हमारी गंदगी धुल जाती है और हमारा सब पानी गंगा जी में बह जाता है। यह इसलिये मुमकिन है क्योंकि हमने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि मुगलों के जमाने से जो इंतजाम हुआ आ रहा है उस निजाम को हमने बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन अन्य जगहों पर हम देखते हैं कि निजाम बनता नहीं है और वह बिगड़ रहा है।

कागजात में बांध बनते हैं, कागजात में नालियां खोदी जाती हैं लेकिन दरअसल काम कुछ नहीं किया जाता है और वह कागजों तक ही महदूद रह आते हैं। इस के लिये मैं किसी मामूली आदमी का हवाला नहीं दे रहा हूं बल्कि यू० पी० के एक मिनिस्टर श्री चरण सिंह ने बतलाया कि मैं ने गांव में १० गड्ढे खुदवाये। जब दस गड्ढे तैयार हो गये और मैं दिल्ली पहुंचा तो वह लखनऊ के कागज़ात में १० गड्ढे के ११० गड्ढे हो गये। दस के एक सौ दस बन गये। हुआ यह कि बी० डी० ओ० ने रिपोर्ट दी कि मैंने १० गड्ढे खुदवाये हैं, सी० डी० ओ० ने रिपोर्ट दी कि दस मैंने खुदवाये हैं, कानूनगो ने कहा कि दस मैंने खुदवाये हैं, तहसीलदार ने कहा कि दस मैंने खुदवाये हैं, सुपरवाइजर के कहा कि दस उसने खुदवाये हैं, डी० पी० ओ० वगैरह ने कहा कि दस उसने खुदवाये हैं और ए० डी० ओ० ने कहा कि दस मैंने खुदवाये हैं मतलब यह कि कागजात में काम इस तौर पर होता है।

किसानों को बाढ़ के समय राहत देने के लिये फ्लड एण्ड फेमिन रिलीफ फंड कायम किया जाय और उस में से उन्हें तकाबी दी जाये। अब तकाबी की यह हालत है कि किसान को वह नहीं मिलती है। एक सरमायेदार को १० करोड़ या २० करोड़ बतौर तकाबी और लोन के मिल सकते हैं लेकिन एक गरीब किसान को जिसकी कि जमीन को उजाड़ा गया उसे एक पैसा नहीं दिया गया। अब श्रीमान् का यह समाजवाद है। आप के समाजवाद में बिड़ला, टाटा और डालमिया १०, १० लाख रुपया रोजाना कमाते हैं लेकिन २५ बीघे के किसान को जालिम जमींदार कह कर खत्म किया गया है। ऐसे लोगों को तकाबी देने का माकूल इंतजाम किया जाय और तकाबी जो देनी हो उसे खुद तहसीलदार जा कर देवे। अब तकाबी के बारे में मैं कांग्रेस के ही एक सदस्य का बयान कोट करता हूं। बाबू गोविन्द सहाय जो कि आजकल मिनिस्टरी में हैं उन्होंने यू० पी० असेम्बली में यह बयान दिया है कि एक किसान के लिये ५०० रुपया तकाबी का मंजूर हुआ। आठ महीने में जा कर वह ५०० रुपया उसे मिला लेकिन जब वह रुपया उसको एक्चुएली मिला तो सिर्फ ५० रुपये ही मिले, ५०० की जगह ५०, रुपये उसे मिले और वह उन पचास रुपयों को ले कर कलैक्टर साहब के इजलास में चला गया और उसने कहा कि साहब इसमें से सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है तहसीलदार ने ले लिया है, कानूनगो ने ले लिया है, अब यह पचास रुपये मेरे पास बचे हैं इन को आप ले लीजिये यह आपकी नजर हैं। जरूरत इस बात की है कि कैटिल वैल्थ को महफूज रखने और उनके घरों की हालत को सुधारने के लिये आज जो एक करोड़ आदमी बेघर पड़े हुये हैं उनका इंतजाम कीजिये। उन्हें बिना सूद के तकाबी दीजिये।

यह बातें श्रीमन्, मैं इन के लिये कह रहा हूं। हमें इन बातों की जरूरत नहीं है। हमें इन बातों की जरूरत इसलिये नहीं है कि हम परमेश्वर की लाइट में काम करते हैं। हमें अक्लमंदी

की जरूरत इतनी नहीं है जितनी कि आपको है। जिसकी छत पक्की हो उसे छत का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। जिसकी छत कच्ची हो उस को इंतजाम करने की जरूरत है। हम अल्लाहताला को मानते हैं, खुदा को मानते हैं। उस ने हमें यह एग्रीमेंट लिख कर दे दिया है :—

"अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।" (गीता)

जिस तरीके से बच्चा मां की गोद में जाकर बेफिक्र हो जाता है उसी तरीके से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर के मनुष्य बेफिक्र हो जाता है। भगवान कृष्ण ने यह वायदा किया है, कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है उसकी आवश्यकताओं और दिक्कतों को भी मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। भगवान के निश्चय और दिन रात की मेहनत से ही बाढ़ के दुख का निवारण हो सकेगा।

और मनुष्य की मुसीबतों को, इन्सान की दिक्कतों को, इन्साद की जरूरियात को, इन्सान के तफक्कुरात को भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें जरूरत नहीं है, जरूरत आपको है, जो इन्सानी अक्ल को ज्यादा मानते हैं। इसलिए उस अक्ल से काम लीजिएगा और कानून बना दीजिएगा कि जिन इंजीनियरों और ओवरसियरों ने ये गड्ढे नहीं खुदवाए हैं, उन लोगों को नौकरी से अलग किया जाये और इस का इन्तजाम किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड से तो यह समझा जायेगा कि माननीय सदस्य मुझे मुखातिब करके कह रहे हैं कि इन सब बातों की मुझे जरूरत है।

†**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : यद्यपि हमारे क्षेत्र में बाढ़ों का सीधा प्रभाव नहीं होता है, तथापि जब भी बाढ़ें आती हैं तो उनका आर्थिक प्रभाव हमारे इलाके में होता ही है।

वस्तुतः आसाम की जनता को बाढ़ों के कारण बहुत हानि हो रही है। और यह बात लगभग प्रतिवर्ष हो रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार साधन सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गये हैं। हाल में जो दो बाढ़ें एक के बाद एक आयी हैं उनसे लोगों की हालत और भी खराब हो गयी है।

केन्द्रीय सरकार को आसाम सरकार को प्रत्येक संभव सहायता देनी चाहिये ताकि स्थिति का सामना किया जा सके।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आसाम की जनता को अपने मकान अधिक ऊंचाई पर बनाने में सहायता करें।

मेरे विचार से ब्रह्मपुत्र के उद्गम के स्थान में बांध बनाना संभव नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहुत विशाल नदी है साथ ही उस इलाके में बहुत ही भूचाल आते हैं जैसा कि १९५० के भूचाल से प्रगट हुआ।

मेरे विचार से मुख्य कठिनाई जल निस्सारण की है। इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों को इस ओर ध्यान देना चाहिये। पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अयूब ने भी इस संबंध में भारत सरकार से सहयोग करने को कहा है। मैं चाहता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान सरकार दोनों संयुक्त रूप से इस कार्य में हाथ बटायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी नाथ पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आ रहा हूं जहां पर बाढ़ का भीषण प्रकोप है और कम से कम मेरे क्षेत्र का तो बहुत बड़ा भाग पानी के अन्दर है। लेकिन जिस तरह से विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भाषण दिए हैं, उससे मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे उन्हीं की गवर्नमेंट क्यों न हो, कोई गवर्नमेंट भी बाढ़ लाने की कोशिश नहीं कर सकती है। किसी के भी हाथ में ऐसा नहीं है कि वह पानी खोल दे या बरसादे ताकि सारा इलाका पानी में डूब जाय। यह एक प्राकृतिक चीज़ है और बावजूद इस बात के कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंजीनियर्ज इसको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी बाढ़ आ जाती है। मैं मानता हूं कि ईस्टर्न यू०पी० में बांध बनाये गये हैं मगर जहां पर बांध बनाने की जरूरत है वहां पर नहीं बनाये गये हैं और जहां तक वे बनाये जा चुके हैं उससे आगे भी जहां जहां बनाने की जरूरत है, वहां नहीं बनाये गए हैं। इस का नतीजा यह होता है कि जहां पानी ज्यादा हुआ और उसका बहाव तेज़ हुआ वहां वह अपना रास्ता खुद बना लेता है और बाढ़ आ जाती है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पेड़ कट जाने से हरिद्वार का पानी गोरखपुर पहुंच जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हरिद्वार का पानी गोरखपुर में कैसे पहुंच सकता है। यह बात जरूर है कि गोरखपुर में खतरा अवश्य है लेकिन वह बड़ी गंडक व राप्ती से है। बड़ी गंडक एक ऐसी नदी है जो नैपाल के पहाड़ों से निकलती है और जहां से बड़ी गंडक निकलती है वहां पर नीचे बालू है अतः बड़ी तेज़ी के साथ जब उसका पानी नीचे आता है तो इसका नतीजा यह होता है कि बहुत बुरी तरह से वह नदी अपने किनारे काट देती है। यह सब से बड़ी समस्या वहां पिछले साल से शुरू हुई है। पहले नदी की धारा दूसरी तरफ थी और नैपाल के कुछ गांव जो उसके मुहाने पर थे वे गोरखपुर की तरफ पानी को आने से रोकते थे। लेकिन इत्तिफाक ऐसा हुआ कि पानी का इतना ज़ोर हुआ कि नैपाल की तरफ जो दो तीन गांव गोरखपुर की तरफ पानी को आने से रोके हुए थे, वे गांव कट गए और अब नदी की धारा बजाय उधर जाए इधर आ गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि बड़ी गंडक बड़ी तबाही ला रही है। पिछले दो तीन साल से ऐसा ही होता आ रहा है। ऐसा भी देखा गया है कि पानी तो बरसना अगस्त महीने में शुरू हुआ और वहां जून में ही बाढ़ आ गई और सिर्फ उस नदी की वजह से बाढ़ आ गई। पहाड़ों पर पानी बरसा होगा जिसके नतीजे के तौर पर बाढ़ आ गई और बड़ी गंडक का पानी रोहिनी, राप्ती, छोटी गंडक, आदि नदियों में आ कर भर गया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार इस बात को कन्सलटेटिव कमेटी में भी उठाया है। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने ईमानदारी के साथ प्रयत्न नहीं किया। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़हां पर वह बांध बनना है, वह हमारे इलाके में नहीं है। मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि रोहिनी, राप्ती और छोटी गंडक में बड़ी गंडक का पानी न आ मिले, इसके लिए यह जरूरी है कि वहां बांध बनाया जाए। जैसा मैंने कहा चूंकि वह नैपाल का इलाका है, इसलिए बगैर नैपाल की इजाज़त के बांध नहीं बन सकता है। इस सम्बन्ध में मेरी पंडित जी से बातचीत हुई है और पंडित जी ने भी नैपाल के किंग के साथ बातचीत की है। लेकिन इत्तिफाक से उसकी इजाज़त नहीं मिली है। ऐसा भी एक आध बार हुआ है कि जब यू० पी० गवर्नमेंट के इंजीनियर्स सर्वे करने के लिए गए तो नैपाल सरकार ने उनको पकड़ लिया! आज मेरी पंडित जी से बातचीत हुई है और माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी बातचीत हुई है। मुझे पता चला है कि नैपाल सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई है कि वहां

ज़मीन का सर्वे किया जाए और बांध बनाने की तैयारी की जाए। मेरा केवल इतना निवेदन है कि चूंकि अभी तो वहां पानी है, इसलिए बांध नहीं बन सकता है लेकिन ज्यों ही पानी हट जाए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उस बाध को बनाने का प्रयत्न करे। इस बांध को बनाने में कम से कम साल भर लग जाएगा। बांध बनाना कोई आसान नहीं है और न ही वह दो तीन महीने में बन सकता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की पूरी शक्तिस् बात पर लगे कि जितनी जल्दी हो इस काम को पूरा कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि बाढ़ के कारण उस इलाके की क्या हालत है। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री महोदय हैं, उनका यह स्टेटमेंट है और खुद हमारे मंत्री जी हाफिज़ साहब का यह स्टेटमेंट है कि ६० लाख आदमियों पर इसका असर पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर और देवरिया जिलों की आबादी ४८ लाख है, दोनों की मिलाकर। अब आप सोच सकते हैं कि ६० लाख में सब से ज्यादा असर इस पानी का किस क्षेत्र पर पड़ा है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ नीचे है, अतः उस की वजह से भी वहां पानी आ जमता है। नदियों के बाढ़ का असर तो वहां होता ही है मगर साधारण तौर से भी वहां पानी आ जाता है। असाधारण तौर पर जब पानी बरस जाता है तो भी वह इलाका जलमग्न हो जाता है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाए जो देखे कि आखिर इस बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। नैपाल वाले बांध की बात तो मैंने बता दी है, उस तरफ तो आपका ध्यान जाना ही चाहिये और उसमें अब कोई ज्यादा कठिनाई की बात भी नहीं होनी चाहिये, लेकिन पूरे तरीके से बाढ़ को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे रोका जा सकता है, इस बात की जांच करने के लिए और इसके उपाय सुझाने के लिए एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाई जाए जो जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे और जो सुझाव वह कमेटी दे उनको आप अमल में लायें। जो सुझाव एक्सपर्ट कमेटी दे सकती है वह कोई दूसरा नहीं दे सकता है। कहने को तो हम भी बहुत सी बातें यह सकते हैं लेकिन हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानते हैं। आज़मगढ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा आदि जिलों में क्यों बाढ़ आती है और उसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे वहां के लोगों को इन बाढ़ों के प्रकोप से बचाया जा सकता है, इसकी जांच करने के लिए और उपाय सुझाने के लिए मैं निवेदन करता हूं एक एक्सपर्ट कमेटी अवश्य बिठाई जाए।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया, आज़मगढ, बलिया ऐसे इलाके हैं जहां पर एक स्क्वेयर मील में करीब एक हजार आदमी रहते हैं। इसके अलावा आबादी के ख्याल से जमीन कम है तथा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है। अकेले देवरिया जिले की बात मैं आपको बतलाता हूं। वहां की आबादी २४ लाख है और कुछ जमीन वहां पर ११ लाख एकड़ है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फैमिली के पास कितनी ज़मीन हो सकती है। इतनी कम ज़मीन एक फैमिली के पास होते हुए भी अगर फसल नष्ट हो जाती है तो जो उन लोगों की हालत हो सकती है, उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिये। उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी हाल में एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लाखों आदमी बगैर खाने के रह रहे हैं। इससे भी आप सोच सकते हैं कि वहां समस्या कितनी गम्भीर है। मैं इससे अधिक कह कर और वक्त बरवाद नहीं करना चाहता। मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि उन पर गौर किया जाए और उनको अमल में लाने की कोशिश की जाए। हम में

[श्री काशी नाथ पांडे]

से कुछ लोग अभी पंडित जीसे मिले थे और उन्हें भी कुछ सजैशंज दिए थे और हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय भी इस बात को सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें जहां तक उन से हो सके।

पहली बात तो यह है कि एक कमेटी बनाई जाए और वह इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में फ्लड आते क्यों हैं और उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो बांध बनाया जाना है, उसको जल्दी से जल्दी अवश्य बनाया जाए।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जहां पर कोई फसल नहीं हुई वहां के लोगों को खाने के लिए खाना मुहैया किया जाए और फूड मिनिस्ट्री से अगर हो सके मदद लेकर गल्ला पहुंचाने की कोशिश की जाए। जहां पर बड़ी गंडक की धारा आ गई है वहां पर सड़क कई जगहों में कट गई है जहां से हो कर आसानी से गल्ला नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जिस तरह से भी हो वहां पर गल्ला पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। जो गरीब आदमी हैं उनको मुफ्त अनाज दिया जाए और जो दाम दे सकते हैं उन से सबसिडाइज्ड रेट्स पर दाम ले कर उनको अनाज दिया जाये।

आपको चाहिये कि आप स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि तमाम टैस्ट वर्क्स जहां पर गरीब मज़दूर लोगों को काम मिल सके, शुरू किए जायें। कच्ची, पक्की सड़कों को बनाया जाए ताकि गरीब लोगों को काम मिल सके। साथ ही गोरखपुर से ले कर छपरा तक एक नैशनल हाईवे आप बनाने वाले हैं उसका करीब करीब सारा काम कम्प्लीट हो गया है। अगर उस हाइवे पर काम शुरू हो जाए तो बहुत से मज़दूरों को वहां पर काम मिल सकता है और उनके खाने का इतजाम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

आखिर में मेरी यह प्रार्थना है कि एक तो फसल नष्ट हो गई है, बरबाद हो गई है। अब रबी की बोआई का वक्त आ रहा है। अगर अब पहले से ही हमने सीड वगैरह का इंतजाम नहीं किया तो काश्तकार अपनी ज़मीन में गल्ला भी नहीं बो सकेंगे। अतः बीज का इन्तजाम जल्द किया जाय। रबी की फसल उन की बरबाद हो जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा इन्तजाम किया जाय कि सीड पहले वहां पहुंच जाय ताकि लोगों को बोवाई के लिये सीड मिल सके।

मुझे एक चीज और कहनी है। जहां पर गांव ऊंचे किये गये हैं वहां के लिये बहुत से भाइयों ने कहा कि जो बड़े बड़े लोग थे उन के घर ही ऊंचे किये गये हैं। गवर्नमेंट की स्कीम थी कि वह सब के साथ बराबरी का व्यवहार करे। जो भी गांव ऊंचे होते हैं वह पूरे होते हैं। इसलिये गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिये कि अगर वह गांव ऊंचे कर दे तो उस से हो सकता है कि जो उन को बाढ़ से लड़ने की लड़ाई है वह फतह हो सके और लोगों की जान भी बच सके। यही मेरा सुझाव है।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने बाढ़ के सम्बन्ध में जो फिगर्स दिये हैं उन से मालूम होता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर, चम्पारन, दरभंगा, सारन और मुंगैर, यह पांच जिले सब से ज्यादा अफेक्टेड हैं। यह दिया गया है :

एरिया अफेक्टेड	२४४५.६० वर्ग मील
पापुलेशन अफेक्टेड	२३,७९,२५१
विलेजेंज अफेक्टेड	२,५७९
क्राप्स डैमेज्ड	८,३८,५१२ एकड़
एस्टिमेटेड वैल्यू	४,८५,८२,५६८ रुपये

यह बिहार गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। हम लोगों का अपना अनुमान है कि जिस तरह से गवर्नमेंट के जरिये से फिगर्स आते हैं उस में और जो खबरें हम लोगों के पास आती हैं, उस में फर्क होता है। लेकिन अगर सरकार के फिगर्स को ही मान लिया जाय तो उस से मालूम होगा कि कितनी भयानक परिस्थिति इस बाढ़ ने पैदा कर दी है।

जो सब से बड़े दुःख की बात है वह यह है कि जितना नुक्सान बाढ़ के पानी से नहीं होता, उस से ज्यादा नुक्सान होता है जमीन के कटने से। लोग बेघरबार हो जाते हैं, उन के पास जोतने के लिय जमीन नहीं रहती है। इस बात के कोई फिगर्स यहां नहीं दिये गये हैं। यहां पर जो फिगर्स जिलेवार दिये गये हैं उन में मैं अपने जिले के सम्बन्ध में ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है वह अपनी तरह की बेमिसाल बाढ़ है। मेरे प्रदेश में चार चार बार बाढ़ आई। एक नहीं, चार चार बार। दो बार जब बाढ़ आई उस समय मैं अपने प्रदेश और अपने जिले में था, लेकिन दूसरी दो बार जब बाढ़ आई तो मैं वहां नहीं था। वहां पर जो बाढ़ आई है वह ऐसी जगह में आई जहां नदीं है, जिस से हो कर नदी जाती है, और वह बाढ़ हर साल की बात है। लोग जानते हैं कि वहां बाढ़ आयेगी और साल के इस महीने में आयेगी।

लेकिन मेरे जिले में जो जो धनहा, बगहा, रामनगर, जोगा पट्टी, शिकारपुर, मैना टांण सिकता आदि थाने हैं, या मोतिहारी सब डिवीजन के जो थाने हैं, उन में बागमती में जो बाढ़ आई है वह एक अजीब तरह की बाढ़ थी। उस के पानी से जो नुक्सान हुआ वह तो हुआ ही, घर जो गिरे वह तो गिरे, लेकिन उस ने बहुत सी जमीन को बालू से नुकसान पहुंचा दिया। जो बड़ी जरखेज जमीन थी वह बालू से भर गई। दूसरी बात यह देखने में आई कि पानी जो आया उस ने मकानों में भर जाने के अलावा गांवों में जा कर २०, ४० और ५० फीट तक के गड्ढे कर दिये। इस पर विचार करने से मालूम हुआ कि इस के दो कारण हैं कि क्यों बिहार में बाढ़ आई। मैं नैपाल की तराई में रहने वाला हूं, जहां से नैपाल शुरु होता है, जो नैपाल और हिन्दुस्तान के बार्डर पर करीब करीब है। नदियां जो आती हैं वे सारी की सारी नेपाल से आती हैं। बाढ़ आने का जो पहला कारण है, और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस की छान बीन करायेंगे, वह यह है कि जंगल काटे गये। इसलिये वहां पानी रुकता नहीं है। पानी जब रुकता नहीं है और नदी में आता है

[श्री क० ना० तिवारी]

तो उस में बालू ले कर आता है । इस तरह से नदी का जो पेट है वह बालू से भर गया। उस से पानी थोड़ा ऊपर हो जाता है, उस के बाद जब ऊंसे से पानी आता है तो सारे का सारा इलाका जो है उस को नुकसान पहुंचता है ।

दूसरा कारण यह है कि जो पानी निकलने का रास्ता था उस रास्ते को लोगों ने आबाद कर दिया, उस को बन्द कर दिया, मछली वगैरह पकड़ने के लिये बन्द करवा दिया या आबाद करने के लिये बन्द करा दिया। इस से पानी के निकलने की जगह नहीं रही और पानी रुकता है । पानी जब रुकता है तो फसल को नुकसान होता है ।

तीसरा कारण मैं ने देखा कि पी० डब्ल्यू० डी० की जो सड़कें बन रही हैं, या जो नहर डिपार्टमेंट से नई नहरें निकल रही हैं, जैसी कि गंडक प्रोजेक्ट है या दूसरी प्रोजेक्ट्स हैं, उन में पानी के लिये आउटलेट नहीं दिया जाता है । हजारों बार कहने के बावजूद, लोगों को अप्रोच करने के बावजूद भी आउटलेट नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि पानी रुक जाता है । रेलवे लाइन्स से भी पानी रुक जाता है । सब से बड़ी बात तो यह है कि पांच साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे लाइन को बदल दिया जाये, लेकिन वह बदली नहीं जा रही है । इस साल वह टूट गई और उस से बहुत से गांवों को नुक्सान हुआ है । जब जिला डेवेलपमेंट कमेटी की बैठक हुई तो हम लोग इस नतीजे पर आये कि करीब करीब यही हालत हमारे नार्थ बिहार की है । जब तक नहर विभाग का, पी० डब्ल्यू० डी० का, रेवेन्यू विभाग का, रेलवे विभाग का, और इस तरह के जो दूसरे विभाग हैं, उन का कोआपरेशन नहीं होगा तब तक बाढ़ नहीं रुक सकेगी। यह जरूरी है कि इन का कोआर्डिनेशन हो, और यह सब लोग मिल कर, इस बात को नेशनल इश्यू समझ कर इस पर विचार करें। कभी कोई कहता है कि हम नहीं जानते, कभी कोई कहता है कि हम नहीं जानते । यह चीज ठीक नहीं है । मैं एक मिसाल दूं। एक गांव है जो कि कट रहा है, जहां पर कि करीब ३०० घर हैं। वहां पर एक नदी है जो उस को काट रही है । उस गांव के एक तरफ नहर है, एक तरफ पी० डब्ल्यू० डी० की रोड है और एक तरफ नदी है । हम लोग छः साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह मसला तय नहीं होता कि उस को माइनर ईरिंगेशन वाले करेंगे या पी० डब्ल्यू० डी० करेगा, या कौन करेगा। गांव कट रहा है, नुक्सान जो उस से होता है वह हो रहा है । जितना नुक्सान फ्लड्स से नहीं हो रहा है उतना नुक्सान कोआर्डिनेशन के न होने से हो रहा है । इसलिये जरूरी है कि उन में कोआर्डिनेशन हो, जिस से कि पानी के निकलने का रास्ता मिल सके।

एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। दो एक सुझाव हैं जो कि मैं देना चाहता हूं । नदियों का पेट जो बालू से भर गया है, उस को साफ करना चाहिये और पी० डब्ल्यू० डी० को पानी के लिये आउटलेट देना चाहिये।

एक और बात नावों के सम्बन्ध में कही गई है । मुझे मालूम हुआ है कि पंजाब में एक वोट ट्रेनिंग स्कीम चलती है । यहां जब हर साल बाढ़ आती है और नावों के सम्बन्ध में बात उठती है, तब भी नावें नहीं मिलती हैं। इस से गल्ले का भी नुकसान होता है और मवेशियों का भी नुक्सान होता है । अभी एक दोस्त ने बतलाया कि पंजाब सरकार ने एक वोट ट्रेनिंग स्कीम बनायी है। वे कुछ नावें रखते हैं और अफसरों को और लोकल

आदमियों को भी ट्रेनिंग देते हैं। ताकि वह बाढ़ के समय लोगों को सहायता पहुंचा सकें। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की स्कीम जारी होनी चाहिय।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कि जब बाढ़ आती है तो हमारी फसलों को बड़ा नुक्सान होता है जैसाकि इस समय हो रहा है। इसके लिय मेरा सुझाव है कि फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट धान, मकई, आदि एसी फसलों के बारे में, जो कि बाढ़ के समय बोयी जाती हैं, रिसर्च करावें और इन चीजों के ऐसे बीज तैयार कराये कि वे बाढ़ को बरदाश्त कर सकें और पानी को स्टेंड कर सकें और खराब न हों।

श्री रामेश्वरानन्द : (करनाल): न तं वदाय य यया जजान, अन्यदि युस्माक्म अन्तरम् वभूव, निहारेन प्रवृत्या अल्प्या आसुतोष स्वरन्ति।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे क्षेत्रों से आया हूं जिसमें सैकड़ों मील जमुना चलती है, और छोटे मोटे सैकड़ों नदी नाले निकलते हैं। जमुना के तट पर जो गांव बसे हुए हैं उनमें इस समय किसी में दस घर रह गए हैं किसी में पांच घर रह गए हैं, किसी में १५ घर रह गए हैं और बाकी जा चुके हैं और किसानों की लाखों बीघा भूमि जमुना के अन्दर आ चुकी है। साथ ही जमुना की नहर भी निकल रही है किन्तु लोगों के सामने जो संख्या है उसका समाधान होना बड़ा असम्भव है।

आज किसान मारा मारा फिरता है इसलिए कि उसे जमुना से बचाया जाए। तो मैं और कुछ कहने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। यदि इस योजना को सारे देश में लागू किया जाए तो बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है। वह योजना यह है कि जिस तरह से नहर वाले नहरों को वर्ष में एक बार साफ करत हैं या कहीं दो बार साफ करते हैं, उसी प्रकार जमुना और दूसरी नदियों के बीच के भाग को खोद कर हर साल उनका रेता निकाल दिया जाए और उसको उनके दोनों पालों पर गिराया जाए तो इससे पाल भी ऊंचे हो सकते हैं और जमुना गहरी हो जाने से, आज जो बाढ़ का पानी निकल कर चलता है, वह उसके अन्दर चल सकता है।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए पैसा कहां से आएगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : नाचने के लिए कहां से आता है, सिनेमा के लिए कहां से आता है ? मैं कहना चाहता हूं कि, पैसा कहां से आएगा, यह सोचना तो सरकार का काम है और यह वह नहीं कर सकती तो अच्छा हो यदि वह इस काम को छोड़ बैठे।

तो मैं कह रहा था कि यदि यह उपाय किया जाए तो जो लाखों एकड़ भूमि जमुना आदि नदियों के बीचों बीच आ जाती है, बचायी जा सकेगी और जो आसपास की भूमि है उसमें खेती हो सकेगी। इस काम में कोई आपत्ति नहीं है। आज जो विभिन्न स्थानों में बांध बनाए जा रहे हैं उन पर जो खर्चा होता है उससे बहुत कम खर्चा इस काम पर होगा। अगर आप इसके लिए यत्न करेंगे तो लोग इस काम में श्रमदान भी दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार को यत्न करना चाहिए कि नदियों के तटों पर पत्थर आदि रख कर उनको सीधा बना दे जिससे उनका पानी आसपास फैले नहीं। और अगर पानी नहीं फैलेगा तो न फसलों को नुकसान होगा और न गांवों को हानि होगी।

[श्री रामेश्वरानन्द]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गांवों को ऊंचा कर दिया जाए, लेकिन गांवों को ऊंचा करने से काम बनने वाला नहीं है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो वे ऊंचे से ऊंचे गांवों को काट कर फेंक देती हैं। आप देखें कि नहरों को बांध कर चलाया जाता है। नहरों के तट भी सारे पक्के नहीं होते, कहीं कहीं पक्के होते हैं। अधिकतर नहरों के तट कच्चे हैं। तो जिस प्रकार नहरों को बांध कर चलाया जाता है अगर उसी प्रकार नदियों को भी चलाया जाए तो बाढ़ का पानी उनके अन्दर चल सकेगा। आज हो यह रहा है कि क्योंकि जमुना में रेता भरा है इसलिए जब जरा भी बाढ़ आती है तो पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है और लोगों को रातों रात दबा लेता है। मुझे एक सदस्य महोदय ने बतलाया है कि मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से लोगों को गांवों में रेडियो द्वारा बाढ़ की सूचना दे दी जाती है जिससे लोग एक दिन पहले हट जाते हैं। जहां तक मुझे मालूम है पंजाब में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए जिससे लोगों को समय रहते सूचना मिल सके।

ड्रेनें काटने के लिए व्यवस्था की जा रही है लेकिन वह कितनी भयानक और महंगी है। काटने वाले जहां से चाहते हैं काट कर ले जाते हैं। किसानों के खेतों के बीचों बीच से ले जाते हैं, किसी की सुनते नहीं। उनसे कहा जाता है कि इस तरह से ले जाएं जिस तरह से पहले नदी का पानी चलता था, मगर वह मानते नहीं। तो इससे कुछ लाभ नहीं हो सकता।

बाढ़ का एक और कारण नहरों और सड़कों का बनना है। पहले जगह नहीं थीं तो पानी अपने रास्ते से निकल जाता था लेकिन बीच बीच में जब अब सड़कें और नहरें बन गयी हैं और उनको बनाते समय यह नहीं देखा जाता कि बरसात का पानी कैसे निकाला जाए। पहले बरसात का पानी जहां से जाता था वहां से एक मील दूर साइफन बनाया जाता है, इस कारण पानी इकट्ठा हो जाता है। इस कारण जहां पहले बाढ़ नहीं आती थी, जहां एक बूंद पानी भी नहीं ठहरता था, वहां आज गांव के गांव डूब जाते हैं। मैंने स्वयं जा कर देखा है। मैं अपने क्षेत्र के एक गांव दुरगापुर की बात आपको सच बताता हूं कि उसके आस पास इतना पानी भरा था कि मैं वहां जा नहीं सका और उसके आस पास के सभी गांवों में पानी इकट्ठा हो गया था। उसके आगे बना दी गयी है भाखड़ा नहर और उसके नीचे पुल नहीं बनाए हैं जिसमें पानी निकल जाए। इसलिए दसियों गांवों में पानी भर जाता है। इसी प्रकार सड़कें निकाली गयी हैं लेकिन ठीक स्थानों पर पुल नहीं बनाए गए हैं।

इसके लिये कमेटी बनाने की बात कही गयी। मैं कमेटी बनाने का विरोध नहीं करता। लेकिन जो कमेटी काम न करे और बैठी रहे वह समस्या को कभी हल नहीं कर सकेगी। अगर आप कमेटी बनाते हैं तो ऐसे आदमियों की बनाइए जो कि काम करने वाले हों। केवल आप कमेटी चुन दें तो काम नहीं हो सकता। उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता।

एक यमुना कमेटी बनी हुई है। मैं आपको उसकी बात बताऊं। उत्तर प्रदेश की तरफ से जमुना का बड़ा संगीन बांध बांधा गया है लेकिन अगर पंजाब की तरफ अगर कोई दो पत्थर भी रख देता है तो उसको पकड़ लिया जाता है और सजा देने की धमकी दी जाती है। मैं ऐसे दसियों गांव दिखा सकता हूं जो बाढ़ के कारण गिरे जा रहे हैं और वहां के लोग चाहते हैं कि स्वयं अपनी रक्षा करें लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता। मैंने सुना है कि यमुना कमेटी के मंत्री महोदय अध्यक्ष या कुछ हैं। वह उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए

उत्तर प्रदेश की सुव्यवस्था पर उनका अपना ध्यान है। पंजाब के बारे में वह इसलिए ध्यान नहीं देते। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरफ भी देख लें और जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर ध्यान दें।

एक बात मैं कहना चाहता हूं। जब बाढ़ आती है तो फसल नष्ट हो जाती है और सरकार की तरफ से सहायता चलती है और वह चलती है कर्ज के रूप में। एक तो बाढ़ से किसान बेचारे का नाश पहले ही हो जाता है और जो सहायता दी जाती है वह कर्ज के रूप में जिस पर ब्याज चलता है। तो उसकी अवस्था क्या होगी। यदि आप उसकी सहायता करना चाहते हैं तो कर्जा न देकर उसको वैसे सहायता दें, तब तो ठीक हो सकता है।

बाढ़ आती है उसके कारण मच्छर बढ़ जाते हैं, मलेरिया हो जाता है, हैजा फैल जाता है। इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। शहर में अगर हैजा फैलता है तो घंटियां बज जाती है, तार खटक जाते हैं, लेकिन देहात के लोग चाहे सारे के सारे मर जाएं किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। वहां पर औषधालयों का प्रबन्ध नहीं है। मैं आपको ऐसे दसियों गांव दिखा सकता हूं जो वर्षा के दिनों में बाकी दुनिया से कट जाते हैं। उन गांवों के लोगों को चार-चार महीने के लिए नमक भी अपने घर में रख लेना पड़ता है। चार महीने वे नमक लेने बाहर नहीं जा सकते। ऐसा करना उनके लिए असम्भव हो जाता है। ऐसी स्थिति में बालकों का पढ़ना कैसे हो सकता है। रास्ते बन्द रहते हैं। और उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। यह आज स्थिति है और उसका सबसे उत्तम उपाय यह है कि नदियों को गहरा किया जाए। अगर आप इस दिशा में यत्न करेंगे तो लोग श्रम दान दे सकेंगे। अगर सरकार की तरफ से इस प्रकार का यत्न किया जाए तो सारे देश की बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम यह चर्चा कल जारी करेंगे।

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को बताना है कि उन्हें पुरुलिया के प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट से ५ सितम्बर, १९६२ को यह सूचना मिली है कि श्री मजहरि महतो, सदस्य लोक-सभा को ३० जुलाई, १९६२ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया गया था और ४ अगस्त, १९६२ को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

***आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश**

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे। श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, असम में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध प्रवेश की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अब से कुछ समय पूर्व भी मैंने सदन का ध्यान इस

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सम्बन्ध में आकर्षित किया था लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मंत्रालय के पास पूरी जानकारी नहीं थी और मंत्रालय ने इसके उत्तर में यही कहा कि उसकी जांच कराई जा रही है। पूरी जांच होने पर इस सदन को सूचित किया जायगा।

अवैध प्रवेश की यह समस्या केवल असम प्रदेश की ही नहीं है अपितु उसके आस पास पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में भी इसी प्रकार का एक संकट उपस्थित हो गया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी समय विस्फोट का कारण हो सकता है। जब जब इन प्रश्नों को उठाया जाता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोग उसको साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित मानते हैं तो कुछ किसी देश विशेष के प्रति विद्वेष की भावना से प्रेरित मानते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना इस प्रश्न को पहले भी उठाने का सम्बन्ध था और आज भी इस चर्चा को उठाने का सम्बन्ध केवल मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मैं इस चर्चा को उपस्थित कर रहा हूं।

पाकिस्तानी घुसपैठ के आंकड़ों के सम्बन्ध में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सरकार कुछ समय तक तो जांच ही कराती रही। यह पहला अवसर है कि जब कल राज्य सभा में गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट भाषा में कहा है कि ढाई और तीन लाख के मध्य में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रुप से असम में आकर बस गये हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा के सम्बन्ध में भी कुछ दिन पूर्व वक्तव्य देते हुए उन्होंने यह बतलाया था कि लगभग ५० हजार पाकिस्तानी नागरिक त्रिपुरा के अन्दर आकर बस गये हैं। लेकिन मेरा अपना अनुमान इस प्रकार का है कि यह सरकारी आंकड़े पूरे सही नहीं हैं और मैं समझता हूं कि असम में जितनी मात्रा में पाकिस्तानी नागरिक आये हैं वह संख्या इस ी लगभग दुगुनी या ढाई गुनी से भी ज्यादा है। इस सम्बन्ध में मैं विशेष रुप से यूं भी कहना चाहता हूं कि असम प्रदेश की सरकार और भारत सरकार देर तक इन तथ्यों को क्यों छिपाती रहीं? श्री फखरुद्दीन अहमद जो कि असम के वित्त मंत्री हैं, पिछले अपने सामान्य चुनावों में स्थान स्थान पर यह कहते फिरे कि यह केवल एक नारा है जो असमराज्य को बदनाम करने के लिये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिक असम में इस तरीके से भारी मात्रा में प्रवेश कर गये हैं। लेकिन उन्होंने सामान्य चुनावों में ही नहीं अपतु जब असम राज्य का बजट प्रस्तुत हुआ उस समय भी उन्होंने असम राज्य को विधान सभा में इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि यह जो संख्या १९६१ की जनगणना में बढ़ी है उसके तीन कारण हैं। पहला कारण उन्होंने यह बतलाया कि हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों के बच्चे अधिक उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण असम के वित्त मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि जो मुसलमान सन् ५० के दंगे में असम छोड़ कर चले गये थे वे बाद में यहां आकर बस गये। इस तरह भी १९६१ की जनगणना में उनकी संख्या बढ़ी। तीसरा कारण सत्य ही उन्होंने यह भी बताया कि असम के अन्दर चाय बागान में मजदूरी बहुत आसानी से मिल जाती हैं इसलिए बाहर से कुछ मजदूर आकर बस गये हैं जिसके कि कारण यह गणना में कुछ वृद्धि हुई है। बिल्कुल उन्हीं बातों को और उन्हीं तथ्यों को अब से कुछ समय पूर्व लोक सभा में भी एक सदस्य ने दुहराया था और इसी प्रकार की बात को अभी ४, ५ दिन पूर्व राज्य सभा में भी उनसे सहानुभूति रखने वाले एक सदस्य ने दुहराया था। लेकिन मैं इन बातों के सम्बन्ध में संक्षेप से उत्तर देते हुए अपनी चर्चा के क्रम को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं।

जहां तक संतति या प्रजनन का सम्बन्ध है कि उनके बच्चे ज्यादा उत्पन्न होते हैं और हिन्दुओं के कम होते हैं इस सम्बन्ध में मैं विस्तार से नहीं कहूंगा क्योंकि इस सदन की परम्पराओं के अनुरुप भी वह बात नहीं रहेगी परन्तु मैं उदाहरण के रुप में एक मोटी सी बात बतलाता हूं कि आज तक विश्व का रेकार्ड कहीं भी इस प्रकार का नहीं है कि जहां दस वर्ष में जनसंख्या बढ़ कर दूगुनी हो गयी

हो लेकिन असम में इस प्रकार की स्थिति है। पश्चिमी चर्मेरिया वहां का एक स्थान है। सन् ५१ में उस क्षेत्र की आबादी २६७०० थी लेकिन सन् १९६१ की जो गणना हुई है उसके अनुसार वहां की आबादी ५२९०० हो गयी। संख्या का दुगुना बढ़ जाना मैं समझता हूं कि यह संतति उत्पत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता अपितु इसमें यह मालूम पड़ता है कि कोई रहस्य है जो कि इतनी वृद्धि हुई है ?

दूसरी बात यह है कि वहां का जो पठारकंडी थाना है अकेले उस थाने में ही जुलाई १९६१ में ५००० आदमियों ने एक साथ अपने को वोटर लिस्ट में लिखाया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह संतति उत्पत्ति का परिणाम है या इसके पीछे कोई रहस्यात्मक योजना है ? जहां तक इस संख्या वृद्धि के सम्बन्ध का आधार उन्होंने वह साम्प्रदायिक दंगे बतलाये तो इसके लिये मेरा कहना यह है कि हम इन साम्प्रदायिक दंगों से पहले पूर्वी बंगाल, और बारीसाल में हिन्दुओं के साथ बहुत कुछ लूटपाट हुई और हत्याकांड हुए थे। यह ठीक है कि उसके पश्चात् फरवरी सन् ५० में असम में भी दंगे हुए और कुछ लोग असम छोड़ कर बाहर चले गये लेकिन उसके ठीक बाद में नेहरु-लियाकत पैक्ट ८ अप्रेल, सन् १९५० को हुआ और इस ८ अप्रेल सन् ५० के नेहरु-लियाकत पैक्ट का परिणाम यह हुआ कि जो मुसलमान असम राज्य छोड़ कर बाहर चले गये थे वह धीरे धीरे सन् ५० के अन्त तक अपने घरों में वापस आ गये। एसी स्थिति में यह कहना कि सन् ५१ के अन्त में जो जनगणना हुई उस ५१ की जनगणन में वह नहीं थे और ६१ की जनगणना में अंकित हुए मैं समझता हूं कि इसके पीछे कुछ भी सचाई नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा बलवती बनाने के लिये पिछली तीन जनगणनाओं का भी यहां थोड़ा सा उद्धृत कर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, असम राज्य में सन् १९३१ में जो जनगणना हुई उसमें सन् १९२१ की जनगणना की अपेक्षा १.६७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह सन् १९४१ में जो जनगणना हुई उस में सन् १९३१ की जनगणना की अपेक्षा १८.३९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् १९५१ के अन्दर जो जनगणना हुई उस में सन् १९४१ की जनगणना के मुकाबले १९.६२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब अगर इन सब का अनुपात निकाला लिया जाय तो मेरा अपना अनुमान है कि १९.१९ प्रतिशत से अधिक यह वृद्धि कैसे भी जाकर नहीं बैठती। लेकिन १९६१ की जनगणना के सम्बन्ध में जो हमारे आंकड़ा विभाग और जनगणना विभाग के सुपरिनटेंडेंट हैं उन्होंने यह कहा है कि किसी भी भाग में २१ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से तो सन् ५१ और ६१ के मध्य में असम राज्य में कुल वृद्धि जो संभव हो सकती है वह १८ लाख ५४ हजार और ४४७ की हो सकती है।

भारत विभाजन के बाद मार्च १९६२ तक जो परिवार वहां से उजड़ कर पाकिस्तान चले गये थे और दुबारा असम राज्य में आकर बसे हैं उनकी संख्या १ लाख २९ हजार है। अगर एक परिवार का औसत प्रति पांच व्यक्ति मान लिया जाय तो यह संख्या ६लाख ४५ हजार से अधिक नहीं बैठती है। सन् १९५१ की जो जनगणना हुई थी उस समय इस ६ लाख ४५ हजार की जनसंख्या में से २ लाख ७४४५५ आदमी इस प्रकार थे जोकि इस समय अंकित किये जा चुके थे। अगर उनको घटा दिया जाय तो घटाने के पश्चात् यह संख्या केवल ३ लाख ७०५४५ रह जाती है।

अब अगर यह संख्या वृद्धि मजदूरी आसानी से मिलने के कारण बतलाई जाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि असम राज्य में कुछ स्वयं इतनी ईश की कृपा है कि भारत के बाहर के मजदूरों के लिए वहां पर कोई खपत की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर फखरुद्दीन अहमद की बात को मान भी लिया जाय और मैं इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहूं तो भी पिछले दस वर्षों में ५०००० से अधिक मजदूर असम राज्य में बाहर से नहीं आ सकते। इन सब आंकड़ों को जोड़ लिया जाये

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

तो हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि १९५१ की जनगणना के आधार पर वहां की जनसंख्या ८८ लाख ३०७३२ थी। इसमें २१ प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है उसको मिलाकर यह संख्या १८ लाख ५४४४७ होती है। इसके बाद सन् ५१ में जो परिवार वहां से उजड़ कर चले गए थे लौट आये उनकी संख्या ३ लाख ७०५४५ है और ५०००० मजदूर बाहर से आकर मजदूरी में लग गये। इस तरह से कुल को अगर मिला लिया जाय तो यह तादाद जाकर १ करोड़ ११ लाख ५७२४ बैठती है लेकिन सन् १९६१ में जो असम में जनगणना हुई हैं मैं यह सारे आंकड़े जो १ करोड़ १८ लाख ६००५९ बैठते हैं। तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यह जो बाकी ७ लाख ५४३३५ व्यक्ति रह जाते हैं यह असम में आकर कौन बसे हैं, यही एक समस्या है जो कि सारे देश के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह बन कर खड़ी है? यही वह बात है जिस पर इस संसद को गम्भीरता के साथ निर्णय करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को संक्षेप की ओर ले जाते हुए बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह युक्तियां जो असम राज्य के वित्त मंत्री मि० फखरुद्दीन अहमद ने दी हैं वह विधान सभा में दी हों सो बात नहीं है, सामान्य निर्वाचनों में स्थान स्थान पर भाषण देते हुए उन्होंने यह बात की हो, सो बात भी नहीं है बल्कि अभी तीन, चार दिन पहले जब वे दिल्ली आये थे तो यहां आकर भी उन्होंने इन्हीं तथ्यों और युक्तियों को कानों कानों तक पहुंचाने का यत्न किया। कि आसाम में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जहां तक मैं समझ सका हूं, पाकिस्तान बनाते समय असम और बंगाल के सम्बन्ध में मिस्टर जिन्ना की जो योजना थी, उसी को पूर्ण करने के लिये यह योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है।

इस सदन में त्रिपुरा के सम्बन्धमें यह कहा गया है कि वहां पर पचासहज़ार पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिस को हमारे गृह-मंत्री ने स्वीकार भी किया। जब उन लोगों को वहां से हटाने की चर्चा आई, तो गृह-मंत्री ने कहा, "एक साथ पचास हज़ार आदमियों को भला कैसे निकाला जा सकता है? थोड़ा मानवीय सहानुभूति से भी सोचना पड़ेगा।" मैं नहीं समझ पाया कि अगर किसी के घर में डाकू आ आ कर बस जायें और उनकी संख्या अधिक हो, तो उस समय क्या परिवार वाले लोग उन डाकुओं को निकालने के सम्बन्ध में मानवीय सहानभूति की बात सोचेंगे, या यह सोचेंगे कि अपने परिवार की रक्षा कैसे की जा सकती है। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण को लेकर आए हैं, जिन के कारण भारत की सुरक्षा ख़तरे में पड़ गई है, उन के सम्बन्धमें हम को दृढ़ता से कुछ निर्णय लेना चाहिये।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय बतायें कि जब पचास हज़ार पाकिस्तानी नागरिकों को त्रिपुरा से पाकिस्तान भेजने की बात हुई थी, और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, मिस्टर हिलाली, हमारे प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री से आ कर मिले, तो उस समय प्रधान मंत्री और मिस्टर हिलाली के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, जिस के बाद यह मानवीय सहानुभूति का नारा लगाया गया।

मैं एक बात और असम राज्य के कृषि मंत्री के बारे में भी कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज हमारे गृह-मंत्री महोदय इस बात को ज़रा स्पष्ट भाषा में सदन को बातायें कि क्या इस प्रकार के व्यक्ति असमराज्य के मंत्री-मंडल में हैं, जो मिस्टर जिन्ना के सेक्रेटरी रह चुके थे। क्या इस प्रकार के व्यक्ति असम राज्य के मंत्री-मंडल में हैं, जो १९५७ से पहले मुस्लिम लीग में थे? क्या वहां पर इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जिन पर देश-विरोधी कार्यवाही करने पर केस चलाया गया था? अगर हैं, तो मुझे आप इन शब्दों को कहने की आज्ञा दीजिए कि असम के सम्बन्धमें हम आज वही भूल कर रहे रहे हैं, जो शेख अब्दुल्ला को शरण दे कर हम ने काश्मीर में की थी।

आज उसी का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि १९६२ के पिछले सामान्य चुनावों में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने उन्हीं लोगों की ओर से इस प्रकार की मांग की गई कि हम को हमारी संख्या के आधार पर २८ सीटें दी जायें। उसी का परिणाम है कि धुबरी सब-डिवीज़न बारापेटा सब डिवीजन और ग्वालपाड़ा में १९५७ में उतने पाकिस्तानी मनोवृत्ति के मुसलमान विजयी हो कर नहीं आए, जितने कि अब आए हैं।

सुझाव के रूप में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। असम राज्य भारत का एक सीमावर्ती राज्य है, जो कि एक प्रकार से भारत का मस्तक कहा जा सकता है। अगर उस को बचाना है, तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा की सीमा को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिये। दूसरी बात यह है कि अगर उन व्यक्तियों के विरुद्ध, वे सरकारी हों या अर्द्धसरकारी, यह भयंकर देश-द्रोह का आरोप साबित हो जाता है कि इस में उन का हाथ है, तो फिर सरकार नज़ाकत से इस विषय में कोई निर्णय न ले कि उन को अपने पद से हटाया जा रहा है, उन को पदमुक्त किया जा रहा है, बल्कि उन को वही दंड दिया जाना चाहिए, जो कि एक भयंकर देश-द्रोही को दिया जाता है, जिस से दूसरे लोगों की भी आंखें खुलें। इस के अतिरिक्त जन-गणना में या मतदाता-सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हो गए हैं, उन को वहां से हटाया जाये। अगर सरकार नहीं करेगी, तो मेरा अनुमान है कि वह अपने देश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करेगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : क्या यह तथ्य है कि २०० पाकिस्तानी नागरिकों के एक जत्थे को, जिन के पास वैध प्रवेश पत्र नहीं थे, पाकिस्तान सरकार ने वापस लेने से इन्कार कर दिया है?

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा) : क्या असम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए किसी परिचय पत्र की प्रथा को चालू किया गया था?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान की इस धमकी की ओर दिलाया गया है कि यदि यह अवैध घुस पैठ करने वालों को निकाल दिया गया तो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भी निकाल दिया जाएगा?

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या सरकार को विदित है कि आसाम और अन्यत्र यह धारणा बिठाई गई है कि भारत सरकार ने भयभीत हो कर पाकिस्तान के दबाव को मान लिया है तथा पाकिस्तान का दबदबा ही आसाम और त्रिपुरा में काम कर रहा है।

श्री बड़े : मेरा कहना यह है कि १७ जून के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में उन आरोपों की मांग की गई थी, जो कि डा० मोतीराम बोरा ने लगाए थे। डा० मोतीराम बोरा असम के रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे व्यक्ति सरकार के ज़िम्मेदार पदों पर आ गए हैं, जो कि दिन को तो कांग्रेसी रहते हैं और रात को मुल्लाओं और मौलवियों की सीक्रेट मीटिंग्ज़ में जाते हैं और असम में आने वाले लोगों की मदद करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने उन एलीगेशन्ज़ की तरफ़ लक्ष्य किया है।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को आसाम में अवैध प्रवेश के नाम पर परेशान न किया जाय?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : अध्यक्ष महोदय, इस और दूसरे सदन के माननीय सदस्य इस प्रश्न में बहुत दिलचस्पी लेते हैं . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कछवाय** (देवास) : माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हिन्दी में होना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन को कैसे कह सकता हूं ।

†**श्री बड़े** : कुछ सदस्यों को समझ में नहीं आता ।

श्री बागड़ी : साथ साथ उस को ट्रांस्लेट करते जाना चाहिए।

†**श्री दातार** : इस मामले के सम्बन्ध में लगभग पिछले महीने में लगभग १९ प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

सब से पहले मैं इस चर्चा का प्रस्ताव करने वाले सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्हें कुछ नाम विशेषकर आसाम मंत्रालय में मंत्रियों के चर्चा में नहीं लाने चाहिए थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक मामले में वह सभा में अपने वक्तव्य का जिक्र कर रहा था। अतः मैं ने इतराज नहीं किया ।

†**श्री दातार** : यदि वक्तव्यों की आलोचना को जाए, तो मुझे इतराज नहीं हो सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्री जी तो व्यक्ति हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वे सरकार के पदाधिकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्रियों का भी उल्लेख नहीं करना चाहिए। क्योंकि वे कुछ वक्तव्यों का उल्लेख कर रहे थे, अतः मैं ने रोका नहीं।

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर आसाम विधान-सभा में तीन दिन तक चर्चा होती रही और आसाम के मुख्य मंत्री ने सब बातों का उत्तर दिया है । उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित और प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार की भी यह इच्छा है कि इस प्रकार का अवैध प्रवेश बिल्कुल न हो। कुछ हद तक पिछले कुछ वर्षों में इस बात को रोका भी गया है। मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु भारत सरकार आसाम राज्य सरकार की सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए सहायता कर रही है। आसाम की कुल सीमा ६०० मील से अधिक है। कई चौकियां पहले ही स्थापित की गई हैं। इस लम्बी सीमा के अतिरिक्त घने जंगल हैं। अतः कभी कभी यह मालूम करना कठिन हो जाता है कि किस समय एक व्यक्ति अवैध रूप से भारत में

†**श्री हेम बरुआ** : वह जंगल में से नहीं आते, वह ग्रामों से आते हैं।

†**श्री दातार** : इसीलिए भारत सरकार राज्य सरकार को चौकियों की संख्या बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिये कि अवैध रूप से लोगों को रोका जा सके। और उन सब व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए वित्तीय सहायता देती रही है।

यहां तक सही आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं वर्तमान स्थिति का उल्लेख करता हूं। १९५१ में आसाम की जनसंख्या ८८,३०,७३२ थी। अब १९६१ में १,१८,६०,०५९ है । इन आंकड़ों का अन्तिम सत्यापन होना है। आसाम में ३४.४२ प्रतिशत वृद्धि है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुओं की जन संख्या ३३.६४ प्रतिशत बढ़ी है । जब कि मुस्लमानों की संख्या ३८.५६ प्रतिशत बढ़ी है । मुसलमानों की संख्या में लगभग कुल ७ लाख की वृद्धि हुई । विभिन्न दशाब्दियों में जनसंख्या का हिसाब लगाया गया था । अतः यह राय बनी की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि थी और कई कारणों पर विचार किया गया था । इस वृद्धि के कुछ ठीक कारण हैं । आसाम औद्योगिक रूप से विकास कर रहा है, बहुत बड़ी चीजें वहां की जा रही हैं और चाय बागान भी वहां हैं और कुछ हद तक भारत के अन्य भागों से लोग वहां गए हैं । २,५०,००० और ३,००,००० से बीच के आंकड़ों के बारे में सरकार ने महसूस किया कि इन कारणों में से कोई भी वृद्धि की उचित दर नहीं समझी जा सकती थी ।

भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि २,५०,००० से ३,००,००० तक की जनसंख्या पिछले दस वर्षों में अवैध रूप से प्रवेश के कारण है । अतः इस जनसंख्या का हिसाब रखना है । सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि यह जनसंख्या यथाशीघ्र बाहर चली जाए ।

सरकार विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कुछ जोरदार कदम उठाती रही है । इस के अनुसार ३०,००० लोगों पर मुकदमा चलाया गया है, सजा दी गई है और फिर भारत से निकाल दिया गया ऐसे व्यक्तियों की संख्या ३३,००० है ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या सारे भारत से या केवल आसाम से ?

†**श्री दातार** : मैं केवल आसाम की बात कर रहा हूं ।

अब प्रश्न उठता है कि क्या लगभग २,५०,००० की जनसंख्या को शीघ्र निकाल दिया जाए । यह प्रश्न सरकार के सामने उठा । ये व्यक्ति कौन है इसका भी पता करना है उन के विरुद्ध मुकदमे चलाने के लिए न्यायालयों को भी यकीन दिलाना था । अतः सरकार ऐसी कार्यवाई करने का कार्यक्रम बनाए जिस के अनुसार जो अवैध रूप से आएं हैं उन्हें शीघ्र निकाल दिया जाए । अतः सरकार आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को निकालने का विचार रखती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कितने वर्षों तक यह कार्यक्रम चलेगा ?

†**श्री दातार** : निकट भविष्य में कुछ महीनों या लगभग एक वर्ष तक ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पिछले वर्ष में माननीय गृह-कार्य मंत्री द्वारा घोषित नीति माननीय प्रधान मंत्री ने क्यों बदली ?

†**श्री दातार** : मैं ने यह प्रश्न दया की भावनायें रखते हुए उठाया । पाकिस्तान सरकार या और किसी के डर से नहीं । सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि अवैध रूप से आए व्यक्तियों को यथाशीघ्र निकाल दिया जाए, परन्तु आहिस्ता आहिस्ता ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय प्रधान मंत्री ने ऐसा नहीं कहा । माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि वे परस्पर विरोध को दूर करना चाहते थ ।

†**श्री दातार** : इस सदन में हम ने प्रश्न का उत्तर दिया ।

कुछ जनता पर दया दृष्टि के पहलू भी थे, जिन पर विचार करना है । अतः ऐसा महसूस हुआ कि इन लोगों को शीघ्र निकालना निर्दयता होगी । पहले यह पता करना है कि ये लोग कौन हैं जिनकी संख्या २,५०,००० से ३,००,००० है ? सरकार को इस संबंध में जो कार्यवाई करनी है उसका पता है ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : हक चौधरी जो है, उस के खिलाफ भी कुछ एकशन ले रही है क्या ?

†**श्री दातार** : आसाम में जुलाई में कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया, सज़ा दी गई और उन्हें निकाल दिया गया। अतः यह कहना उचित नहीं है कि सरकार किसी दूसरे राष्ट्र से डर रही है। सरकार की एसी नीति नहीं है। सरकार इस बात से चिन्तित है कि जब कि हम उन लोगों को जो कि अवैध रूप से भारत में घुस आए है निकालना चाहते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय मुस्लिम लोगों पर अत्याचार न हों ।

†**श्री बसुमतारी** : यदि परिचय पत्र नहीं है तो उन के परिचय कैसे पता चल सकता है ?

†**श्री दातार** : इसी लिए सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाई करनी है। वह आसाम सरकार की सलाह से एसा करेगी।

श्री बागड़ी : पाकिस्तानी जासूसों के बारे में भी तो कुछ कहिये।

†**श्री दातार** : आसाम सरकार को इस समस्या का पता है। सरकार सब आवश्यक कदम उठा रही है। केन्द्रीय सरकार उन को वित्तीय सहायता कर रही है। अतः सदन को इस प्रश्न के संबंध में सन्देह की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को भी कुछ कहने दीजिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : दया की भावना से हम इतनी देर तक बैठ रहे है। सदन कल ग्यारह बजे तक स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/भाद्र १५, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित कर दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार ५ सितम्बर, १९६२

१४ भाद्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	२८१९
	एक सदस्य ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की	

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

७९१	नेपा मिल्स .	२८१९–२१
७९२	टीका	२८२१–२३
७९३	रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी जांचों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना	२८२३–२५
७९३–क	उत्तर रेलव पर माल लादने के लिए प्लाटों का प्रमाप आकार	२८२५
७९४	जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा	२८२६–२७
७९७	महेन्द्रू घाट स्टेशन पर टिकटों का न बेचा जाना	२८२८–२९
७९८	आई० ए० सी० और "एयर सीलोन" की सेवाओं का समूहीकरण	२८२९–३०
७९९	राजस्थान से खरीदा जाने वाला दूध	२८३०–३३
८००	रेलवे फाटकों पर पुलिसमैनों की नियुक्ति	२८३३–३६
८०१	ब्रिटिश फर्म के द्वारा रेलवे उपकरण का संभरण	२८३६–३७
८०२	जापानी फर्म द्वारा बिजली के इंजनों का संभरण	२८३७–३९
८०३	नये जहाजों का निर्माण	२८३९
८०४	सामुदायिक विकास	२८४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

७९५	कृषि उपकर	२८४१
७९६	"एयर इण्डिया" की पुस्तिका का जापान में छपना	२८४१–४२
८०४–क	नई दिल्ली में जापानी ढंग के बाग	२८४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

८०५	एयर इंडिया पर विदेशी यात्रा का प्रभाव	२८४२
८०६	खांड का निर्यात	२८४२–४३
८०७	नेपाल को चीनी का निर्यात	२८४३
८०८	कोसी बांध का निर्माण कार्य	२८४३–४४
८०९	दिल्ली में यमुना के पानी के स्तर का गिरना	२८४४
८१०	डाक तथा तार बोर्ड	२८४४–४५
८११	डाक तथा तार सलाहकार समितियां	२८४५
८१२	दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर	२८४५
८१३	रेडियो लाइसेंस	२८४६
८१४	चावल का निर्यात	२८४६
८१५	चिकित्सा सहायक कर्मचारी	२८४६–४७
८१६	भाखड़ा की विद्युत् उत्पादन क्षमता	२८४७
८१७	उत्तर प्रदेश व जम्मू और काश्मीर में बिजली घर	२८४७–४८
८१८	तिबिया कालिज, दिल्ली	२८४८
८१९	कलकत्ता और दिल्ली के बीच दूर संचार	२८४८

अतारांकित प्रश्न संख्या

२२६२	कलकत्ते में गोदाम	२८४८–४९
२२६३	जाफना तम्बाकू	२८४९
२२६४	लखनऊ डिवीजन में लेवल क्रासिंग	२८४९
२२६५	आन्ध्र प्रदेश द्वारा खरीदे गये "रिग"	२८५०
२२६६	आन्ध्र प्रदेश के लिये अतिरिक्त रेल गाड़ियां	२८५०
२२६७	आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	२८५०–५१
२२६८	मद्रास–कलकत्ता सड़क	२८५१
२२६९	आन्ध्र प्रदेश के अन्तर्राज्यिक और आर्थिक महत्व की सड़कें	२८५१
२२७०	डाक व तार विभाग के क्वार्टर	२८५२
२२७१	डाक व तार विभाग की इमारतों के लिए स्थान	२८५२
२२७२	डाक व तार की इमारतें	२८५३
२२७३	पुलिबेहाला में टेलीफोन एक्सचेंज	२८५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२२७४	पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य	२८५४
२२७५	पंजाब में नलकूप .	२८५४–५५
२२७६	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के समीप पुल का निर्माण	२८५५
२२७७	रेलों पर वैगन तोड़ने के कोयले .	२८५५–५६
२२७८	कृषि औजारों के लिए अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्र	२८५६
२२७९	केन्द्रीय भूमि विज्ञान संस्था	२८५७
२२८०	कृषि शास्त्र में मैट्रिक उपरान्त अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२८५७
२२८१	कृषि शिक्षा संबंधी फिल्म	२८५७
२२८२	उड़ीसा में ग्राम विद्युती करण	२८५८
२२८३	उड़ीसा में सिंचाई .	२८५८
२२८४	माडल तथा जीवनाकंकीय यूनिट, नागपुर	२८५९
२२८५	विक्रमपुर में शाखा डाकघर	२८५९
२२८६	मद्रास राज्य में बाढ़ नियंत्रण	२८५९–६०
२२८७	मद्रास में सिंचाई और विद्युत् योजनायें .	२८६०
२२८८	सोहागपुर (मध्य रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान	२८६०
२२८९	डाक तथा तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२८६०–६१
२२९०	डाक तथा तार बिभाण के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२८६१
२२९१	नारनौल और सिंघाने के बीच सड़क	२८६१
२२९२	कृषियोजनाओं का लक्ष्य .	२८६२
२२९३	पश्चिमी बंगाल में निचली दामोदर नदी की खुदाई	२८६२
२२९४	भूमि संरक्षण	२८६२–६३
२२९५	उड़ीसा में विद्युत् -जनन	२८६३–६४
२२९६	अन्धे व्यक्तियों में कुत्ते की आंख लगाना	२८६४
२२९७	कृत्रिम औषधि . .	२८६५–६७
२२९८	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय .	२८६७–६८
२२९९	बरेली जंक्शन पर पार्सलों पर विलम्ब शुल्क .	२८६८
२३००	कोटा में सुपरवाइजर की वर्कशाप से सीमेन्ट की बोरियों का हेर-फेर .	२८६८–६९
२३०१	राजधानी के आस पास के क्षेत्रों का विकास	२८६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

	विषय	पृष्ठ
आतारांकित प्रश्न संख्या		
२३०२	मनीपुर में दुग्ध चूर्ण की बिक्री	२८६६–७०
२३०३	उत्तर प्रदेश में भेड़ पालन केन्द्र	२८७०
२३०४	कलकत्ता में अफीम खाने वाले लोग	२८७०–७१
२३०५	नदी के पानी में हिस्सा लेना	२८७१
२३०६	हिमाचल प्रदेश में तहसील सहकारी समितियां	२८७१–७२
२३०७	हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण	२८७२
२३०८	उत्तर प्रदेश में भूक्कम्प	२८७२
२३०९	स्मृति डाक टिकट	२८७३
२३१०	चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पन्नदोन्नति	२८७३
२३११	सब्जी मण्डी, दिल्ली के सिटी बुकिंग एजेंट द्वारा भाड़ा वसूली	२८७३–७४
२३१२	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति के सदस्यों की नियुक्ति	२८७४
२३१३	रेलवे सेवा आयोग के नोटिसों का उड़िया समाचार पत्रों में प्रकाशन	२८७४
२३१४	कटक रेलवे सहायता प्राप्त होस्टल	२८७४–७५
२३१५	आसाम में भोजन विषाक्तता के मामले	२८७५
२३१६	अडसाली की खेती	२८७६
२३१७	उत्तर प्रदेश में और बिहार में गन्ने का उत्पादन	२८७७
२३१८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के खुलने व बन्द होने का समय	२८७७–७८
२३१९	वनस्पति निर्माण के लिये औद्योगिक एकक	२८७८
२३२०	विवेकानन्द ब्रिज के लिये पथ-कर इक्कठ्ठा करना	२८७९
२३२१	सौराष्ट्र क्षेत्र में सड़कें	२८७९
२३२२	औडियोमीटर	२८७९
२३२३	केन्द्रीय औषधालय संस्थान, दिल्ली	२८७९–८०
२३२४	बांधों के कृषि योग्य भूमि की क्षति	२८८०
२३२५	हीरा कुदबांध	२८८०–८१
२३२६	उन्नत किस्म के बीज	२८८१
२३२७	सहकारी फार्म	२८८१
२३२८	असम के गांवों में पीने का पानी का संभरण	२८८१–८२
२३२९	रेल डिब्बों का निर्माण	२८८२–८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२३३०	हैदराबाद विजयवाड़ा राजपथ . .	२८८४
२३३१	सरस्वती सिंचाई योजना . .	२८८४
२३३२	दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़	२८८४-८५
२३३३	रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों की पदोन्नति	२८८५
२३३४	जुंद-कांडला मार्ग . . .	२८८५-८६
२३३५	महामदाबाद रेलयार्ड में सिगल पोस्ट .	२८८६
२३३६	वेगन खाली करने में समय की कटौती . .	२८८६-८७
२३३७	दिल्ली में डाक्टर और अस्पताल . .	२८८७
२३३८	देश में बिजली का उत्पादन . .	२८८७
२३३९	विमान यातायात	२८८८
२३४०	गैर-सरकारी क्षेत्र में तापीय बिजली कारखाना .	२८८८
२३४१	हिमाचल प्रदेश में डाक तथा तार कार्यालय . .	२८८८-९०
२३४२	डीजल इंजनों का आयात . .	२८९०
२३४३	हिमाचल प्रदेश में सतलज के ऊपर पुल . .	२८९०-९१
२३४४	लौह अयस्क के निर्यात के लिये नई रेल लाइनें . .	२८९१
२३४५	बीमा किये पार्सलों का गुम होना . .	२८९१-९२
२३४६	समुद्र पार संचार के दौरान गुम हुए संवाद . . .	२८९२
२३४७	आसाम और बिहार में बाढ़ सम्बन्धी सहायता . .	२८९३
२३४८	डाक तार विभाग की इमारतें	२८९३
२३४९	कंकरीट के स्लीपर .	२८९३-९४
२३५०	कांडला पत्तन . .	२८९४-९५
२३५१	डाक तथा तार विभाग में इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र .	२८९५
२३५२	माल यातायात	२८९५-९६
२३५३	तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनें .	२८९६
२३५४	मलेरिया निरोधक अधिकारियों की बैठक . .	२८९७-२९००
२३५५	नये सिगनल कैबिनों का पोर्टरों द्वारा पर्यवेक्षण . .	२९०१
२३५६	खाली टिनों का भाड़ा . .	२९०१
२३५७	दक्षिण पूर्व रेलवे पर कैंटीनों के उपठेके . . .	२९०१
२३५८	एयर इंडिया	२९०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३५९	कृषि अर्थ शास्त्र की भारतीय संस्था, बम्बई को अनुदान	२६०२
२३६०	रात में हवाई डाक सेवा	२६०३
२३६१	महाराष्ट्र म बाढ़	२६०३
२३६२	कुट का उत्पादन	२६०४
२३६३	केन्द्रीय डेरी कालेज, करनाल	२६०४
२३६४	असम में बाढ़ों के कारण	२६०४
२३६५	झूठे मनी आर्डर	२६०५
२३६६	काटाखाल—हालाकांडी रैलवे स्टेशन	२६०५
२३६८	चिकित्सा कालेज	२६०६
२३६९	एम० बी० बी० एस० कोर्स	२६०६–०७
२३७०	टेलीफोन एक्सचेंज, मैसूर	२६०७
२३७१	केरल में बदा गदा पायर	२६०७
२३७१–क	ऐसोसिएशन फार मौरल एण्ड सोशल हाइजीन	२६०७–०८
२३७१–ख	परादीप पत्तन	२६०८
२३७१–ग	स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं	२६०८
२३७१–घ	केन्द्रीय चिकित्सा विधि संस्था	२६०८–०९
२३७१–ङ	दिल्ली में गोसदन	२६०९
२३७१–च	दिल्ली यातायात सम्बन्धी संकेत	२६१०
२३७१–छ	रिंग रोड पर रोशनी की व्यवस्था	२६१०
२३७१–ज	रेडियो	२६११
२३७१–झ	आवेपक मशीन	२६११
२३७१–ञ	महाराष्ट्र राज्य में छोटी सिंचाई योजनाएं	२६११–१२

राज्य सभा से सन्देश २६१२

सचिव ने लोक सभा को बताया कि राज्य सभा से प्राप्त सन्देश में यह बताया गया है कि राज्य सभा असम राइफल्स (संशोधन) विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

गैर-सरकारी सदस्यों के बिलों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . . . . २६१[illegible]

आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विषय पृष्ठ

सदस्य का निलम्बन २९१२–१४

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल को दूसरे सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया गया ।

विधेयक पारित २९१४–३६

(१) खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) ने प्रस्ताव किया कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) ने प्रस्ताव किया कि उद्योग (विकास तथा विनिमय) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

राज्य सभा के प्रस्ताव से सहमति के बारे में प्रस्ताव---स्वीकृत २९३६–३८

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि सभा परसीमन विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करे । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा २९३८–७१

श्री बागड़ी ने आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश, में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में जो २७ अगस्त, १९६२ को सभा की पटल पर रखे गये वक्तव्य में बताई गई थी, चर्चा उठाई । चर्चा भी समाप्त नहीं हुई ।

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई के बारे में सूचना २९७१

अध्यक्ष महोदय ने सभा को बताया कि उन्हें पुरुलिया के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से सूचना मिली है कि श्री भजहरी महतो, सदस्य, लोक सभा को ३० जुलाई, १९६२ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया गया था, और ४ अगस्त, १९६२ को जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

आधे घंटे की चर्चा . २९७१–७८

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के अगस्त १३, १९६२ को दिये गये से उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

विषय पृष्ठ

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/१५ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा